दसवीं माला, खंड 10, अंक 30

मंगलवार 7 अप्रैल, 1992
18 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 7 अप्रैल, 1992/18 चैत्र, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
44	11	"अनियमितताओं" के स्थान पर "अनियमिततायें" पढ़िये ।
54	नीचे से 10	"दादर" के स्थान पर "दादरा" पढ़िये ।
62	11	"सहायया" के स्थान पर "सहायता" पढ़िये।
139	नीचे से 14	"मंथी" के स्थान पर "मंत्री" पढ़िये ।
172	6	"श्री एम0एल0जेकब" के स्थान पर "श्री एम0एम0 जेकब" पढ़िये ।

विषय-सूची

दसवीं माला, खंड 10, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 30, मंगलवार, 7 अप्रैल, 1992/18 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
तंजानिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—29
*तारांकित प्रश्न संख्या : 572 से 575, 577, 579 और 580	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	30—183
तारांकित प्रश्न संख्या : 576, 578 और 581 से 591	30—43
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6330 से 6344, 6346 से 6372, 6374 से 6403 और 6405 से 6453	43—164
सभा पटल पर रखे गए पत्र	183—185
लोक लेखा समिति	185
सोलहवां, सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
कार्य मंत्रणा समिति	185
चौदहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	185—189
(एक) तमिलनाडु के तंजौर जिले में ओरथानड में चीनी मिल स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के० तुलसिऐया वान्डायार	185
(दो) परम्बीकुलम अलियार परियोजना के अन्तर्गत पालक्काड (केरल) को पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	186

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(तीन) मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
कुमारी विमला वर्मा	186
(चार) उत्तर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में सोफ्ट कोक की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	187
(पांच) उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन पर और अधिक सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष कुमार गंगवार	187
(छः) बिहार में लीलाजन जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	188
(सात) अलेप्पी-कायकुलम रेल लाइन को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री थाइल जान अंजलोज	188
(आठ) सोन नहर का आधुनिकीकरण करने के लिए बिहार सरकार को और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
श्री तेज नारायण सिंह	189
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	189—266
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
खाद्य मंत्रालय	
कृषि मंत्रालय	
नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
श्री रुद्रसेन चौधरी	191
श्री के० वी० तंक्काबालू	217
श्री नीतीश कुमार	223
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	236
श्री आयनल अबेदिन	243
श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा	248

विषय	पृष्ठ
प्रो० के० वेंकटगिरि गौड	252
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	255
श्री एस० बी० सिदनाल	259
श्री बी० एन० रेड्डी	263
मंत्री द्वारा वक्तव्य	237—238
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को बोनस प्रदान करना	
श्री तरुण गोगोई	237

लोक सभा

मंगलवार, 7 अप्रैल, 1992/18 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

तंजानिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम मैं एक घोषणा करना चाहूंगा।

अपनी ओर से और सभा के सदस्यों की ओर से मुझे भारत आये अपने माननीय अतिथियों तंजानिया की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष महामहिम चीफ एडम सापी मकावा और तंजानिया संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल के दूसरे सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) श्री बेडियल वाई० मंगोन्जा, विदेशी मामलों की समिति के सभापति।

(2) श्री जुमा जे० अकुकवेती, संसद सदस्य।

(3) श्री राजब उमर मबानो, संसद सदस्य।

(4) श्रीमती बाबुरा ए० फाराजी, संसद सदस्य।

शिष्टमंडल 5 अप्रैल, 1992 को सायं दिल्ली पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका निवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से युनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, नेशनल असेम्बली तथा वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनायें देते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

चीनी मिलों की ओर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि

*572. श्री राम सजीवन सिंह :

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किसानों ने चीनी मिलों को गन्ने की कितनी मात्रा सप्लाई की;

(ख) उत्तर प्रदेश में चालू पिराई मौसम के दौरान किसानों को गन्ने का क्या मूल्य दिया जा रहा है;

(ग) राज्य में निजी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलें हैं और 29 फरवरी, 1992 की स्थिति अनुसार उनकी ओर गन्ने के मूल्य की कितनी राशि बकाया थी;

(घ) सहकारी क्षेत्र के चीनी मिलों द्वारा किसानों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया और उपरोक्त तिथि को इन मिलों की ओर राज्यवार कितनी राशि बकाया पड़ी है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या अनुदेश जारी किये गये हैं ?

[अनुवाद]

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

104 चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 29-2-92 तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 205.10 लाख टन गन्ने की पेराई की गई थी ।

उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों ने सूचित किया है कि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की कीमतों का भुगतान कर रही हैं जो निम्न प्रकार है :

(रु०/क्विंटल)

	सामान्य किस्म	विशिष्ट प्रकार की जल्दी पकने वाली किस्में
(1) फैक्ट्री गेट पर	45	48
(2) बाह्य केन्द्रों पर	42	45

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में 43 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां हैं । इन फैक्ट्रियों में से अभी तक 25 चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 29-2-1992 तक गन्ने के मूल्य के 80.51 करोड़ रुपये बकाया थे । शेष फैक्ट्रियों से सूचना अभी प्राप्त होनी है ।

29-2-1992 तक भुगतान की गई गन्ना कीमत तथा बकाया राशि से संबंधित रिपोर्ट अभी तक सहकारी क्षेत्र की 141 चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त हुई है । राज्यवार विवरण उपाबंध पर है। सहकारी क्षेत्र की शेष चीनी फैक्ट्रियों से अभी सूचना प्राप्त होनी है।

केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं जिनके तहत राज्य सरकारों से गन्ने की बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है ।

उपाबंध

141 सहकारी चीनी फैक्ट्रियों से संबंधित 29-2-1992 तक गन्ना मूल्य का भुगतान तथा बकाया राशि का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	सूचना देने वाली फैक्ट्रियों की संख्या	29-2-1992 को भुगतान किया गया गन्ना मूल्य	29-2-1992 को बकाया राशि
			(करोड़ रुपये)	
1.	पंजाब	9	59.63	20.11
2.	हरियाणा	9	59.78	24.24
3.	राजस्थान	1	0.59	1.53
4.	उत्तर प्रदेश	15	91.70	37.92
5.	मध्य प्रदेश	1	0 91	2.65
6.	गुजरात	9	76.34	8.12
7.	महाराष्ट्र	60	457 63	38.16
8.	आसाम	1	1.26	0.17
9.	आन्ध्र प्रदेश	11	29.97	3.57
10.	कर्नाटक	11	64.51	18.58
11.	तमिलनाडु	10	51.00	9.48
12.	केरल	1	2.01	—
13.	उड़ीसा	1	0.31	3.57
14.	पांडिचेरी	1	2.74	0.87
15.	गोआ	1	3.28	1.17
	कुल	141	901.66	170.14

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि जो सूचना उन्हें मिली है, पहले तो मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर ही नहीं दिया गया है, क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं है, दूसरे मैंने अभी एक सवाल यह पूछा था कि उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्टरियों में कितना गन्ना क्रश किया जाता है और साथ ही, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शुगर फैक्टरियों के अलावा, कोल्हू और क्रशर्स में कितना गन्ना क्रश किया जाता है, क्योंकि आपने रिपोर्ट में कुछ दिया नहीं है। अब आपको मालूम है, आपने कहा है कि जहां तक उत्तर प्रदेश की जानकारी है, वहां जितना गन्ना

पैदा होता है, उसका आधे से अधिक गन्ना कोल्हू और क्रशर्स में पेराई के लिये जाता है। आपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की कीमतों का भुगतान कर रही हैं, 45 रुपये प्रति क्विटल की दर से गन्ने का दाम दे रही हैं लेकिन आपको यह भी जानकारी होगी कि कोल्हू और क्रशर्स वाले 28 से 30 रुपया प्रति क्विंटल ही गन्ने का दाम किसान को देते हैं, जबकि आधे से अधिक गन्ना कोल्हू और क्रशर्स द्वारा ही क्रश किया जाता है। आगे आपने कहा है कि बकाया के सम्बन्ध में हमें आंकड़े नहीं मिले कि कुल कितना बकाया है, आपने सिर्फ इतना बताया है कि 25 चीनी फैक्टरियों की तरफ गन्ने के 10.51 करोड़ रुपये बकाया थे और 105 चीनी फैक्टरियों में से 43 फैक्टरियां सरकारी क्षेत्र में हैं, 35 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और 39 निजी क्षेत्र में हैं। उनकी तरफ अरबों रुपया किसानों की गाढ़ी कमाई का मिल वालों की तरफ, बकाया पड़ा हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का जीवन अंधकार में पड़ गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय सैस के रूप में आपको कितना रुपया प्राप्त होता है। मान्यवर, मेरा सवाल बहुत अहम है, इसलिये आप सुन लीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपने उत्पादन शुल्क को रोक कर, पहले किसानों के बकाया पैसे का भुगतान सरकार करायेगी। साथ ही, कानून में प्रावधान है कि गन्ना किसानों का कुछ पैसा यदि मिल वालों की तरफ बकाया रहे तो मिल ओनर्स को उस राशि पर ब्याज का भुगतान देना होगा लेकिन ब्याज देना तो दूर रहा, किसानों को गन्ने का असल मूल भी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछेंगे तो आपका मूल प्रश्न गुम हो जायेगा।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को रोक कर, अरबों रुपया जो गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश में मिल ओनर्स की ओर बकाया है, प्राथमिकता के आधार पर, क्या सरकार उसका भुगतान किसानों को करायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न हिन्दी में किया है। इसलिए मुझे उत्तर भी हिन्दी में ही मिलना चाहिए। यह तो मेरा राइट है और आपका भी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। आप भाषान्तर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री तरुण गोगोई : महोदय, मुझे दुख: है कि मैं हिन्दी नहीं जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

श्री तरुण गोगोई : महोदय, मुझे सिर्फ 59 कारखानों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। 105 में से 104 कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है। हमें सिर्फ 59 कारखानों के बारे में सूचना मिली है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 में गन्ने का उत्पादन 103 मिलियन टन से थोड़ा ज्यादा हुआ, जिसमें से 31 प्रतिशत चीनी कारखानों में उत्पादन हुआ।

अब जहां तक बकाया राशि का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा 29-2-92 को यह राशि 153.5 करोड़ रुपये की थी। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले मौसम की बकाया राशि मात्र 0.51 करोड़ अर्थात 51 लाख रुपये है। यह आंकड़े वर्ष 1990-91 के हैं। वर्तमान मौसम के पूरे आंकड़े हमें अभी तक नहीं मिले हैं। हम उन्हें संग्रह कर रहे हैं। ज्यों ही यह हमें प्राप्त हो जाएंगे, हम माननीय सदस्य को भेज देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ने की बहुलता को देखते हुए किसानों को जो सरकारी रेट है, उस पर गन्ना सप्लाई नहीं हो पाता है। आधे से अधिक गन्ना कम दाम पर यानी 25-30 रुपए प्रति क्विंटल पर खांड बनाने के लिए कोल्हुओं पर सप्लाई हो जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और भी लाइसेंस चीनी मिलें खोलने के लिए उत्तर प्रदेश को दिए जाएं, इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में और बहुत पुरानी चीनी मिलें हैं जिनकी 12 परसेंट से भी कम रिकवरी है जिसके कारण अरबों रुपए के घाटे में वे मिलें जा रही हैं। मैं खास तौर से देवरिया जनपद के बारे में कहना चाहता हूं वहां 14 मिलें हैं जो बहुत पुरानी हैं और बहुत जर्जर हैं, उनमें से 3 मिलों को लाइसेंस दिया है, लेकिन अर्थाभाव के कारण उनकी क्षमता नहीं बढ़ पाती है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी नयी चीनी मिलें खोलने के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन दिया है और खासतौर पर देवरिया जनपद में कितनी चीनी मिलें निजी क्षेत्र में खोलने के लिए लाइसेंस मिले है और इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने जो चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिया है, उनकी क्षमता धनाभाव के कारण नहीं बढ़ पा रही है, तो इस चीज को देखते हुए क्या आप चीनी विकास निधि में से रुपया देकर देवरिया में लक्ष्मीगंज, बैतालपुर और भटनी को, जिनको पहले आपने मान्यता दी है, उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए धन देंगे और उत्तर प्रदेश मे कितने लाइसेंस दे रहे हैं, ये दोनों बातें मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : महोदय, भारत सरकार ने गन्ना उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित (एस० एम० पी०) किया है। हम कारखानों को यह न्यूनतम मूल्य देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। राज्य सरकारों ने भी राज्य प्रस्तावित मूल्य (एस० ए० पी०) निर्धारित किया है और यह देखना उनका कर्त्तव्य है कि गन्ना-उत्पादकों को तत्परता से भुगतान हो सके। जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या के बारे में मुझे अलग से नोटिस चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, किसान से बकाया वसूल होता है और किसान का करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर बकाया है और उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस बारे में तो स्पष्ट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप बैठ जाइए।

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि महाराष्ट्र में 38.16 करोड़ रुपया बकाया है और उत्तर प्रदेश में 37.92 करोड़ रुपया काश्तकारों का चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। यह जो इतनी बड़ी रकम चीनी मिल मालिक हड़प कर बैठे हुए हैं, यह कब तक किसानों को दे दी जाएगी और सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है तथा इसको जल्दी से जल्दी दिलाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : महोदय, मैंने मुख्य मन्त्री के साथ इस सन्दर्भ में बात की है कि गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। मैंने स्वयं मुख्य मंत्री को एक बार नहीं बल्कि तीन बार क्रमश: 6-8-91, 11-11-91 और हाल ही में 1-4-92 को इस बारे में लिखा है। मैंने उनके साथ इस सम्बन्ध में बातचीत भी की है।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। श्री मोहन सिंह।

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, यह महाराष्ट्र का है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मुझे पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। एक ही होता है। जिनका दूसरा नाम होता है, उनको एक प्रश्न ही पूछने दिया जाता है। इसलिए आप बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता है।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने साफ किया कि केवल उत्तर प्रदेश में पैदा किए हुए गन्ने का 31 प्रतिशत भाग चीनी मिलों को जाता है और चीनी मिलों की दुर्दशा के बारे में हमारे मित्र श्री राम नगीना ने कहा। मैं मंत्री से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि पिछले पांच या तीन वर्ष में कितनी पुरानी मिलों का विस्तारीकरण, जीर्णोद्धार, उनकी क्षमता में विस्तार, ऐसा करने की योजना··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें से नहीं निकलता है, जो सप्लीमेंट है उसमें से निकलता है।

श्री मोहन सिंह इसमें से ही निकलता है। उन्होंने मिलों के बारे में कहा।··· (व्यवधान) गन्ना पिराई कैसे होनी चाहिए।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने क्वश्चन नहीं पढ़ा है। आप बिना वजह पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

मूल प्रश्न भुगतान के बारे में है, न कि विस्तार के बारे में।

श्री तरुण गोगोई : आप उसके लिए अलग से नोटिस दीजिए।

श्री सुधीर गिरि : क्या सरकार ने गन्ना-उत्पादन पर गन्ना के मूल्य और किसानों की बकाया राशि के असर का मूल्यांकन किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और केन्द्र

सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गन्ना उत्पादन में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री तरुण गोगोई : गन्ना उत्पादन में वृद्धि के लिए भी हमने बहुत से उपाय किए हैं। गन्ने का बकाये राशि का मुख्य कारण राज्य द्वारा प्रस्तावित मूल्य है जो कि हमारे द्वारा वैधानिक न्यूनतम मूल्य से बहुत ज्यादा है।

हम कारखानों को सिर्फ वैधानिक न्यूनतम मूल्य का भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। हम गन्ना नियन्त्रण आदेश के उपबंध 3 के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उनको इस भुगतान के लिए बाध्य कर सकते हैं। उसके बाद यदि कारखानों के द्वारा 14 दिनों के अन्दर इन मूल्यों का भुगतान नहीं किया जाता है तो उन्हें 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

गर्भ निरोधक गोलियां

*573. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माला-एन और माला-डी गर्भ निरोधक गोलियों के कुछ बैचों का रंग खराब पाया गया था अथवा वे अप्रभावशाली पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये; और

(घ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोलियां (माला-एन और माला-डी) इस समय प्राइवेट क्षेत्र की मैसर्स यूफार्मा लेबोरेटरीज और मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा तैयार की जाती हैं। बदरंग अप्रभावकारी बैचों की गोलियों के बारे में सूचना इस प्रकार है :

मैसर्स यूफार्मा लेबोरेटरीज : 1988-89 के दौरान माला-एन के 22 बैचों को बदरंग पाया गया। समस्त उपलब्ध खराब माल को बदल दिया गया है और संघटकों की लागत वसूल कर ली गई है।

मैसर्स आई० डी० पी० एल० : जहां तक माला-डी गोलियों का सम्बन्ध है इन गोलियों के एक बैच को मानक किस्म का नहीं पाया गया और एक बैच को बदरंग पाया गया। उपलब्ध खराब माल को वापस उठा लिया गया है और संघटकों की कीमत वसूल करने तथा मानक पद्धति के अनुसार इसे बदलने की कार्रवाई की जा रही है। जहां तक माला-एन गोलियों का सम्बन्ध है, इनके दो बैचों को बदरंग पाया गया और इस सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा 1990 में पहली बार सामाजिक विपणन कार्यक्रम के अधीन शुरू की गई निम्न खुराक की माला-डी गोलियों के संगठन को अल्प उपचारी (सब-थेराप्यूटिक) पाया गया और इन गोलियों के संघटन में बाद में किए गए परिवर्तन के कारण इस अल्प-उपचारी फार्मूलेशन के 4.66 लाख चक्रों को वापिस उठाना आवश्यक हो गया।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर : मेरे प्रश्न का जवाब जो मन्त्री जी ने दिया, उसमें यह बताया गया है कि एक फर्म मैसर्स बूफार्मा लेबोरेटरीज, जो प्राईवेट क्षेत्र में है और दूसरी फर्म आई० डी० पी० एल० जो भारत सरकार का उपक्रम है, वह माला-एन और माला-डी गोलियों का निर्माण करते हैं। वर्ष 19-8-89 के दौरान माला-एन के 22 बैचों का रंग खराब पाया गया और उनको वापिस लौटा दिया गया। मेरा कहना है कि माल खराब हो और उसे वापिस लौटा दिया जाए, इससे समस्या का निदान नहीं होता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ और क्या कार्यवाही की गई ? क्या उनके लाइसेंस कैंसल किए गए, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि माला-एन गोलियों के खराब बैचों के जाने से राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा पड़ रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : माननीय सदस्य का कहना सही है कि माल खराब पाया गया। वह माल जाया किया गया और उसका पैसा उनसे वापिस लिया गया।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप उनको पूरा तो करने दीजिए।

श्री एम० एल० फोतेदार : 89 का मामला है। ··(**व्यवधान**) मेरी इत्तिला के मुताबिक और कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन मैंने आज ही आदेश दिया है, अगर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई तो कानून के तहत जो भी कार्यवाही की जा सकती है, उनके खिलाफ की जाए।

डा० रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि गर्भ निरोधक गोलियों का जमकर आकाशवाणी, दूरदर्शन पर प्रचार किया जाता है और पत्र-पत्रिकाओं में रंगारंग विज्ञापन दिए जाते हैं। लेकिन जो वांछित परिणाम निकलने चाहिए वे नहीं निकल रहे हैं। मेरी जानकारी में 1991 में सरकार ने माला-डी पिल्स का 1.3 करोड़ बिकवाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह बुरी तरह असफल हो गया। मात्र 30 लाख गोलियां ही बिक पायीं जिसका मुख्य कारण यह है कि जो माला-एन और माला-डी गोलियां हैं, उनसे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे भयंकर बीमारियां होती हैं—जैसे हार्ट अटैक, ट्यूमर, कैंसर, पित्ताशय का रोग, महिलाओं के दूध का सूख जाना। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन गोलियों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है जिससे महिलाएं कुप्रभाव से बच सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह कुटुम्ब नियोजन के विरुद्ध प्रचार हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : इसलिये तो एक प्राध्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री एम० एस० कोलेवार : आनरेबल मेम्बर ने यह सवाल सही पूछा कि क्या इससे कोई साइड एफैक्ट्स होते हैं जिससे कि महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होता हो ? मेरी जानकारी के मुताबिक थोड़े बहुत साइड एफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो उन्होंने फरमाया कि कैंसर की बीमारी या हार्ट की बीमारी और दूसरी कोई बीमारी होती है, ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नहीं आई है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि :

(क) इनमें से कितनी गोलियां खराब पायी गयी; और

(ख) इन गोलियों को बाजार में लाने से पहले क्या कोई निविदाएं आमंत्रित की गईं और क्या बाजार में उपलब्ध कराने से पूर्व इनके स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण किये गये ?

श्री एम० एस० कोलेवार : यह समस्या मुझे विरासत में मिली है। यह कोई आज की समस्या नहीं है। यह तो 1990 की समस्या है। मुझे तत्कालीन सरकार, जिसमें आपकी सक्रिय भागीदारी तो नहीं थी लेकिन आपका सक्रिय समर्थन अवश्य था, की ओर से उत्तर देना होगा। (व्यवधान) मैं जवाब दूंगा। विस्तार से कीजिए। मैं माननीय सदस्या से सहमत हूं कि इसके लिये खुली निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। कुछेक कम्पनियों को ही विभाग ने कच्चे माल-स्टीरॉयड की आपूर्ति की और उन्हें इनका टेबलेट बनाने के लिये कह दिया। यह जो प्रश्न है कि इसके लिये क्या कोई निविदा आमंत्रित की गई या नहीं, यह मेरी जानकारी में कल ही आई है। पहले तो, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी आई० डी० पी० एल० यह कार्य करती थी। चूंकि इन गोलियों की मांग बहुत ज्यादा थी, इसलिये उन्होंने इन्हें निजी कम्पनी से बनवाना जरूरी समझा।

मैंने आदेश दे दिया है कि अब से इस सम्बन्ध में खुली निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए और देश की जो सबसे बढ़िया कम्पनी हो जो रियायती दर पर, सबसे कम मूल्य में अच्छी गुणवत्ता की गोलियां बनाने की पेशकश करे, उसे ही इसका आर्डर दिया जाना चाहिए।

श्री सुनील दत्त : हमारे माननीय मंत्री के ध्यान में यह लाया गया है कि ये माला-एन और माला-डी गर्भ-निरोधक गोलियां निम्न स्तर की हैं और ऐसा पाया भी गया है। मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि परिवार-नियोजन से संबंधित अन्य दूसरे तरीके जैसे "निरोध का प्रयोग" के साथ भी यही समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में निर्मित निरोध घटिया दर्जे के हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवायी है और उस पर कोई कार्यवाही की गई है तथा उन्होंने ऐसे लोगों से कोई बातचीत की है जो हमारे देश में निर्मित इन गर्भ-निरोधकों में प्रयुक्त रबर पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं ?

श्री एम० एस० कोलेवार : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं लेकिन प्रश्न गर्भ-निरोधक गोलियों के बारे में है, निरोध के बारे में नहीं। तब भी मैं इस सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि श्री सुनील दत्त एक बहुत ही अच्छे सामाजिक नेता हैं जिन्होंने परिवार नियोजन और दूसरे कार्यक्रमों का बखूबी प्रचार किया है।

उन्होंने पूछा है कि ये सब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप है या नहीं। हमें यह बताया गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एड्स बीमारी के संदर्भ में 'निरोध' के मानक को पुनरीक्षा कर रहा है और हमने यह फैसला किया है कि सभी प्रकार के 'निरोध' चाहे देश में निर्मित किये हों या आयात किये गये हों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप होने चाहिए क्योंकि 'निरोध' से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में ही मदद नहीं मिलती बल्कि यह एड्स को फैलने से भी रोकता है। उस अभिप्राय से भी इसकी जरूरत पड़ती है, इस बात से मैं पूर्णतया अवगत हूं और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

खिलाड़ियों के लिये होस्टल

*574. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों के लिये देश में और अधिक खेलकूद होस्टल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन होस्टलों में छात्रों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय 17 खेल छात्रावास कार्य कर रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा 10 और खेल छात्रावास खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण खेल छात्रावासों के निवासियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है :

(i) नि:शुल्क सुसज्जित आवास।

(ii) नि:शुल्क भोजन व्यवस्था की सुविधा।

(iii) प्रति निवासी को 5 रु० प्रतिदिन की दर से जेब खर्च।

(iv) नि:शुल्क खेल किट।

(v) इन्स्युरेंस कवर।

(vi) नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा।

(vii) कोचिंग और प्रतियोगिता प्रदर्शन।

(viii) यथा वांछित खेल उपस्कर।

[अनुवाद]

श्री अनन्त राव देशमुख : महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को उसके दस नए छात्रावास खोलने के प्रस्ताव पर बधाई देना चाहता हूं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इन दस खेल छात्रावासों को किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा तथा वहां पर किन-किन खेलों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सर्वप्रथम, छात्रावासों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन राज्य सरकारों पर निर्भर करता है क्योंकि वे ही इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तथा छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इमारत का प्रबन्ध भी वही करते हैं। जब राज्य सरकारें प्रस्ताव भेजती हैं तभी हम यह निर्णय लेते हैं कि किन-किन स्थानों पर कब छात्रावास अविलम्ब उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

इन छात्रावासों के लिए 15 खेलों का प्रावधान है। इन 15 खेलों में से इन खेल छात्रावासों में किन्हीं पांच ओलम्पिक खेलों को लिया जा सकता है। ये 15 प्रकार के खेल हैं : तीरंदाजी, एथलैटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बास्कट बाल, साईकलिंग, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हाकी······ (व्यवधान)

श्री अनन्तराव देशमुख : इन दस छात्रावासों में किन-किन नए खेलों का प्रशिक्षण दिया जायेगा?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : चुने गए खिलाड़ियों के अनुसार राज्य सरकार इन 15 खेलों में से किन्हीं पांच खेलों को चुनेगी। प्रत्येक खेल छात्रावास में 75 लोगों का प्रावधान है। चुने गये खिलाड़ियों की विशिष्टता के अनुसार कि क्या उन्होंने राज्य स्तर पर कोई खिलाड़ी बनाया है अथवा नहीं, 15 खेलों में वे से किन्हीं पांच खेलों को रखा जाता है। वर्तमान में मुख्यतौर पर इन छात्रावासों में मुख्यतः एथलैटिक्स, कुश्ती, फुटबाल, हॉकी, वालीबाल, इत्यादि खेलों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में मुख्यतः इन्हीं खेलों पर जोर दिया जा रहा है। अन्य खेलों का शामिल करना इस बात पर निर्भर करता है कि इन खेल छात्रावासों के लिए किस प्रकार के खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं।

श्री अनन्तराव देशमुख : अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत की हाल ही की विफलता को देखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों पर इन छात्रावासों ने कैसा प्रभाव डाला है, क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है तथा क्या सरकार रोजगार इत्यादि की सुविधा को एक योजना से जोड़ कर इस योजना को और आकर्षक बनाने का प्रयास कर रही है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हमारे खेल प्रदर्शन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की भावनाओं की मैं प्रशंसा करता हूं।

जहां तक वार्षिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रश्न है, इस खेल छात्रावास योजना के परिणाम-स्वरूप हमने 156 तमगे जीते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 23 तमगे जीते हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं इन 23 तमगों का अलग से विवरण दे सकता हूं।

जिन मुख्य खेलों में ये तमगे जीते गये हैं, वे हैं : एथलेटिक्स, साईकलिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी तथा दुर्भाग्यवश हाकी, वालीबाल इत्यादि जैसे प्रसिद्ध ओलम्पिक खेलों मे तमगे नहीं जीते जा सके।

श्री अनन्तराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए रोजगार इत्यादि जैसी सुविधाओं को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु अगर इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है तो सरकार निश्चित तौर पर उस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने देश में और अधिक खेलकूद होस्टल खोलने के प्रस्ताव को सहमति दी है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के होस्टल में क्या ग्रामीण खेलकूद सिखलाने की योजना है ? इसके साथ मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के होस्टल शहरों में ही क्यों खोले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं खोले जाते हैं ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा इस तरह की सुविधाएं स्पोर्ट्स होस्टल में देने की बात आपने स्वीकार की है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया ने कहा कि ये सुविधायें देते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के कार्यकलाप में जितना असंतोष है, वह जगजाहिर हो चुका है। उसके बारे में चर्चायें हो चुकी हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि होस्टल्स में उनके द्वारा क्या-क्या अनियमितताएं की जाती हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के दो भाग हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : पहला भाग ग्रामीण खेलों के सम्बन्ध में है। खेल छात्रावास मुख्यतः ओलम्पिक खेलों के लिए खोले जाते हैं तथा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ऐथलेटिक्स के ग्रामीण खेल माना जा सकता है, अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुश्ती के लिए कोई प्रावधान है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जी हां, इसीलिए मैं इस चर्चा में नहीं आना चाहता। इन छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य हमारे खिलाड़ियों का ओलम्पिक खेलों में स्तर सुधारना है। कुछ ओलम्पिक खेल हैं, जो ग्रामीण खेलों की श्रेणी में आते हैं। इन छात्रावासों के लिए स्थानों के चयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं क्योंकि स्थान के सम्बन्ध में हमारी कोई विशेष प्राथमिकता नहीं होती है। मेरे विचार में कुछ अन्य प्रकार के छात्रावास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।

जहां तक भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रश्न है, उसके लिए अलग से नोटिस देना पड़ेगा क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण का मूल प्रश्न में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित होती हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जाती है और केन्द्र सरकार ने कहा है कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है, तो गांवों में होस्टल खोलने की योजना केन्द्र सरकार क्यों नहीं निश्चित करती है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि छात्रावासों का निर्माण राज्य सरकारें करती हैं। वे ही मूल भूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे पूरा प्रयत्न करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं......

अध्यक्ष महोदय : ऐसा झगड़ा करने से काम नहीं चलता है। कुश्ती नहीं खेलनी है। उन्होंने बताया है कि आपकी मदद करेंगे।

(व्यवधान)

उन्होंने कहा है कि आपकी मदद करेंगे। इससे आपका समाधान होना चाहिए। उन्होंने हां में जवाब दिया है।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, कल ही हमने खेलों पर चर्चा पूरी की है। आज बेशक माननीय मंत्री महोदय तथा राज्य मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं है। उत्तर दिया गया है कि 17 खेल छात्रावास चल रहे हैं। परन्तु उनमें केवल 742 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आप दस और खेल छात्रावास खोलने जा रहे हैं। अगर आप आठवीं योजना के दौरान दस और छात्रावास भी खोल दें तो भी 742 की संख्या बहुत कम है। आप इस संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप छात्रावासों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं जैसे कि मैंने कहा कि 17 खेल छात्रावासों में केवल 742 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ? क्या आप इन छात्रावासों तथा प्रस्तावित नए छात्रावासों में प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : खेल छात्रावासों के लिए बनाये गए सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छात्रावास में 75 खिलाड़ी होंगे तथा 75 बिस्तर होंगे। परन्तु क्योंकि मूलभूत सुविधायें राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए इन छात्रावासों में केवल 752 प्रशिक्षणार्थी होने के कारण वहां पर बिस्तरों की कम संख्या का होना है। उदाहरणार्थ, दीमापुर में केवल 50 बिस्तर, इम्फाल में 60 बिस्तर, बंगलूर में 61 बिस्तर, मद्रास में केवल 30 बिस्तर, तथा कालीकट में केवल 36 बिस्तर हैं। परन्तु कम से कम हम यह सुनिश्चितकरने का प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में बनने वाले इन दस छात्रावासों में प्रत्येक में 75 बिस्तर अवश्य हैं।

श्री देवी पासवान : अध्यक्ष महोदय, खेलकूद से स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है, इससे खिलाड़ियों की उत्पादक शक्ति बढ़ती है और उससे अन्ततः पूरे समाज और राष्ट्र को लाभ होता है। लेकिन 1952 से लेकर आज तक और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खेलकूद का

उत्थान और पतन स्कूलों से शुरू होता है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स आथोरिटी आफ इण्डिया की तरफ से जो तीन खेल गांवों में कराए जा रहे हैं, ग्रामीण स्तर से··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह होस्टल के सम्बन्ध में है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं कि स्पोर्ट्स आथोरिटी आफ इण्डिया के माध्यम से पूरे देश में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता महिला खेल-कूद प्रतियोगिता (व्यवधान) और खेलकूद प्रतिमा खोज प्रतियोगिता कराई जाती है, लेकिन इसके लिए प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर जितनी राशि दी जाती है वह बहुत ही अपर्याप्त है। प्रखंड स्तर पर मात्र ढाई सौ रु०, जिला स्तर पर खेलकूद कराने के लिए मात्र एक हजार रु०, बहुत कम राशि दी जाती है। तो क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने जा रही है और खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दुस्तान के प्रत्येक जिले में क्या स्टेडियम का निर्माण कराने जा रही है? [अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें तो आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : महोदय, इसके लिए अलग से नोटिस की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

*575. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** :
श्रीमती रीता वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्यवार कितने चिकित्सा उप-केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए गये हैं; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान राज्य-वार कितने चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराखेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) चिकित्सा उपकेन्द्रों के नाम से कोई संस्थाएं नहीं हैं। तथापि, उपकेन्द्रों की स्थापना ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य परिचर्या तथा परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। वर्ष 1991-92 के दौरान कोई नए उपकेन्द्र मंजूर नहीं किए गए थे। तथापि, पिछली मंजूरियों के आधार पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने वर्ष 1991-92 में 113 नए उपकेन्द्र खोले, जिनका राज्यवार ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त 113 उपकेन्द्रों के अलावा, फरवरी, 1992 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1991-92 के दौरान देश में 99 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोले जाने की सूचना दी गई है। राज्यवार स्थिति क्रमश: उपाबंध II और III में दी गयी है।

(ग) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस योजना अवधि के दौरान नए उपकेन्द्र खोलने के लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

उपाबंध-I

1991-92 के दौरान(29 फरवरी तक) खोले गए उपकेन्द्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92 के दौरान खोले गए उपकेन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	—
4.	बिहार	—
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	88
7.	हरियाणा	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	—
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	—
13.	महाराष्ट्र	13
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	—
19.	पंजाब	—

1	2	3
20.	राजस्थान	—
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	—
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	—
25.	पश्चिम बंगाल	—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6
27.	चंडीगढ़	—
28.	दादरा और नगर हवेली	—
29.	दमन व दीव	—
30.	दिल्ली	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—
	कुल	113

टिप्पणी : ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

उपाबंध-II

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—स्थापना की प्रगति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1991-92 अप्रैल, '91 से दिसम्बर, '91 तक उपलब्धियां
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	आई० एन० आर०
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	आई० एन० आर०
4.	बिहार	शून्य
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	27

1	2	3
7.	हरियाणा	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
10.	कर्नाटक	1
11.	केरल	आई० एन० आर०
12.	मध्य प्रदेश	—तदेव—
13.	महाराष्ट्र	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य
15.	मेघालय	आई० एन० आर०
16.	मिजोरम	—तदेव—
17.	नागालैंड	—तदेव—
18.	उड़ीसा	5
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	48
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	आई० एन० आर०
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	आई० एन० आर०
25.	पश्चिम बंगाल	—तदेव—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
27.	चंडीगढ़	—तदेव—
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
29.	दमण व दीव	आई० एन० आर०
30.	दिल्ली	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पांडिचेरी	2
	कुल	99

आई० एन० आर० । सूचित नहीं किया गया।

उपाबंध-III

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—स्थापना की प्रगति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 1991-92 अप्रैल, '91 से दिसम्बर, '91 तक उपलब्धियां
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	आई० एन० आर०
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	आई० एन० आर०
4.	बिहार	शून्य
5.	गोवा	शून्य
6.	गुजरात	9
7.	हरियाणा	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
10.	कर्नाटक	3
11.	केरल	आई० एन० आर०
12.	मध्य प्रदेश	—तदैव—
13.	महाराष्ट्र	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य
15.	मेघालय	आई० एन० आर०
16.	मिजोरम	—तदैव—
17.	नागालैंड	—तदैव—
18.	उड़ीसा	5
19.	पंजाब	शून्य
20.	राजस्थान	15
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडु	आई० एन० आर०
23.	त्रिपुरा	शून्य

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	आई० एन० आर०
25.	पश्चिम बंगाल	—तदैव—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
27.	चंडीगढ़	शून्य
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
29.	दमण और दीव	आई० एन० आर०
30.	दिल्ली	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पांडिचेरी	शून्य
	योग	32

आई० एन० आर० : सूचित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि देश में कुल कितने प्राइमरी हैल्थ सेंटर, कम्युनिटी हैल्थ सेंटर तथा सब-सेंटर्स कार्य कर रहे हैं। उनकी कुल संख्या क्या है और वे कितने प्रतिशत गांव को कवर करते हैं। क्या केन्द्र सरकार को उनकी संख्या इतनी पर्याप्त लगती है कि पिछले वर्ष कोई भी नया सब-सेंटर खोलने की इन्होंने आवश्यकता नहीं समझी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : अध्यक्ष जी, 31 दिसंबर, 1991 तक सारे देश में जितने भी सब-सेंटर्स बने हैं वे एक लाख इकत्तीस हजार तीन सौ पिच्चासी हैं और यह मैं पूरी तरह नहीं कह सकता हूं कि क्या हरेक सब-सेंटर काम कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, यह मैं यहां से नहीं कह सकता हूं। (व्यवधान) अलबत्ता, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि पांच हजार की पापुलेशन के लिए प्लेन ऐरियाज को सब-सेंटर दिया जाता है, हिली ऐरियाज और ट्रायबल ऐरियाज के लिए, जहां तीन हजार की आबादी हो वहां एक सब-सेंटर दिया जाता है। 1987 की जो हमारे देश की आबादी है उसके अनुसार एक लाख अड़तालीस हजार छः सौ पैंसठ सब-सेंटर होने चाहिए, मैं यह मानता हूं कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से उतने सब-सेंटर्स नहीं हैं लेकिन 1991 की आबादी के हिसाब से एक लाख छयालीस हजार सब-सेंटर्स होने चाहिए और वह अभी तक पर्याप्त नहीं हैं। मैं यह मानता हूं कि पैसे की कमी के वजह पे हर जगह पांच हजार का जो रेश्यो है वह पूरा नहीं किया गया है और इसके लिए धन की कमी है और धन की कमी की वजह से पूरा नहीं किया जा सका है और इसमें भी जो केन्द्र सरकार है वह एक लाख इकत्तीस हजार सब-सेंटर्स में से 98 हजार जो सब-सेंटर्स हैं वे टोटली सेंट्रली स्पोंसर्ड हैं, उनके लिए जो पैसा होता है वह दिया जाता है, बाकी जो हैं वह मिनिमम

नीड्स प्रोग्राम के तहत स्टेट सेंटर में आते हैं और उसका जो काम होता है वह स्टेट सरकार करती है।

श्रीमती रीता वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, पैसे की कमी तो अपनी जगह पर है, लेकिन पैसे की कमी के कारण स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती, वह भी ग्रामीण जनता की। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि बिहार में पिछले साल कालाजार से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, इसके पहले भी वहां हर साल कोई न कोई महामारी फैलती है, कभी एनसाइफिलटीज, कभी कोई बीमारी, जिससे हमेशा लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में आपकी स्टेटमेंट के अनुसार बिहार में कोई भी नया प्राइमरी हैल्थ सेंटर, कोई भी नया कम्युनिटी हैल्थ सेंटर या किसी तरह का कोई सब-सेंटर खोलने की स्वीकृति नहीं दी गई, क्या बिहारी लोगों की जान इतनी फालतू है कि खत्म हो जाए तो कोई बात नही। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि इन बीमारियों को चैक करने के लिए और करोड़ों ग्रामीण लोगों की जान बचाने के लिए क्या केन्द्र किसी ठोस योजना पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ में गांवों में फैली अशिक्षा है। लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से बीमारियों को अवाइड किया जाए। जैसे कालाजार की बीमारी गोबर के सड़ने से जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं, उनके कारण फैलती है। तो क्या इस तरह से ग्रामीण जनता को इस बारे में शिक्षित करने की किसी योजना पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं कि बिहार मेरे दिल का अभिन्न भाग है। **(व्यवधान)** मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि बिहार के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स और बाकी सेंटर्स का सम्बन्ध है, वह राज्य सरकार का काम है और जो सब-सेंटर्स का काम है, वह केन्द्रीय सरकार का है। माननीय सदस्या का कहना ठीक है कि बिहार के कालाजार की बीमारी बहुत तीव्रता से फैली है और मैं बहुत ही अदब से, बहुत ही विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि बिहार के माननीय मुख्य मन्त्री ने मेरी इस बात का अनुमोदन किया है कि राज्य सरकार ने कालाजार को रोकने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिहार के मुख्य मंत्री ने अनुमोदन किया था ?

श्री एम० एल० फोतेदार : बिहार के मुख्य मंत्री ने इस बात का अनुमोदन किया था कि उनकी सरकार ने कालाजार की बीमारी को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है और उन्होंने मेरे सामने यह भी कहा था कि राज्य सरकार कालाजार बीमारी को फेस करने में थोड़ी-बहुत नाकामयाब रही है। कालाजार का मुकाबला करने के लिए जितने भी धन की आवश्यकता थी इस साल के लिए, वह हमने राज्य सरकार को मुहैया कराया है। स्प्रेइंग के लिए, देशी और विदेशी दवाओं के लिए सारी चीजें हमने बिहार सरकार को मुहैया कराईं और वहां की सरकार ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि वह इस बीमारी से शिद्दत से लड़ेगी। डाक्टर उनके पास हैं, बाकी सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, यहां से जो चीजें मुहैया कराई जानी थीं, वे

मुहैया करा दी गई हैं। अब वे किस हद तक इस बीमारी का मुकाबला करेंगे, यह बिहार सरकार के ऊपर है और मेरी माननीय सदस्यों से भी गुजारिश है कि बिहार सरकार को जरा कहिए कि वह इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए काम करे।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं माननीय मंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूं। उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ये सभी केन्द्र कार्यरत हैं। परन्तु उप-केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 'अल्मा अता' उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् खोल गए जिसमें '2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य' तथा चिकित्सा रोगी के घर पर ही उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। चिकित्सा विज्ञान के अतिरिक्त स्वास्थ्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। मैं यह जानना चाहता हू कि क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है तथा उप-केन्द्रों में सबके लिए स्वास्थ्य के हमारे संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से केन्द्रों में डाक्टरों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है, तथा क्या इन रिक्तियों को भरा जाएगा। मंत्री महोदय ने संतोषजनक उत्तर दिया है कि 1,31,000 केन्द्र पहले से ही कार्यरत हैं। परन्तु क्योंकि राज्य सरकार रिक्तियां भरने में असफल रही है, इसलिए वहां पर चिकित्सा का कार्य आरम्भ नहीं हो सका।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मन्त्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि स्वास्थ्य विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए।

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैंने माननीय सदस्य के इस सुझाव को नोट कर लिया है कि स्वास्थ्य विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ...।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आ जाइए, जवाब पर नहीं। आपको समय दिया गया है तो आप प्रश्न पूछिए।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरे क्षेत्र का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपके क्षेत्र का मामला है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को सुनें। मैं अच्छा प्रश्न पूछ रहा हू। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 की तत्कालीन सरकार ने गांव के पिछड़े इलाके को विशेष सुविधा देने के लिए प्रत्येक प्रदेश में तीन-तीन जिले लेने का निर्णय लिया था। तो सरकार ने अभी तक केन्द्र खोलने का कार्य कहां तक पूरा किया है? हम लोगों के बिहार राज्य में 3 जिलों को लिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय : यह सारे हिन्दुस्तान के बारे में प्रश्न है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार ने जो निर्णय लिया था क्या उसे आप इस देश में कार्यरूप देने जा रहे हैं?

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, हकीकत तो यह है कि 1989 और 1990 में जो प्लान बना था इनके लिए वह 1991 में पूरा किया गया। 1991 में इसके लिए कोई नया प्लान नहीं बनाया।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सम्बन्धी विचार गोष्ठी

*577. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया†** :

श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रमुख रोगों के बारे में देश में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया जिनमें देश-विदेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया;

(ख) इनमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) प्रमुख रोगों पर सेमिनारों का आयोजन केन्द्रीय और राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों, व्यवसायिक संघों, प्राइवेट और स्वैच्छिक अभिकरणों आदि द्वारा किया जाता है। आयोजित किए गए ऐसे सेमिनारों की कुल संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महत्वपूर्ण सेमिनारों और सम्मेलनों की सिफारिशों को सरकार द्वारा इन रोगों के नियंत्रण के लिए नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत तीन सालों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने क्या एक भी सेमिनार नहीं किया ? बाकी कई संस्थाओं ने सेमिनार किया है। उसके बारे में जवाब देने की बजाए जो बात कही गई है, उसमें टालने की कोशिश है। दूसरी बात, उसने क्या-क्या सिफारिशें की हैं, इस भाग का मुझे जवाब दिया गया कि कोई सवाल नहीं उठता। इतना बड़ा गम्भीर मामला है, देश की जनता की आरोग्यता का सवाल है, एक गम्भीर बीमारी है यह इसके बारे में कई अखबारों में यह बात आ चुकी है, इस बारे में मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि कोई सवाल नहीं उठता, मैं जानना चाहता हू कि कौन-कौन-सी सिफारिशें सेमिनार में हुई और उनके बारे में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का बहुत ही आदर करता हूं। उससे भी ज्यादा आदर मैं करता अगर इन्होंने सही तौर पर बताया होता कि मरकजी सरकार की

तरफ से या किस आर्गेनाइजेशन की तरफ से इस डिसीज के बारे मे कौन-सा सेमिनार किया गया। देश में हर जिले में, हर ब्लाक में सेमिनार होते हैं। इतनी आर्गेनाइजेशन्ज हैं, इतने मेडिकल कालेज हैं, इतने कॉलेज हैं, कहां किस चीज का सेमिनार होता है, इसका ब्यौरा हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर मैं ब्यौरा दूं और बाद में गलती निकले तो कहेंगे कि पार्लियामेंट का ब्रीच ऑफ प्रीवीलेज किया। इसलिए मैंने सफाई से कहा कि हमारे पास ब्यौरा नहीं है।

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : केन्द्र सरकार के बारे में तो ब्यौरा होना चाहिए।

श्री एम० एस० फोतेदार : आप बात तो सुनिए, इत्मिनान रखिए, पेशेंस रखिए। अगर माननीय सदस्य ने यह पूछें कि किस डिसीज के बारे में कब सेमिनार हुआ और उसकी सिफारिशें क्या हैं तो···

[अनुवाद]

इसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिए।

[हिन्दी]

लेकिन आनरेबल मैम्बर ने ऐड्स के बारे में कहा। ऐड्स के बारे में देश भर में बहुत से सेमिनार हुए हैं। इस बीमारी को कैसे रोका जाए, एच० आई० वी० पोजिटिव का जो फैलाव है उसको कैसे रोका जाए, इसकी जानकारी दी गई है।

इसी तरह से दूसरे बीमारियों के बारे में सेमिनार हुए।

[अनुवाद]

अतः, मुझे अलग से सूचना दी जाए।

[हिन्दी]

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने कोई सेमिनार किया है या नहीं ? यदि किया है तो उसमें क्या सिफारशें कीं और उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० फोतेदार : मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से कोई सगोष्ठी आयोजित नहीं की थी।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप जरा प्रश्न देखिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुप्रयोजनीय प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, ऐसा सेमिनार, जिसमें विदेशी विशेषज्ञों ने भी भाग लिया, अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि जिले में सेमिनार होते हैं, नीचे सेमिनार होते हैं,

कथन सेमिनार होते हैं, तो क्या सब सेमिनारों में विदेशी विशेषज्ञ भी भाग लेते हैं ? अगर विदेशी विशेषज्ञों के बारे में उत्तर दिया जाता तो सेमिनारों की संख्या सिमट कर थोड़ी-सी रह जाती और जानकारी देने में मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होती। जरा फिर से गौर फरमाइए।

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा होता अगर स्पेसीफिकली इन्होंने पूछा होता कि किस डिसीज के बारे में इस साल सेमिनार किया गया। हार्ट, एड्स, ब्लाइन्डनेस और कैन्सर के बारे में किया गया है और साथ ही लेपरेसी कंट्रोल के बारे में किया गया है। अब मुझे मालूम नहीं है कि किस सेमिनार के बारे में पूछा है।...(**व्यवधान**)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि स्पेसिफिकली पूछना चाहिए। मंत्री जी ने इसको जरूर पढ़ा होगा। लेकिन कई ऐसे रोग हैं जो अलग-अलग नहीं हैं। एड्स या कैन्सर के लिए विशेषज्ञों को बुलाने की बात से इंकार कर रहे हैं। मंत्री जी, हां या ना में जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : ऐसे रोगों के लिए विदेश से विशेषज्ञों को बुलाकर कोई गोष्ठी का आयोजन किया गया जिससे इसकी कोई दवा से निराकरण हो। वह कहते हैं कि स्पेसिफिक नहीं कहा गया है। विदेश की बात इसमें क्यों कही गई।

अध्यक्ष महोदय : आपने मूल प्रश्न नहीं पढ़ा इसलिए मुश्किल हो रही है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमने मूल प्रश्न पढ़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : विदेश से विशेषज्ञों को बुलाकर आप कुछ करने जा रहे हैं क्या।

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विदेश से किसी विशेषज्ञ को नहीं बुलाएंगे। लेकिन बहुत-सी कांफ्रेंस हुईं जिसमें विदेशी विशेषज्ञ आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। माननीय सदस्य ने यह नहीं पूछा कि किस बीमारी के बारे में क्या सिफारिश की गई है। वे उसके लिए अलग नोटस दें।

[अनुवाद]

तब, मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नामाजी मंगाजी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में उनके उत्तर पर चर्चा नहीं होती है। आपके प्रश्न पर चर्चा होती है।

श्री नामाजी मंगाजी ठाकुर : केन्द्र सरकार और राज्य सरकार तथा कई संस्थाएं इसका आयोजन करती हैं। सेमिनार का आयोजन जो करता है, उसको स्वीकार किया है। हम यह जानना चाहते हैं कि कितने सेमिनार केन्द्र सरकार ने आयोजित किए...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर।

श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर : कैन्सर, एड्स और कई प्रमुख रोग हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको टाइम दिया है, उसका सदुपयोग कीजिए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अनुमति नहीं दे रहा हूं।

सोसायटी फार वॉलन्टरी एक्शन फार फैमिली वेल्फेयर एण्ड हैल्थ

*579. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'वॉलन्टरी एक्शन फॉर फेमली वेल्फेयर एण्ड हैल्थ' नाम से एक सोसाइटी स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ग) इस सोसाइटी के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) भारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघ तथा अन्य संस्थाओं के होते हुए भी इतने अधिक वित्तीय खर्च वाली यह नई संस्था स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) इस मामले पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

(घ) भारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघ सहित मौजूदा स्वयंसेवी संगठनों की परिवार कल्याण के क्षेत्र में सीमित पहुंच है और प्रस्तावित सोसाइटी को सौंपी जाने वाली भूमिका के लिए उनमें से किसी का चयन करना संभव नहीं होगा। इस सोसाइटी को स्थापित करने के लिए बहुत सीमित अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी अभी बता रहे थे कि कोई सेमिनार आयोजित किया गया था। क्या ऐसी कोई वर्कशाप 4-5-1988 को हुई जिसमें आज के प्रधान मंत्री उस दिनों के मानव संसाधन मंत्री के रूप में श्री नरसिंह राव जी उपस्थित थे और इसकी कुछ सिफारिशें थीं। एक्टीव कंसीडरेशन करने से पहले वह संस्थाओं की वर्कशाप थी। इसकी रिकेमन्डेशन्स के ऊपर आप कुछ विचार करेंगे।

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसी कोई इंफारमेशन नहीं है कि उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा और किस चीज का सेमिनार आयोजित किया गया और उनकी क्या सिफारिशें हुई। वह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है। जब हम मंत्री बने तो एनजीओज का हमने रेव्यिवार किया और चार-पांच स्थानों पर देश भर में किया गया। उनकी सिफारिशों के आधार पर यह फैसला किया गया कि वालेन्टरी आरगेनाइजेशन्स को फ़ैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में कैसे इंवाल्व किया जाए। आप चाहें तो मैं इसकी इन्फारमेशन आपको दे सकता हूं।···(**व्यवधान**)

श्री शंकर सिंह वाघेला : आपने एक्टिव कंसिडरेशन की बात कही है। आप कब तक इस

सोसाइटी को बनाएंगे ? जब तक नहीं बनाते हैं तब तक देश में जितने विश्वसनीय वालंटियर आर्गेनाइजेशन्स हैं उनकी कोई को-आर्डिनेट कमेटी बनाकर क्या उनकी जिम्मेदारी सौंपेंगे और कंसिडरेशन कब तक पूरा होगा ?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया है और इन्होंने इस प्रकार के एक स्वायत्त संगठन हेतु सरकार द्वारा की गई पहल का समर्थन किया है। मुझे बहुत खुशी है। हम समूचे देश में सच्चे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को इसमें शामिल करने और उन्हें जन-मत तैयार करने का आवश्यक कार्य सौंपने की सोच रहे हैं, ताकि जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जागृति पैदा की जा सके। मैंने कहा है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। जहां तक मंत्रालय का संबंध है, मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है और इसने योजना तैयार कर दी है। लेकिन वित्त मंत्रालय में इस पर योजना आयोग की सहमति की प्रतीक्षा हो रही है। जैसे ही मंत्रिमंडल स्वीकृति दे देता है, मैं कह सकता हूं, सरकार अन्तिम निर्णय ले लेगी।

डा० रामचन्द्र डोम : मंत्री महोदय के वक्तव्य के मुताबिक, यह विदित हुआ है कि एक नया स्वयंसेवी ढांचा निर्मित किया जाने वाला है। उसके फलस्वरूप, विशेषकर आगामी बजट वर्ष में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों पर एक बड़ी राशि व्यय करने का प्रस्ताव किया है। यदि मैं गलती पर नहीं हूं, तो समाचार पत्र में यह छपा है कि यह व्यय 100 करोड़ रुपए से भी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डा० रामचन्द्र डोम : हां, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। उन संगठनों को 100 करोड़ से भी अधिक राशि दी जाएगी।

इस दृष्टि से मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को गैर-सरकारी हाथों में सौंपने का यह परोक्ष मार्ग निकाला गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप और अधिक प्रश्न पूछेंगे, तो आपके प्रश्न का भाग-(क) हल्का पड़ जायेगा।

डा० रामचन्द्र डोम : (क) नई 'वालन्टरी एक्शन फॉर फेमिली वेल्फेयर एण्ड हैल्थ' संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान से किस प्रकार भिन्न होगी ? क्या इस नई संस्था को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को स्थान लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है अथवा क्या यह संस्था कुछ बिल्कुल नया करने जा रही है ?

(ख) क्या भारतीय स्वयसेवी स्वास्थ्य संघ अथवा स्वास्थ्य कार्यों में लगी अन्य राष्ट्रीय संस्थाएं इस नए तंत्र की स्थापना में संलिप्त हैं।

(ग) क्या एक नई संस्था की स्थापना करने की बजाय स्वयंसेवी क्षेत्र में विद्यमान अभिकरणों को सशक्त करना उचित नहीं होगा ?

श्री एम० एल० फोतेदार : इस प्रकार के संगठन को किसी विश्वस्तरीय संगठन द्वारा प्रभावित किए जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह एक स्वयसेवी आन्दोलन होगा, यह एक ऐसी स्वायत्त संस्था होगी जो एक विशेष प्रयोजन हेतु सच्चे सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस

कार्य में शामिल करेगी। देश में एक अथवा दो ऐसे स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन वे देश के सभी भागों में नहीं हैं। हम एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं, जो कि वास्तव में स्वयंसेवी होगा और जो कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, तथा उस समय मैं सभा तथा जनता के सामने आऊंगा इस देश में वास्तविक स्वयंसेवी आंदोलन विकसित हो गया है।

जहां तक धन का सम्बन्ध है, इस बार भी स्वयंसेवी संगठनों अथवा गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि दी गई है, लेकिन मैं इसमें अवसरवादी को समाप्त करना चाहता हूं। मैं एक स्वायत्त-संस्थान बनाना चाहता हूं, ताकि सामाजिक कार्यकर्ता ही इसके प्रभारी हों और वे स्वयं यह निर्णय करें कि इसके लिए राष्ट्रीय जागृति कैसे पैदा की जा सकती है। हमें देश के बाहर से भी, दान देने वाले बाहरी देशों से भी कुछ धनराशि मिलेगी और वह राशि इसके लिए एक अतिरिक्त धनराशि होगी। वह बजट का एक भाग नहीं होगी। मेरे विचार से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव इस देश के व्यापक हित में होगा, भारत की जनता के हित में होगा तथा वास्तविक समाजसेवी संगठनों के विकास के हित में होगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : जैसा कि फैमिली प्लानिंग में कहा गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें यह डिस्कशन हुई कि जो परिवार नियोजन के साधन हैं—कंडोम, पिल्ज और नसबन्दी के अलावा 'नारप्लांट' की खोज वैज्ञानिकों ने की है। इसमें सुई के माध्यम से छोटे-छोटे कैप्सूल महिलाओं की बाहों में चमड़े के नीचे दिए जाते है जो तीन से पांच वर्ष तक के लिए परिवार नियोजन की गारंटी देते हैं लेकिन बाद में महिलाओं को तकलीफ नहीं होती है, तो क्या सरकार 'नारप्लांट' के द्वारा परिवार नियोजन योजना को सफल करेगी या उससे कोई कानून बनाएगी ?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : उन्होंने सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछा है। चूंकि उनका प्रश्न परिवार नियोजन पहलू से संबंधित हैं, अतः मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : लेकिन यह प्रश्न तो बहुत ही इंपार्टेंट है, इसका जवाब देते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं उत्तर दूंगा। चिन्ता मत करें। प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं हैं क्योंकि यह प्रश्न तो गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों से सम्बन्धित है। परन्तु चूंकि आपने 'नारप्लांट' के बारे में कुछ कहा है। मेरे विचार से कुछ समय पहले मैंने इसे वैज्ञानिकों को और अधिक अनुसंधान और विकास करने हेतु वापिस भेज दिया है। जैसे ही समिति अन्तिम सिफारिश दे देगी, हम उसे देश में लागू कर देंगे। तब तक तो इसे लागू नहीं किया जायेगा।

शिशु मृत्यु दर

*580. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पौष्टिक भोजन तथा बाल स्वास्थ्य रक्षा केन्द्रों की कमी के कारण शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए आदिवासी बहुल सभी ब्लाकों को बाल-विकास ब्लाक घोषित करने का है; और

(ग) इस समय कुल कितने बाल-विकास ब्लाक कार्यरत हैं और उनसे कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली में अधिसूचित आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर के पृथक् अनुमानों का प्रावधान नहीं है। तथापि देश में समग्र रूप से शिशु-मृत्यु दर में गिरावट आई है जो कि 1989 में 91 प्रति हजार जीवित जन्मों से घट कर 1990 में 80 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 1975 से एक समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) स्कीम चलाई जा रही है जो केवल ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तथा शहरों की गंदी बस्तियों में है। वर्ष 1991 के अंत में 6 वर्ष तक के 139 लाख बच्चों के लाभ के लिए कुल 2694 आई० सी० डी० एस परियोजनाएं चल रही थीं। इनमें से 713 परियोजनाएं आदिवासी ब्लाकों में हैं और 60.30 लाख बच्चों को इन परियोजनाओं के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

3. सरकार इन आई० सी० डी० एस० स्कीमों को व्यापक बनाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें चरणबार तरीके से विस्तार दिया जा रहा है।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना हेतु मानदंडों में ढील दी है ताकि इन क्षेत्रों में सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इन शिथिल मानदण्डों में अन्य क्षेत्रों में प्रति 30,000 जनसंख्या के मुकाबले आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य क्षेत्रों में 5000 जनसंख्या के मुकाबले आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है।

कुमारी शिला तीयसी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने उन विशेष जोनों का पता लगाया है जहां माताओं और बच्चे अधिकतया पौष्टिक आहार की कमी के कारण विभिन्न बीमारियों के शिकार होते हैं, और यदि हां, तो सरकार के समक्ष इस बारे में कौन-कौन से प्रस्ताव हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के अतिरिक्त क्या सरकार चलते-फिरते चिकित्सा-एकक उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : महोदय, मैं सहमत हूं कि यह प्रश्न एक बहुत अच्छा और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन, मैंने इसे बड़े संकोच के साथ इस अर्थ में स्वीकार किया है कि यह प्रश्न आदिवासी कल्याण और महिला बच्चा विकास विभाग सम्बन्धित है, शिशु-मृत्यु दर विषय तो स्वास्थ्य मन्त्रालय के पास है। परन्तु यह विषय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित है। यदि माननीय सदस्य मुझसे शिशु मृत्यु दर के बारे में कुछ जानना चाहती है, तो जहां तक आदिवासी क्षेत्रों का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम आदिवासियों अथवा जातियों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखते हैं। लेकिन एक समस्त देश के रूप में, एक समग्र राज्य के रूप में वार्षिक रिकार्ड रखा जाता है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि शिशु मृत्यु दर काफी हद तक गिर गई है और प्रति हजार जन्मो पर 91 से घटकर 80 हो गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामूली रूप से गिरी है, न कि काफी हद तक। मेरे पास आंकड़े हैं। (व्यवधान)

कुमारी फ्रिडा तोपनो : मैं जानना चाहती हूं कि क्या भविष्य में, विभिन्न क्षेत्रों से, शिशु मृत्यु-दर के बारे में अलग से सूचना मंगा कर अलग से रखी जा सकती है। क्या भविष्य में, आदिवासी क्षेत्रों के बारे में शिशु मृत्यु दर की संख्या जान पाना सम्भव होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह संभव होना चाहिए।

श्री एम० एल० फोतेदार : श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि मुझे "काफी हद तक" नहीं कहना चाहिए था। मैं यह उन्हीं पर छोड़ता हूं कि क्या यह "काफी हद तक" शब्द होना चाहिए अथवा "मामूली"। मैं उन्हें बता सकता हूं कि 1989 में शिशु मृत्यु दर 91 थी और 1990 में यह 80 थी। मैं यह उन्हीं पर छोड़ता हूं कि क्या यह मृत्यु दर "काफी हद तक" है अथवा मामूली।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह मामूली है।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं इस शब्द को वापस लेता हूं। दूसरे, माननीय सदस्य ने आदिवासी क्षेत्रों के बारे में पूछा है। आदिवासी क्षेत्रों में भी यह दर घट रही है। उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिन इलाकों में बाल विकास कार्यक्रम नहीं है, उनके यहां बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन इन कर्मचारियों और अधिकारियों का विकास हो रहा है। उन्हें जो भी धन मिल रहा है, उसे वह अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए वह धन प्रयोग नहीं होता है। जो भी सामग्री आती है वह उन बच्चों और माताओं को न देकर कर्मचारी-अधिकारी बीच में ही खा जाते हैं। सरकार ने इसके रोकथाम के लिए कोई योजना बनाई है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चलो, प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जिले

*576. श्री परसराम भारद्वाज : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जिलों की संख्या कितनी है;

(ख) सन् 2000 ईसवी तक सभी के लिए साक्षरता सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) निरक्षरता की दृष्टि से 269 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर, राष्ट्रीय औसत से कम है।

(ख) और (ग) सन् 2000 ईसवी तक सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना में निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

(I) आठवीं योजना के दौरान, 300 लोगों की आबादी (जनजातीय, पर्वतीय तथा रेगिस्तानी इलाकों के मामले में 200 की आबादी) वाली सभी बस्तियों में 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था करके, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराना।

(II) आठवीं योजना के अन्त तक पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तथा पहली से आठवीं कक्षा में, पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों की 45% और 60% वर्तमान दरों को कम कर क्रमशः 20% और 40% करते हुए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक उनकी सर्वसुलभ सहभागिता।

(III) प्राइमरी स्तर पर लगभग सभी बच्चों द्वारा अध्ययन से न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति।

(IV) देश के सभी भागों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाकर, 15 से 35 आयु वर्ग के सभी प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना।

(V) पूर्ण साक्षरता अभियानों द्वारा लाभान्वित सभी क्षेत्रों/जिलों में उत्तर-साक्षरता तथा सतत शिक्षा संबंधी व्यापक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

(VI) आयोजना-तन्त्र में सुधार लाने के लिए कार्य-नीतियां अपनाना जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) (I) उच्च साक्षरता जिले, (II) पूर्ण साक्षरता अभियान जिले और (III) अल्प-साक्षरता जिले के रूप में वर्गीकृत जिलों की स्थान-विशेष जरूरतों पर आधारित जिलेवार आयोजना; और

(ख) सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिवार तथा बच्चावार कार्य-योजना की सूक्ष्म-आयोजना।

आश्रम पाठशालाएं

*578. **डा० विश्वनाथम कैनिथी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों में आश्रम पाठशालाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्कूल

*281. **श्री रामनारायण बैरवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्कूल खोलने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की संख्या तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक रेलवे स्कूल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित रेलवे स्कूलों का जोनवार ब्यौरा क्या है तथा ये स्कूल कहां-कहां खोले जाएंगे;

(घ) क्या वर्तमान रेलवे स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की भी कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है, रेलों ने अपने सीमित संसाधनों के भीतर और केवल कर्मचारी कल्याण के उपाय के रूप में कुछ स्कूल खोल रखे हैं।

(ख) जी नहीं, बहरहाल, रेल कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शिक्षा कार्यों से सम्बद्ध अन्य एजेंसियों की समय-समय पर सहायता ली जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) मौजूदा रेलवे स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल का दर्जा देने के बारे में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि आवर्ती और अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा

*582. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री हरपाल पंवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा" के संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में क्या प्रगति हुई है और यह निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है;

(ग) छः वर्ष से कम तथा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बच्चों की वर्तमान राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है जो स्कूल नहीं जाते हैं;

(घ) इस वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने प्रतिशत बच्चों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह परिकल्पना की गई थी कि वर्ष 1990 तक लगभग 11 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तथा 1995 तक 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर दी जाएगी। श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति समिति ने स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् यह सलाह दी है कि (क) सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को संशोधित करने की आवश्यकता है, और (ख) इस शताब्दी के अन्त तक 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में कक्षा—I-V तथा VI-VIII में कुल नामांकन अनुपात। (जिसमें कम आयु वर्ग तथा अधिक आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं।) निम्न प्रकार हैं :

	988-89	1889-90	1990-91
कक्षा I-V			
(6-11 आयु वर्ग के)	99.56	99.96	103.03
कक्षा VI-VIII			
(11-14 आयु वर्ग के)	56.95	59.15	60.11

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1991 में 6-14 आयु वर्ग के लगभग 3.58 करोड़ बच्चों का नामांकन नहीं हुआ था।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान 84.65 लाख का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) से (छ) योजना और कार्यक्रमों मे अधिक ध्यान, सभी के लिए शिक्षा की पहुंच, सहभागिता और उपलब्धि की ओर विशेष रूप से लड़कियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर, केंद्रित किया गया है। निम्नलिखित उपाय किए जा रहे है :

(I) 300 जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में एक कि० मी० की दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान तथा अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या में तब तक वृद्धि करना जब तक कि प्राथमिक स्कूलों का अनुपात 1 : 2 नहीं हो जाता।

(II) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार लाना।

(III) शिक्षक-कार्य कुशलता में सुधार के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।

(IV) पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों, पूरे दिन के स्कूलों में भाग न ले पाने वाली लड़कियों, कामकाजी बच्चों तथा स्कूल रहित बस्तियों के बच्चों के लिए अल्पकालिक अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान।

(V) स्कूल में बनाए रखने तथा शिक्षण उपलब्धियों पर अधिक बल देना।

(VI) शिशु शिक्षा कार्यक्रमों के स्कूल पूर्व घटकों को सुदृढ़ बनाना।

भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें

*583. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन संबंधी योजना की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1987 में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) क्या इसने अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की योजना की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

I. भारतीय भाषाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए नौकरी के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए;

II. यह योजना जारी रखी जानी चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य को 3 करोड़ रु० की और आगे सहायता देने पर विचार करना चाहिए;

III. हिन्दी ग्रंथ अकादमियों और राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्डों को शिक्षा-माध्यम को बदलने से इतर कार्यकलापों में अपने आपको लगाने के बजाय केवल भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने पर ही अपने संसाधनों और शक्ति को संकेन्द्रित करना चाहिए;

IV. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को शिक्षा के माध्यम को बदलने के लिए नीति तैयार करने वाले निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए तथा इसे भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के साहित्य को तैयार करने से संबंधित कार्यकलापों का निरीक्षण और समन्वय करना चाहिए। अतः इस आयोग को सांविधिक संगठन का बढ़ा हुआ दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए;

V. भारतीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने तथा शब्दावली के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए दक्षिणी क्षेत्र, हिन्दी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के वास्ते चार आंचलिक समन्वय समितियों का गठन किया जाना चाहिए;

VI. भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में केवल एक ही संगठन होना चाहिए जिसे मानक प्रकाशन गृह के रूप में कार्य करना चाहिए;

VII. विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय में अलग से एक सेल स्थापित किया जाना चाहिए।

कुष्ठ-रोधी टीका

*584. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में कुष्ठ रोग के उपचार हेतु किसी नई औषधि का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कुष्ठ रोगियों पर इस नई औषधि का परीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(घ) क्या इस औषधि की सुरक्षितता तथा विषाक्तता की जांच कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) रिफैम्पिसिन के साथ नई औषध ऑफ्लोक्सासिन के मिश्रण का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोगियों के इलाज में परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार ने हाल ही में 12 प्रमुख कुष्ठ संस्थाओं में विश्व स्वास्थ्य संगठन को कुष्ठ रोगियों के इलाज में रिफैम्पिसिन के साथ ऑफ्लोसासिन के मिश्रण के प्रयोग की सिफारिश की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऑफ्लोक्सासिन की निरापदता और प्रभावकारिता की चिकित्सीय जांच सबसे पहले जापान और यूरोपीय देशों में की गई। इनमें 3340 रोगियों को शामिल किया गया। इनमें से 2498 रोगी जापानी अध्ययन में और 845 रोगी यूरोपीय अध्ययनों में शामिल किए गए। विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों में ऑफ्लोक्सासिन के अल्पावधि और दीर्घावधि परिणामों से पता चलता है कि मनुष्य के लिए यह औषध बहुत ही लाभकारी है। यह मूत्र मार्ग के तीव्र संक्रमण, चिरकारी जटिल रोगियों, बैक्टीरियल न्युमोनिया और श्वसनी मार्ग संक्रमण के सुरक्षित क्षेत्रों के रोगियों में प्रभावकारी पाई गई है। भारत में इस औषध को बेचे जाने की स्वीकृति दिए जाने तक यह बहुत से विकासशील देशों में बेची जाने लगी थी। भारत में इस औषध के बहु-केंद्रिक चिकित्सीय परीक्षणों से पता चलता है कि यह औषध निरापद और प्रभावकारी है।

रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

*585. श्री अन्ना जोशी :
श्री महेश कनोडिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों के विद्युतीकरण हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ऐसे रेलवे स्टेशनों की जोनवार संख्या कितनी है जो ये मानदण्ड तो पूरा करते हैं परन्तु उनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ग) 1992-93 के दौरान किन-किन स्टेशनों को विद्युतीकरण हेतु चुना गया है; और

(घ) निकट भविष्य में ऐसे सभी स्टेशनों के विद्युतीकरण हेतु अस्थायी रूप से तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) किसी स्टेशन के विद्युतीकरण पर तभी विचार किया जाता है यदि :

(i) बिजली 1 कि० मी० की दूरी के भीतर उपलब्ध हो।

(ii) रात के समय उस स्टेशन पर कम से कम एक जोड़ी गाड़ी ठहरती हो।

(iii) संबंधित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा मुनासिब दर पर बिजली की विश्वसनीय सप्लाई उपलब्ध कराई जाए।

(ख) रेलवे	ऐसे स्टेशनों की संख्या जो विद्युतीकरण के लिए पात्र हैं परन्तु जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है
मध्य	29
पूर्व	46
उत्तर	41
पूर्वोत्तर	17
पूर्वोत्तर सीमा	28
दक्षिण	20
दक्षिण मध्य	34
दक्षिणपूर्व	39
पश्चिम	24
जोड़	278

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) 1992-93 के दौरान विद्युतीकण के लिए चुने गए स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं :

मध्य रेलवे

1. केतवली	2. दूलावली	3 लवने
4. जुमापट्टी	5. कोहवार	6. बड़गांव गुजर

7. मगदारा
8. मोरास बुदरूख
9. मोरदाद डांडा
10. महादेव परामर्शी
11. मसनगांव
12. बसई
13. जाजन
14. भांडई
15. रूनकता
16. बराह
17. लालपुर
18. बेलाताल
19. पतारा
20. सोंघारोड
21. असोहर
22. इटेहार
23. रामपहाड़ी
24. लिघोरा खुर्द
25. कांतिग्गो खुर्द
26. विजयसोटा
27. मरवासा ग्राम
28. धाराकोह
29. पोलापत्थर

पूर्व रेलवे

1. मयना हाल्ट
2. जमाल काली हाल्ट
3. सिराज नगर हाल्ट
4. परिबलका हाल्ट
5. सुहर्णा गुगी हाल्ट
6. अकाईपुर हाल्ट
7. लाबुतला हाल्ट
8. मालतीपुर हाल्ट
9. कंकर मिर्जा नगर हाल्ट
10. उत्तर रोड
11. हामागर हाल्ट
12. बहिनपुया हाल्ट
13. मथुरापुर
14. कालीपहाड़ी
15. सतबाहिनी

उत्तर रेलवे

1. बक्कास
2. बनी
3. बीरगंज
4. दयालपुर
5. पिन्डारा रोड
6. बंधुवा कलां
7. सोनिक
8. पीपरसंद
9. सैयद खानपुर
10. जौनपुर कचेहरी
11. जुगौर
12. रहमत नगर
13. ईश्वरदासपुर
14. तेल खजूरी
15. टिकौली रावतपुर
16. रामचन्द्र पुर
17. बंधरा
18. माली
19. झानीखेड़ा
20. मामन
21. कुलवा
22. एन्डिल
23. चमरौला
24. कांसपुर गगौली
25. मैंथा
26. समोहस
27. भीमपुरा
28. गोविन्द मारवाड़

पूर्वोत्तर रेलवे

1. चंदुआना हाल्ट
2. कदमपुरा हाल्ट
3. परसौनी हाल्ट
4. बरहरा हाल्ट
5. अबापुर हाल्ट
6. गढ़पुरा हाल्ट
7. ललित लक्ष्मीपुर
8. शेर हाल्ट
9. तेजपुरवा
10. बेहरवा
11. कुलबांडीह
12. असमन
13. अलीगंज

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. पश्चाश्रय	2. सजेरपर	3. संजय ग्राम
4. होटले	5. खुमटाई	6. दिजाओबरा
7. सुकृतिपुर		

दक्षिण रेलवे

1. अड्डेरी	2. सारंगापेडु	3. कल्लादक्का
4. कंचनालु	5. कोर्नाहल्ली	6. कनीयूरू
7. मुदुडा	8. नेरलकट्टे	9. श्रावनूर
10. येदमंगला	11. पोथेरी	12. चंदेरा
13. सुतारडेटे	14. सुमसेनहल्ली	15. कोडिगेहल्ली
16. डोक्सपेट	17. माडाघाट्टा	18. चन्द्रागिनकोपली
19. पटाहल्ली	20. बिसनाथम	

दक्षिण मध्य रेलवे

1. रायनगुडा हाल्ट	2. मुड्गुलापल्ली हाल्ट	3. कुक्कदम हाल्ट
4. दामनचेर्ला हाल्ट	5. दिबितिपल्ली हाल्ट	6. हर्लापुर हाल्ट
7. टिकेकरवाडी	8. गुडिमेट्टा हाल्ट	9. वाडलपाडु हाल्ट
10. चेक्कुवाडा हाल्ट	11. शिवाडेवुंनिचिकला हाल्ट	12. चिन्तापाकू हाल्ट

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. कुमरूल	2. इन्डस	3. बायचान्डी
4. सेहराबाजार	5. रायनगर	6. सहसपुर
7. लोधमा	8. पटासाही	9. कर्रा
10. बकसपुर	11. बालसरिंग	12. चम्पाझरन
13. आर्गू	14. गोलाबाय	15. मुक्तेश्वर
16. चूलखापटना	17. बालपुर	18. धायसल्ला
19. टाइगर हिल	20. गुडरू	21. डयूस्वासिन
22. मनियोकूचूवरसी	23. सेरजोंव रोड	24. खिरी
25. बोंडापल्ली	26. गुज्जगीवलडा	27. नरसीपुरम
28. रोमपल्ला		

पश्चिम रेलवे

1. बिनजाना	2. भाटीसुडा	3. डाकच्या

4. अमुनिया कलां	5. लेकोडा	6. लच्छीपुरा
7. डंडास-माधोपुर	8. बनेंठा	9. केपरोन
10. आमली	11. रणथम्भौर	12. डुमरिया
13. रायका	14. आदितपरा	15. बिजापाडी
16. कांखियानेस	17. धामराज	

उपर्युक्त 169 रेलवे स्टेशनों के विद्युतीकरण का कार्य 1992-93 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है। बहरहाल, इन स्टेशनों को ऊर्जित किया जाना संबंधित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा समय पर विद्युत सेवा कनेक्शन दिए जाने पर निर्भर करेगा।

(घ) विद्युतीकरण के लिए शेष पात्र 109 स्टेशनों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम आगामी वर्षों में बनाया जाएगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और संबंधित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विद्युत सेवा कनेक्शन प्रदान किए जाएं।

नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र

*586. **कुमारी उमा भारती :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रशिक्षित तथा अर्हता-प्राप्त नर्सों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रशिक्षित नर्सों की संख्या बढ़ाने हेतु और अधिक नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) देश में अर्हता-प्राप्त नर्सों की सर्वत्र कमी है। आठवीं योजना में नर्सिंग शिक्षा का प्रसार करने और उसे सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

रेलवे परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

*587. **श्री शरद दिघे :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी लागत में चालू वर्ष के दौरान भारी वृद्धि हुई है तथा वे निर्धारित अवधि में पूरी भी नहीं हो पाई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) लागत में वृद्धि की राशि का पता तभी चलता है जब संशोधित अनुमान स्वीकृत किए जाते है, अतः, केवल उन्हीं परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनके लिए संशोधित अनुमान 1991-92 में स्वीकृत किए गए थे।

20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पहले से चल रही उन बड़ी परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है जिनकी लागत में वृद्धि के कारण, संशोधित अनुमान वर्ष 1991-92 में स्वीकृत किए गए थे :

क्र० सं०	परियोजना का नाम	वर्ष, जिसमें स्वीकृत की गई	मूलतः अनुमानित लागत	1991-92 में यथा संशोधित लागत	पूरा होने की संभावित तिथि
1.	मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन परियोजना	1983-84	120 करोड़ रुपए	287.11 करोड़ रुपए	दिसम्बर, 1992
2.	भोपाल-नागदा खंड का विद्युतीकरण	1982-83	53.24 करोड़ रुपए	102.26 करोड़ रुपए	इस खंड को मार्च, 1992 में ऊर्जित कर दिया गया है।
3.	रोहतक-जाखल दोहरीकरण, चरण-1 (76 कि० मी०)	1981-82	19.55 करोड़ रुपए	58.27 करोड़ रुपए	सितम्बर, 1992

लागत में वृद्धि, मुख्यतः धन की तंगी के कारण हुई है। मानखुर्द-बेलापुर परियोजना के मामले में, विलम्ब इसलिए भी हुआ क्योंकि भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की समस्याएं थीं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बराबर लिखा-पढ़ी चलती रही।

राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

*588. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की दरों में मूल्य-सूचकांक में समय-समय पर होने वाली वृद्धि के अनुसार संशोधन करते रहने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक विभिन्न छात्रवृत्तियों की दरों में कितनी बार संशोधन किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दर को 1974, 1981 और 1988 के दौरान तीन बार संशोधित किया गया है। इस समय, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की दर में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिंदी]

मातृ तथा बाल-स्वास्थ्य केन्द्र

*589. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में मातृ तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कुल कितने केन्द्र खोलने का विचार है;

(ग) क्या इन केन्द्रों को विदेशी सहायता उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र नहीं होते हैं। बहरहाल, उपकेन्द्रों द्वारा ग्रामीण लोगों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देश में कार्य कर रहे उपकेन्द्रों की राज्यार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 1992-93 में कोई नए उपकेन्द्र खोलने की मंजूरी देने का प्रस्ताव नहीं है।

क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए विदेशी सहायता उपलब्ध है जो कि परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 15 राज्यों में लागू की जा रही हैं।

विवरण

कार्यरत उपकेन्द्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31 दिसम्बर, 1991 को कार्यरत कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7894
2.	अरुणाचल प्रदेश	173
3.	असम	5110
4.	बिहार	14799
5.	गोवा	145
6.	गुजरात	7134
7.	हरियाणा	2299
8.	हिमाचल प्रदेश	1502
9.	जम्मू व कश्मीर	1460
10.	कर्नाटक	7793
11.	केरल	5094
12.	मध्य प्रदेश	11910
13.	महाराष्ट्र	9364
14.	मणिपुर	420
15.	मेघालय	342

1	2	3
16.	मिजोरम	220
17.	नागालैंड	201
18.	उड़ीसा	5426
19.	पंजाब	2853
20.	राजस्थान	8096
21.	सिक्किम	142
22.	तमिलनाडु	8681
23.	त्रिपुरा	496
24.	उत्तर प्रदेश	21653
		स्पष्टीकरण किया जाना है।
25.	पश्चिम बंगाल	7873
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	97
27.	चण्डीगढ़	12
28.	दादरा व नगर हवेली	34
29.	दमण व द्वीव	30
30.	दिल्ली	42
31.	लक्षद्वीप	14
32.	पांडिचेरी	76
	योग	131385

[अनुवाद]

अपशिष्ट पदार्थों को पुन: उपयोग में लाना

*590. **श्री कावम्बूर एम० आर० जनार्दनन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मार्च, 1992 के फाइनेंश्यिल एक्सप्रेस में 'रिसाइक्लिंग वेस्ट इन चाइना' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आधार पर कोई योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सृजित कई प्रकार के अपशिष्टों को एक विकेन्द्रित तरीके से पुन: उपयोग में लाया जाता है। लेकिन चीन के माडल के अनुरूप अपशिष्टों को पुनः उपयोग में लाने के लिए कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

डिसपोजेबल सिरेंज

*591. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'डिसोजेबल सिरिंजों' का निर्माण सरकारी क्षेत्र में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एड्स और अन्य संचारी रोग लगने के खतरे को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में 'डिसपोजेबल सिरिंजों' का प्रयोग शुरू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने 53.08 करोड़ रुपए की मौजूदा अनुमानित परियोजना लागत पर 6 करोड़ डिस्पोजेबल सिरिंजों और 10 करोड़ सुइयों के निर्माण का प्रस्ताव किया था। बहरहाल, परियोजना के लिए आवश्यक भारी निवेश तथा बाजार में उपलब्ध पारम्परिक सिरिंजों की तुलना में हिन्दुस्तान टेलेक्स लिमिटेड के सिरिंजों की अपेक्षाकृत अधिक प्रत्याशित यूनिट लागत और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबद्ध क्रय समर्थन के अभाव को देखते हुए हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का विचार है कि प्रस्तावित परियोजना व्यावहारिक नहीं है। अस्पतालों और औषधालयों में डिस्पोजेबल सिरिंजों का प्रचलन राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम का अंग नहीं है। यही नहीं, एड्स विषाणु ताप-परिवर्ती है और सामान्य उबालने से नष्ट हो जाता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कांच की सिरिंजें और सुइयां इस्तेमाल की जाती हैं।

फर्जी नसबंदी आपरेशन

6630. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1991 के दैनिक समाचार-पत्र 'राष्ट्रीय सहारा' में 'बांदा में फर्जी नसबंदियों' की उच्चस्तरीय जांच शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार की खबरें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) देश के अन्य भागों में बड़े पैमाने पर बोगस नसबंदी से सम्बन्धित ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि आवश्यक कारंवाई की जाए जिससे केन्द्र सरकार को भी अवगत कराया जाए।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा परिषद में अनियमितताओं

6331. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद के कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कथित रूप से की गई अनियमितताओं का पता है;

(ख) यदि हां, तो सी० बी० आई० की जांच आयोजित की गई थी; और

(ग) उसका क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के भूतपूर्व सचिव द्वारा बरती गई तथाकथित अनियमितताओं की जांच की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार उनके विरुद्ध कदाचार का आरोप सही पाया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ऐसी समुचित कारं-वाई करने के बारे में जांच कर रही है, जो कानून के उपबंधों के अन्तर्गत इसके सेवानिवृत्त अधि-कारी के विरुद्ध की जा सकती है।

भारतीय खाद्य निगम में ठेका मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय

6332. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ठेके के मजदूरों को विभागीय कर्मचारियों की तरह ही कल्याणकारी उपाय तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) ठेकेदारों के साथ निष्पादित ठेकों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल कर भारतीय खाद्य निगम द्वारा ठेका श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और अन्य अनुमेय सुविधाएं देना सुनिश्चित किया जाता है।

वालटेयर डिवीजन में स्टेशनों का फिर से खोला जाना

6333. श्री शिवाजी पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के वालटेयर डिवीजन के अन्तर्गत काशीनगर पारलकिमिड़ी तथा गंगुवाडा स्टेशनों को बन्द कर दिया गया था जिससे लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें बंद करने के क्या कारण थे; और

(ग) इन स्टेशनों को कब तक फिर से खोले जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पारलाकिमिड़ि, काशीनगर तथा गंगूवाड़ा ब्लाक स्टेशन यात्री यातायात के लिए बंद नहीं किए हैं बल्कि उन्हें परिचालनिक एवं वित्तीय कारणों से हाल्ट स्टेशनों में बदला गया है।

कश्मीर को खाद्य वस्तुओं की सप्लाई

6334. श्री के० वीरैया राव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के लोगों को रियायती दामों पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं सप्लाई की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने इस संबंध में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों, गेहूं और चावल की बिक्री करने के लिए जम्मू और कश्मीर सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों, गेहूं और चावल की बिक्री की जाती है। ये मूल्य खाद्यान्नों की इकनामिक लागत से कम होते हैं। अन्तर राशि अर्थात् भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई राज-सहायता और जम्मू और कश्मीर के उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए लाभ की स्थिति नीचे दी गई है :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1989-90	44.32
1990-91	42.06
1991-92 (अनुमानित)	47.76

राज्य सरकार द्वारा इन खाद्यान्नों के वितरण पर किए गए खर्च को राज्य सरकार द्वारा या तो उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है अथवा उसे वह राजसहायता के रूप में स्वयं वहन करती है और यह मामला प्रत्येक राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

[हिन्दी]

ग्रीन हाऊस इफैक्ट

6335. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तटों को छूने वाले जल स्तर 'ग्रीन हाऊस इफेक्ट' से प्रभावित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'ग्रीन हाऊस इफेक्ट' तथा इसके परिणामस्वरूप मौसम में आने वाले त्वरित परिवर्तन के बारे में विदेशी वैज्ञानिकों और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि समुद्र का स्तर करीब-करीब 1 मि०मी० प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रीन हाऊस प्रभाव तथा भारतीय तट पर जल के स्तर के बीच सही सम्बन्ध का पता नहीं लग पाया है।

(ग) जी, हां। ग्रीन हाउस प्रभाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनेक अध्ययन किए गए हैं।

(घ) निष्कर्ष से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के रुख और जलवायु में सम्भावित परिवर्तन का पता चला है, किन्तु कारणों, प्रभावों की मात्रा और क्षेत्रीय भिन्नता के सम्बन्ध में असंख्य अनिश्चितताएं हैं।

[अनुवाद]

भद्रा वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए सहायता

6336. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक वन विभाग ने चिकमगलूर और शिमोगा जिलों में भद्रा वन्य प्राणी अभयारण्य को विकसित करने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इसके लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को, कर्नाटक के चिकमगलूर और शिमोगा जिलों में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

समस्तीपुर में शायिकाओं का कोटा

6337. श्री ललित उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5609 अप अवध-असम एक्सप्रेस में समस्तीपुर स्टेशन से तीन टीयर शायिका का कोटा समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या इस स्टेशन से वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए भी कोई कोटा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसे पुन: आरंभ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशनों पर भारी मांग के कारण दूसरे दर्जे का आरक्षण कोटा वापस ले लिया गया था। इस गाड़ी में कोई वातानुकुल कुर्सीयान उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) 4-5-92 से 5609 गुवाहाटी-नई दिल्ली अवध-असम एक्सप्रेस के मुजफ्फरपुर-नई दिल्ली सवारी डिब्बे में समस्तीपुर स्टेशन को दूसरे दर्जे की छ: शायिकाओं का कोटा आबंटित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में रेलवे स्टेशन

6338. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के देहरादून, कोटद्वार, ऋषिकेश, नजीबाबाद और रामनगर रैलवे स्टेशनों पर पृथक-पृथक रूप से वर्ष-वार खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है और यह राशि किन-किन कार्यों पर खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने तथा इनका पूर्ण विकास करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें अनुरक्षण/मरम्मत पर आने वाले खर्च का स्टेशन-वार ब्योरा नही रखती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्टेशनों पर बड़े निर्माण कार्य नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) इन सभी स्टेशनों पर संभाले जाने वाले यातायात के अनुरूप पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद को वित्तीय सहायता

6339. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी अनुदान सहायता दी गई;

(ख) क्या यह राशि प्रत्येक वर्ष दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुदान प्रत्येक वर्ष विभिन्न किस्तों में दिया जाता है।

(ग) लागू नहीं होता।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद को दिया गया अनुदान इस प्रकार है :

(लाख रुपए)

वर्ष	योजनेत्तर	योजनागत	संयुक्त भवन परिसर	परिवार कल्याण कार्यक्रम
1989-90	491.00	121.57	85.00	15.65
1990-91	587.00	216.60	86.58	11.95
1991-92	572.45	150.00	75.00	14.25

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का कोटा न उठाना

6340. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र ने गेहूं, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, चावल, चीनी आदि का कोटा नहीं उठाया है जो उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए आवंटित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्पूर्ण मात्रा में आवंटित सामग्री न उठाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) आवंटित किए गए गेहूं, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, चावल, चीनी आदि का राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उठान करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। वित्तीय व्यवस्था करने, वितरण केन्द्रों तक वस्तुओं की ढुलाई करने, वैगनों/ट्रकों की उपलब्धता, जैसी विभिन्न अपेक्षाओं के कारण हमेशा शत-प्रतिशत उठान नहीं किया जाता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम और अन्य केन्द्रीय वितरण एजेन्सियां राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों के सहयोग से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल की आवंटित मात्राओं की सुपुर्दगी करने के लिए सभी संभव कदम उठाती हैं। यद्यपि, मिट्टी के तेल के आवंटन/उठान के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों के आवंटन और उठान के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

अक्तूबर, 1991 से जनवरी, 1992 तक के महीनों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		अक्तूबर, 1991			नवम्बर, 1991		
		मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
1		2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	चा०	280.0	280.0	166.0	125.0	125.0	190.5
	गे०	20.0	20.0	14.1	20.0	20.0	11.4
अरुणाचल प्रदेश	चा०	8.0	7.5	6.3	8.0	7.5	6.5
	गे०	1.0	0.8	0.3	1.0	0.8	0.5
असम	चा०	72.0	42.3	39.6	64.0	40.3	36.6
	गे०	52.0	30.0	27.1	42.0	30.0	16.5
बिहार	चा०	25.0	15.0	9.9	25.0	15.0	9.2
	गे०	100.0	47.0	49.2	100.0	47.0	39.7

1		2	3	4	5	6	7
गोवा	चा०	6.0	5.5	4.1	6.0	5.5	3.8
	गे०	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5
गुजरात	चा०	35.0	31.0	24.1	40.0	31.0	30.8
	गे०	100.0	67.0	51.3	100.0	67.0	56.9
हरियाणा	चा०	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	1.6
	गे०	30.0	30.0	11.1	45.0	30.0	20.2
हिमाचल प्रदेश	चा०	6.5	7.15	6.1	7.1	7.15	7.3
	गे०	10.0	10.0	7.5	15.0	10.0	9.3
जम्मू और कश्मीर	चा०	40.0	43.5	32.7	40.0	43.5	29.0
	गे०	20.0	20.0	8.9	20.0	20.0	7.0
कर्नाटक	चा०	75.0	56.0	62.6	75.0	56.0	54.9
	गे०	50.0	40.0	44.0	50.0	40.0	39.4
केरल	चा०	160.0	150.0	146.6	160.0	150.0	155.7
	गे०	30.0	30.0	30.1	50.0	30.0	30.7
मध्य प्रदेश	चा०	120.0	34.0	29.9	120.0	34.0	28.2
	गे०	130.0	35.0	38.7	180.0	35.0	38.2
महाराष्ट्र	चा०	65.0	53.0	61.8	65.0	53.0	42.0
	गे०	120.0	121.0	127.5	150.0	121.0	103.6
मणिपुर	चा०	9.3	10.5	4.7	9.3	11.5	3.2
	गे०	3.0	3.0	5.2	3.0	3.0	1.0
मेघालय	चा०	15.0	14.0	10.1	19.0	14.0	13.4
	गे०	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	1.6
मिजोरम	चा०	7.5	10.0	6.7	10.5	10.0	8.5
	गे०	1.25	1.25	1.4	1.25	1.25	0.4
नागालैंड	चा०	15.0	13.25	15.0	15.0	13.25	13.1
	गे०	10.0	6.0	4.7	10.0	6.0	2.6
उड़ीसा	चा०	45.0	40.5	28.2	45.0	40.5	24.5
	गे०	35.0	25.0	25.7	35.0	25.0	19.5

1		2	3	4	5	6	7
पंजाब	चा०	1.5	2.0	0.8	1.5	2.0	0.6
	गे०	25.0	25.0	16.8	25.0	25.0	13.1
राजस्थान	चा०	5.0	4.2	3.1	5.0	4.2	2.6
	गे०	150.0	75.0	73.2	200.0	75.0	66.1
सिक्किम	चा०	5.0	5.5	3.0	5.5	5.5	4.7
	गे०	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	0.4
तमिलनाडु	चा०	100.0	81.0	98.0	100.0	81.0	78.6
	ग०	30.0	30.0	21.9	30.0	30.0	18.8
त्रिपुरा	चा०	12.85	16.85	10.2	12.85	20.85	15.6
	गे०	2.5	2.5	1.1	2.85	2.5	1.1
उत्तर प्रदेश	चा०	50.0	35.0	37.0	50.0	40.0	33.0
	गे०	100.0	55.0	51.3	100.0	60.0	55.8
पश्चिम बंगाल	चा०	95.0	83.0	72.5	150.0	75.0	58.7
	गे०	108.0	90.0	69.6	130.0	90.0	75.8
अंडमान और निको-बार द्वीप-समूह	चा०	4.5	4.5	1.2	—	—	3.3
	गे०	2.1	2.1	0.8	—	—	4.0
चण्डीगढ़	चा०	0.5	2.0	0.2	0.5	2.0	0.2
	गे०	3.0	1.8	1.0	3.0	1.8	1.7
दादर और नगर हवेली	चा०	0.5	1.0	—	0.5	1.0	—
	गे०	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—
दमन और दीव	चा०	0.6	1.0	—	0.6	1.0	—
	गे०	0.2	0.15	—	0.2	0.15	—

1		2	3	4	5	6	7
दिल्ली	चा०	35.0	27.0	23.0	35.0	27.0	14.1
	गे०	75.0	72 0	76.9	75.0	72.0	49.2
लक्षद्वीप	चा०	—	—	1.1	—	—	0.5
	गे०	—	—	—	—	—	नग०
पांडिचेरी	चा०	3.0	3.0	0.4	3.0	3.0	0.4
	गे०	0.8	0.75	नग०	0.8	0.75	नग०
कुल जोड़	चा०	1300.75	1083.25	907.9	1278.35	923.75	871.1
राज्य/संघ शासित प्रदेश	गे०	1265.75	847.15	765.9	1395.50	850.05	688.0

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

		दिसम्बर, 1991			जनवरी, 1992		
		मांग	आबंटन	उठान	मांग	आबंटन	उठान
1		8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	चा०	125.0	170.0	155.2	220.0	170.0	145.5
	गे०	20.0	18.0	14.0	20.0	18.0	12.8
अरुणाचल	चा०	8.0	11.5	6.3	8.0	8.0	6.8
प्रदेश	गे०	1.0	0.72	0.4	1.0	0.72	0.4
असम	चा०	64.0	40.3	34.3	64.0	35.3	38.8
	गे०	42.0	29.0	26.2	42.0	25.0	19.3
बिहार	चा०	25.0	15.0	9.8	25.0	15.0	10.8
	गे०	100.0	42.3	46.8	100.0	42.3	51.3
गोवा	चा०	6.0	5.5	4.3	6.0	4.5	5.5
	गे०	3.5	3.5	3.0	3.5	3.15	2.7

1		8	9	10	11	12	13
गुजरात	चा०	50.0	28.0	27.3	50.0	28.0	24.5
	गे०	100.0	60.3	56.3	100.0	60.3	49.6
हरियाणा	चा०	4.0	3.0	1.6	4.0	3.0	1.7
	गे०	45.0	27.0	26.3	45.0	27.0	22.5
हिमाचल प्रदेश	चा०	7.1	6.5	7.6	7.1	6.5	6.8
	गे०	15.0	9.0	12.3	15.0	10.0	9.5
जम्मू और कश्मीर	चा०	40.0	35.0	30.0	40.0	35.0	22.3
	गे०	20.0	18.0	13.0	20.0	18.0	8.0
कर्नाटक	चा०	75.0	45.0	43.1	75.0	50.0	48.1
	गे०	50.0	36.0	34.9	50.0	36.0	35.1
केरल	चा०	160.0	150.0	149.5	160.0	150.0	146.0
	गे०	50.0	27.0	25.9	50.0	27.0	26.6
मध्य प्रदेश	चा०	120.0	23.0	23.6	120.0	23.0	16.4
	गे०	180.0	31.5	24.3	180.0	31.5	31.5
महाराष्ट्र	चा०	75.0	45.0	45.1	75.0	82.0	58.7
	गे०	150.0	108.0	103.2	150.0	121.0	114.4
मणिपुर	चा०	9.3	9.5	10.9	9.3	7.0	9.1
	गे०	3.0	2.7	3.9	3.0	2.7	2.3
मेघालय	चा०	19.0	14.0	11.9	15.0	10.0	14.0
	गे०	2.5	3.75	4.5	2.5	2.25	2.0
मिजोरम	चा०	10.5	10.0	6.6	10.5	6.0	8.3
	गे०	1.25	2.13	2.2	1.25	1.25	1.1
नागालैंड	चा०	15.0	13 25	12.5	15.0	9.25	15.5
	गे०	10.0	6.9	10.9	10.0	6.0	3.0
उड़ीसा	चा०	45.0	25.0	20.5	3.00	25.0	22.0
	गे०	35.0	22.5	18.7	35.0	22.5	18.1
पंजाब	चा०	1.5	1.5	0.6	1.5	1.5	0.4
	गे०	25.0	22.5	15.0	25.0	22.5	19.0

1		8	9	10	11	12	13
राजस्थान	चा०	5.0	3.0	2.0	5.0	3.0	2.1
	गे०	200.0	67.[illegible]	67.0	200.0	72.5	72.4
सिक्किम	चा०	5.5	4.5	4.5	5.5	4.5	2.2
	गे०	0.7	0.54	0.4	0.7	0.54	—
तमिलनाडु	चा०	100.0	91.0	84.7	100.0	81.0	66.5
	गे०	30.0	27.0	21.1	30.0	27.0	12.6
त्रिपुरा	चा०	12.85	16.85	13.9	12.85	16.85	11.8
	गे०	2.85	2.25	2.3	2.85	2.25	0.4
उत्तर प्रदेश	चा०	50.0	28.0	33.5	50.0	28.0	26.1
	गे०	100.0	54.0	54.7	100.0	54.0	55.1
पश्चिमी बंगाल	चा०	150.0	69.0	76.4	150.0	69.0	56.2
	गे०	130.0	81.0	55.9	130.0	81.0	71.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	चा०	—	—	3.0	4.5	4.5	0.6
	गे०	—	—	—	2.1	2.1	नग०
चंडीगढ़	चा०	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	गे०	3.0	1.6	1.2	3.0	1.6	1.9
दादर और नगर हवेली	चा०	0.5	0.5	—	0.5	0.5	—
	गे०	0.2	0.18	—	0.2	0.18	—
दमन और दीव	चा०	0.6	0.5	0.1	0.6	0.5	0.3
	गे०	0.2	0.13	0.1	0.2	0.13	0.1
दिल्ली	चा०	35.0	20.0	9.1	35.0	20.0	17.4
	गे०	75.0	64.8	66.8	75.0	64.8	74.2
लक्षद्वीप	चा०	—	—	0.7	—	—	0.6
	गे०	—	—	नग०	—	—	नग०

1		8	9	10	11	12	13
पांडिचेरी	चा०	2.0	2.0	0.4	3.0	2.0	0.4
	गे०	0.8	0.67	नग०	0.3	0.67	नग०
कुल जोड़	चा०	1288.35	886.9	829.5	1302.85	899.4	785.9
राज्य/संघ शासित प्रदेश	गे०	1395.5	770.47	711.3	1097.60	783.94	717.1

चा० = चावल
गे० = गेहूं
नग० = नगण्य (50 मीटरी टन से कम)

विवरण-II

1-2-1987 से जनवरी, 1992 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लेवी चीनी के कोटे 5% की तदर्थ अतिरिक्त वृद्धि और त्यौहार कोटे को बताने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मासिक सामान्य कोटा	5 प्रतिशत की तदर्थ मासिक वृद्धि (अगस्त, 1991 से मार्च, 1992 तक अनुमति दी गई)	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	25281	1264	7614
2.	अण्डमान व निकोबार	247	12	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	314	16	94
4.	असम	9617	481	2896
5.	बिहार	33459	1673	10078
6.	चंडीगढ़	372	19	112
7.	दादर तथा नगर हवेली	51	3	14
8.	दिल्ली	8721*	436	2316
9.	गोआ	500	25	150

1	2	3	4	5
10.	दमन	24	1	12
11.	दीव	15	1	
12.	गुजरात	16194	810	4878
13.	हरियाणा	6386	319	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	101	608
15.	जम्मू तथा कश्मीर	2884	144	868
16.	कर्नाटक	17769	888	5350
17.	केरल	11953	598	3600
18.	लक्षद्वीप	71	4	22
19.	मध्य प्रदेश	25031	1252	7536
20.	महाराष्ट्र	29938	1497	9014
21.	मणिपुर	694	35	208
22.	मेघालय	662	33	200
23.	मिजोरम	261	13	78
24.	नागालैंड	426	21	128
25.	उड़ीसा	12393	620	3730
26.	पांडिचेरी	305*	15.2	64
27.	कारीकल	73	3.7	18
28.	माहे	15	0.7	4
29.	यनम	7	0.4	2
30.	पंजाब	7945	397	2392
31.	राजस्थान	16914	846	5092
32.	सिक्किम	165	8	50
33.	तमिलनाडु	22547	1127	6790
34.	त्रिपुरा	1001	50	302
35.	उत्तर प्रदेश	52926	2646	15936
36.	पश्चिम बंगाल	25888	1294	7796
	जोड़	333068	16654	99950

*इसमें मई, 1990 और उसके बाद दिल्ली के कोटे में की गई 1032 मीटरी टन और पांडिचेरी के कोटे में की गई 108 मीटरी टन की वृद्धि शामिल है।

नोट : लेवी चीनी के आबंटन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांगों के आधार पर नहीं किए जाते हैं। सामान्यतः पूरा उठान किया जाता है।

विवरण-III

1991-92 (नवम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 तक) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित खाद्य तेलों के लिए गए राज्यवार विस्तृत आवंटन और उठान

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य	नवम्बर, 91		दिसम्बर, 91		जनवरी, 92		फरवरी, 92	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1500	1500	—	1500	1500	90	1500	1390
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	—	—	—	50	18	50	50
3.	असम	200	—	—	—	200	72	200	108
4.	बिहार	1500	—	—	890	1500	200	1500	111
5.	गोवा	300	300	300	—	300	—	300	100
6.	गुजरात	1500	1500	—	1607	1500	—	1500	1350
7.	हरियाणा	600	—	—	—	600	223	900	—
8.	हिमाचल प्रदेश	500	—	—	176	500	317	500	275
9.	जम्मू और कश्मीर	500	—	—	75	500	283	500	220
10.	कर्नाटक	1200	995	—	1159	1200	497	1200	1072
11.	केरल	1000	1500	1000	1255	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	1200	—	—	—	1200	—	1200	—
13.	महाराष्ट्र	2000	500	—	2256	4000	—	2000	—
14.	मणिपुर	200	—	—	—	200	200	200	200
15.	मेघालय	200	—	—	—	200	185	200	130
16.	मिजोरम	200	—	—	—	200	200	200	120
17.	नागालैंड	200	—	—	—	200	400	200	200
18.	उड़ीसा	1000	1000	—	1000	1000	—	1000	1000
19.	पंजाब	700	—	—	180	700	331	700	223
20.	राजस्थान	700	50	—	75	700	512	1200	116
21.	सिक्किम	150	—	—	—	150	—	150	—
22.	तमिलनाडु	1500	689	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा	200	—	—	—	200	175	200	220
24.	उत्तर प्रदेश	1500	—	—	191	1500	52	1500	388
25.	पश्चिम बंगाल	1500	—	—	500	1500	709	1500	1000
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	100	—	100	100	—	100	100
27.	चंडीगढ़	100	—	—	—	100	—	100	—
28.	दादर और नगर हवेली	50	50	—	—	50	48	50	—
29.	दिल्ली	1500	—	—	301	1500	—	1500	—
30.	दमन	50	50	—	—	50	50	50	30
31.	दीव	50	50	—	—	50	50	50	50
32.	लक्षद्वीप	25	43	—	6	50	—	25	50
33.	पांडिचेरी	200	230	50	—	300	—	250	220
	जोड़	22175	8557	1350	11271	21800	4612	20225	8723

आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाएं

6341. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने केन्द्र सरकार को नई रेलवे परियोजनाओं का निर्माण करने तथा वर्तमान रेल लाइनों का विकास/विस्तार करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित नई लाइन/आमान परिवर्तन परियोजनाओं की सिफारिश की है :

(1) पेद्दापल्ली-करीमनगर-अकनापेट-संगारेड्डी-पाटनचेरू और संगारेड्डी-सदाशिवपेट रोड नई बड़ी लाइन।

(2) निजामाबाद-रामगुंडम (वरास्ता) जगतियाल और उप्पल-जगतियाल (वरास्ता) करीमनगर नई बड़ी लाइन।

(3) नंदयाल-येरगुंटला नई बड़ी लाइन।

(4) गुडूर-माचेर्ला (वरास्ता) विनुकोंडा-कानिगिरी और अतमाकुर नई बड़ी लाइन।

(5) विकाराबाद-कृष्णा नई बड़ी लाइन।

(6) रायचूर-मोचेर्ला नई बड़ी लाइन।

(7) निडुब्रोलु-निजामपटनम नई बड़ी लाइन।

(8) तिरुपति-पाकाला आमान परिवर्तन और पाकाला-काटपाडि समानान्तर बड़ी लाइन।

(9) काकीनाडा-कोटीपाल्ली नई बड़ी लाइन।

(10) गुंटूर-द्रोणाचलम आमान परिवर्तन।

(11) सिकन्दराबाद से कुर्नूल तक समानान्तर बड़ी लाइन की व्यवस्था।

(12) हिन्दूपुर-रायदुर्ग नई बड़ी लाइन।

(ग) उपर्युक्त में से, गडवाल और रायचूर (59 कि० मी०) के बीच नई बड़ी लाइन के लिए प्रस्ताव योजना आयोग के पास भेजा गया है। पेड्डापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद नई बड़ी लाइन के लिए प्रस्ताव योजना आयोग के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। तिरुपति पाकाला-पाटपाडी, गुंटूर-गुन्तकल और सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम मीटर लाइनों में बदलने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं और इनके 1992-93 के दौरान शुरू किये जाने की संभावना है। नई बड़ी लाइन, जो नडिकुडे को रेणिगुंटा (350 कि० मी०) को जोड़ती है, के निर्माण के लिए टोह इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण अनुमोदित कर दिया गया है। रायदुर्ग-हिन्दूपुर को छोड़कर ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित अन्य नई लाइनों के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि ये परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद हैं। संसाधनों की तंगी के कारण, फिलहाल रायदुर्ग से हिन्दूपुर तक के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रत्नागिरि में राजा शिव के महल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बदलना

6342. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रत्नागिरि, महाराष्ट्र में राजा शिव के महल को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बदलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार किया है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भाषा संस्थाओं द्वारा तैयार की गई परियोजनाएं

6343. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर में भारतीय भाषाओं का प्रयोग सम्भव होने के बाद से भाषा संस्थानों द्वारा बड़ी, मंझली और छोटी परियोजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनमें भाषाविदों और भाषाओं तथा विज्ञान/प्रौद्योगिकी विषयों के कम्प्यूटर विशेषज्ञों के मार्गनिर्देश के अन्तर्गत शोध कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई शोध पत्रिका प्रकाशित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास नामक एक कार्यक्रम आरम्भ किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ भाषा अध्ययनों तथा अनुसंधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रयोग को संवर्धित करता है तथा भारतीय भाषाओं में सूचना तैयार करने के क्षेत्र में अनु० तथा वि० के प्रयासों को सुदृढ़ करता है। उन संस्थाओं के नाम, जहां अनुसंधान किया जा रहा है, का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वे संस्थाएं जहां भाषाविदों और भाषाओं तथा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विषयों के संगणक विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।
3. पश्चिम क्षेत्रीय भाषाएं केन्द्र, दक्कन कालेज, पुणे।
4. भारतीय अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर।
5. संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
6. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
8. पूना विश्वविद्यालय।
9. तमिल विश्वविद्यालय।
10. रुड़की विश्वविद्यालय।
11. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
12. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
13. हैदराबाद विश्वविद्यालय।

14. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली।

15. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली।

16. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कामाच्छा, वाराणसी।

17. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।

18. कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन।

19. विद्या भारतीय प्रतिष्ठान (पंजीकृत), नई दिल्ली।

20. संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट।

21. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दिल्ली।

काला ताज का रख-रखाव

6344. श्री भगवान शंकर रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज महल के निकट अर्ध-निर्मित भवन काला ताज से बहुत-सी वस्तुएं चुरा ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके संरक्षण तथा रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) ताज महल, आगरा के निकट काला ताज नामक कोई स्मारक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मांट्रियल प्रोटोकॉल

6346. श्री सनत कुमार मंडल :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मांट्रियल प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रोटोकाल से भारत को क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की, विशेष रूप से सी० एफ० सी० परिवर्तन निधि के लिए प्रावधानों के सन्दर्भ में, उम्मीद है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) सरकार ने लंदन में जून, 1990 में मान्ट्रियल प्रोटोकाल में अपनाए गए संशोधनों के लागू होने के बाद मान्ट्रियल प्रोटोकाल में भाग लेने का निर्णय लिया है।

(ख) दिसम्बर, 1987 के मान्ट्रियल प्रोटोकाल में ओजोन को क्षीण करने वाले कतिपय पदार्थों को एक निर्धारित समय-सीमा में समाप्त करने की व्यवस्था है। इसमें इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की भी व्यवस्था है। प्रोटोकाल की प्रतियां माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) भारत के प्रोटोकाल में शामिल हो जाने पर भारत को संशोधित प्रोटोकाल के तहत बहुपक्षीय निधि से प्रौद्योगिकी अन्तरण सहित वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध होगा।

खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

6347. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पुरुष/महिला खिलाड़ियों की दशा का कोई सर्वेक्षण किया गया है जिन्होंने विगत समय में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने खिलाड़ी दीन-हीन अवस्था में जीवनयापन कर रहे हैं; और

(ग) विगत वर्षों के इन खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले वर्षों के प्रशंसनीय खिलाड़ी जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता लेने के लिए पात्र हैं।

इन्दिरा महिला योजना

6348. **डा० सी० सिलवेरा** :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु समेकित योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई नीति बनाई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां। सरकार महिला एवं बाल विकास के लिए इन्दिरा महिला योजना नामक एक समेकित कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में जागरूकता की नई भावना पैदा करना और उन्हें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करना है जिससे कि वे सामाजिक परिवर्तन और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी बन सकें।

(ख) से (घ) इस योजना के विवरण और इसके कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति तैयार की जा रही है। भारत सरकार ने विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श भी किया गया है।

बिहार में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले

6349. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में शैक्षिक रूप में पिछड़े ऐसे कौन से जिले हैं जिनका साक्षरता औसत बिहार की औसत साक्षरता स्तर से नीचे है;

(ख) क्या सरकार ने देश के ऐसे जिलों में साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष धनराशि दी है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी और उसमें बिहार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शैक्षणिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों को पिछड़े हुए जिलों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कुल आबंटनों के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के आबंटनों को विभाग की वर्ष 1991-92 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।

विवरण

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार बिहार की औसत साक्षरता दर 26.20 (सभी व्यक्ति) से कम साक्षरता दर वाले जिलों की सूची

राज्य का नाम	क्र० सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर
बिहार	1.	बेगुसराय	26.06
	2.	दरभंगा	23.94
	3.	गिरिडीह	23.91
	4.	गोपालगंज	21.37
	5.	हजारीबाग	23.51
	6.	कटिहार	21.03
	7.	मधुबनी	21.75
	8.	मुजफ्फरपुर	24.25
	9.	पलामू	20.41
	10.	पश्चिम चम्पारन	18.79
	11.	पूर्वी चम्पारन	19.33
	12.	पुर्निया	19.27
	13.	सहरसा	20.26
	14.	समस्तीपुर	24.86
	15.	संथाल परगना	22.26
	16.	सीतामढ़ी	19.56
	17.	सिवान	23.71
	18.	वैशाली	25.55

स्रोत : 1981 जनगणना।

[हिन्दी]

टिहरी बांध

6350. **श्री लोकेन्द्र झा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना को मंजूरी देने में कतिपय शर्तें रखी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कौन-कौन-सी शर्तें पूरी की गई हैं;

(घ) क्या सरकार परियोजना पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 1990 में इस शर्त पर मंजूरी दी गई थी कि इंजीनियरी निर्माण कार्यों के साथ-साथ कार्यान्वयन के लिए एक समबद्ध तरीके से अपेक्षित पर्यावरणीय कार्य योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी, अन्यथा निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। आवश्यक कार्य योजनाओं में आवाह क्षेत्र शोधन, कमांड क्षेत्र विकास, पुनर्वास बृहत् योजना, संकटापन्न प्रजातियों के पुनर्वास के लिए वनस्पतिजात और प्राणिजात का सर्वेक्षण, जल गुणवत्ता का अध्ययन और इसका अनुरक्षण तथा आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए खतरा मूल्यांकन, आदि शामिल हैं।

(ग) से (ङ) लगाई गई शर्तें निर्धारित समय में पूरी नहीं की गई हैं। मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में आपात स्थिति में रोगियों का उपचार

6351. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में डाक्टरों द्वारा आपात स्थिति में रोगियों के साथ लापरवाही बरतने के किन्हीं मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जनवरी, 1990 से आपातकालीन ड्यूटी डाक्टरों द्वारा घर पर जाकर रोगियों को देखने से इन्कार करने के बारे में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की जांच करने के पश्चात् संबंधित डाक्टरों को उपयुक्त सलाह दी गई है कि वे स्थिति से कुशलतापूर्वक निबटें और उन सभी रोगियों को घर पर जाकर देखें जिन्हें आपातकालीन उपचार की जरूरत होती है।

संग्रहालयों के लिए धन-राशि का आबंटन

6352. श्री प्रवीण डेका :

श्री बाइस बान अन्सलोम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में पुरातत्व संग्रहालयों के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन विभिन्न राज्यों के पुरातत्व संग्रहालयों के लिए आवंटित धनराशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष-वार आवंटन

(लाखों में)

क्र० सं०	राज्य	संग्रहालयों की सं०	1989-90	1990-91	1991-92
1.	दिल्ली	3	22.65	18.97	20.21
2.	मध्य प्रदेश	4	17.84	17.75	20.53
3.	उत्तर प्रदेश	2	12.28	12.81	12.94
4.	बिहार	3	13.55	14.00	15.09
5.	उड़ीसा	2	5.20	5.83	6.87
6.	राजस्थान	1	3.00	2.44	2.99
7.	पंजाब	1	2.50	2.14	2.29
8.	गोवा	1	4.18	6.28	4.65
9.	गुजरात	1	3.42	2.74	3.98
10.	आंध्र प्रदेश	4	23.50	25.68	22.10
11.	तमिलनाडु	1	7.55	13.41	8.54
12.	कर्नाटक	6	18.61	19.91	20.23
13.	केरल	1	2.77	2.75	3.01
14.	पश्चिम बंगाल	1	12.43	14.25	15.29

रेलवे स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

6353. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में +2 अवस्था में रेलवे वाणिज्य पर रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है या शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे स्कूल कहां-कहां स्थित हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के शैक्षिक-सत्र के दौरान पांच स्कूलों में +2 स्तर पर रेलवे वाणिज्य पर व्यावसायिक-पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

1992-93 के दौरान चार और स्कूलों में यह पाठ्यक्रम करने का प्रस्ताव है। चयनित नौ स्कूलों में से दो रेलवे स्कूल हैं।

(ग) दोनों रेलवे स्कूलों के स्थान नीचे दिए गए हैं :

1. उत्तर-पूर्वी रेलवे सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, गोरखपुर।

2. रेलवे जूनियर कालेज, लल्लागुड़ा, सिकन्दराबाद।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०) के चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा कर्मियों को क्वार्टरों का आवंटन

6354. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फेकल्टी सदस्यों, डाक्टरों, नर्सों व अन्य वर्गों के कर्मचारियों को आवासीय क्वार्टरों का आवंटन करने का मानदण्ड क्या है;

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कुल कितनी नर्सें कार्यरत हैं और उन्हें कितने आवासीय क्वार्टर आबंटित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इस वर्ष नए क्वार्टरों का निर्माण करके नर्सों को आवासीय क्वार्टरों का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सभी संकाय सदस्यों और रेजीडेंट डाक्टरों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में आवास का आबंटन करने के लिए अनिवार्य सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नर्सों को भी छात्रावास के प्रयोजन के लिए और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में सामान्य पूल क्वार्टरों की कुछ निर्धारित संख्या के लिए अनिवार्य सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑपरेशन थिएटर और प्रयोगशाला कार्मिक जैसे अन्य स्टाफ को भी अनिवार्य सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से अधिकांश को परिसर में आवास दिया गया है।

(ख) नर्सों की कुल संख्या 1426 है। इस संख्या में से 364 को छात्रावास प्रदान किया गया है और अन्य 142 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में विवाहित (मेरिड) आवास दिया गया है।

(ग) और (घ) 110 स्टाफ नर्सों और 186 छात्र नर्सों को आवास देने के लिए नर्सों के एक नए छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और इसे निकट भविष्य में अधिकार में ले लिया जाएगा। जब यह छात्रावास इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा तो मौजूदा छात्रावास पर छात्र नर्सों का दबाव कम हो जाएगा क्योंकि वे अधिकतर इसमें स्थानांतरित हो जाएंगी। इसलिए मौजूदा छात्रावास में लगभग 100 स्टाफ नर्सों के लिए अतिरिक्त आवास उपलब्ध हो जाएगा। सामान्य पूल के लिए कुछ टाईप 'क' और टाईप 'ख' क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इससे भी नर्सों को लाभ होगा।

वातानुकूलित सवारी डिब्बे

6355. **श्री रामनरेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महत्वपूर्ण शहरों के बीच दिन के समय चलने वाली रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयान सवारी डिब्बे को लगाने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 8183/8184 पटना-टाटा तथा 8625/8626 पटना-हटिया एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार कोचों को लगाने का कोई विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिन में चलने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल कुर्सीयान लगाने का प्रस्ताव है, बशर्ते उत्पादन इकाइयों से ऐसे सवारी डिब्बे उपलब्ध हों।

संतरागाछि-खड़गपुर सेक्शन पर अतिरिक्त लाइनें

6356. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में संतरागाछि से पांसकुड़ा, पांसकुड़ा से खड़गपुर और खड़गपुर से मिदनापुर रेल मार्गों पर अत्यधिक यातायात को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों पर अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) संतरागाछी से खड़गपुर तक अतिरिक्त रेल लाइनों के निर्माण के लिए अभी सर्वेक्षण किया गया है। आगे का निर्णय, सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। खड़गपुर से मिदनापुर तक अतिरिक्त रेल लाइनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विकलांगों के लिए विशेष ओलम्पिक प्रतियोगिता

6357. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1991 में अमेरिका में विकलांगों के लिए विशेष ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी;

(ख) क्या इस ओलंपिक में भारत के विकलांग खिलाड़ियों ने भाग लिया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें क्या उपलब्धि मिली ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 19 सदस्यीय टीम ने 10.50 लाख रुपये की सरकारी लागत पर तैराकी, एथलेटिक्स और बास्केट बाल प्रतियोगिताओं के भाग लिया। भारतीय विशेष ओलम्पिक टीम ने 20 स्वर्ण, 10 रजत और 2 कांस्य पदक जीते।

मस्तिष्क-मलेरिया का जड़ी-बूटी औषधि से इलाज

6358. **श्री रवि राय** :

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने मस्तिष्क-मलेरिया का इलाज करने के लिए जड़ी-बूटी औषधि विकसित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने देश में मलेरिया रोगियों का उपचार करने हेतु इस औषधि का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। चीन की पारम्परिक चिकित्सा में कई शताब्दियों से आर्टेमिसिया हेन्नुआ जड़ी-बूटी का ज्वर और मलेरिया के उपचार के रूप में उपयोग किया गया है। 1971 में चीन के वैज्ञानिकों ने इस पौधे के पत्तेदार भाग से उस पदार्थ को पृथक् किया जो इसके विख्यात चिकित्सीय क्रिया के लिए उत्तरदायी है। इस मिश्रण को गिंघोसु कहा जाता है। इस मिश्रण को चीन में मलेरिया के हजारों रोगियों, जिनमें पी० फाल्सीपेरम की क्लोरोक्विन-संवेदनशील और क्लोरोक्विन-प्रतिरोधक प्रजातियां शामिल है, दोनों में ही सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि यह औषध चीन के बाजारों में बेची जाती है तथापि इस औषध को अभी सुरक्षित मूल्यांकन परीक्षण पास करना है और भारत के औषध नियंत्रण से विनियामक विधाक्तता क्लीएरेंस प्राप्त करनी है।

[हिन्दी]

"गुटका" में तेजाब की मात्रा की प्रतिशतता

6359. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "गुटका" में तेजाब की मात्रा अधिक प्रतिशतता में होती है;

(ख) क्या इस गुटका का सेवन करने वाले 90 प्रतिशत लोगों के मुख कैंसर, तपेदिक और पीलिया इत्यादि जैसी घातक बीमारियों के शिकार हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) गुटका एक तम्बाकू आधारित उत्पाद है। गुटका के उपलब्ध ब्रांडों पर यह सांविधिक घोषणा अंकित होती है कि "तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।"

[अनुवाद]

कैंसर के उपचार के लिए "फोटो डायनैमिक थेरेपी"

6360. **श्री माण्ये गोवर्धन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कुछ विकसित देशों में कैंसर के इलाज के लिए "फोटो डायनैमिक थेरेपी" का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भी इसका उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस "थेरेपी" का उपयोग भारत में भी करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) फोटोडायनेमिक थिरेपी कैंसर के इलाज का एक प्रायोगिक रूप है। भारत में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

होमियोपैथिक दवाओं का आयात

6361. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में होमियोपैथिक दवाओं का आयात करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इसका विक्रय मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है; और;

(ग) यदि नहीं, तो ये दवाएं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) होमियोपैथिक दवाइयों का आयात, आयात और निर्यात नीति, 1992-97 द्वारा विनियमित होता है जिसके अधीन होमियोपैथिक दवाइयां और औषधें आसानी से आयात की जा सकती हैं।

(ख) और (ग) होमियोपैथिक दवाइयां औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के अंतर्गत नहीं आती।

गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, दिल्ली

6362. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल की आधारशिला रखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्पताल की चहारदीवारी का निर्माण पहले ही कर दिया गया है। निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन का यथाशीघ्र संबंधित विभिन्न एजेंसियों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए साथ-साथ कार्रवाई करने का विचार है।

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थों में मोनो सोडियम ग्लूटोमेट

6363. **डा० आर० मल्लू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण आस्ट्रेलिया और अन्य विभिन्न देशों में किए गए कार्य की जानकारी है जिससे पता चला है कि खाद्य पदार्थों में मोनो सोडियम ग्लूटोमेट बच्चों में उच्च सक्रियता पैदा करता है;

(ख) क्या कई राष्ट्रों ने इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या नाम है तथा इस प्रतिबंध को लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ कम्पनियां नूडल्स में मोनो सोडियम ग्लूटोमेट मिलाती रही हैं और अब उन्होंने इसे सूपों में भी मिलाना शुरू कर दिया है, ये दोनों उत्पाद बच्चों में बहुत प्रिय हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) आस्ट्रेलिया, यू० एस० ए०, यू० के० तथा डेनमार्क में खाद्य पदार्थों तथा अन्तःशिरा उपयोग के जरिए मोनो सोडियम ग्लूटोमेट के उपभोग के प्रभाव पर किए गए अध्ययनों के आधार पर प्रकाशित कुछेक रिपोर्टों के अनुसार ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह पता चले कि खाद्य पदार्थों में मोनो सोडियम ग्लूटोमेट होने से बच्चों में, उनकी भूख में वृद्धि होने के सिवाय कोई उच्च सक्रियता पैदा होती है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, यू० एस० ए० यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश तथा दूरपूर्व के कई विकसित देश खाद्य पदार्थों में मोनो सोडियम ग्लूटोमेट के प्रयोग की अनुमति देते हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य पदार्थों में एक प्रतिशत तक मोनो सोडियम ग्लूटोमेट का इस्तेमाल करने की अनुमति है जिसका लेबल पर उल्लेख होना चाहिए। 12 महीने से कम आयु के शिशुओं के इस्तेमाल हेतु खाद्य पदार्थों में मोनो सोडियम ग्लूटोमेट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स नेस्ले इंडिया लि० सूपों में, उनके लेबल पर उल्लेख करते हुए, निर्धारित सीमा में मोनो सोडियम ग्लूटोमेट मिला रहे हैं; परन्तु नूडल्स में नहीं मिला रहे हैं। नूडलों तथा सूपों में मोनो सोडियम ग्लूटोमेट का इस्तेमाल करने वाली अन्य कम्पनियों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

देहरादून में बलपूर्वक नलबंदी के मामले

6364. **श्री गुरुदास कामत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देहरादून में महिलाओं की बलपूर्वक नलबंदी करने के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कमीशन पर काम करने वाले बैरों का सेवा दर्जा

6365. श्री अन्बारासु इरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान-पान विभाग में कमीशन पर काम करने वाले बैरों को वेतन-भोगी बैरों का दर्जा देने और उन्हें इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के दृष्टिगत वार्षिक वेतन-वृद्धि, बोनस तथा अवकाश-यात्रा रियायत भत्ता इत्यादि जैसे लाभ देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कमीशन पर काम करने वाले बैरे नियमित रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, अतः वे वार्षिक वेतन वृद्धि, बोनस आदि जैसे लाभों के पात्र नहीं हैं। बहरहाल, कमीशन पर काम करने वाले कुछ बैरों को उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास योजना

6366. श्री साईमन मरांडी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को लम्बे समय से नियमित रूप से उचित आहार नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समेकित बाल विकास कार्यक्रम के पोषक आहार के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी सहायता दी गई है;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस विभाग के अधिकारियों में लाल फीताशाही व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इन विभागीय अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना के अन्तर्गत पोषाहार प्रदान करने में किसी किस्म की कमी के बारे में किसी भी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश से फिलहाल कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ियों में उपयुक्त पोषाहार की अनियमित सप्लाई के बारे में सितम्बर, 1991 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दिल्ली में कुछ सप्लाई ठेके भी रद्द कर दिए गये

थे और आंगनवाड़ियों में पोषाहार की उपयुक्त सप्लाई बहाल करने के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की गई ।

भारत सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई। दिल्ली प्रशासन भी सतर्कता जांच करवा रहा है ताकि जिम्मेदारी निश्चित की जा सके । मामला न्यायालय में अनिर्णीत पड़े रहने और कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उत्तर प्रदेश में पोषाहार की सप्लाई में व्यवधान आया था । राज्य सरकार से तुरत सुधारात्मक उपाय किए जाने हेतु कहा गया था ।

31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 4, उत्तर प्रदेश में 62, बिहार में 14 और उड़ीसा में 10 परियोजनाओं सहित 256 परियोजनाओं में पोषाहार की सप्लाई में व्यवधान आया ।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा के पोषाहार घटक के वित्त पोषण का दायित्व राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन का है । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त सहायता के अलावा, भारत सरकार गेहूं आधारित पोषाहार योजना के माध्यम से भी सहायता देती है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लाभ प्राप्तकर्ताओं को पोषाहार प्रदान करने के बारे में वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं को सामान्यत: सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं । इन लाभों में पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा और स्कूल-पूर्व शिक्षा की सामूहिक सेवाए शामिल है। विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत सरकार ने 21 फरवरी, 1991 से यूनिट लागत में निम्नानुसार संशोधन किया है :

	पुरानी दरें	संशोधित दरें
1. बच्चे (6 महीने से 72 महीने)	65 पैसे प्रति बच्चा/प्रतिदिन	95 पैसे प्रति बच्चा/प्रति दिन
2. गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6 महीने से 72 महीने)	115 पैसे प्रति बच्चा/प्रति दिन	135 पैसे प्रति बच्चा/प्रति दिन
3. गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं	95 पैसे प्रति लाभ प्राप्तकर्ता प्रति दिन	115 पैसे प्रति लाभ प्राप्तकर्ता प्रति दिन

भारत सरकार, मासिक और तिमाही आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली के जरिए इस कार्यक्रम का प्रबोधन कर रही है । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी उत्तरदायी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जाता है ।

(ङ) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इस मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है। इसके

अलावा, सेवाओं की गुणवत्ता मे सुधार करने के लिए भारत सरकार ने सरकार के विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ यह मुद्दा उठाया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ियों में ही संकेन्द्रित किया जाए। परिणामस्वरूप, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को उपयुक्त निर्देश जारी किए गए। सरकार यह मामला विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उठा रही है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा और गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में समेकित बाल विकास सेवा लाभ प्राप्तकर्ताओं को दी जा रही सहायता दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	कुल लाभ प्राप्तकर्ता (संख्या लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.73
2.	असम	3.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	बिहार	9.18
5.	गोआ	0.02
6.	गुजरात	10.52
7.	हरियाणा	0.77
8.	हिमाचल प्रदेश	0.33
9.	जम्मू और कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	10.67
11.	केरल	6.82
12.	मध्य प्रदेश	13.87
13.	महाराष्ट्र	16.35
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	0.03
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैण्ड	—

1	2	3
18.	उड़ीसा	17.00
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	7.92
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	1.79
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	15.62
25.	वैस्ट बंगाल	13.07
26.	आर० के० मिशन	0.10
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.18
28.	चण्डीगढ़	—
29.	दादर और नागर हवेली	0.04
30.	दिल्ली	—
31.	दमन और द्वीप	0.03
32.	लक्षद्वीप	—
33.	पाण्डेचेरी	0.44
	कुल	149.97

[अनुवाद]

ग्रामीण शिक्षा पर बल

6367. **श्री द्वारका नाथ दास :**
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच विसंगतियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण शिक्षा पर विशेष बल देने का है ताकि इसे व्यवसायिक और रोजगारोन्मुख बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एन० पी० ई०) और इसके अनुसरण में प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों में शैक्षिक अवसरों को समान बनाने, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, ग्रामीण कार्य साधक साक्षरता कार्यक्रम, विशेष साक्षरता अभियान, शिक्षा का व्यावसायीकरण, सामुदायिक पालिटेक्नीक और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने जैसे कार्यक्रमों के लाभग्राही मुख्य रूप से ग्रामीण है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

महाराष्ट्र में जुदपी जंगल

6368. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री रामचन्द्र घंगारे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में जुदपी जंगल को, जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे से बाहर निकालने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र के राजस्व रिकार्डों में "जुदपी जंगल" के रूप में दिखाई गई भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि मानी जाती रहेगी। राज्य सरकार इस प्रकार की भूमि को "भूमि बैंक" के अन्तर्गत ले लेगी और इसका उपयोग तत्कालीन विदर्भ क्षेत्र के पांच जिलों, अर्थात् चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नागपुर, वर्धा तथा भंडारा से प्राप्त होने वाली वन भूमि के वनेतर प्रयोजनों के इस्तेमाल से सम्बन्धित प्रस्तावों के बारे में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए करेगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

6369. **श्री अनन्त वेंकट रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल के प्रस्तावित स्थान सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव में ऐसे विद्यालय को खोलने संबंधी सभी पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने की बात निहित है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(ङ) इस बारे में देरी के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव मिले हैं :

(1) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) रजामुंद्री।

(2) रेलवे बोर्ड, गूटी।

(3) ए० ओ० सी० केन्द्र, तिरमुलगेरी (सिकंदराबाद)।

(4) एस० के० विश्वविद्यालय, अनन्तपुर।

केन्द्रीय विद्यालयों को खोले जाने के लिए पहले दो प्रस्ताव पूर्वापेक्षाओं को संतुष्ट करते हैं।

(घ) और (ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०), रजामुंद्री में वर्ष 1991-92 के दौरान पहले ही केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किया जा चुका है। जब तक आठवीं योजना अवधि के लिए अनुमोदित स्कीम का भावी विस्तार नहीं हो जाता, तब तक केन्द्रीय विद्यालय, गूटी पर विचार नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक संगठनों को सहायता

6370. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री काशीराम राणा :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए निधियों का प्रावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सांस्कृतिक संगठनों को निधियों का राज्यवार विशेष आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, संस्कृति विभाग, जो विभिन्न योजनाएं चलाता है, उनके अधीन वह विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

खाद्यान्नों का आयात

6371. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी मात्रा में दालें आयात करने का विचार है और इस पर रुपए में कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ख) क्या आयातित मदों पर मूल्यों के अलावा कोई कमीशन भी दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो दालों के आयात पर कितना कमीशन दिया जाता है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अधीन दालों का मुक्त आयात करने की इजाजत है। अत: 1992-93 और 1993-94 के दौरान दालों का आयात करने की संभावित मात्रा और उस पर होने वाले संभावित व्यय के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

महिला एवं शिशु विकास के बारे में सम्मेलन

6372. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22-23 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में महिला एवं शिशु विकास के केन्द्रीय और राज्य प्रभारी अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए और इन पर क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां। महिला एवं बाल *विकास के प्रभारी राज्य सचिवों और निदेशकों की एक बैठक 22 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों और अन्य सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।*

(ख) और (ग) बैठक में जिन प्वाइंट्स/मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मुख्य सिफारिशों में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों के अधिक कारगर कार्यान्वयन और प्रबोधन के लिए तथा सुसगत कार्यक्रमों और मुद्दों पर नियमित फीडबैक के लिए महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में एक डाटा बेस तैयार करने के लिए उपाय करना शामिल है। कार्यान्वयन एजेंसियों से अनुरोध किया गया कि वे महिला एवं बाल विकास

विभाग द्वारा वित्तपोषित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यकरण को सरल बनाएं और विभाग की योजनाओं में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन संगठनों से सम्पर्क बनाए रखें। "किशोर लड़कियों के लिए योजना" जैसे कुछ नए कार्यक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया गया। "किशोर लड़कियों के लिए योजना" के कार्यान्वयन का कार्य चुने हुए ब्लाकों में 1991-92 की आखिरी तिमाही के दौरान आरम्भ कर दिया गया है।

विवरण

दिनांक 22 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित की गई महिला एवं बाल विकास के प्रभारी राज्य सचिवों और निदेशकों की बैठक में उठाए गए प्वाइंट्स/मुद्दे

महिला आयोग

1. दक्षेश बालिका दशक।
2. अनैतिक पणन दमन अधिनियम (आई० टी० पी० ए०) के अन्तर्गत संचालित संरक्षण गृहों/नारी निकेतनों के सुदृढ़ीकरण की योजना।
3. महिला विकास निगम।
4. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन और उनकी पुनः संरचना करना।
5. अल्पावास गृह।
6. दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता योजना।
7. महिला विकास के केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रबोधन और पर्यवेक्षण।
8. दहेज मृत्यु और महिलाओं के प्रति अन्य किस्म के अत्याचारों के आंकड़ों पर संकेंद्रण करते हुए सूचना प्रणाली तैयार करना।

पोषाहार और बाल विकास

9. समेकित बाल विकास सेवाएं

क. प्रशासनिक मुद्दे

ख. पोषाहार

ग. स्वास्थ्य

घ. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा सेवाएं

ङ. आंगनवाड़ी स्तर पर विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए अभिप्रेत अन्य कार्यक्रमों का संकेन्द्रण

च. सामुदायिक सहभागिता

छ. समेकित बाल विकास सेवा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

ज. किशोर लड़कियों

झ. अन्य महत्वपूर्ण लम्बित मुद्दे।

10. गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम :

क. मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना

ख. केन्द्रीय समेकित बाल विकास सेवा परियोजना में कार्यक्रम का कार्यान्वयन

ग. योजना के अन्तर्गत गेहूं और धनराशि का उपयोग करना

घ. विहित सीमा बनाए रखना।

11. केयर/विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता प्राप्त पोषाहार कार्यक्रम :

क. खाद्य प्रबन्धन-लोजिस्टिक्स

ख. खाद्य सामग्री तैयार करना और उसका वितरण

ग. उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी न किया जाना

घ. खाली डिब्बों/बोरियों के विक्रय से प्राप्त धन (केयर/विश्व खाद्य कार्यक्रम)

ङ. केयर/डब्ल्यू० एफ० पी० खाद्य सामग्री की उपयोगिता

च. लेखापरीक्षा रिपोर्ट

छ. पोषण सम्बन्धी व्यवधान।

12. शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र

13. बाल कल्याण

क. राज्य बाल बोर्ड

ख. राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार

ग. यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड विक्रय अभियान

घ. भारत सरकार और यूनिसेफ कार्य योजना, 1991-95 के अन्तर्गत स्वयंसेवी एजेंसियों को वित्तीय सहायता।

ङ. प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा।

14. बाल उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर विश्व घोषणा और कार्ययोजना।

भारतीय खाद्य निगम का विकेन्द्रीकरण

6374. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका विकेन्द्रीकरण कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में पर्याप्त विकेन्द्रीकरण है। इस सम्बन्ध में मुख्य पहलू नीचे दिए जाते हैं:

(1) खाद्यान्नों की वसूली अधिकाशतः राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधी वसूली अपेक्षाकृत बहुत कम की जाती है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का वितरण अधिकांशतः राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

(3) खाद्यान्नों के लिए अपेक्षित भंडारण क्षमता केवल आंशिक रूप से भारतीय खाद्य निगम की अपनी है। भारतीय खाद्य निगम की शेष आवश्यकताओं को केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों, आदि जैसी अन्य एजेन्सियों द्वारा पूरा किया जाता है।

(4) भारतीय खाद्य निगम का संगठनात्मक ढांचा जोनों, क्षेत्रों और जिलों में विकेन्द्रीकृत है। निगम के कार्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त व्यक्तियों का प्रत्यायोजन क्रमिक स्तरों पर प्रबन्धकीय कार्मिकों में किया गया है।

भारत-शास्त्र संबंधी संस्थान

6375. **डा० रमेश चन्द्र तोमर** :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री काशीराम राणा :
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संस्कृत तथा अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में, भारत शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में स्रोतों के आदान-प्रदान की सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय भारत शास्त्र संस्थान (इन्टरनेशनल इंस्टीटयूट आफ इन्डोलोजी) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने कुछ समय पूर्व एक अन्तर्राष्ट्रीय भारत शास्त्र संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की थी, परन्तु उसे बहुत निम्न वरीयता दी गई थी। अतः यह फैसला किया गया था कि ऐसे किसी संस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला

6376. **श्री बी० देवराजन** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले के लिए निर्धारित नियमों का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में किन-किन मानदण्डों का पालन किया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : 1. केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से भारत सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए होते हैं और प्रारम्भिक सात वर्षों में स्थान परिवर्तन को स्थानान्तरण मामला समझा जाता है।

2. असैनिक और रक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं :

(i) रक्षा कर्मचारियों, सी० आर० पी० एफ०/बी० एस० एफ०/एस० पी० जी०/सी० आई० एस० एफ०/एन० एस० जी०, अखिल भारतीय सेवाओं और भारतीय विदेश सेवाओं के कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे, संसद सदस्यों के बच्चे और आश्रित पौत्र, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चे और युद्ध के दौरान मारे जाने वाले रक्षा कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iii) केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iv) अन्य बढ़ती आबादी के बच्चे जिसमें ऐसी आबादी शामिल है जो केन्द्रीय विद्यालयों में चलाई जा रही अध्ययन की पद्धति में शामिल होने के इच्छुक हैं।

3. परियोजना क्षेत्र में दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं हैं :

(i) उच्च शिक्षा संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जो विद्यालय के भवन और उपस्करों और कर्मचारियों के सभी आवर्ती और अनावर्ती खर्च वहन करते हैं, के कर्मचारियों के बच्चे और सम्बद्ध केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के बच्चे।

(ii) रक्षा/सी० आर० पी० एफ०/बी० एस० एफ०/बी० आर० टी० एफ०/एस० पी० जी०/सी० आई० एस० एफ०/एन० एस० जी० कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं और भारतीय विदेश सेवाओं के कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित अन्य स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iv) रक्षा/सी० आर० पी० एफ०/बी० एस० एफ कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(v) अन्य बढ़ती आबादी के बच्चे जिसमें ऐसी नागरिक आबादी शामिल है जो केन्द्रीय विद्यालयों में चलाई जा रही अध्ययन की पद्धति में शामिल होने के इच्छुक हैं।

4. अ० जा० और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए दाखिले के लिए क्रमश: 15% और साढ़े सात प्रतिशत तक आरक्षण है।

5. केन्द्रीय विद्यालयों में उपयुक्त मामलों में बच्चों को बिना किसी संवर्ग के आधार पर दाखिला देने के लिए अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति लेकर आयुक्त अधिकार का प्रयोग करता है।

माल-चंगराबंधा रेल लाइन (पश्चिम बंगाल)

6377. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में माल-चंगराबंधा मीटर-गेज लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान इस लाइन के विकास और रखरखाव के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में धनराशि के उपयोग संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दोमोहानी-चंगराबंधा के बीच मीटर लाइन को पुन: चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधाएं

6378. **श्री बी० कृष्णा राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं वर्ग 'घ' के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों को विधवाओं को एक सहायक सहित पास की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस समय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को दो योजनाओं के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन सुविधाओं को समय-समय पर उदार बनाया गया है।

जहां तक ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों तथा मृतक रेल कर्मचारियों की विधवाओं को पास

सुविधा दिए जाने का संबंध है, उन्हें पात्र होने पर पास दिए जाते हैं। बहरहाल मृतक रेल कर्मचारियों की विधवाओं को दिए जाने वाले पासों में एक सहायक को शामिल करने की अनुमति देने से व्यापक प्रतिक्रिया का अन्देशा होने के कारण, ऐसा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनें

6379. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य मे नई रेल लाइनें बिछाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) राज्य में बिछाई जा रही अन्य रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव फर्रुखाबाद से हरदोई/संडीला तक नई लाइन के लिए था जिस पर अलाभप्रद होने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

(ग) (i) गुना-इटावा नई लाइन (आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में)

(ii) मथुरा-अलवर नई लाइन (आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में)

(iii) रामपुर-न्यू हल्द्वानी नई लाइन।

(iv) बगहा-छितौनी (पुनः स्थापन) (आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में)

[अनुवाद]

बच्चों का प्रतिरक्षीकरण

6380. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान विस्तृत प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के प्रतिरक्षीकरण हेतु प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यवार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत डिप्थीरिया पर्टुसिस

टेटनस (डी० पी० टी०) और ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ०पी०वी०) की 3-3 खुराकें, बी० सी० जी० की एक खुराक और खसरे के वैक्सीन की एक खुराक देकर शत-प्रतिशत शिशुओं को रोग प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य है। 1991-92 के दौरान (फरवरी 92 तक) देश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों की रिपोर्ट की गई उपलब्धि प्रतिशत में नीचे दी गई है :

डी० पी० टी०	—	74.67
ओ० पी० वी०	—	75.59
बी० सी० जी	—	78.30
खसरे का टीका	—	69.55

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और 1991-92 (फरवरी 92 तक) के वार्षिक लक्ष्य के प्रतिशतांश के रूप में रिपोर्ट की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिशु लक्ष्य	सूचित की गई उपलब्धि, लक्ष्य के प्रतिशतांश के रूप में 1991-92 (फरवरी 92 तक)			
		डिफ्थीरिया पर्टुसिस टेटनस (डी०पी० टी०)	ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ०पी० वी०)	क्षयरोग (बी०सी० जी०)	खसरा (एम० एस० एल०)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश*	1403400	85.95	85.72	90.32	76.96
असम	581888	69.10	69.35	74.62	62.10
बिहार	2700631	44.75	45.95	41.50	41.74
गुजरात	1110557	80.01	80.73	84.46	77.47
हरियाणा	434050	84.38	91.83	101.67	85.05
कर्नाटक	1148400	84.89	85.08	91.45	75.63
केरल	561785	93.25	95.40	104.11	80.98
मध्य प्रदेश	2219000	64.54	64.67	64.87	63.63
महाराष्ट्र	2074560	90.93	91.68	95.10	82.96
उड़ीसा	795000	78.27	78.49	94.93	68.82

1	2	3	4	5	6
पंजाब	517000	105.05	106.63	92.55	94.23
राजस्थान	1387590	69.15	69.49	68.29	68.16
तमिलनाडु	1224067	85.65	86.30	97.62	83.75
उत्तर प्रदेश	4641959	81.37	82.12	80.35	76.50
पश्चिम बंगाल	1672375	64.71	67.33	76.62	57.52
हिमाचल प्रदेश	131000	85.56	85.94	89.26	78.68
जम्मू और कश्मीर***	213452	26.21	26.17	34.71	20.97
मणिपुर	41816	68.96	69.31	81.96	60.62
मेघालय*	37643	53.91	55.14	76.04	33.53
नागालैंड**	25953	34.13	32.92	21.72	34.29
सिक्किम	11120	74.60	75.13	81.29	60.53
त्रिपुरा	62719	39.21	39.38	58.05	34.69
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6600	94.11	95.26	95.39	80.24
अरुणाचल प्रदेश	16000	70.47	68.84	88.21	50.44
चंडीगढ़**	13431	67.47	69.58	99.43	67.24
दादरा और नगर हवेली	4198	84.33	84.33	101.33	75.46
दिल्ली*	245336	64.69	67.08	90.35	63.30
गोआ	19107	101.10	98.95	111.18	86.26
दमण और दीव	1659	149.25	162.51	123.27	85.23
लक्षद्वीप	1562	79.00	79.13	74.52	78.87
मिजोरम	15132	101.11	117.20	119.90	89.61
पांडिचेरी	15078	112.42	112.75	179.07	102.80
अखिल भारत	23334038	74.67	75.59	78.30	69.55

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

* : जनवरी तक के आंकड़े।

** : दिसम्बर तक के आंकड़े।

*** : सितम्बर तक के आंकड़े।

यूथ होस्टल

6381. श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण :
श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यूथ होस्टलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने यूथ होस्टल बनाने का प्रस्ताव है तथा ये कहां बनाए जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) देश में राज्यवार कार्यरत युवा छात्रावासों की संख्या निम्नलिखित है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	1
2. अरुणाचल प्रदेश	1
3. असम	1
4. बिहार	1
5. गोवा	1
6. गुजरात	1
7. हरियाणा	2
8. हिमाचल प्रदेश	1
9. जम्मू और कश्मीर	1
10. कर्नाटक	2
11. केरल	3
12. मध्य प्रदेश	1
13. महाराष्ट्र	1
14. मणिपुर	1
15. मेघालय	2
16. नागालैंड	1
17. उड़ीसा	1
18. पंजाब	2
19. राजस्थान	2
20. सिक्किम	1
21. तमिलनाडु	2

22. उत्तर प्रदेश	2
23. पश्चिम बंगाल	1
संघ शासित क्षेत्र	
24. अंडमान और निकोबार	1
25. पांडिचेरी	1
कुल	34

(ख) सरकार ने 57 और युवा छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी पहले ही दे दी है, जिनमें 33 निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा युवा छात्रावास योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। निर्माण किए जाने वाले युवा छात्रावासों की संख्या और स्थान के बारे में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों की मृत्यु

6382. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिसम्बर, 1990 से आज तक 'एनेस्थेसियोलॉजी इन्टेन्सिव केयर यूनिट' में भर्ती होने के पश्चात् महीने-वार कितने-कितने रोगियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या ऐसी मौतें होने के कारण की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ऐसी मौतें न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) नेमी तौर पर सभी मौतों की जांच नहीं की जाती। परन्तु उनकी संबंधित सलाहकारों द्वारा समीक्षा की जाती है। तथापि, जब कोई शिकायत आती है तो मौत के कारण की छानबीन करने के लिए विशेष जांच समितियां गठित की जाती हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में हुई अप्राकृतिक मौतों की छानबीन करने के लिए मेडिकल ऑडिट समिति गठित की है।

विवरण

गहन परिचर्या यूनिट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

माह और वर्ष	कुल रोगी	बचाए गए	मृत
दिसम्बर, 1990	22	27	5
जनवरी, 1991	16	11	5
फरवरी, 1991	15	12	3
मार्च, 1991	23	20	3
अप्रैल, 1991	37	33	4
मई, 1991	30	25	5
जून, 1991	20	13	7
जुलाई, 1991	19	12	7
अगस्त, 1991	30	24	6
सितम्बर, 1991	37	26	11
अक्तूबर, 1991	26	17	9
नवम्बर, 1991	16	9	7
दिसम्बर, 1991	25	21	4
जनवरी, 1992	26	21	5
फरवरी, 1992	23	20	3
कुल :	365	281 (77%)	84(23%)

हरियाणा में साक्षरता

6383. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में वर्ष 2000 तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक योजना 'लोक जुम्बिश' चलाई गई है;

(ख) क्या 'स्वडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी' द्वारा उक्त योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रकार की योजना अन्य राज्यों में भी चलाए जाने और उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से राजस्थान में लोक जुम्बिश नामक एक नवाचारी शैक्षिक परियोजना को सहयोग देने में रुचि दिखाई थी। इस परियोजना का मूल उद्देश्य लोगों की सक्रियता और उनकी सहभागिता के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस समय इस परियोजना पर स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से बातचीत की जा रही है।

इस प्रकार की एक परियोजना को बिहार में यूनीसेफ की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अनेक राज्यों मे संपूर्ण साक्षरता अभियानों को सहयोग दे रहा है।

चीनी का भंडार

6384. **श्री पी० सी० नारायणन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 1 अक्तूबर, 1991 की स्थितिनुसार देश में चीनी का प्रारम्भिक भंडार कितना है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उसके अनुमानित उत्पादन, आयात-निर्यात और खपत की मात्रा की स्थिति क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 1 अक्तूबर, 1991 को चीनी फैक्ट्रियों के पास चीनी का प्रारंभिक भंडार 34.26 लाख टन (अनंतिम) था।

(ख) वर्ष 1991-92 के चालू मौसम (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन, आयात-निर्यात और खपत की स्थिति निम्न प्रकार है।

		(मात्रा लाख टन) (अनुमान)
1. चीनी का उत्पादन	—	120.00
2. आयात	—	शून्य
3. निर्यात	—	6.00
4. आंतरिक खपत	—	114.00

रद्दी लोहा

6385. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में प्रत्येक वर्ष लोहे की कितनी मात्रा व्यर्थ जाती है और इसे रद्दी के तौर पर बेच दिया जाता है;

(ख) पिछली बार इसकी बिक्री किस दर की गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रद्दी लोहे को रेलवे विभाग के ढलाई कारखानों में पिघलाकर पुनः प्रयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों द्वारा बेची जाने वाली फेरस स्क्रैप की मात्रा हर वर्ष अलग-अलग होती है। 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (फरवरी, 92 तक) के दौरान की गई बिक्री इस प्रकार है :

(मीट्रिक टन में)

वर्ष	बेची गयी फेरस स्क्रैप (अनुमानित मात्रा)
1989-90	429986
1990-91	486673
1991-92 (फरवरी, 92 तक)	494429

(ख) जिस दर से स्क्रैप की बिक्री की जाती है वह स्क्रैप की किस्म, उसकी हालत, स्थान आदि पर निर्भर करती है। 1991-92 (फरवरी, 92 तक) में स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त औसत दर 6925 रु० प्रति टन बनती है।

(ग) से (ङ) रेलें लोहे की स्क्रैप की ऐसी मदों और मात्रा का हमेशा पुनः इस्तेमाल करती रही हैं जिनका रेलवे की फाउंडरियों में उपयोग हो सकता है और केवल बाकी बची स्क्रैप की ही बिक्री की जाती है।

[हिन्दी]

रींगस के लिए विशेष रेलगाड़ियां

6386. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रींगस में फाल्गुन के महीने होने वाले वार्षिक मेले में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विभिन्न महानगरों से रींगस स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रींगस में 13 मार्च से 18 मार्च, 1992 के दौरान श्याम जी खाटू मेले से सम्बन्धित यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिए गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए गए थे तथा रींगस से दिल्ली तक एक विशेष गाड़ी चलाई गई थी।

[अनुवाद]

स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख

6387. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त बजट-आबंटन के कारण दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं पर असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूली बच्चों से सम्बन्धित स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं पर इसका सर्वाधिक असर पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की व्यवस्था अनेक अभिकरणों, जैसे केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त संस्थाओं, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों और प्राइवेट संगठनों/व्यक्तियों आदि द्वारा की जाती है। औषधालय, परिधीय स्तर के छोटे अस्पताल, सरकार के नियंत्रणाधीन बड़े अस्पताल, स्वायत्त संस्थाएं और स्थानीय निकाय पहले की तरह रोगी परिचर्या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्कूली बच्चों सहित लोगों को प्रदान की जाने वाली बुनियादी चिकित्सा और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में कमी नहीं आई है।

[हिन्दी]

"एड्स" के रोगी

6388. **श्री भवानी लाल वर्मा** :
श्री पी० सी० थॉमस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार इस समय कितने व्यक्ति 'एड्स' के रोगी हैं;

(ख) इनमें से कितने रोगी विदेशी नागरिक हैं; और

(ग) इस घातक रोग के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अब तक वर्षवार और राज्यवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) देश में पहली फरवरी, 1992 को पूर्ण रूप से विकसित एड्स से 115 व्यक्तियों के पीड़ित होने की सूचना मिली है। इन 115 एड्स रोगियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एड्स के संक्रमित 13 व्यक्ति विदेशी थे और उन सबको वापस भेज दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एड्स से संक्रमित 76 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसका वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिया गया है।

विवरण

देश में विदेशियों को छोड़कर एड्स से हुई मौतों का राज्यवार और वर्षवार विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	वर्ष 1989	1990	1991	कुल	मौतें
1.	महाराष्ट्र	6	4	48	58	39
2.	दिल्ली	1	1	11	13	8
3.	तमिलनाडु	5	2	—	7	7
4.	हरियाणा	—	1	—	1	1
5.	पांडिचेरी	1	1	1	3	2
6.	पश्चिम बंगाल	—	1	—	1	—
7.	पंजाब	3	4	1	8	8
8.	मणिपुर	—	3	1	4	4
9.	केरल	1	1	—	2	2
10.	असम	—	1	—	1	1
11.	गोवा	1	0	0	1	1
12.	उत्तर प्रदेश	1	—	—	1	1
13.	जम्मू और कश्मीर	1	—	—	1	1
14.	गुजरात	—	1	—	1	1
	कुल योग	20	20	62	102	76

हाल्ट स्टेशन बनाना

6389. श्री राम टहल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में हाल्ट स्टेशन बनाने सम्बन्धी कितने जोनवार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कितने प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख)

रेलवे	1990-91 और 1991-92 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	1990-91 और 1991-92 के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	1990-91 और 1991-92 के दौरान अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
मध्य	27	5	22
पूर्व	40	6	20
उत्तर	25	3	22
पूर्वोत्तर	69	3	66
पूर्वोत्तर सीमा	2	—	1
दक्षिण	15	—	12
दक्षिण मध्य	18	3	6
दक्षिण पूर्व	32	—	22
पश्चिम	22	3	17

[अनुवाद]

मुक्त विद्यालय

6390. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक खोले गए मुक्त विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन विद्यालयों को केन्द्र सरकार सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) और मुक्त विद्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार अब तक देश में चार मुक्त विद्यालय—राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दिल्ली और आंध्र प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में एक-एक मुक्त विद्यालय स्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार केवल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को सहायता अनुदान देती है ताकि यह अपने खर्च पूरा कर सके। वर्ष 1991-92 के दौरान योजनागत के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपए और योजनेत्तर के अन्तर्गत 46.00 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था।

(घ) राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में मुक्त विद्यालय स्थापित करने की केन्द्र सरकार की कोई स्कीम नहीं है। राज्य सरकारें और संघशासित प्रशासन अपनी आवश्यकता के अनुसार मुक्त विद्यालय स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

6391. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरेलु :
श्री वी० धनंजय कुमार :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए राज्यवार, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा क्या उपलब्धि रही; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1991-92 के दौरान अब तक सूचित किए गए परिवार नियोजन के लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार और विधिवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गयी है। इसे जनवरी, 1992 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। इस कार्य योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्य योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनुसमर्थन में राष्ट्रीय सहमति तैयार करने और समाज के सभी वर्गों की इच्छित भागीदारी प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने में सुधार करना, 90 खराब कार्य निष्पादन वाले जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार जिनकी जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 अथवा इससे अधिक है) पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए विविधतापूर्ण नीति तैयार करना, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वास्तविक जन्म दर में कमी के आधार पर धन उपलब्ध करने के लिए तंत्र तैयार करना, जन्म अन्तराल की विधियों का तेजी से संवर्धन करके युवा आयु दम्पत्तियों की कवरेज में वृद्धि करना, नए गर्भनिरोधक शुरू करना और गर्भ निरोधकों की गुणवता में सुधार करना, शहरी क्षेत्रों विशेष रूप से गंदी बस्तियों में परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना, चिकित्सा/पैरा-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यकलापों को पुनर्जीवित करना जिसमें प्रेरक और परामर्शी पहलुओं पर बल दिया जाएगा, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को जारी रखना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

परिचर्या के लिए अन्य उपचारों का सुदृढ़ीकरण, सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को जीवन के मुद्दों और पारस्परिक संचार की गुणवत्ता पर केन्द्रित करने के लिए अभिमुख करना, कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करना, राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वयन तंत्र को तेज करना, और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उच्चस्तरीय अन्तरक्षेत्रीय समन्वय तंत्र तैयार करना। यह कार्य योजना 1992-93 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक मार्गदर्शी संघटक बनी रहेगी।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	नसबन्दी		आई० यू० डी० निवेशन		सी० सी० उपयोगकर्ता		मुख सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	
		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि§ (अप्रैल, 91 से फरवरी, 92 तक)	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि§ (अप्रैल, 91 से फरवरी, 92 तक)	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि§ (अप्रैल, 91 से फरवरी, 92 तक)	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि§ (अप्रैल, 91 से फरवरी, 92 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**प्रमुख राज्य (एक करोड़ अथवा इससे अधिक आबादी)**								
1.	आंध्र प्रदेश	600000	415411	450000	228182	1050000	871811	200000	180254
2.	असम	254000	51179	50000	25293	60000	38593	15000	10369
3.	बिहार	500000	113978	400000	77936	400000	76650	65000	26300
4.	गुजरात	270000	218327	430000	285057	800000	741174	110000	109083
5.	हरियाणा	104000	89047	168000	129391	480000	472839	26500	36170
6.	कर्नाटक	345000	274885	275000	209538	270000	241651	80000	80284
7.	केरल	160000	142250	125000	101099	300000	288492	35000	38434
8.	मध्य प्रदेश	375000	279034	375000	270173	1250000	943999	250000	241130
9.	महाराष्ट्र	525000	479232	480000	403893	1075000	1060102	325000	374784
10.	उड़ीसा	203000	124634	174000	131055	312000	254493	57000	55976
11.	पंजाब	100000	62808	300000	323830	500000	505246	50000	70609

12. राजस्थान	225000	146683	250000	130576	450000	327333	70000	52320
13. तमिलनाडु	350000	327040	450000	371303	280000	262302	100000	150181
14. उत्तर प्रदेश	820000	314548	1508000	722431	1615000	1517101	245000	237686
15. पश्चिम बंगाल	400000	270940	300000	131996	400000	290892	175000	105027
II. छोटे-छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र								
1. हिमाचल प्रदेश	35000	31120	59000	38914	60000	69953	14000	13996
2. जम्मू और कश्मीर	39000	2222***	16000	4432***	16000	6438***	4000	2020***
3. मणिपुर	7000	3612	8400	5170	8000	2700	4000	150
4. मेघालय	900	593*	1500	1688*	2700	1135*	900	1218*
5. नागालैंड	1600	560***	2500	477**	1000	16**	1040	69**
6. सिक्किम	1000	1099	1300	807	400	364	600	2038
7. त्रिपुरा	11000	4555	2300	1903	5000	2095	2300	3140
8. अण्डमान और निकोबार	1850	1596	1900	1660	1800	2363	600	524
9. अरुणाचल प्रदेश	2100	1175	2800	1992	900	1041	1400	1079
10. चंडीगढ़	2700	2422	7000	5310	11000	19251	300	281
11. दादरा और नागर हवेली	800	503	200	244	700	553	100	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	दिल्ली	37500	32859	82500	69240	315750	351163	6700	7643
13.	गोवा	4000	3635	3000	2946	12000	14581	2000	2190
14.	दमण और द्वीव	300	337	200	180	800	682	100	110
15.	लक्षद्वीप	80	23	170	132	1300	169	350	53
16.	मिज़ोरम	3000	3597	2700	1935	2000	1862	1000	1154
17.	पांडिचेरी	5000	7630	4000	3890	8000	11233	900	1035
III.	अन्य अभिकरण								
1.	रक्षा मंत्रालय	20000	16514	15000	12358	61400	185184	2600	4080
2.	रेल मंत्रालय	30000	23350	15000	11982	400000	333513	3700	4652
	वाणिज्यिक वितरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	6000000	3335333	800000	680852
	अखिल भारत	5433830	3447438	5956470	3706978	16150650	12232607	2650050	2495035

§ आंकड़े अनन्तिम हैं।

* जनवरी, 92 तक आंकड़े

** अक्तूबर, 91 तक आंकड़े

*** सितम्बर, 91 तक आंकड़े

[हिन्दी]

मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विस्तार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता

6392. श्री रामवीर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार और उनका विस्तार करने हेतु वर्ष 1991 में कोई सहायता प्रदान की थी; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई राशि का कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्राप्त की गई विदेशी सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	एजेंसी का नाम	प्राप्त की गई सहायता (लाख रुपए में)
1.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक निधि (यूनिसेफ)—	
	(क) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम	2753.00
	(ख) मुखीय पुनर्जलपूरण थिरेपी (ओ० आर० टी०) कार्यक्रम	10.00
2.	संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू० एस० एड) ओ० आर० टी० कार्यक्रम के लिए	3120.00
3.	विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू० एच० ओ०) ओ० आर० टी० कार्यक्रम के लिए	21.61
	योग :	5904.61

[अनुवाद]

प्रसूति अस्पताल

6393. प्रो० के० वी० थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय प्रसूति अस्पतालों की संख्या राज्यवार कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास उपलब्ध सूचना

के अनुसार 1-1-1987 को देश में प्रसूति अस्पतालों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रसूति अस्पतालों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	61
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	2
5.	गोवा	6
6.	गुजरात	335
7.	हरियाणा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू व कश्मीर	0
10.	कर्नाटक	32
11.	केरल	21
12.	मध्य प्रदेश	4
13.	मणिपुर	0
14.	मेघालय	0
15.	महाराष्ट्र	596
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	0
18.	उड़ीसा	2
19.	पंजाब	6
20.	राजस्थान	5
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	7
23.	त्रिपुरा	0

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	17
25.	पश्चिम बंगाल	38
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
27.	चंडीगढ़	0
28.	दादरा और नागर हवेली	0
29.	दमण और दीव	0
30.	दिल्ली	5
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	1
	योग	1082

भारतीय महिला फुटबाल फेडरेशन

6394. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय महिला फुटबाल फेडरेशन की मान्यता समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व फुटबाल निकाय (एफ० आई० एफ० ए०) ने निदेश दिया है कि महिला फुटबाल संरचना को सीधे ही राष्ट्रीय फुटबाल संघ अर्थात् अखिल भारत फुटबाल संघ के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि सभी फुटबाल कार्यकलापों का नियंत्रण राष्ट्रीय संघ द्वारा किया जा सके। मान्यता समाप्त कर दी गई थी क्योंकि भारतीय महिला फुटबाल संघ ऐसा करने में असफल रहा है।

[हिंदी]

केन्द्रीय भांडागार निगम के भांडागार

6395. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भांडागार निगम के कितने भांडागार अपने ही भवनों में स्थित हैं तथा ये भांडागार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) कितने भांडागार किराये के भवनों में स्थित हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) निगम प्रतिवर्ष कितना किराया दे रहा है;

(घ) क्या निगम अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार किराया अदा किया गया था :

1988-89	5.68 करोड़ रुपये
1989-90	6.91 करोड़ रुपये
1990-91	8.46 करोड़ रुपये

(घ) और (ङ) उपर्युक्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान भण्डारण क्षमता का औसत उपयोग 77 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न रहा।

विवरण

1-2-1992 को स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय भण्डारण निगम 488 ढके हुए भांडागार चला रहा था। इन गोदामों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

अपने गोदाम	किराये के गोदाम	आंशिक रूप से अपने और आंशिक रूप से किराये पर लिए गए गोदाम
क्रम सं० स्थान	क्रम सं० स्थान	क्रम सं० स्थान
1	2	3
गुजरात		
1. नाडियाड-1	1. बड़ौदा-2	1. राजकोट-2
2. सूरत-1	2. अहमदाबाद-2	2. कांडला-2
3. बड़ौदा-1	3. रानोली	3. सूरत-2
4. राजकोट-1	4. इशनपुर	
5. जामनगर	5. बजरथ (रनोली-2)	
6. भावनगर	6. वापी	

1	2	3
7. आनन्द	7. नाडियाड-2	
8. अहमदाबाद-1	8. अंकलेश्वर	
9. कांडला-1	9. बरेली	
10. बडोड	10. रणजीत नगर	
	11. मोरा	
	12. अदालाज	
कर्नाटक		
1. मंगलौर-1	1. के० आर० नगर	1. देवनगिरी
2. मंगलौर-2	2. सौन्दाट्टी	2. गडाग
	3. सेदाम	3. गुलबर्गा
	4. मैलहोगंल	4. बेलगाम
	5. बंगलौर-2	5. शिकारीपुर
	6. होशाहल्ली	6. बंगलौर-1
	7. पीनिया (बंगलौर)	
	8. बालागोला (मैसूर-1)	
	9. टुंकर	
	10. बंगलौर-5	
	11. शिव मोनी स्टील ट्यूब्ज लि०	
	12. बंगलौर-7	
	13. बंगलौर-9	
	14. एन० जी० ई० एफ० बंगलौर	
	15. बंगलौर-10	
	16. बोमनहल्ली (बंगलौर-4)	
	17. व्हाइट फील्ड	
	18. मैसूर-2	
	19. मैसूर-3	
केरल		
1. कोझीकोर्ड-1		1. त्रिचुर
2. कोचीन-1		
3. एर्णाकुलम		

1	2	3
4. कोचीन-2		
मध्य प्रदेश		
1. इन्दौर-1	1. भोपाल-2	1. रायपुर
2. माटापाड़ा	2. बीना	2. ग्वालियर-1
3. मोरेना	3. उज्जैन	3. इन्दौर-2
4. भोपाल-1	4. सोहागपुर	4. बालाघाट
5. शिवपुर कलां	5. जावाड़	5. रायगढ़
6. बिलासपुर	6. मनवार	6. बुरहानपुर
7. होशंगाबाद	7. ग्वालियर-2	7. नरसिंहपुर
8. भिंड	8. पीतमपुर (एच० एम०)	8. पीतमपुर
9. कटनी		9. मोरैना-2
10. खंडवा बेस डिपो		
11. इन्दौर-3		
12. मकसी		
13. इन्दौर-4		
14. रायपुर-2		
15. रायपुर-3		
16. समानार		
17. इन्दौर-5		
18. बिलासपुर-2		
19. रायगढ़-2		
20. रायपुर-4		
21. बुरहानपुर-2		
उड़ीसा		
1. जयपुर रोड	1. बेरहामपुर	1. बारगढ़
2. कटक	2. भुवनेश्वर	2. जयपुर
3. पारादीप पोर्ट	3. अस्का	3. सम्बलपुर
4. बेरहामपुर बेस डिपो		
महाराष्ट्र		
1. सांगली	1. बम्बई-1 (बोरीविल्ली)	1. अमरावती

1	2	3
2. वडाला आई० एंड ई०	2. बम्बई-2 (बे० शेड)	2. गोंडिया
3. मिराज	3. बम्बई-3 (एन० पार्क)	3. कोल्हापुर
4. एम० एस० जेठाप्लिथ	4. बम्बई-4 (ई० रोड)	4. अकोला
5. मिराज बेस डिपो	5. बम्बई-5 (टी० डब्ल्यू०-2)	5. नागपुर
6. बार्शी	6. बम्बई-8 (मंडुप-1)	6. नासिक (पंचवटी)
7. अम्बेड (नासिक)	7. बम्बई-9 (मुलद-1)	7. यवतमाल
8. पुणे-1	8. बम्बई-10 (अंधेरी)	8. नासिक रोड (नासिक)
9. कोल्हापुर-2	9. बम्बई-11 (डी० डब्ल्यू०-1)	9. चिकल थाना
10. कालमबोली	10. गोरेगांव	10. अम्बेरनाथ
	11. मुलंद-2	
	12. हिवास	
	13. करजा	
	14. मंडूप-2	
	15. तुर्भे	
	16. मरोल	
	17. बोरीविल्ली (एम०ए०एफ० कं०)	
	18. अहमदनगर	
	19. कंजुर मार्ग	
	20. पताल गंगा-1	
	21. वालुज	
	22. निमखेड़ी	
	23. पताल गंगा-2	
	24. पताल गंगा-3	
	25. पुणे-2	
	26. खपोली-1	
	27. पुणे-6	
	28. गांधीगलाव	
	29. वालुज-2	
	30. पुणे-5	

1	2	3
	31. मोहाने	
	32. खपोली-2	
	33. कलमेश्वर	
	34. नानदेड	
	35. पुणे-9	
	36. मीरा	
	37. सनासवाड़ी	
	38. एम० आई० डी० सी० नागपुर	
	39. वासिंद	
	40. मंडुप-3	
	41. एम० आई० डी० सी० जलगांव	
	42. अम्बेर नाथ-2	
	43. सुकेली	
	44. पुणे-10	
	45. मयानडेर	
	46. वार्धी	
	47. वाशी-3	
	48. पुणे-11	
	49. लोटे परशुराम	
	50. तारापुर	
	51. खोपाली-3	
	52. मीरा-2	
	53. मोकरपाडा	
	54. काजूपाड़ा	
	55. अंजनगांव	
	56. सी० एफ० एस० जे० एन० पी०	

गोआ

1. मोरमुगांव

2. एयर कारगो गोआ

1	2	3
पश्चिम बंगाल		
1. कूच बिहार	1. चुसुरी	
2. बर्दमान-3	2. नीमक महल रोड	
3. बरहामपुर	3. श्याम नगर-1	
4. कलकत्ता (आई० ई०)	4. रिसरा	
5. हल्दिया	5. बेलूर	
6. पांचपाड़ा	6. रामाकृष्णापुर	
7. साकुल	7. मजोरहाट	
8. सारंगाची	8. मेटिया बुर्ज-1	
9. फाल्टा	9. मेटिया बुर्ज-2	
10. दुर्गचाक	10. बड़ानगर	
	11. सेरामपुर	
	12. मल्लापुर	
	13. कलकत्ता बान-हुगली	
	14. विष्णुपुर	
	15. शिराकुल्ली	
	16. बोलपुर	
	17. चन्द्र कोना रोड	
	18. स्ट्रेंड बैंक रोड	
	19. बेल्डा	
	20. बेथुधारी	
	21. हावड़ा	
	22. लेक डिपो	
	23. बर्दवान-2	
	24. बागडोगरा	
	25. अगरपाड़ा	
	26. चतकाल	
	27. सरकारपूल	
	28. बज-बज	
	29. बिराटी	

1	2	3
	30. सुकचार	
	31. महेशतला	
	32. मेचना	
	33. दुर्गापुर	
	34. केयापुकुर	
हरियाणा		
1. नरवाना	1. असंध	1. करनाल-1
2. चरखी दादरी	2. नारायणगढ़	2. सोनीपत
3. मंडी आदमपुर	3. फरीदाबाद	3. हिसार
4. करनाल-3	4. करनाल-2	4. हन्सी
	5. कालका	5. गुड़गांव
	6. पानीपत	
	7. रोहतक	
	8. निसांग	
	9. सतरोदखुर्द	
	10. बल्लभगढ़ (बांडेड)	
	11. फरीदाबाद-2	
	12. धारूहेड़ा	
हिमाचल प्रदेश		
1. सोलन		
2. मंडी		
पंजाब		
1. मनसा	1. अमृतसर-2	1. मोगा-1
2. अमृतसर-1	2. पठानकोट	2. अबोहर-1
3. गढ़ शंकर	3. अमृतसर-3	3. रोपड़
4. नाभा	4. अमृतसर-4	4. लुधियाना-1
5. होशियारपुर	5. दसुआ	5. मुक्तेश्वर
6. एयर कार्गो अमृतसर	6. मोर मंडी	6. फाजिल्का-1
7. पठानकोट बेस डिपो	7. मुल्लानपुर	7. सरहिन्द

1	2	3
8. भोजपुर	8. टांडाउमर	8. गुरदासपुर
9. अमृतसर बेस डिपो	9. अबोहर-3	9. मोगा-2
10. नाभा बेस डिपो	10. अबोहर-2	10. चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
	11. मोगा-3	
	12. मोगा-4	
	13. अजीतवाल	
	14. फाजिल्का-2	
	15. मोहाली	
राजस्थान		
1. श्रीगंगानगर	1. जयपुर	1. कोटा
2. हनुमानगढ़	2. उदयपुर	
3. कोटा-2	3. अलवर	
	4. ओझाडा	
	5. पृथ्वीपुरा	
	6. भिवाड़ी	
दिल्ली		
1. दिल्ली-1 (आर०पी० बाग)	1. शाहदरा	1. ओखला-1
2. कीर्ति नगर	2. सफदरजंग फ्लाई ओवर	2. नरेला
3. ओखला-2	3. मारेम्स रोड	
4. पटपड़गंज	4. उत्तम नगर	
	5. लिबासपुर	
	6. ओखला-3	
	7. महरौली	
	8. मारुती उद्योग	
असम		
1. गुवाहाटी	1. सिपाझार	
2. धुबरी		
3. जोरहाट		

1	2	3
4. जोरहाट-2		
5. सरभोग		
मिजोरम		
1. आइजोल		
मणिपुर		
	1. इम्फाल	
नागालैंड		
1. दीमापुर		
त्रिपुरा		
1. अगरतल्ला		
2. सी० एस० अगरतला		
बिहार		
1. किशनगंज	1. हजारीबाग रोड	1. पटना
2. हजारीबाग	2. देहरी-आन-सोन	2. रांची
3. मोकामेह	3. देवघर	3. समस्तीपुर
4. मोहनिया	4. धनबाद	4. कटिहार
	5. पतरातु	5. लोखा
		6. मुंगेर
		7. दरभंगा
		8. जमशेदपुर
		9. मुस्सलापुर
आन्ध्र प्रदेश		
1. गंटूर	1. हैदराबाद-2	1. वारांगल
2. निजामाबाद	2. कुकटपल्ली	2. जनगांव
3. अदोनी	3. सरूरनगर	3. ओंगोले
4. हैदराबाद-1	4. चितयाल	
5. डुग्गीराला	5. चिलकलुरीपेट	
6. विजयवाड़ा	6. बालानगर टाउनशिप	

1	2	3
7. सारंगपुर	7. सन्तनगर	
8. बोधान	8. मौलाली	
9. मसुलीपटनम	9. पट्नचेरू	
10. रेणीगुंटा	10. वाडीसलेरू	
11. निदामानूर	11. मेदामतला	
12. राजमुन्दरी	12. गुंटूर-4	
13. नन्दियाल	13. विजयवाड़ा-3	
14. गुडीवाडा	14. जहीराबाद	
15. सूर्यपेट	15. वयरा	
16. नेल्लोर	16. मौलाली-2	
17. टाडेपल्लीगुडेम	17. तूरंगी	
18. सिद्दीपेट	18. सी० एफ० एस० हैदराबाद (सन्तनगर)	
19. वाडलामुडी	19. कोटा वालसा	
20. करीमनगर		
21. महबूबनगर		
22. मेडक		
23. गुड्डप्पा		
24. जी० एस० हैदराबाद		
25. विशाखापत्तनम		
26. कैकलूर		
27. गंटूर बेस डिपो		
28. नन्दी कोटकुर		
29. अंकपल्ली		
30. अदिलाबाद		
31. विशाखापत्तनम-2		
32. विजयवाड़ा-2		
33. सेतनापल्ली		
34. विजयवाड़ा बी० डी०		

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1. चन्दौसी	1. गाजियाबाद-2	1. रामपुर
2. बांदा	2. गोरखपुर-1	2. सहारनपुर
3 मुजफ्फर नगर	3. ऋषिकेश	3. मोहननगर (गाजियाबाद)
4. जहांगीराबाद	4. देवबन्द	4. इटावा
5. शामली	5. मुजफ्फर नगर-2	5. काशीपुर
6. शाहजहांपुर-1	6. शाहजहांपुर-2	6. लखनऊ
7. बाजपुर	7. कानपुर	7. चिरगांव
8. झांसी	8. राय बरेली	8. बहराइच
9. बस्ती	9. मोदीपुरम	9. खटीमा
10. फैजाबाद	10. एस० आई० एल० लखनऊ	10. लखनऊ-2
11. हरदोई	11. वीरभद्र	
12. बलिया	12. एच० ए० एल० लखनऊ	
13. शाहगंज	13. मोदी जीरोक्स लिमिटेड	
14. दादरी	14. गौरीगंज-2	
15. गोला गोकरननाथ	15. आई० आई० टी० मनकापुर	
16. साहिबाबाद-2	16. मौरानीपुर	
17. राबर्ट्सगंज	17. मोहबा	
18. गाजियाबाद-1	18. सूरजपुर-2	
19. मुजफ्फरनगर बी० डी०	19. एच० ए० एल० कानपुर	
20. बिलासपुर		
21. सहारनपुर बी० डी०		
22. नोएडा		
23. डुमरियागंज		
24. जसपुर		
25. बिजनौर		
26. नेवली बेस डिपो		
27. गोरखपुर-2		
तमिलनाडु		
1. मद्रास-1 (आर० पुरम)	1. उदुमलपेट	1. मदुरै-1

1	2	3
2. कोयम्बेतूर	2. मद्रास-3 (टी० पेट)	2. अम्बाटूर
3. विरूधुनगर	3. त्रियुपत्तुर	
4. कुम्बा कोनम	4. कलमंडपम	
5. क्रोमपेट	5. ओटेरी	
6. त्रिची-1	6. तोलगेट	
7. थंजावूर	7. सेलम स्टील प्लांट	
8. मनारगुडी	8. त्रिची-2	
9. मदुरै-2	9. [illegible]	
10. इरोडे-1	10. [illegible]	
11. मद्रास-4 (बी० बी०)	11. कोवियापुडुर	
12. चिदम्बरम	12. वंगारम	
13. [illegible]	13. रोयापुरम-2	
14. होसुर	14. [illegible]	
15. इरोडे-2	15. तुतिकोरिन	
16. त्रिची-2		
17. सिंगनालुर		
पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र		1. पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र
कुल जोड़		
177	233	78

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, असम

6396. श्री [illegible] : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय, असम में कक्षाएं चालू शैक्षिक सत्र में प्रारम्भ होनी थीं;

(ख) क्या शैक्षिक सत्र की शुरूआत विलम्ब से की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कुछ अन्य उपयुक्त भवनों में कक्षाएं शुरू करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्थलों का दौरा करने वाली समिति के निष्कर्ष क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) शिक्षा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिल्चर के निकट एक स्थल की सिफारिश की है।

गुंटूर-द्रोनकोंडा रेल लाइन का विस्तार

6397. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर-द्रोनकोंडा रेल लाइन को द्रोणाचलम तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गुंटूर-द्रोनकोंडा-द्रोणाचलम पहले ही मीटर लाइन है जिसे अब बड़ी लाइन में बदला जा रहा है।

लेवी चीनी

6398. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** :
श्री दिलीप भाई संघानी :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1991 की जनगणना के आधार पर लेवी चीनी का कोटा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कोटा में वृद्धि की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर लेवी चीनी के कोटे का अद्यतन निर्धारण संभव नहीं हो पाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से लेवी

चीनी के मासिक आबंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की अनुमति दे दी है। यह व्यवस्था सितंबर, 1992 तक जारी रहेगी।

हिन्दुस्तान ऐलॉयज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, सिलवासा

6399. **प्रो० राम कापसे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐलॉय्ज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, सिलवासा को 27 फरवरी, 1991 को बन्द करने का आदेश दिया गया था तथा 1 मई, 1991 को इसे पुन: चालू करने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जिला प्रशासन द्वारा हिन्दुस्तान एलॉय्ज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को 27 फरवरी, 1991 को बन्द करने के आदेश जारी किए गए थे। कम्पनी द्वारा इस आशय के वचन देने पर कि वह 6 माह के भीतर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपाय करेगी, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फैक्टरी को पुन: चालू करने के आदेश 1 मई, 1991 को दिए गए थे।

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में छात्रों का दाखिला

6400. **श्री केशरी लाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अल्पसंख्यक दर्जे वाले कुछ स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों मे छात्रों के दाखिले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि इन संस्थाओं में सभी छात्रों को दाखिला मिल सके ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्णय की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के लिए वैगन

6401. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न जोनों/डिवीजनों में गत तीन वर्षों के दौरान प्याज की ढुलाई के लिए कितने वैगनों की मांग की गई और कितने वैगन उपलब्ध कराए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए वैगनों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्याज

की ढुलाई के लिए महाराष्ट्र राज्य में 18,820 माल डिब्बों की मांग की गई थी। 12,651 माल डिब्बों का लदान किया गया था तथा 6,094 माल डिब्बों के मांग-पत्र रद्द कर दिए गए थे।

(ख) और (ग) जी हां, हर वर्ष अतिरिक्त माल डिब्बों की व्यवस्था की जा रही है, वर्ष 1992-93 में लगभग 23,500 माल डिब्बों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। तथापि, गतायु स्टाक को नाकारा घोषित किए जाने के कारण बेड़े में शुद्ध बढ़ोत्तरी कम होगी।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

6402. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के संचालन एवं विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या उपर्युक्त संस्थान को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुरूप विकसित किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो क्या लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के भवनों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान शीर्ष-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(च) क्या उक्त धनराशि का उपयोग किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को निम्नलिखित सहायता अनुदान प्रदान किया है :

(लाख रुपए)

वर्ष	प्लान	नान-प्लान	कुल
1989-90	71.00	110.00	181.00
1990-91	115.00	159.00	274.00
1991-92	125.00	151.00	276.00

(ख) से (घ) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ आयुर्वेद की सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने के अतिरिक्त आयुर्वेद की वृद्धि और विकास करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती।

(ङ) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को योजना पूंजीगत व्यय के लिए उप शीर्ष संख्या क 3(1)

(3) के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई राशि इस प्रकार है :

वर्ष	धनराशि (रुपए)
1989-90	33,07,400 00
1990-91	95,08,000.00
1991-92	75.00,000.00

(घ) उक्त राशि राज्य लोक निर्माण विभाग को पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम के रूप में दी गई है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् का कार्यकरण

6403. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् की अवधि समाप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन कब तक किया जाएगा;

(ग) इस परिषद ने पिछले एक वर्ष में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 1970 की धारा-7(1) की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य अपने चुनाव या नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक कि उनके उत्तराधिकारियों का विधिवत् रूप से चुनाव अथवा नामांकन नहीं कर लिया जाता, जो भी अवधि अधिक हो, वह पद धारण करता है। पिछली बार केन्द्रीय परिषद का पुनर्गठन भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखंड-II, दिनांक 7-5-84 में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के तहत किया गया था।

(ख) केन्द्रीय परिषद के चुनावों पर कार्रवाई की जा रही है और केन्द्रीय परिषद का पुनर्गठन चुनावों के समाप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।

(ग) 21 और 22 फरवरी, 1991 को हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की बैठक की मुख्य सिफारिशें उपाबंध में दी गई हैं।

(घ) सरकार को इनमें से कुछ सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की वर्ष 1990-91 की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. केन्द्रीय परिषद निर्णय करती है कि आयुर्वेदिक कालेजों में 1-7-1989 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नतियां 1989 के विनियमों से प्रभावित नहीं होंगी और उन शिक्षकों की पदोन्नतियां के लिए स्नातकोत्तर अर्हता आवश्यक नहीं होगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त निर्णय के बारे में सभी राज्य सरकारों को सूचित किया जाए और 1989 में निर्धारित विनयमों में उक्त बातें शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

2. केन्द्रीय परिषद ने इस स्पष्टीकरण का अनुमोदन किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्या के शामिल शीर्षक/विषय को ऐलोपैथिक के समान माने जाते हैं, विषय की अधिक और उपयोगी जानकारी के लिए शामिल की जाएं क्योंकि अन्य चिकित्सा विज्ञान की शाखा के ज्ञान को प्रतिबन्धित अथवा सीमित नहीं रखा जा सकता।

3. केन्द्रीय परिषद ने निर्णय दिया कि केरल सरकार से आयुर्वेदिक कालेजों के कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान के वेतनमान लागू करने का अनुरोध किया जाए।

4. केन्द्रीय परिषद ने निर्णय दिया कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज त्रिवेन्द्रम में प्रसूति-तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकार और विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रदान करने के बाद संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा परिषद को भेजा जाए।

5. केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि आयुर्वेदिक कालेजों में दाखिले के समय कैपीटेशन फीस लेने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए सभी राज्य सरकारों का फिर से एक कड़ा पत्र लिखा जाए और दाखिले पूरी तरह मेरिट के आधार पर हों।

6. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में शल्यतंत्र (सर्जरी) की शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर आयुर्वेद के स्नातकों को चिकित्सा व्यवसाय के लिए पंजीकृत किया जाता है। देश में आयुर्वेद स्नातकों द्वारा शल्य चिकित्सा करने पर कोई प्रतिबन्ध अथवा रोक नहीं है।

7. केन्द्रीय परिषद ने नोट किया कि बिहार और दरभंगा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में कुछ अनियमितताएं हैं। ये दो विश्वविद्यालय और राज्य सरकार परिषद द्वारा बार-बार पत्र भेजे जाने और चेतावनी दिए जाने पर भी विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय परिषद सर्वसम्मति से समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध करती है।

8. केन्द्रीय परिषद यह भी पारित करती हैं कि सभी राज्य सरकारों को यह सूचित करते हुए एक पत्र लिखा जाए कि यदि किसी आयुर्वेद कालेज के एक विद्यार्थी के दूसरे विश्वविद्यालय में चले जाने पर सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उससे अधिवास प्रमाणपत्र नहीं मांगा जाना चाहिए।

9. सेठ गोविन्दजी राव जी आयुर्वेद महाविद्यालय, शोलापुर की निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद केन्द्रीय परिषद तब तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश निलंबित करने का अनुरोध करती है जब तक कि कमियां दूर नहीं की जातीं और अधूरे कार्य पूरे नहीं कर लिए जाते।

10. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालय की शोचनीय स्थिति को नोट किया और सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग, निदेशक आयुर्वेद और रजिस्ट्रार कानपुर विश्वविद्यालय को एक कड़ा पत्र भेजने का निर्णय लिया और उस पत्र के साथ उन्हें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं की एक प्रति भी भेजी जाए।

11. केन्द्रीय परिषद ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को डिमॉनस्ट्रेटर के पद से लेक्चरर तथा लेक्चरर के पद को सीनियर लेक्चरर के रूप में संशोधित करने/पदनाम देने की सलाह दी जाए ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनकी समस्याएं दूर हो सकें।

12. सल्फिया यूनानी मेडिकल कालेज, दरभंगा को 1992-93 शैक्षणिक सत्र तक की और अवधि के लिए यूनानी में स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति प्रदान की जाए बशर्ते की बतलाई गई कमियां दो वर्ष के अन्तर्गत दूर कर ली जाएं और केन्द्रीय परिषद द्वारा इस संस्थान में सुधारों का समय-समय पर पुनर्आकलन किया जाएगा।

13. केन्द्रीय परिषद महाराष्ट्र सरकार और सम्बन्धित विश्वविद्यालय को यह सूचित किए जाने के बारे में यूनानी समिति की सिफारिशों से सहमत थी कि ताज तिब्बिया कालेज, नागपुर में यूनानी कालेज आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय परिषद को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि दाखिले के लिए शर्तें और अपेक्षाएं यूनानी तिब में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान के लिए केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए।

14. यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय परिषद द्वारा सात विभागों के पैटर्न की सिफारिश कर दी गई है इसलिए विश्वविद्यालय में यूनानी/भारतीय चिकित्सा पद्धति के संकाय के अन्तर्गत कम से कम सात बोर्ड ऑफ स्टडीज गठित की जाए।

15. केन्द्रीय परिषद ने इस बात पर बहुत चिंता की कि आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, पूर्व तिब्बिया पाठ्यक्रम और यूनान तिब्बिया मुख्य पाठ्यक्रम से सम्बन्धित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किए गए शिक्षा और परीक्षा के माध्यम सहित प्रतिमानों का अनुपालन नहीं कर रहा है। केन्द्रीय परिषद इस बात पर जोर देकर कहती है कि विश्वविद्यालय और आन्ध्र प्रदेश सरकार को इस मामले में फिर अनुरोध किया जाए। यह निर्णय लिया गया कि इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कालेजों का शीघ्र दौरा किया जाए।

16. केन्द्रीय परिषद ने यूनानी समिति की सिफारिशों पर सहमति दी कि यूनानी तिब्बिया

के पूर्व तिब्बिया पाठ्यक्रम मे प्रवेश के लिए केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित सभी प्राच्य अर्हताओं के ब्यौरों को इस बात के सत्यापन के लिए प्राप्त किया जाए कि कम अर्हताएं मैट्रिक/हायर सेकेंडरी के बराबर हैं अथवा नहीं।

17. केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यालय को यथाशीघ्र शेष कालेजों से यूनानी डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय उर्दू के ज्ञान में एकरूपता के बारे सूचना प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और दोबारा लिखना चाहिए तथा इसके पश्चात् सभी अपेक्षित सूचनाएं देते हुए एक विवरण तैयार किया जाए और इस पर गहराई से विचार-विमर्श करने एवं पुनर्विचार करने के लिए शिक्षा समिति (यूनानी) की अगली बैठक के समक्ष रखा जाए।

18. केन्द्रीय परिषद ने इस बात पर ध्यान दिया कि सिद्ध चिकित्सा के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की संशोधित पाठ्चर्या का केन्द्रीय परिषद द्वारा 14 से 16 फरवरी, 1990 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदन किया। कर्मचारी नियुक्त करने के प्रतिमान को सिद्ध चिकित्सा के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शाखा-VI रसवद्म रिग्नार (रसवद्म में डिप्लोमा) में शामिल नहीं किया गया।

19. यह संकल्प किया गया कि प्रत्येक विभाग के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने के प्रतिमास सिद्ध के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या के अन्तर्गत पहले ही सिफारिश की जा चुकी है। शाखा-VI रसवद्म रिग्नार (रसद्म में डिप्लोमा) एक विशेष शाखा है और इसे रसायन शास्त्र के प्राध्यापक के एक पद और जैव रसायन शास्त्र में एक प्राध्यापक की आवश्यकता है। इसे पृष्ठ सं० 9 पर स्टाफ के प्रतिमान के अंतर्गत पाठ्यचर्या में एक नोट के रूप में जोड़ा जा सकता है।

20. केन्द्रीय परिषद ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अन्तर्गत यथा आवश्यक मंजूरी के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सिरच्यू मरूथुवमन्द कुरूंथायी मरूथुवम/विशेषज्ञताओं के ब्यौरों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय को भेजा गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने उपर्युक्त प्रस्तावित विशेषज्ञताओं के बारे में कुछ टिप्पणियां भेजी थीं। केन्द्रीय परिषद ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियों पर विचार किया और केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित की गई आयुर्वेद एवं यूनानी की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की तुलना में दोनों विशेषज्ञताओं की पाठ्यचर्या का संशोधन किया। उपर्युक्त विशेषज्ञताओं के अनुमोदित ब्यौरों को मंजूरी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा गया।

केन्द्रीय परिषद ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि विभिन्न राज्यों के मोटर वाहन विभाग भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में शामिल की गई। मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं के धारक भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों द्वारा चालकों और संवाहकों को जारी किए गए स्वस्थता प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं देते। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद इस बात को स्पष्ट करना चाहती है कि यह बात भारतीय चिकित्सा

केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 17 के उपखंड-2 (ङ) का उल्लंघन है। इस बात पर भी ध्यान दिया कि कुछ अन्य सरकारें और अन्य विभाग अर्थात रेलवे, जीवन बीमा निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, विश्वविद्यालय भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के विधिवत अर्हताप्राप्त व्यवसायियों द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्रों को स्वीकार नहीं करते।

परिषद ने इस बात को गंभीरता से लिया और भारत सरकार से इस मामले को देखने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया ताकि आगे से भारतीय चिकित्सा पद्धति के इन विधिवत अर्हता प्राप्त व्यवसायियों को इस कठिनाई का सामना न करना पड़े। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के अध्यक्ष को सभी राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों को एक पत्र लिखने के लिए प्राधिकृत किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के सदस्यों को उनके राज्यों से सम्बन्धित विभिन्न समितियों की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों से भारतीय चिकित्सा के व्यापक हित में केन्द्रीय परिषद के सदस्यों को अवगत कराया जाना चाहिए। इन अनुसंधान परिषदों के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के सदस्यों को उनके समाचार बुलेटिन, बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि भिजवाए जाने का अनुरोध किया जाए।

केन्द्रीय परिषद इस बात पर सहमत हुई कि दौरा रिपोर्टों का सार कार्यसूची की मदों सहित सदस्यों को परिचालित किया जाए ताकि वे दौरा रिपोर्टों में उल्लिखित तथ्यों से अवगत हो सकें।

इस बात पर ध्यान दिया गया कि केन्द्रीय परिषद द्वारा 10 और 11 मार्च, 1989 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए निम्नलिखित संकल्प को आवश्यक कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भेजा गया।

"देश में स्थित भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों के अधीन चल रहे एलोपैथ के बड़े-बड़े अस्पतालों तथा विशेषतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक साधन सुविधा सम्पन्न वार्ड आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए भी स्थापित किया जाए ताकि वहां सुयोग्य आयुर्वेदज्ञों की देख-रेख में गम्भीर रोगियों को आयुर्वेद की चिकित्सा सुलभ कराई जाए।"

शवों से आंखें निकालना

6405. **श्री मृत्युंजय नायक :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मुर्दाघर में शवों से अवैध तरीके से आंखें निकालने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इसके लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद में भ्रष्टाचार

6406. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद'' में भ्रष्टाचार के किसी मामले का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सरकार को केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद में भ्रष्टाचार के किसी मामले के बारे में जानकारी नहीं है। बहरहाल, परिषद के निदेशक के विरुद्ध एक अनुशासनिक मामला अवश्य है।

[अनुवाद]

पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की चोरी

6407. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** :
श्री नरेश कुमार बालियान :
श्री बलराज पासी :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शताब्दियों पुराने दुर्लभ पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की तस्करी तथा उन्हें विदेशी बाजारों में बेचे जाने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में दुर्लभ पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की चोरी के राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) ऐसे कितने मामलों को सुलझाया गया और कितने मामले लम्बित हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पुरा वस्तुओं की चोरी और अवैध निर्यात की रिपोर्टें समय-समय पर सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दो केस रजिस्टर्ड किए गए हैं जिनमें से एक केस बन्द कर दिया गया है और एक लम्बित पड़ा है।

(घ) भारत सरकार ने पुरा वस्तुओं की चोरी और तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए हैं :

(i) पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में दिए गए सभी रोधी उपायों तथा उसके अधीन बने नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है।

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी महत्वपूर्ण स्मारकों को तथा स्थल-संग्रहालयों को उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(iii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक 'पुरावस्तु कक्ष' कार्य कर रहा है, जो विशेष रूप से पुरावस्तुओं की चोरी एवं हानि के मामलों को देखता है। देश के सभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहों और हवाई अड्डों पर तैनात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी पुरा वस्तुओं के अवैध निर्यात को रोकने में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की मदद करते हैं।

चीनी उद्योग पर से नियंत्रण हटाना

6408. श्री आर० सुरेंद्र रेड्डी : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने केन्द्रीय सरकार से चीनी पर नियन्त्रण, जिसे आंशिक रूप से कम किया गया था, को और कम करने तथा 70 प्रतिशत की सीमा तक खुली बिक्री चीनी की अनुमति देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) मुक्त बिक्री के वर्तमान कोटे को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने के लिए इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी की जरूरतों को देखते हुए मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे में वृद्धि करने विषयक उपर्युक्त अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम को बन्द करना

6409. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने भारतीय खाद्य निगम को बन्द करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में गेहूं के भण्डारों का गायब किया जाना

6410. श्री गुरुदास कामत :

श्री जीवन शर्मा :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में गेहूं के भंडार उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गेहूं का भंडार आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आज तक कुल कितना गेहूं खरीदा गया और वर्ष 1992-93 में गेहूं की कितनी खरीद होने का अनुमान है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) पंजाब में फसल वर्ष 1990-91 (1991-92 में विपणित) के दौरान 121.55 लाख मीटरी टन गेहूं का अनुमानित उत्पादन हुआ था। रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान 63.24 लाख मीटरी टन की मात्रा की मंडी में आमद हुई थी जिसमें से भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा 55.42 लाख मीटरी टन की मात्रा की वसूली की गई थी। समस्त उत्पादित स्टाक को मंडियों में नहीं लाया जाता है क्योंकि किसान स्वयं अपनी खपत के लिए तथा बीज के प्रयोजनों आदि के लिए स्टाक अपने पास रख लेते हैं। अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि पंजाब में गेहूं के स्टाक उपलब्ध नहीं है।

(ग) पुनर्मिलान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य की वसूली एजेंसियों के सहयोग से रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान कुल 77.52 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई जिसमें पंजाब में की गई 55.42 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली शामिल है। चूंकि मूल्य समर्थन के अधीन गेहूं की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है, इसलिए रबी मौसम 1992-93 के लिए कोई निश्चित लक्ष्य/आवश्यकता परियोजित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में टीका लगाना

6411. डा० रमेश चन्द तोमर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालयों में महिलाओं और बच्चों को विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम की रोग प्रतिरक्षण अनुसूची संलग्न विवरण में दिया गया है जिसके अनुसार महिलाओं और बच्चों को विभिन्न रोगों के निवारण हेतु सभी टीके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में मुफ्त दिए जा रहे हैं।

(ग) ऊपर (ख) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण अनुसूची

लाभार्थी की आयु		टीका	खुराकों की संख्या
शिशु	6 हफ्ते से 9 महीने तक	डी० पी० टी०*	3
	6 हफ्ते से 9 महीने तक	पोलियो	3
	जन्म से 3 महीने तक	बी० सी० जी०	1
	9 से 12 महीने तक	खसरा	1
बच्चे	18 से 24 महीने तक	डी० पी० टी०*	1
	18 से 24 महीने तक	पोलियो	1
	बूस्टर खुराक		
	5 से 6 साल तक	डी० डी०	1**
	10 साल	टी० टी०	1**
	16 साल	टी० टी०	1**
गर्भवती महिला	16 से 36 महीने तक	टी० टी०	1**

*डी—डिफ्थीरिया

पी—पर्टुसिस

टी०—टेटनस

** 2 खुराकें यदि पहले टीका नहीं लगाया गया

टी० टी० (टिटनस टॉक्साइड)

[अनुवाद]

दिल्ली में शिशु सदन

6412. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने सरकारी कार्यालयों मे महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु-सदन खोले गए हैं;

(ख) क्या ऐसे और शिशुसदन खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) दिल्ली में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लाभार्थ 4 सरकारी कार्यालयों में शिशुगृह सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन शिशुगृहों का संचालन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन गृह कल्याण केन्द्र द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के अलावा, 1800 रु० से कम या मासिक आय वाले अभिभावकों के लाभार्थ दिल्ली में विभिन्न स्थानों में स्थित 282 शिशुगृहों का वित्तपोषण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इन शिशुगृहों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

[हिंदी]

कलाकारों की नियुक्ति

6413. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1992 तक सांस्कृतिक कोटे से उत्तर रेलवे में कितने कलाकार नियुक्त किए गए हैं;

(ख) इन कलाकारों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और एक कैलेंडर वर्ष में कितने कलाकार नियुक्त किये जाते हैं; और

(ग) इन कलाकारों की प्रतिभा का उपयोग करने हेतु एक कैलेंडर वर्ष में कुल कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इससे रेल विभाग को क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1986 से, 13 कलाकार नियुक्त किए गए हैं।

(ख) सांस्कृतिक कोटे में कलाकारों की नियुक्ति के लिए प्रथम मानदंड, विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धि और प्रदर्शन है।

प्रति वर्ष औसतन दो कलाकारों की नियुक्ति की गई है जबकि उच्चतर सीमा 4 है।

(ग) प्रतिवर्ष एक अन्तर-मंडल सांस्कृतिक प्रतियोगिता और एक अन्तर-रेलवे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

कलाकार रेल सप्ताह, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, आदि समारोहों में भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों की नियुक्ति

6414. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल कोटा के माध्यम से उत्तर रेलवे में कुल कितने खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई;

(ख) इन खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं तथा एक कैलेंडर वर्ष में औसतन कितने खिलाड़ी नियुक्त किए जाते हैं;

(ग) क्या उनसे सरकारी कार्य कराया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रुप 'ग' के पदों पर 64 खिलाड़ियों की भर्ती की गई थी। ग्रुप 'घ' में की गई नियुक्तियों की संख्या के बारे में सूचना अलग से दी जाएगी।

खिलाड़ियों की भर्ती खेलों में उनकी उपलब्धियों के आधार पर की जाती है।

(ग) और (घ) जी हां। वे पदों से सम्बद्ध सरकारी कार्य निष्पादित कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलों के आयोजन हेतु लिए जाने वाले शुल्क

6415. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इसके अधीन स्टेडियमों में खेलों के आयोजन के लिए कितना शुल्क लिया जाता है;

(ख) क्या राष्ट्रीय खेल संगठनों/संघों की ओर से शुल्क की इन दरों में कमी करने की कोई मांग की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और

बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :(क) भारतीय खेल प्राधिकरण के, दिल्ली के अपने स्टेडियमों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए निर्धारित अनुमोदित शुल्क हैं। दरें, खेल प्रतियोगिताओं के प्रकार तथा इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए दी जाने वाली सुविधाओं से भिन्न हैं। स्टेडियम-वार शुल्क का संक्षिप्त विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(I) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम :

बिना किसी टिकेटिंग, होर्डिंग, प्रायोजन और टी० वी०/वीडियो कवरेज का प्रतियोगिताएं :

खेल विभाग द्वारा अनुमोदित सभी उप जूनियर/जूनियर/सीनियर/महिला अनिवार्य प्रतियोगिताओं हेतु एथलेटिक्स और फुटबाल के लिए निःशुल्क। अन्य सुविधाओं के लिए शुल्क का दरें आगामी पैरा अनुसार होंगी।

फ्लड लाईट तथा इलैक्ट्रोनिक स्कोर बोर्ड और पब्लिक एड्रैस सिस्टम के पृथक शुल्क सहित टिकटबद्ध प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपए।

(II) तुगलकाबाद शूटिंग रेंज :

खेल विभाग के अनुमोदन के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सभी अनिवार्य प्रतियोगिताओं के लिए निःशुल्क।

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के सम्बद्ध निकायों द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिदिन 250 रुपए प्रति रेंज की फीस।

जैसा कि पूर्व में प्राधिकृत/अनुमोदित किया गया है आयुद्ध, लक्ष्य और क्ले-बर्ड की लागत आयोजक निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

(III) तालकटोरा तरणताल :

खेल विभाग द्वारा अनुमोदित अनिवार्य प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय तैराकी संघ और राज्य संघों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिताओं के लिए निःशुल्क।

टच पैड और स्कोर बोर्ड के किराया शुल्क सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिदिन 500 रुपए होगा जिसमें निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन नहीं होंगे, उनसे प्रतिदिन 1,000 रुपए शुल्क लिया जाएगा।

सेवाओं/अर्ध सैनिक बलों से 2,000 रुपए प्रतिदिन शुल्क तथा पब्लिक एड्रैस सिस्टम और टच पैड तथा स्कोर बोर्ड के लिए शुल्क लिया जाएगा।

(IV) यमुना वेलोड्रम :

खेल विभाग द्वारा यथा अनुमोदित भारतीय साइक्लि संघ और सम्बद्ध निकायो द्वारा आयोजित सभी अनिवार्य प्रतियोगिताओं के लिए निःशुल्क।

स्कूलों/कालेजों/क्लबों/विश्वविद्यालय से प्रतिदिन 500 रुपए शुल्क तथा पब्लिक एड्रेस उपस्कर के लिए शुल्क लिया जाएगा।

निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से 5,000 रुपए प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा।

(V) हौज खास लॉन टेनिस स्टेडियम :

भारतीय खेल प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन टेनिस कोर्ट, खेल विभाग द्वारा यथानुमोदित लॉन टेनिस संघ/सम्बद्ध खेल संघों द्वारा आयोजित सभी अनिवार्य टेनिस प्रतियोगिताओं के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

स्कूलों/क्लबों/कालेजों और विश्वविद्यालय से प्रति कोर्ट के लिए प्रतिदिन 20 रुपए शुल्क लिया जाएगा।

(VI) इन्दिरा गांधी स्टेडियम :

टिकटबद्ध प्रतियोगिताओं के लिए पूरे हाल के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपए शुल्क है जिसमें वातानुकूल और बिजली की लागत शामिल नहीं है।

टिकटरहित प्रतियोगिताओं के लिए यह निःशुल्क है लेकिन वातानुकूलन के लिए अतिरिक्त शुल्क होगा।

(VII) भारतीय खेल प्राधिकरण कोचिंग शिविर सहित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए गांधीनगर, कलकत्ता और बंगलौर में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों तथा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में उपलब्ध सुविधाएं राष्ट्रीय खेल संघों को निःशुल्क प्रदान करता है।

मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

6416. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री गंगाधरा सानीपल्ली :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री बलराज पासी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर राज्य-वार, कितनी धन-राशि आबंटित की गयी और खर्च की गयी;

(ख) ग्रामीण जनसंख्या को यथासम्भव निकट से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इनके विस्तार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धन-राशि आबंटित करने का विचार है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों पर कितनी धन-राशि खर्च करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1991-92 के दौरान जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आबंटित और व्यय की गयी राशि क्रमशः 9104.97 और 8722.66 लाख रुपया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान 17030 उपकेन्द्र, 4450 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 137 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपूतिक प्रसव कराने के लिए सभी अप्रशिक्षित दाइयां को प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव है।

(ग) 1992-93 में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के लिए 9500.00 लाख रु० आबंटित करने का प्रस्ताव है।

(घ) आठवीं योजना के दौरान जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 853.60 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

विवरण

(लाख रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	614.42	586.54
अरुणाचल प्रदेश	22.53	22.49
असम	354.61	348.92
बिहार	973.03	910.89
गोवा	18.09	18.05
गुजरात	484.99	464.33
हरियाणा	167.30	165.74
हिमाचल प्रदेश	78.27	78.12
जम्मू और कश्मीर	98.53	97.12
कर्नाटक	427.96	419.96

1	2	3
केरल	297.53	288.81
मध्य प्रदेश	743.31	704.75
महाराष्ट्र	835.03	817.47
मणिपुर	31.22	31.03
मेघालय	28.85	28.59
मिजोरम	19.98	19.88
नागालैंड	27.29	27.20
उड़ीसा	377.95	376.30
पंजाब	193.70	193.52
राजस्थान	527.06	499.83
सिक्किम	15.95	15.89
तमिलनाडु	465.90	437.31
त्रिपुरा	33.91	33.65
उत्तर प्रदेश	1544.04	1478.73
पश्चिम बंगाल	587.27	576.86
अंडमान व निकोबार	9.79	2.17
चंडीगढ़	11.45	5.94
दादरा और नागर हवेली	6.81	1.91
दिल्ली	82.20	62.74
दमण व दीव	5.97	1.23
लक्षद्वीप	5.37	.66
पांडिचेरी	14.68	6.05
कुल योग	9104.97	8722.66

नकली दवाओं के कारण मौतें

6417. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष नकली तथा घटिया दवाईयां देने के कारण सरकारी अस्पतालों में अस्पतालवार कितनी मौतें हुईं;

(ख) लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों को ऐसी दवाओं से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों में नकली और घटिया औषधें देने के कारण हुई किसी मौत की सूचना नहीं दी गयी है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औषधों की असली और मानक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु औषधों को उपयोग में लाने से पूर्व आपूर्तिकर्ताओं से जांच विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। औषध नियंत्रक, दिल्ली भी जांच विश्लेषण के लिए औषधों के यादृच्छिक नमूने उठाता है।

गरीबों को स्वास्थ्य कार्ड

6418. **डा० विश्वनाथम कंनिथी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे परिवारों का पता लगाने सम्बन्धी मानदंड क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महानगरों में स्टेडियम

6419. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और मुम्बई महानगरों में ऐसे कितने स्टेडियम हैं जहां अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी). दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के चार महानगरों में स्टेडियमों की संख्या, जहां अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाते हैं, क्रमश: 14, 4, 4, और 6 है।

प्रत्येक महानगर में स्टेडियमों की स्थिति उनके नाम सहित निम्न प्रकार है :

दिल्ली

1. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली ।
3. इन्दिरा गांधी इण्डोर स्टेडियम, नई दिल्ली ।
4. यमुना साइकिल वेलोड्रम, नई दिल्ली ।
5. हौज खास लॉन टेनिस स्टेडियम, नई दिल्ली ।
6. तालकटोरा तरणताल, नई दिल्ली ।
7. तुगलकाबाद शूटिंग रेंज, नई दिल्ली ।
8. अम्बेडकर स्टेडियम, नई दिल्ली ।
9. छत्रसाल स्टेडियम, माडल टाउन, दिल्ली ।
10. शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली ।
11. करनेल सिंह रेलवे स्टेडियम, नई दिल्ली ।
12. हरबक्स सिंह स्टेडियम, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली ।
13. फिरोजशाह कोटला ग्राउन्ड, नई दिल्ली ।
14. जयपुर पोलो ग्राउन्ड, रेस कोर्स, नई दिल्ली ।

मद्रास

1. चिपॉक स्टेडियम, मद्रास ।
2. नेहरू स्टेडियम, मद्रास ।
3. एगमोर स्टेडियम, मद्रास ।
4. इण्डियन एयरलाइन्स स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, मद्रास ।

कलकत्ता

1. युवा भारती क्रीड़ा आंगन, साल्ट लेक, कलकत्ता ।
2. ईडन गार्डेन, कलकत्ता ।
3. नेताजी सुभाष इन्डोर स्टेडियम, कलकत्ता ।
4. सुभाष सरोवर, कलकत्ता ।

बम्बई

1. वानखेडे स्टेडियम, बम्बई ।
2. ब्राबोर्न स्टेडियम, बम्बई ।

3. बम्बई हॉकी एसोसिएशन ग्राउन्ड, बम्बई ।

4. महाराष्ट्र स्टेट लेवल टेनिस एसोसिएशन ग्राउन्ड, बम्बई ।

5. बम्बई विश्वविद्यालय स्टेडियम, बम्बई ।

6. कोआपरेज स्टेडियम, बम्बई ।

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

6420. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री बापू हरि चौरे :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार अनौपचारिक शिक्षा के कार्य में संलग्न विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को धनराशि मंजूर की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनके कार्यकरण की कोई पुनरीक्षा कराई गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) देश में पूर्णतया निरक्षरता उन्मूलन के सम्बन्ध में इन अनौपचारिक शैक्षिक केंद्रों का क्या योगदान रहा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का बाह्य मूल्यांकन इस समय अपेक्षित विशेषज्ञता वाली समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों से नामित व्यक्तियों तथा गैर-सरकारी सदस्यों वाले एक संयुक्त मूल्यांकन दल द्वारा भी मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है ।

(घ) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित अनौपचारिक शिक्षा में अब तक लगभग स्कूल न जाने वाले 6.9 लाख बच्चों का नामांकन किए जाने का अनुमान लगाया गया है ।

विवरण

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिया गया अनुदान

क्र० सं०	राज्य/संघशासित प्रशासन	संस्वीकृत अनुदान (लाख रुपए) 1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	46.96	123.73	109.41
2.	असम	14.39	13.28	14.37
3.	बिहार	50.53	46.20	57.84
4.	दिल्ली	27.56	8.59	12.30
5.	गुजरात	60.89	76.71	64.12
6.	हरियाणा	27.23	33.68	30.42
7.	हिमाचल प्रदेश	7.68	6.33	17.30
8.	जम्मू और कश्मीर	—	0.67	0.67
9.	कर्नाटक	4.08	6.96	7.93
10.	केरल	—	7.60	2.89
11.	मध्य प्रदेश	7.46	19.34	15.40
12.	महाराष्ट्र	40.72	86.81	59.46
13.	मणिपुर	3.98	2.66	3.66
14.	उड़ीसा	187.75	264.78	265.00
15.	राजस्थान	31.88	34.14	46.24
16.	तमिलनाडु	13.38	32.99	27.40
17.	उत्तर प्रदेश	53.34	87.69	93.53
18.	पश्चिम बंगाल	20.68	24.38	40.00
	जोड़	599.51	876.54	867.96

जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धी अध्ययन

6421. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विश्व संगठन ने भारत में जनसंख्या-वृद्धि के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) अध्ययन के अनुसार सन् 2000 तक हमारी जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो जनसंख्या-नियंत्रण के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ग) यद्यपि किसी विश्व संगठन द्वारा भारत में जनसंख्या वृद्धि पर कोई विशिष्ट अध्ययन किए जाने की जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं आई है, तथापि, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि ने भारत के बारे में अपनी हाल की कार्यक्रम समीक्षा और कार्यनीति विकास रिपोर्ट में जनसख्या नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा की है और कई सिफारिशें की हैं। सिफारिशों में ये शामिल हैं—जनसंख्या कार्यनीति की समेकित प्रक्रिया और परिवार कल्याण को व्यापक विकासात्मक संदर्भ में रखना जिसमें स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास, शिक्षा, साक्षरता, रोजगार और जीविकोपार्जन कार्य, प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा, अन्तर-क्षेत्रीय समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र, एक व्यापक संचार नीति जिसमें पारस्परिक संचार पर बल दिया गया हो; संगठित क्षेत्र तथा स्वैच्छिक संगठनों की बेहतर सहभागिता; मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम आदि पर बल देना।

(ख) विश्व बैंक के जनांकिकी अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या सन् 2000 ई० में 1,00,71,22,000 हो जाएगी।

(घ) जनसंख्या नियंत्रण का कार्य देश की योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जनसंख्या नियंत्रण से सम्बन्धित नई नीतियां समग्रतावादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। उनका उद्देश्य, सामाजिक-आर्थिक कारकों, जैसे महिला साक्षरता, महिलाओं का स्तर, महिलाओं को रोजगार, लड़कियों की शादी की उचित आयु, पुत्र इच्छा के बारे में वैचारिक परिवर्तनों पर समुचित महत्व देने के अतिरिक्त परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना है। उनमें परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और सर्वत्र सुलभता, शिशु, बाल और मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों में लोगों की अधिकाधिक सहभागिता प्राप्त करना और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को चलाने के लिए दृढ़ प्रशासनिक समर्थन और राजनैतिक इच्छा की महत्ता पर बल दिया गया है। जनसंख्या समस्या के बहु-क्षेत्रीय आयामों पर विचार करने और एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित की गई है। इन्हें देखते हुए, परिवार कल्याण कार्यक्रम को नया बल और गतिशीलता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से एक कार्ययोजना तैयार की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण को एक मुख्य क्षेत्र के रूप में रखा गया है और इसे सर्वोपरि प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

बाबरी मस्जिद के पास कलाकृतियों का पाया जाना

6422. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1992 को स्टेट्समैन में 'आर्टिफेक्ट्स फाउण्ड नियर बाबरी मस्जिद इन अयोध्या' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बाबरी मस्जिद, अयोध्या, उ० प्र० के निकट हाल की खुदाई से जिन चीजों के मिलने की सूचना मिली है, वे हैं—पूर्व ऐतिहासिक काल के उत्तरी काली पालिशदार मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, एक फुहारे के टुकड़े, एक पाइप, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों के क्षतिग्रस्त टुकड़े, सेलखड़ी का एक टूटा हुआ कटोरा और एक ईंट, इसके अलावा मध्य काल के चिकने बर्तन।

गेहूं और चावल की खरीद

6423. **श्री शरद दिघे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले मौसम में खरीद की तुलना में 1 अप्रैल, 1992 से आरम्भ हो रहे आगामी 1992-93 के विपणन मौसम में गेहू और चावल की अनुमानित खरीद कितनी है;

(ख) वर्तमान 1991-92 के विपणन मौसम के दौरान चावल की अनुमानित खरीद कितनी है;

(ग) क्या चावल की खरीद में कोई रुकावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध मे 13 मार्च, 1992 को आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गई थी तथा राज्यों को निदेश जारी किए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) केन्द्रीय पूल के लिए रबी विपणन मौसम 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 77.52 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है। वर्तमान मौसम 1991-92 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 3 अप्रैल, 1992 तक 91.66 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई है। चूंकि किसानों से गेहूं और धान की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और लेवी के अधीन मिल मालिकों/व्यापारियों से चावल की वसूली उनके द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए रबी विपणन मौसम 1992-93 के लिए कोई निश्चित परियोजना नहीं बनाई जा सकती है।

(ख) से (च) खरीफ मौसम 1991-92 के दौरान 3-4-1992 तक 91.66 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 113.84 लाख मीटरी टन की मात्रा वसूल की गई थी। अक्तूबर-नवम्बर, 1991 में चक्रवाती वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश राज्य में फसल को क्षति पहुंचने की वजह से आंध्र प्रदेश में कम वसूली होने तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रमुख वसूली राज्यों मे कम उत्पादन होने के प्रमुख कारणों से इस वर्ष वसूली कम हुई है। अनुमान है कि खरीफ मौसम की शेष अवधि

में अर्थात् अप्रैल, 1992 से सितम्बर, 1992 तक 14 लाख मीटरी टन चावल की और वसूली हो जाएगी जो कि मुख्यतया आंध्र प्रदेश (10 लाख मीटरी टन), तमिलनाडु (एक लाख मीटरी टन) और शेष अन्य राज्यों से होगी।

(ङ) जी, हां। खाद्य राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) द्वारा 14 मार्च, 1992 को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(च) राज्यों के खाद्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया था कि वे केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की अधिकतम वसूली करने के लिए सभी प्रयास करें।

[हिन्दी]

चिड़ियाघरों की स्थापना

6424. **श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक चिड़ियाघर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्यवार कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इन चिड़ियाघरों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) देश में कोई नया चिड़ियाघर स्थापित करने के सम्बन्ध में इस समय केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में नेत्रहीन व्यक्ति

6425. **श्री राम टहल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिला-वार कितने नेत्रहीन व्यक्ति हैं;

(ख) बिहार में ऐसे कौन-कौन से जिले है जिनमें प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में मोतियाबिंद की आप्रेशन सुविधाएं मोजूद नहीं हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने जिलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) 1986-89 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि बिहार में दृष्टिहीनता की व्यापकता दर 1.28 प्रतिशत है। जिला-वार दृष्टिहीन लोगों की संख्या उपलब्ध नहीं है। दृष्टिहीनता नियन्त्रण एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। 1992-93 में मोतियाबिन्द आपरेशनों के लिए बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करने का केंद्रीय सरकार का कोई विचार नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार का विचार है कि किए गए आपरेशनों, जिनमें

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर किए गए आपरेशन भी शामिल हैं, के लिए अनुमोदित दरों पर प्रतिपूर्ति करना जारी रखा जाए।

[अनुवाद]

निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद का दर्जा बढ़ाना

6426. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान हैदराबाद को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है;

(ख) क्या इस संस्थान ने इसका दर्जा बढ़ाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बराबर करने के लिए प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संस्थान ने इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में मान्यता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया। तथापि सरकार वित्तीय कठिनाइयों और इसके निहित प्रभावों को देखते हुए इस अनुरोध को मानने में समर्थ नहीं हो पाई है।

भारतीय महिला फुटबाल फेडरेशन को रेल यात्रा में रियायत

6427. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महिला फुटबाल फेडरेशन को रेल यात्रा में दी जा रही रियायत को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा के लिए आरक्षण की सुविधा

6428. **डा० आर० मल्लू :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण शहरों जैसे दिल्ली, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम और मद्रास और आदि से विजयवाड़ा के लिए वापसी आरक्षण और आगे की यात्रा के लिए टिकटों की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) विजयवाड़ा स्टेशन पर आगे की तथा वापसी यात्रा की टिकटें जारी करने तथा संबंधित स्टेशनों के लिए आगे की/वापसी यात्रा का आरक्षण प्राप्त करने के लिए संदेश भेजने की सुविधा उपलब्ध है। इस स्टेशन पर महत्वपूर्ण स्टेशनों को तीव्र गति से संदेश भेजने के लिए आटोमैक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस स्टेशन के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है।

[हिन्दी]

मुम्बई में रेल परिवहन

6429. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में रेल परिवहन सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने के लिए कोई योजना जारी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बंबई में रेल परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार निरन्तर होता रहता है तथा निम्नलिखित प्रमुख निर्माण कार्य इस समय प्रगति पर हैं :

(i) मानखुर्द-बेलापुर के बीच 197 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक नई लाइन का निर्माण।

(ii) अंधेरी तथा बांद्रा के बीच 61.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक जोड़ी अतिरिक्त लाइनों का निर्माण।

(iii) बंबई तथा कल्याण के बीच 9.2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर धीमी गति के गलियारे में सिगनलों का पुनः अंतरण।

(iv) 25.1 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुर्ला में नया यात्री टर्मिनल।

(v) 12.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बांद्रा में नया यात्री टर्मिनल।

पब्लिक स्कूलों के लिए मानदण्ड

6430. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री नीतीश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के पब्लिक स्कूलों को कुछ मानदण्डों का अनुसरण करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पब्लिक स्कूल इन मानदण्डों के अनुरूप चल रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना पार क्षेत्र में हैजा फैलना

6431. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व दिल्ली यमुना-पार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या हैजे से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस रोग से कितने व्यक्ति पीड़ित हुए हैं; और

(ग) इस रोग की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उठाए गए निवारक कदम इस प्रकार हैं :

(1) स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति।

(2) नियमित रूप से कूड़ा-करकट हटाना।

(3) नालियों की तलछट साफ करना।

(4) क्लोरीन की गोलियों का वितरण।

(5) मुखीय पुनर्जलपूरण घोल (ओ० आर० एस०) के पैकटों का वितरण।

(6) फेरीवालों पर नियन्त्रण।

(7) सुलभ शौचालय।

(8) स्वास्थ्य शिक्षा।

(9) सामुदायिक सहभागिता।

(10) पानी से होने वाले रोगों का नियमित अनुवीक्षण।

प्राकृत अकादमी

6432. **श्री राम कापसे :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृत अकादमी की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

6433. **श्री केसरी लाल :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड फेज-4 शुरू कर दिया गया है;

(ख) इस चरण में क्या लक्ष्य रखा गया है तथा इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ग) इस चरण की अवधि कितनी है और इसे किन-किन एजेंसियों/संगठनों के माध्यम से इसे क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) परियोजना का सही मूल्यांकन करने तथा इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चरण की अवधि, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जो इस योजना के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी हैं, योजना के कार्यान्वियन की गति पर निर्भर करती है।

(घ) योजना के कार्यान्वियन का अनुवीक्षण, प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है तथा इन रिपोर्टों को राज्य सरकार को प्रत्येक सत्र में भेजना होता है। इन रिपोर्टों की जांच से ऐसे क्षेत्रों का पता चला है जिनमें सरकारी हस्तक्षेप अपेक्षित है। यदि आवश्यक हो तो, राज्य सरकारों के साथ पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	अनुमानित व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	17148	1360.00 लाख रुपए
2.	गोआ	191	22.70 लाख रुपए
3.	हरियाणा	2663	192.14 लाख रुपए
4.	कर्नाटक	7918	654.49 लाख रुपए
5.	केरल	1149	82.90 लाख रुपए
6.	मणिपुर	548	57.30 लाख रुपए
7.	राजस्थान	2322	199.53 लाख रुपए

[अनुवाद]

वन गांवों को बदलना

6434. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कितने वन गांवों को राजस्व गांवों में बदला गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने की मंजूरी नहीं दी गई।

कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

6435. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत जिला-वार कितने औषधालय हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 10 एलोपैथिक औषधालय, 2 आयुर्वेदिक यूनिट, एक होम्योपैथिक यूनिट और एक पॉलीक्लिनिक हैं। ये यूनिटें केवल बंगलौर शहर में हैं।

कर्नाटक में खाद्यान्नों की खरीद

6436. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक में कुल कितने खाद्यान्न की खरीद की;

(ख) क्या वर्तमान भंडारण राज्य के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या प्रयास किए गए ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 1991-92 के दौरान (20 मार्च, 1992 तक) कर्नाटक में कुल 96.7 हजार मीटरी टन खाद्यान्नों (चावल) की वसूली की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विक्रमखोल शिलालेखों का क्षतिग्रस्त होना

6437. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में घने जंगल के अन्दर विक्रमखोल अभिलेख निरन्तर क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अभिलेख वाली शिला के एक छोटे टुकड़े पर क्षतिग्रस्त होने के कुछ निशान देखने में आए हैं। यह क्षरण ऋतुओं के प्रभाव के कारण हुआ है।

(ग) शिला-लेख के संरक्षण के लिए तथा क्षरण को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6438. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 को देश में मीटर गेज लाइन की राज्यवार तथा जोनवार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) 1991-92 के दौरान कितनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाएगा तथा इसका रेलवे जोनवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1991-92 के दौरान मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में अनुमानित व्यय कितना है तथा इस प्रक्रिया में सृजित रोजगार के अनुमानित श्रम दिवस कितने हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1991-92 में कोई नई आमान परिवर्तन परियोजना शुरू नहीं की गई थी।

1991-92 में निम्नलिखित चालू आमान परिवर्तन परियोजनाएं पूरी की गई थीं :

(i) मानमाड-औरंगाबाद (114 कि० मी०)
दक्षिण मध्य रेलवे—महाराष्ट्र राज्य

(ii) सलेमपुर-बरहज बाजार (22 कि० मी०)
पूर्वोत्तर रेलवे—उत्तर प्रदेश राज्य

(ग) 1991-92 में आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर अनुमानित खर्च की राशि 133.03 करोड़ रुपये थी। निर्माण के चरण में आमान परिवर्तन कार्यों पर प्रति कि० मी० आमान परिवर्तन के हिसाब से सृजित नियोजन लगभग 10,000 जन दिवसों का है।

विवरण

(क) 31-3-1991 को कुल मीटर लाइन मार्ग की लंबाई (नवीनतम उपलब्ध) 23,419.23 कि० मी०

रेलवे-वार मीटर लाइन मार्ग की लम्बाई

रेलवे	**मार्ग लंबाई (कि० मी०)**
उत्तर	3032.50
पूर्वोत्तर	4092.33
पूर्वोत्तर सीमा	2998.19
दक्षिण	4333.35
दक्षिण मध्य	3571.82
पश्चिम	5391.04
जोड़	23,419.23

राज्यवार/मीटर लाइन मार्ग की लंबाई

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	**मार्ग लंबाई (कि० मी०)**
आंध्र प्रदेश	1481.75
अरुणाचल प्रदेश	1.26
असम	2200.42
बिहार	1681.57

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्ग लम्बाई (कि० मी०)
गोवा	79.06
गुजरात	2655.10
हरियाणा	612.81
कर्नाटक	2259.84
केरल	114.43
मध्य प्रदेश	497.86
महाराष्ट्र	993.66
मणिपुर	1.35
मिजोरम	1.50
नागालैंड	9.35
पंजाब	158.23
राजस्थान	4505.52
तमिलनाडु	2879.14
त्रिपुरा	44.72
उत्तर प्रदेश	2710.35
पश्चिम बंगाल	477.11
दिल्ली	27.09
पांडिचेरी	27.11
जोड़	23419.23

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

6439. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलेवार कितने स्कूलों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के प्रथम तीन चरणों को अपना लिया गया है;

(ख) क्या बिहार सरकार से चौथे चरण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) चौथे चरण में नगरपालिका क्षेत्रों के स्कूलों को लिया जाएगा; और

(ङ) आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत अब तक का कुल परिव्यय कितना है; बिहार को कितनी राशि मंजूर की गई है तथा 31 मार्च, 1992 तक कितनी राशि जारी की दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत बिहार को केवल दो ही चरण संस्वीकृत किए गए हैं और तत्सम्बन्धी सूचना क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अब तक 699.04 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है। इसके अलावा, बिहार को 8102.99 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की जा चुकी है जिसमें 31 मार्च, 1992 तक 7111.73 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

विवरण-I

क्र० संख्या	जिले का नाम	शामिल किए गए स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	पटना	436
2.	नालंदा	383
3.	नवादा	201
4.	गया	447
5.	जहानाबाद	145
6.	औरंगाबाद	256
7.	रोहतास	475
8.	भोजपुर	460
9.	सारण	377
10.	गोपालगंज	236
11.	सिवान	281
12.	पश्चिमी चंपारण	381
13.	पूर्वी चंपारण	420
14.	सीतामढ़ी	366
15.	मुजफ्फरपुर	328
16.	वैशाली	265
17.	बेगूसराय	166
18.	समस्तीपुर	353

1	2	3
19.	दरभंगा	303
20.	मधुबनी	437
21.	सहरसा	329
22.	मधेपुरा	114
23.	पूर्णिया	524
24.	कटिहार	190
25.	मुंगेर	500
26.	खगड़िया	100
27.	भागलपुर	454
28.	दुमका	454
29.	देवघर	133
30.	गोड्डा	120
31.	साहिबगंज	285
32.	धनबाद	299
33.	गिरिडीह	428
34.	हजारीबाग	505
35.	पलामू	506
36.	रांची	328
37.	गुमला	363
38.	लोहरदगा	49
39.	सिंहभूम	865
	जोड़	13270

विवरण-II

क० संख्या	जिला का नाम	शामिल किए गए स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	पटना	310
2.	नालंदा	262

1	2	3
3.	नवादा	239
4.	गया	399
5.	जहानाबाद	131
6.	औरंगाबाद	312
7.	रोहतास	364
8.	भोजपुर	362
9.	सारण	347
10.	सिवान	209
11.	गोपालगंज	176
12.	पश्चिमी चंपारण	248
13.	पूर्वी चंपारण	342
14.	सीतामढ़ी	200
15.	मुजफ्फरपुर	302
16.	वैशाली	189
17.	बेगूसराय	131
18.	समस्तीपुर	309
19.	दरभंगा	291
20.	मधुबनी	424
21.	सहरसा	268
22.	माधेपुरा	99
23.	पूर्णिया	555
24.	कटिहार	163
25.	मुंगेर	415
26.	खगड़िया	74
27.	भागलपुर	482
28.	धनबाद	360
29.	देवघर	133
30.	गोड्डा	110

1	2	3
31.	दुमका	392
32.	साहेबगंज	368
33.	गिरिडीह	326
34.	हजारीबाग	365
35.	पलामू	463
36.	रांची	350
37.	गुमला	284
38.	लोहरदगा	46
39.	सिंहभूम	684
	जोड़	11484

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैलोशिप

6440. **श्री मोहिन्द्र झा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और दिल्ली विश्वविद्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला/पुरुष शोधकर्ताओं द्वारा आत्महत्या करने के मामलों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे सभी मामलों के आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए की गयी कार्यवाही और उत्तरदायी ठहराए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1977-83 और 1984-92 की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जूनियर रिसर्च फैलोशिप के लिए अर्ह माने गए प्रत्याशियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या 1984 से फैलोशिप के स्तर में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पंजाब और दिल्ली विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनानुसार पिछले तीन वर्षों में अनुसंधान छात्रों द्वारा आत्महत्या के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनानुसार कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं के चयन हेतु आयोग ने अगस्त, 1984 में पहली राष्ट्रीय स्तर परीक्षा आयोजित की थी।

वर्ष 1991 के लिए विज्ञान विषयों के परिणामों को छोड़कर, जो अभी घोषित किए जाने हैं, 1984-1991 की अवधि के दौरान 12879 उम्मीदवारों ने ये परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं। 1992 के लिए परीक्षाएं अभी तक आयोजित नहीं की गयां हैं।

(घ) और (ङ) सितम्बर, 1988 तक एक उम्मीदवार के लिए ऐसी परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री थी। बाद में, स्नातकोत्तर डिग्री मे 55 प्रतिशत अंक को न्यूनतम पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित कर दिया गया था। ऐसा शिक्षावृत्ति की मात्रा में वृद्धि आर सभी उम्मीदवार, जो कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति के लिए उत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें भी लेक्चररशिप के लिए पात्र माना जाएगा, के कारण किया गया था।

लमडिंग डिवीजन सम्बन्धी उपभोक्ता समिति

6441. **श्री प्रवीन डेका** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लमडिंग डिवीजन के साथ जुड़ी कोई रेलवे उपभोक्ता समिति इस समय कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है :

(I) स्थानीय चैम्बर आफ कामर्स, ट्रेड एसोसिएशनों और उद्योगों तथा कृषि एसोसिएशनों के प्रतिनिधि	6
(II) पंजीकृत यात्री एसोसिएशनें	2
(III) सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रतिनिधि	प्रत्येक से 1 (राज्य सरकारों से मनोनयन की प्रतीक्षा है।)
(IV) सम्बन्धित राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधि	प्रत्येक से 1 (राज्य सरकारों से मनोनयन की प्रतीक्षा है।)
(V) संसद सदस्य	2 (एक लोक सभा से और एक राज्य सभा से) (संसदीय मामलों के मंत्रालय से मनोनयन की प्रतीक्षा है)
(VI) उपभोक्ता संरक्षण संगठन के प्रतिनिधि	1

(VII) महाप्रबंधक द्वारा नामित	1
(VIII) 'विशेष हित' कोटि के तहत मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति	13

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

असम में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम

6442. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में रहने वाले आदिवासियों के कल्याण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत असम में आदिवासियों के कल्याण के लिए विश्व बैंक की सहायता से कोई विशेष योजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं। वैसे विश्व बैंक और यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व के बारे में एक परियोजना चालू वित्तीय वर्ष से असम सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना 1992-93 के दौरान कामरूप और नवगांव जिलों और 1995-96 तक सभी जिलों को कवर करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य रोग प्रतिरक्षण और मुखीय पुनर्जलपूरण चिकित्सा कार्यक्रमों को जारी रखकर, गर्भवती महिलाओं और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए रोग निरोधन योजनाओं, न्यूमोनिया नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार करके और असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और पता लगाए गए रेफरल यूनिटों को सुदृढ़ करके देश में शिशु और मातृत्व मृत्यु-दर को कम करना है।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार केन्द्र

6443. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने के लिए रखे गए मानदंड क्या हैं;

(ग) ऐसे संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) महिलाओं के लिये प्रशिक्षण-सह-रोजगार-सह उत्पादन एकक स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत 1982-83 से संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(ख) महिलाओं के लिए उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण-सह-रोजगार केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं।

(i) परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश अपेक्षित होना चाहिए।

(ii) परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व ऐसे प्राप्तकर्ता गैर-सरकारी संगठन का होना चाहिए जो सरकार को स्वीकार्य हो।

(iii) परियोजना का मुख्य लक्ष्य वर्ग शहरी गंदे इलाकों की गरीब और जरूरतमन्द महिलाएं और ग्रामीण महिलाएं होनी चाहिए।

(iv) दीर्घावधि आधार पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजना का जोर आयोत्पादक कार्यकलापों पर होना चाहिए।

(v) परियोजना दीर्घकालिक होनी चाहिए।

(ग) और (घ) योजना 1982-83 से बनाई जा रही है और संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य-वार सूची नहीं रखी जाती।

विवरण

1982-83 से राज्य-वार संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र० सं०	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	48
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	9
5.	हरियाणा	33
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	7
9.	केरल	7
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	महाराष्ट्र	14

1	2	3
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	11
16.	पंजाब	23
17.	राजस्थान	5
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	27
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	23
22.	वैस्ट बंगाल	21
23.	मिजोरम	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	गोआ	—
26.	दिल्ली	3
	कुल	250

साक्षरता अभियान

6444. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव साक्षरता अभियान में और अधिक गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का है;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से साक्षरता अभियान में अधिक सफलता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के तहत, स्वैच्छिक एजेन्सियों को साक्षरता/प्रौढ़ शिक्षा की परियोजनाएं संस्वीकृत की जाती हैं।

(ख) और (ग) इस योजना को अक्तूबर, 1991 में संशोधित तथा परिचालित किया गया

तथा इसमें यह परिकल्पना भी की गयी कि स्वैच्छिक एजेंसियां स्वयसेवी आधारित कार्यक्रम पर दो वर्ष की अवधि के अन्दर 15 से 35 आयु वर्ग की निरक्षरता दूर करने के लिए, सघन और सन्निहित क्षेत्र की परियोजनाएं आरम्भ करेंगी। इस योजना को परिणामदायक लागत प्रभावी समयबद्ध तथा क्षेत्र-विशिष्ट बनाया गया है। इस योजना के तहत, परियोजनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठाए गए है :

1. प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला मानदेय का परम्परागत केन्द्र आधारित कार्यक्रम, भविष्य में जारी नहीं रहेगा। परियोजनाओं को दो वर्ष की अवधि के भीतर सघन तथा सन्निहित क्षेत्रों को साक्षर बनाने के लक्ष्य से पूर्ण साक्षरता अभियानों के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

2. वातावरण निर्माण के एक अतिरिक्त घटक से वित्तीय पद्धति को काफी लचीला बनाया गया है ताकि परियोजना अवधि के दौरान प्रेरक वातावरण तैयार तथा कायम भी रह सके।

3. परियोजना मे प्रयुक्त होने वाली पठन-पाठन सामग्री को शिक्षा की उन्नत गति एवं विषय वस्तु की नई तकनीकों से विकसित किया गया है।

4. देश भर के राज्य संसाधन केन्द्रों तथा जिला संसाधन इकाइयां तकनीकी शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करेंगी।

5. स्वैच्छिक एजेंसियों का चयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के सहयोग से किया जाएगा ताकि समाज सेवा मे अच्छा रिकार्ड रखने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को ही इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

6. संशोधित दिशानिर्देशों के विषय में स्वैच्छिक एजेन्सियों का मूल्यांकन करने तथा वातावरण निर्माण तथा शिक्षण-शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में उनकी सहायता करने के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है।

पैलेस ऑन व्हील्स

6445. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मानार्थ आधार पर 50 अतिथियों के लिए पैलेस ऑन व्हील्स का एक सप्ताह का चक्कर आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और इस सद्भावना से क्या लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या यह रेलगाड़ी प्राथमिक तौर पर विदेशी मुद्रा में भुगतान करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए ही बनाई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 'पैलेस ऑन व्हील्स' परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन का विकास करना

है, इस गाड़ी में भारतीय और विदेशी नागरिक यात्रा कर सकते हैं, विदेशी/अप्रवासी भारतीय किराए का भुगतान अमरीकी डालर में तथा भारतीय रुपयों में करते हैं।

[हिन्दी]

सिंहस्थ के लिए विशेष रेलगाड़ियां

6446. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 17 अप्रैल, 1992 से उज्जैन में शुरू होने वाले "सिंहस्थ महापर्व" के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यातायात और संसाधनों के आधार पर उज्जैन से भोपाल, नागदा-रतलाम, गुना, इन्दौर/मऊ तक और वापस विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के मासिक आबंटन में कटौती

6447. **श्री गुरुदास कामत** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के मासिक आबंटन में तत्काल कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय से कितने राज्य प्रभावित हुए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आबंटन स्टाक की स्थिति, मौसमी उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की जरूरतों, मूल्य प्रवृत्ति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। ये आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की समस्त मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। अतः ये अनिवार्यतः मास-प्रति मास भिन्न-भिन्न होते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1992 में किए गए चावल और गेहूं के आबंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनाज	जनवरी 92	फरवरी 92	मार्च 92	अप्रैल 92
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	चावल	170.0	160.0	50.0	50.0
	गेहूं	18.0	20.0	20.0	15.0
अरुणाचल प्रदेश	चावल	8.0	8.0	12.0	12.0
	गेहूं	0.72	0.7	0.7	0.7
असम	चावल	35.3	35.0	35.0	35.0
	गेहूं	25.0	30.0	30.0	30.0
बिहार	चावल	15.0	15.0	15.0	15.0
	गेहूं	42.3	50.0	50.0	42.0
गोवा	चावल	4.5	5.0	5.0	5.0
	गेहूं	3.15	3.5	3.5	3.5
गुजरात	चावल	28.0	28.0	28.0	28.0
	गेहूं	60.8	70.0	70.0	60.0
हरियाणा	चावल	3.0	3.0	3.0	3.0
	गेहूं	27.0	40.0	40.0	10.0
हिमाचल प्रदेश	चावल	6.5	6.5	6.5	6.5
	गेहूं	10.0	10.0	10.0	10.0
जम्मू और कश्मीर	चावल	35.0	35.0	35.0	35.0
	गेहूं	18.0	20.0	20.0	20.0
कर्नाटक	चावल	50.0	48.0	63.0	48.0
	गेहूं	36.0	40.0	25.0	40.0
केरल	चावल	150.0	150.0	150.0	150.0
	गेहूं	27.0	30.0	30.0	20.0

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	चावल	23.0	30.0	30.0	30.0
	गेहूं	31.5	35.0	35.0	35.0
महाराष्ट्र	चावल	82.0	80.0	105.0	45.0
	गेहूं	121.0	125.0	95.0	75.0
मणिपुर	चावल	7.0	7.0	7.0	7.0
	गेहूं	2.7	2.0	3.0	3.0
मेघालय	चावल	10.0	9.5	13.0	9.5
	गेहूं	2.25	2.0	2.0	2.0
मिजोरम	चावल	6.0	7.5	9.5	9.5
	गेहूं	1.25	1.0	1.0	1.0
नागालैंड	चावल	9.25	9.0	9.0	9.0
	गेहूं	6.0	4.0	4.0	2.0
उड़ीसा	चावल	25.0	25.0	25.0	25.0
	गेहूं	22.50	25.0	25.0	25.0
पंजाब	चावल	1.5	1.5	1.5	1.5
	गेहूं	22.50	25.0	25.0	5.0
राजस्थान	चावल	3.0	4.0	4.0	4.0
	गेहूं	72.0	75.0	75.0	75.0
सिक्किम	चावल	4.5	4.5	4.5	4.5
	गेहूं	0.54	0.6	0.6	0.6
तमिलनाडु	चावल	81.0	60.0	68.0	68.0
	गेहूं	27.0	30.0	30.0	30.0
त्रिपुरा	चावल	16.85	16.0	16.0	16.0
	गेहूं	2.25	2.0	2.0	2.0
उत्तर प्रदेश	चावल	28.0	30.0	30.0	30.0
	गेहूं	54.0	75.0	75.0	50.0
पश्चिम बंगाल	चावल	69.0	70.0	70.0	70.0
	गेहूं	81.0	90.0	90.0	90.0

1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	चावल	4.5	—	—	6.0
	गेहूं	2.1	—	—	2.1
चंडीगढ़	चावल	0.5	0.3	0.3	0.3
	गेहूं	1.6	1.8	1.8	1.8
दादर और नागर हवेली	चावल	0.5	0.5	0.5	0.5
	गेहूं	0.18	0.2	0.2	0.2
दमन और दीव	चावल	0.5	0.5	0.5	0.5
	गेहूं	0.13	0.15	0.15	0.15
दिल्ली	चावल	20 0	20.0	20.0	20.0
	गेहूं	64.8	72.0	72.0	72.0
लक्षद्वीप	चावल	—	—	—	—
	गेहूं	—	—	—	—
पांडिचेरी	चावल	2.0	2.0	2.0	2.0
	गेहूं	0.67	0.75	0.75	0.75
जोड़ राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल	899.4	870.8	818.30	745.8
	गेहूं	783.94	880.7	836.7	723 8
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल	चावल	1.5	1.5	1.5	1.5
	गेहूं	2.5	2.5	2.5	2.5
रक्षा	चावल	50.0	—	—	53.0
	गेहूं	15.0	15.0	15 0	15.0
भूटान	चावल	1.85	1.85	1.85	1.85
	गेहूं	1.7	1.7	1.7	1.7
कुल जोड़ अखिल-भारत	चावल	952.75	874.15	821.65	802.15
	गेहूं	803.14	899.90	855.9	743.0

इन्जीनियरी सेवा परीक्षा 1992 के लिए आयु में छूट

6448. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा परीक्षा 1992 के भांति इन्जीनियरी सेवा प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए आयु में छूट देन की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 के दौरान इन्जीनियरी सेवा परीक्षाओं में बैठ रहे उम्मीदवारों की आयु में छूट देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। संघ लोक सेवा आयोग को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि सिविल सेवा परीक्षा, 1992 की ही भांति, इन्जीनियरी सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी जाए।

(ख) से (घ) सिविल सेवा परीक्षा, 1992 की ही तरह इन्जीनियरी सेवा परीक्षा, 1992 के सम्बन्ध में आयु-सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ये परीक्षाएं अलग अलग नियमों द्वारा शासित होती हैं।

रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों का अनुवाद

6449. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुवाद करने वाली संस्था का नाम क्या है; और

(घ) किन भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, साहित्य अकादमी, जो कि एक स्वायत्त संगठन है, ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में टैगोर की चुनिंदा रचनाओं के विशेष शताब्दी संस्करण प्रकाशित करने की एक महत् योजना आरम्भ की है। साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में टैगोर की इन कृतियों का अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की परिकल्पना की गयी है।

पान मसालों पर वैधानिक चेतावनी

6450. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पान मसालों पर यह वैधानिक चेतावनी छपवाने की व्यवस्था करने का है कि 'पान मसालों का व्यवहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है';

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी प्रचार तंत्र के माध्यम से पान मसालों का विज्ञापन देने पर रोक लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में पहले से ही यह व्यवस्था है कि पान मसाला के प्रत्येक पैकेट और उससे सम्बन्धित विज्ञापन पर यह चेतावनी अंकित होगी, 'पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है'।

(ख) और (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही आकाशवाणी/दूरदर्शन पर 'पान-मसाला' के विज्ञापन के प्रसारण को बन्द करने का निर्णय किया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में स्थानीय विद्युत ट्रेनें चलाना

6451. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के परिक्रमा रेलवे पर और अधिक ट्रेनों को बस परिवहन प्रणाली से जोड़ कर चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

6452. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु जिला/क्षेत्र/राज्य स्तर के किसी सांविधिक निकाय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से प्रवेश, रोजगार के अवसरों और पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण न किए जाने के बारे में 1991 और 1992 के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जब कभी भी सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन पर उपयुक्त कारंवाई के लिए सम्बन्धित संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

मध्य रेलवे में पेंशन के मामले

6453. **श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के प्राधिकरणों के समक्ष पिछले पांच वर्षों से निपटाने के लिए लंबित पड़े पेंशन सम्बन्धी मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) मामलों को निपटाने में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

———

[हिन्दी]

12.00 मध्याह्न

... **(व्यवधान)** ...

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक साथ नहीं बोलें। मैं सबको मौका दूंगा।

... **(व्यवधान)** ...

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, एक तो मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि आगामी 9 अप्रैल से, परसों से महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो बहुआयामी प्रतिमा के व्यक्तित्व थे उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इस देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया और हमारे बौद्ध दर्शन के ऊपर हिन्दी क्षेत्र मे साहित्य में और प्रगतिशील विचारों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को उनके जन्म शताब्दी समारोह को राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए। श्रीमन्, वह मेरे ही जिले में पैदा हुए थे। परसों उनके गांव से उनकी जन्मभूमि से एक समारोह हमारे जिले के लोग कर रहे हैं जिसमें मैं स्वयं सम्मिलित हो रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि राहुल जी जिस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्तित्व थे, उनके जन्म शताब्दी समारोह को उसी प्रकार से मनाया जाना चाहिए और प्रधान मंत्री को अपनी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण करके देश के जाने-माने साहित्यकारों को और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तित्व के लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। एक तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता था।

दूसरा प्रश्न श्रीमन्, जो मैंने आपसे मिलकर अनुरोध किया था यह बहुत आवश्यक है इसलिए कि अब इसके लिए समय नहीं है वरना मैं नहीं कहता। श्रीमन्, आगामी 10 अप्रैल को प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार इस देश की 52% जातियां, जिनको सरकार ने नौकरियों में, प्रशासन में नाममात्र की हिस्सेदारी दी है इतने दिनों के बाद, एक इतना बड़ा प्रश्न जिस पर सारे राष्ट्र के अंदर एक चिन्तन, मथन, विवाद, टकराव सब हुआ और आखिर में करीब-करीब सर्वसम्मति से इस बात को माना गया कि पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में होना चाहिए और यही देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, उनको हिस्सेदारी देने के लिए और संविधान मे जो प्रावधान है, उमको पूरा करने के लिए ठीक है। एक वर्ष हो गया लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो सका कि क्या मापदंड होना चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी को बार-बार निर्देश दिया कि आप अपना मापदंड बताइए कि आप क्या चाहते हैं। हमने सरकार से अनुरोध किया था कि इसको दो हिस्सों में बांटिए। दो अलग-अलग नोटिफिकेशन करिए। एक जो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं 27% उनका नोटफिकेशन अलग करिए और जो उच्च जातियो में गरीब लोग है 10%, उनका नोटिफिकेशन अलग करिए, वरना दोनों के नोटिफिकेशन एक साथ होने के कारण जो संविधान के उपबंध हैं, उनके अनुसार कठिनाई पड़ने वाली है। चूंकि 10 तारीख को प्रधान मंत्री ने मुख्य-मंत्रियों की बैठक बुलाई है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसके पहले अपनी नीति स्पष्ट करे वरना यह मामला लटका हुआ है और लोगों में यह भावना बन रही है कि इसे टालने की कोशिश की जा रही है और बार-बार न्यायालयों के हस्तक्षेप से जो पिछड़े वर्गों को हिस्सा मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, वह पूरी नहीं हो रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि 10 तारीख से पहले सरकार स्वयं अपनी नीति स्पष्ट करे। अभी समाज कल्याण मंत्री ने कल कहीं भाषण में कहा कि हम इस में आर्थिक मापदंड लगाना चाहते हैं, हम इसके ऊपर निर्णय करना चाहते हैं मगर बहुत-सी राज्य सरकारें हमारा सहयोग नहीं कर रही हैं। तो श्रीमन्, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि केन्द्र यह बहाना ढूंढकर कि राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न के ऊपर, कोई ऐसे चुपचाप बनकर या मूकदर्शी बनकर नहीं रह सकता। इस पर मेरी प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस सम्बन्ध में वह अपनी नीति को स्पष्ट करे ताकि इस सिफारिश को तत्काल लागू किया जा सके। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, केवल एक मिनट। आप श्री राहुल सांकृत्यायन को जानते होंगे। वह एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने प्राचीन को भविष्य के साथ जोड़ा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री यादव द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार ध्यान देगी और इस संबंध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : समस्त सभा उनके इस सुझाव पर सहमत हो सकती है कि सरकार··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। सभा उनकी याद में श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्री यादव के साथ है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उनके जन्म शती के अवसर पर एक वृत्त चित्र या दूरदर्शन धारावाहिक बनाया जाना चाहिए और दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिए। यह हमारा सुझाव है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनन्द अहिरवार (सागर) : अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना नगर में 30 मार्च को अतिक्रमण हटाओ मुहीम के अन्तर्गत अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए और उनमें वहां के प्रशासन ने एकतरफा कार्यवाही करके, हद ही कर दी। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी अतिक्रमण हटाओ मुहीम से अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। वहां न तो शासन की ओर न प्रशासन की कोई व्यवस्था लागू है, सारे के सारे लांछन मध्य प्रदेश सरकार पार कर चुकी है, बल्कि खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रशासन का भाजपाईकरण, व्यक्ति विशेष को पीड़ा और भयभीत करना, शासन द्वारा डाकुओं और लुटेरों का सहयोग लेना, उनके सहयोग से प्रशासन चलाना, यह पूरे का पूरा दुरुपयोग और जनता के साथ अन्याय हो रहा है। जिन लोगों के पास भूमि है, दुकान या मकान इत्यादि के पट्टे हैं, जिन पर प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण है, प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, ऐसे हजारों लोगों के बीच, उनके पट्टे के कागजात, मौके पर फाड़े जा रहे हैं। लोगों द्वारा आपत्ति किये जाने पर, पुलिस झूठे प्रकरण बनाकर उन्हें बंद कर देती है। खुलेआम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पब्लिक को गंदी-गंदी गालियां देना आम बात हो गयी है।

सागर जिले के बीना नगर में 30 मार्च, 1992 को जो कुछ हुआ, जबर्दस्ती दुकान खाली करा कर वहां पुलिस चौकी खोल देना, यह सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश में आम नागरिक अपने आपको परतंत्र महसूस कर रहा है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, प्रतिदिन क्या इस सदन में मध्य प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था सम्बन्धी बातें होंगी, क्या यह सदन मध्य प्रदेश के प्रशासन के बारे में चर्चा करेगा या वहां के दैनंदिन कार्य के सवाल यहां उठाये जायेंगे। यह स्पष्ट मध्य प्रदेश शासन से संबंधित सवाल है और उसे इस सदन में उठाना बिल्कुल गलत है। यहां मध्य प्रदेश के शासन पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने कांग्रेस के एम०एल०एज० को बोलिये, उठाने के लिए।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : जानबूझकर शरारतपूर्ण बातें माननीय सदस्य न करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को आप वहां की असेम्बली में उठवाइये।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कल माडल टाउन दिल्ली में, मेरी कांसटीटूएंसी में दोपहर बाद आतंकवादियों की पुलिसकर्मियों से मुठभेड़ हुई, मैं यहां पुलिसकर्मियों को अण्डरलाईन कर रहा हूं क्योंकि वहां कोई आफिसर नहीं था, केवल तीन सिपाही थे जिन्होंने दो आतंकवादियों को मारा और एक बेगुनाह राहगीर रवि खन्ना की हत्या हो गयी। आतंकवादियों के दो साथी इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किये गये और पुलिस की गोली से जो लोग मारे गये उनके नाम है राजेन्दर उर्फ राजे, जो कि पेंटा का भाई था, जिस पेंटा ने ब्लैक थण्डर के दौरान पकड़े जाने पर सायनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी और दूसरे का नाम है, आतंकवादी जो मारा गया हरभजन सिंह। जिन दो को गिरफ्तार किया गया है, वे है—बलवीर सिंह चीमा और अमरपाल सिंह जिसकी दिल्ली पुलिस को बी०जे०पी० के लीडर, मेट्रोपोलिटन कौंसिल के मेम्बर, श्री हंसराज सेठी और उनके एक सहयोगी श्री मुंजाल की हत्या के सिलसिले में तलाश थी, उन दोनों को कल की मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी घटना में कटरा नील, चांदनी चौक के एक 32 वर्षीय नौजवान रवि खन्ना की दर्दनाक मृत्यु हो गयी। मैं इस सम्बन्ध में तीन मुद्दे यहां सदन में उठाना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं उन तीन पुलिस कर्मियों की प्रशंसा करना चाहता हूं, वैसे आम तौर से पुलिस की प्रशंसा होती नहीं है लेकिन अध्यक्ष जी, मैं कल मौके पर स्वयं गया था और मैंने उन पुलिस कर्मियों को जब देखा तो एक रिवाल्वर के साथ उन्होंने जिस तरह आतंकवादियों का मुकाबला किया क्योंकि आतंकवादियों के पास दूसरी तरफ ए०के०—47 भी थीं, इस सबके बावजूद, सादे कपड़ों में जाकर, जिस तरह उन्होंने मुस्तैदी से काम किया, वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया, वैसे पुलिस की ओर से उनकी पदोन्नति के आदेश कर दिए गये हैं, लेकिन कल मैंने मौके पर ही उन तीनों को एक-एक हजार रुपये अपनी तरफ से ईनाम के तौर पर दिये। मैं यहां उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कल की घटना से दिल्ली पुलिस को सबक लेना चाहिए क्योंकि आतंकवादियों ने पंजाब के बाहर भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं। कल की घटना ने सिद्ध कर दिया है कि दिल्ली में भी आतंकवादियों के अड्डे हैं, जो सी०बी०आई० को मालूम हैं और दूसरी इंटैलीजैंस एजेंसियों को भी मालूम है। कोई बड़ी वारदात न हो, इसलिये अधिक मुस्तैदी के साथ, दिल्ली पुलिस को काम करना चाहिये और आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करना चाहिए।

इस काण्ड का एक दुखद या काला पक्ष यह है कि इस सराहनीय कार्यवाही के दौरान रवि खन्ना नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गयी। उसे लगभग साढ़े तीन बजे गोली लगी।

अध्यक्ष महोदय : आपका भाषण बहुत लम्बा हो रहा है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, उस बेचारे को शाम 4.20 बजे हास्पिटल में एडमिट किया गया और 5.00 बजे उसकी मौत हो गई। उसके परिवार के लोग मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि अगर गोली लगते ही उसको होस्पिटल के अंदर ले जाकर ठीक से इलाज किया जाता, तो शायद उसकी मौत नहीं होती। जो वैन उसको ले गई थी, वह प्राइवेट वैन थी। यानी उसको पुलिस या हास्पिटल की वैन ले जाने के लिए भी उपलब्ध नहीं कराई गई। उसकी दुखद मौत सरकार के बदइंतजाम के कारण हुई है।

उसकी 1986 में शादी हुई, उसको एक बेटा 6 साल का तथा एक बेटी 4 साल की है। उसकी 28 वर्षीय पत्नी है जिसके गुजारे का कोई जरिया नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अर्ज है कि रवि के आश्रितों को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर और एक डी०डी०ए० का फ्लैट तथा उसकी पत्नी को दिल्ली प्रशासन में नौकरी दी जाए, ताकि उसकी विधवा व बच्चे अपना शेष जीवन शांति से बिताने की व्यवस्था कर सकें। मैं यह भी चाहता हूं कि इस घटना के सम्बन्ध में होम मिनिस्टर साहब सदन में आकर बयान दें।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, कल जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, वह मेरे चुनाव क्षेत्र चांदनी चौक में तो नहीं है, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र के कटरा नील का रहने वाला वह व्यक्ति रवि खन्ना था जिसकी दुखद मौत पुलिसकर्मियों की गलती से हुई। खुराना जी ने तो पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की है, लेकिन मैं उनकी गलती बता रहा हू, उनकी गलती की वजह से एक बेचारा निर्दोष और बेकसूर नौजवान मारा गया। वह स्वयं 32 वर्ष का था और उसकी धर्मपत्नी 28 वर्ष की है जिसके 6 और 4 साल दो बच्चे एक लड़का व एक लड़की है। उसकी आय को कोई साधन नहीं है। जहां पुलिस ने बहादुरी का काम किया है वहीं पुलिस की लापरवाही की ओर इशारा करते हुए मैं आपको बाताना चाहता हूं कि जब पुलिस थाने में एक आदमी ने इत्तला दी कि फलां जगह दो आतंकवादी छिपे हुए हैं और 3 और आने वाले हैं और जब वहां से 2 आतंकवादी पकड़े गए, तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई, उस पूरे इलाके को सील क्यों नहीं किया गया ? अगर वहां के इलाके को सील किया जाता और वहां लोगों को नहीं जाने दिया जाता, तो बेकसूर व्यक्ति जो अपना स्कूटर उठाने के लिए वहां गया, वह नहीं मारा जाता। पुलिस ने इतनी परवाह भी नहीं की कि उसके घर वालों को सूचना दी जाए। मैं उसके परिवार के बीच में डेढ़ घंटे रहा, उस परिवार में और वहां उससे मिलने आने वाले लोगों में काफी रोष है। एक मैडीकल इंस्टीट्यूट की इतनी लापरवाही जैसा कि खुराना जी ने कहा, उसको 4.20 बजे एडमिट किया गया और 5.00 बजे उसकी मौत हो गई। वहां की सोशयल वैलफेयर के अध्यक्ष, उसको जिप्सी में ले गए और वहां पर अस्पताल के अन्दर उसको पैदल जाना पड़ा जबकि उसकी स्थिति नाजुक थी, यह अखबारों में भी आया है कि "रवि खन्ना को बचाया जा सकता था" तो इतनी बड़ी लापरवाही और मूल मैडीकल इंस्टीट्यूट की हुई जिसकी वजह से एक नौजवान आदमी की मौत हो गई।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि पुलिस कमिश्नर के मुंह से रवि खन्ना के प्रति संवेदना के दो शब्द भी नहीं निकल सके, हालांकि उन्होंने रात्रि में टेलीविजन पर बताया था कि जिन पुलिस कर्मियों ने यह बहादुरी का काम किया है, उनको प्रोत्साहन दिया है, लेकिन संवेदना के दो शब्द मृतक के परिवार को न कहना, उनकी लापरवाही को ही दर्शाता है।

अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी पुलिस की गोली से मरे या अपनी ही गोली से मरे, इस बारे में भी अब संदेह किया जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस घटना के बारे में एक बयान दें और यह मैं भी चाहता हू, जैसा खुराना जी ने कहा कि दो लाख रुपए का उसकी विधवा को मुआवजा दिया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 5 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए अविलम्ब दिया

जाए। वहां हजारों लोग इकट्ठे थे, सबकी आंखें नम थीं, उनमें रोष था। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर ढाई बजे उसकी डैड बॉडी आने वाली है और वहां एकत्रित लोगों के रोष और गुस्से को देखते हुए, मेरा सरकार से निवेदन है कि उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा तुरन्त स्वीकार किया जाए, ताकि लोग शान्त हो सकें।

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, मैं अभी लखनऊ से लौट रहा था, तो रास्ते में जब मैंने इस घटना के सम्बन्ध में समाचार सुना, तो मेरे सामने वे सारी बातें चित्र के समान घूम गईं कि हमारे जो हंसराज सेठी, मैट्रोपोलिटन कौंसिल के मेम्बर थे, किस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई और अब भी आतंकवादी दिल्ली में खुले घूम रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने इतनी बहादुरी का काम किया, उनको प्रमोशन दी गई, यह तो आवश्यक था, लेकिन दिल्ली में आतंकवादियों की गतिविधियां कम हों और आतंकवादियों की गतिविधियां दिल्ली में नहीं हों, आपने देखा रेलवे स्टेशन में बम फोड़ दिए थे, ट्रांजिस्टर बम यहां पर फटे लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्था होते हुए आतंकवादी दिल्ली में घुस जाएं, यह सरकार को चौंकाने वाली बात है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो श्री खन्ना मरे हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और जिन पुलिस वालों ने बहादुरी से काम किया है उनको ऐवार्ड दिया जाए। दिल्ली की घेराबंदी करके ऐसी व्यवस्था की जाए कि आतंकवादी घुस न सकें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं आपके जरिए सभा का ध्यान जातीय हिंसा की इस भयावह घटना और त्रिपुरा में महिलाओं पर हो रही हिंसा के बारे में दिलाना चाहता हूं। पिछली 20 फरवरी को गन्नाला, मानू चेंलिगता और छोटा दम्बूर गांव आदि आदिवासी गांवों पर हमला किया गया और सशस्त्र असमाजिक तत्वों द्वारा व्यापक रूप से एक सुनियोजित हमला किया गया है। मानू चेंलिगता ग्राम सभा के अन्तर्गत चार गांवों और छोटा दम्बूर गांव ग्राम सभा के एक गांव पर इतना भीषण हमला किया गया कि सभी पुरुष अपनी चीजें छोड़कर भाग गए। जिन्हें पकड़ा गया उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और कई स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया।

विधान सभा के सदस्यों और ए० डी० सी० के सदस्यों के एक दल ने इन गांवों का दौरा किया और कुछ महिलाओं से मिले। उनमें से तीन नवयुवतियां अविवाहित थीं जिनके साथ एक से अधिक व्यक्तियों ने बलात्कार किया और एक अन्य महिला जिसके साथ तीन आदमियों ने बलात्कार किया था। वह अब बहुत घबराई हुई अवस्था में हैं तथा अभी तक पुरुषों से त्रस्त हैं। यह हिंसा 11.30 म० पू० से 5 म० प० तक चलती रही, यद्यपि उपमंडल अधिकारी और प्रखड विकास अधिकारी इस घटना स्थल से सात या आठ किलोमीटर की दूरी पर थे। पुलिस और प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली। जातीय अल्पसंख्यकों पर इस सुनियोजित हमले के बारे में कई समाचार-पत्रों में रिपोर्टें छपी हैं जिनमें कहा गया है कि दक्षिणी त्रिपुरा में लड़कियों के सिधुनन्दन सरकारी अनाथालय में यौन व्यभिचार सम्बन्धी भय व्याप्त है तथा नवयुवतियों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रत्येक रात इन लड़कियों को पीड़ित किया जाता है, असामाजिक तत्वों द्वारा और अनाथालय के लड़कों द्वारा इनके साथ बलात्कार किया जाता है। इनमें से पांच लड़कियों ने तथाकथित

रूप मे आत्महत्या कर ली है—उनमें से कुछ गर्भवती हो गई हैं और वे अविवाहित मातायें बन गई हैं।

अत: इस बालिका वर्ष में भी यह सब होना वास्तव में बहुत गंभीर बात है। हमें बालिका वर्ष में केवल दो बातें कहकर ही चुप नही रह जाना चाहिए। मैंने तो आपके ध्यान में यह बात लाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से त्रिपुरा में जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व्यवस्था संकट में पड़ गई है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगी और गृह मंत्री से भी आग्रह करूंगी कि वह इस मामले पर गौर करें। मैं इस सभा से और महोदय, आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप त्रिपुरा में इन स्थानों का दौरा करने तथा जो कुछ वहां वास्तव मे हो रहा है उसे स्वयं देखने के लिए एक संसदीय दल भेजें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक सदस्य द्वारा केवल एक मामले को उठाने की अनुमति दी है ताकि अन्य सदस्य अन्य मामलों को उठा सकें। मान लिया कि चार या पांच सदस्य केवल एक ही मामले पर बोलना चाहते हैं तो मैं अन्य सदस्यों की बारी कैसे समायोजित करूंगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत योग्यता से इसका खुलासा किया है। आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वेल्लैया नवी (सिद्दीपेट) : अध्यक्ष महोदय, दि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मासुटिकल लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी दवा कम्पनी है और लगभग 5000 श्रमिक उन दवाइयों और विटामिनों के उत्पादन में लगे हुए हैं जिनमें से कुछ विभिन्न देशों को निर्यात किए जाते हैं। हैदराबाद में आई० डी० पी० एल० संयंत्र द्वारा उत्पादित दवाइयों की बाजार में बड़ी मांग है। यह संयंत्र देश में एकमात्र ऐसी कम्पनी है जो विटामिन बी-1, बी-2 तथा फोलिक एसिड का उत्पादन करती है; लेकिन दुर्भाग्य से प्रति माह 6 करोड़ रुपए की दवाइयों की बाजार में मांग होने पर भी हैदराबाद संयंत्र में पूंजी की कमी के कारण मुश्किल से 3 करोड़ रुपए की दवाइयों का उत्पादन होता है। इतने कम उत्पादन और बिक्री के कारण श्रमिकों के वेतन का भुगतान जोकि प्रति माह लगभग डेढ़ करोड़ रुपए होता है, करना अत्यन्त कठिन हो गया है। यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है और संयंत्र को इसकी अधिकतम क्षमता तक चलाए रखने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान नहीं कराती है तो यह संयंत्र बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक धनराशि तत्काल इस कम्पनी को उपलब्ध कराकर इसे बन्द होने से बचायें। इस प्रकार सरकार एक महत्वपूर्ण दवाई उद्योग को बचा सकती है जो देश की आम जनता की जरूरतों के लिए दवाइयों तथा विटामिनों का उत्पादन कर रही है।

[अनुवाद]

श्री द्वारिका पुरकायस्थ (सिलचर) : महोदय, असम की बारक घाटी में बिजली की आपूर्ति एकदम नगण्य हो गई है। 45 मेगावाट की कुल आवश्यकता की जगह इस घाटी को 6–10 मेगावाट विद्युत ही मिल रही है। असम राज्य विद्युत बोर्ड का रवैया भेदभाव और पक्षपातपूर्ण है। इसमें असंतोष की भावना बढ़ रही है और यदि यहां स्थिति चलती रही तो यह समस्या बहुत ही अप्रिय स्वरूप ले लेगी।

अतः मैं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह असम सरकार को इस बात की सलाह दें कि एक अस्थायी बन्दोबस्त के रूप में पूर्वी ग्रिड से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करें और इस घाटी में विद्युत संकट को दूर करने के लिए घाटी के अदामटिला और बाशकारकी स्थानों से उपलब्ध गैस को घाटी में गैस आधारित संयंत्र के निर्माण कार्य में प्रयोग करके इसे शुरू किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह एक राज्य का मामला है। मैंने आपको इसे उठाने की अनुमति दी। मैंने आपको काफी अधिक बोलने दिया।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं आपकी आभारी हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को प्रतिक्रिया के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, यह प्रश्न आदिवासी लोगों सम्बन्धी प्रश्न है। (व्यवधान) इसे अकेले राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद पांच महिलाओं सहित 23 लोग मारे गए। प्रत्येक दिन उनकी हत्यायें हो रही हैं। हमने इस प्रकार की घटनाओं पर इस सभा में चर्चा की है। जब आन्ध्र प्रदेश में लोगों पर हमला हुआ तो एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। हम यहां एक प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं भेज सकते हैं जबकि वहां 23 लोगो की मृत्यु हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिनिधि मंडल के बारे में फैसला करें। हम प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। और इसका क्या हल हो सकता है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : मैं समझता हूं यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियों में गृह मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि वह राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाएंगे और इस सभा में एक वक्तव्य देंगे।

यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिसमें आदिवासियों पर हमले किए गए हैं। सामूहिक बलात्कार के मामले भी हुए हैं। अतः यह सरकार के लिए आवश्यक है कि वह तथ्यों का पता लगाए और सभा में वक्तव्य दे।

गृह मंत्री श्री जैकब यहां हैं। वह निश्चित रूप से सभा को आश्वस्त कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एल० जैकब) : मैंने नहीं सुना था। वास्तव में मैं आ रहा था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस सम्बन्ध में सरकार से किसी भी प्रत्युत्तर की जरूरत नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : जो कुछ श्री जैकब ने कहा था वह हमने नहीं सुना है। (**व्यवधान**) प्रत्येक दिन आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। (**व्यवधान**) राज्य आयोग की रिपोर्ट से भी यह सिद्ध हुआ है कि उजाल मैदान के आदिवासियों की महिलाओं के साथ असम राइफल्स के जवानों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। अतः हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उन्हें राज्य सरकार से तथ्य पता लगाने चाहिए। लेकिन वह चुप्पी साधे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए निर्देश दे रहा हूं।

श्री एम० एम० जैकब : मैं निश्चित रूप से बाद में इस सभा में वापस आऊंगा लेकिन आज नहीं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान और देशवासियों का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ उठाना चाहता हूं। 9 तारीख को इंग्लिशस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। कमलनाथ जी जरा सुनें—

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चुनाव चल रहे हैं। मान लिया कि हम यहां कुछ चर्चा करते हैं तो क्या यह ठीक होगा ?

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं जो सवाल उठा रहा हूं, आप इसमें मानेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है··· (**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब चुनाव चल रहे हैं। मान लिया कि हम यहां कुछ चर्चा करते हैं तो क्या इसका वहां चुनावों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : उनका जो काम हो रहा है. मैं सोचता हूं. आप भी हमारे साथ उससे सहमत होंगे : हमारे अन्दरूनी मामलों मे हस्तक्षेप का सवाल मैं उठा रहा हूं । मैं वहां के चुनाव के बारे में नहीं उठा रहा हूं । वहां की जनता की जो राय होगी, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे । इंग्लिशस्तान में जो हमारा आफिस है वहां जो हाई कमिश्नर है, वह सब इससे चिन्तित हैं। इसलिए चिन्तित हैं कि वहां जो हम पढ़ते है, गैलप पोल जो हो रहे हैं कि देश में लेबर पार्टी की सरकार आने वाली है या कंजरवेटिव पार्टी की आने वाली है, वह दूसरी बात है लेकिन मैं इसलिए इस सवाल को आपके समक्ष उठा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वहां के शैडो होम मिनिस्टर, हमारे यहां तो शैडो मिनिस्टर की व्यवस्था नहीं है लेकिन वहां है. वहां जो शैडो गृह मंत्री होने वाले हैं, लेबर पार्टी के शैडो होम मिनिस्टर का बयान है. मि० राय हैटर्सले बाकायदा वहां जिस तरीके से बोले है, कश्मीर और पंजाब के सवाल के बारे मे, मेरी राय में और सदन मे सारे सदस्यों की यह राय बनेगी कि वह जैसे हमारे अन्दरूनी सवाल पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनके भाषण के बारे में भारत सरकार के हमारे हाई कमिश्नर ने बाकायदा इस पर एतराज किया है, वहां के सारे हिन्दुस्तानी लोगों ने भी इसका प्रतिरोध किया है। मि० राय हैटर्सले की पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में जो कहा गया है, कश्मीर के बारे मे यह सवाल है। उसके खिलाफ जाकर वह कहते हैं कि :

[अनुवाद]

"कश्मीर समस्या का हल केवल तभी हो सकता है जबकि इस बात पर जोर दिया जाए कि वहां लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त हो और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों के अनुसार हल कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लेबर पार्टी संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए कश्मीर और पंजाब में व्याप्त असंतोष को हल करने में एक अग्रणी भूमिका निभाएगी । कश्मीरियों को इस मुद्दे पर एक जनमत संग्रह कराना चाहिए ।"

[हिन्दी]

दूसरे एक सदस्य केन लेविंग्स्टन भी लेबर पार्टी के हैं, वह कहते हैं कि :

[अनुवाद]

"मैं समझता हूं कि यदि भारत सरकार से कोई सही उत्तर नहीं मिलता है तो प्रतिबंध लगाने ही पड़ेंगे ।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस चीज को उठा रहा हूं कि लेबर पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"लेबर पार्टी की सरकार कश्मीर समस्या का बातचीत द्वारा ऐसा हल ढूंढने के लिए भारत और पाकिस्तान को सहायता देने के लिए तत्पर है जो कि सभी लोगों को मान्य हो ।"

[हिन्दी]

यह इनका आफिशियल बयान है। मेरा यह कहना है कि वहां हिन्दुस्तान के जितने बाशिंदे इंग्लिस्तान में हैं, सब लेबर पार्टी के शैडो होम मिनिस्टर के बयान से चिन्तित है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यहां सारे मन्त्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं, वह इसके बारे में जो ब्रिटिश लेबर पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं, जो प्रो-इण्डिया हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, मि० किनॉक, मि० माइकेल फूट और मि० डेनिस हेली, इन सबके साथ बात होनी चाहिए और बाकायदा जो वहां शैडो होम सैक्रेटरी है, जब उनके मुखारविन्द से इस तरह से हिन्दुस्तानी विरोधी भावनाएं भड़काई जायेंगी तो यह हमारे देश के लिए ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं कि यह हमारे अन्दरूनी मामले में हस्तक्षेप करने लायक चीज है, इसलिए मैंने सदन का ध्यान इस ओर खींचा ताकि सरकार इसके बारे में जो हिन्दुस्तान के माफिक होना चाहिए, वहां जनमत को हमारी तरफ लाने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, वह करे।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार और सभा का ध्यान हमारे देश के निर्माण में लगे मजदूरों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि सभा जानती है, हमारे देश के विभिन्न भागों में लगभग दो करोड़ निर्माण मजदूर कार्य कर रहे है। महोदय, कृषि के बाद, हमारे देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में रोजगार निर्माण-उद्योग ही देता है। इस समय निर्माण उद्योग में लगे मजदूर अमानवीय परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और कभी-कभी तो वे जीवन और कार्य की अत्यन्त अमानवीय स्थिति में फंसे होते हैं। उनके पास रोजगार की सुरक्षा नहीं है और उनकी मजदूरी बहुत कम है। उन्हें कोई शैक्षिक, आवासीय और चिकित्सा-सुविधा नहीं मिलती है और उनके कार्य में दुर्घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं। यह सब देखते हुए, निर्माण मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए वैधानिक उपाय करने की जरूरत है। यह सच है कि इस बारे में एक विधेयक राज्य सभा में लम्बित पड़ा है। लेकिन निर्माण मजदूर मानते हैं कि यह विधेयक पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं है। महोदय, 15 दिसम्बर, 1986 को एक याचिका के रूप में एक विधेयक के प्रारूप को याचिका समिति के सम्मुख पेश किया गया था। मैं 15 दिसम्बर, 1986 को याचिका समिति के सन्दर्भ का उल्लेख करना चाहूंगा। इस सभा की याचिका समिति ने 25 जुलाई, 1989 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा है :

> "इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा में लम्बित विधेयक वापस ले लिया जाए और एक नया व्यापक विधेयक पुनः स्थापित किया जाए ताकि कामकाजी वर्गों के अभी तक उपेक्षित वर्ग की लम्बे समय से चली आ रही मांगों पर कार्यवाही की जा सके।"

अध्यक्ष महोदय : बसु जी, कृपया उद्धरण इत्यादि देकर एक नियमित भाषण मत बोलिए। एक संक्षिप्त वक्तव्य दीजिये।

श्री चित्त बसु : महोदय, इसमें दो मुद्दे निहित हैं। एक तो यह है कि इस सभा की याचिका समिति ने कुछ सिफारिश की है। सरकार ने इसका उचित उत्तर नहीं दिया है। दूसरी ओर यह कामकाजी वर्ग का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है। श्रम मंत्री यहां मौजूद हैं और मुझे बहुत खुशी होगी यदि वह इसका उत्तर दें और सभा को आश्वासन दें कि कामकाजी वर्ग के सर्वाधिक उपेक्षित और शोषित क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, कोचीन शिपयार्ड की कैन्टीन में 15 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत 50 व्यक्तियों को, जिनमें महिलाएं भी थीं, नौकरी से निर्दयता-पूर्वक हटा दिया गया। यह शिकायत थी कि यह बर्खास्तगी कैन्टीन के ठेकेदार के षडयन्त्र के कारण हुई···

अध्यक्ष महोदय : कृपया संसद में चर्चा के लिए ऐसे मुद्दे मत लाइए। बहुत मुश्किल होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर जोर न दें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय मुझे अभी-अभी खत मिला है, सोवियत गणतन्त्र में उक्रेन में हमारी जो छात्रायें पढ़ती हैं, उनके माता-पिता की तरफ से। उसका जिक्र मैं आपके माध्यम से सदन में करना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों में सोवियत गणतन्त्र में जो राज-कीय बदलाव हुआ, उसमें हमारे चार हजार विद्यार्थी दयनीय परिस्थिति में वहां जी रहे हैं। उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है, ब्रेड भी नहीं मिलती है। ब्रेड और पानी पर उनका जीवन निर्भित हो गया है। विन्टर सीजन है, लेकिन उनके पैरों में जूते नहीं है। एक तारीख के जनसत्ता में इस बारे में लिखा है। उक्रेन में जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपने माता-पिता को लिखा है, हम भारत वापिस आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। हमें सिर्फ 150 रूबल स्टाइपेंड मिलता है। उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। अगर सदन ने और सरकार ने उस पर कार्यवाही नहीं की, तो वे देश वापिस नहीं आ सकते हैं। जो खाड़ी के देश में स्थिति हुई थी, तब हमने जल्दी फैसला लिया और वहां बसे हुए भारतीयों को हिन्दुस्तान में वापिस लाने की कोशिश की, उसी प्रकार यहां भी करना चाहिए। मुझे खत में लिखा है, उमा पाठक और दो-चार लड़कियां और हैं कि उनकी सेफ्टी और सलामती के लिए भी समस्या है। अपने घर पर बात भी नहीं कर सकते हैं। वहां एक जूते की कीमत 2,500 रूबल हो गई है और यदि वे टेलीफोन करना चाहती हैं, तो 500 रूबल लगता है। मेरी आपसे मांग है कि उन विद्यार्थियों को वापिस बुलाया जाए। उन्हें यहां एडमीशन दिया जाए और अगर उनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार उन्हें तुरन्त पैसा भिजवाये तथा उनको भुखमरी और उनके जीवन को बचाया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, पुराने सोवियत संघ में जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ते थे, जो आज भी वहां हैं, वे सचमुच में कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। मुझे बेंगलौर में दो सज्जन मिले थे, उनमें से एक का लड़का और एक की लड़की वहां अध्ययन कर रहे हैं। कठिनाई व्यावहारिक है। कठिनाई ऐसी है, जो सोवियत संघ के विघटन के कारण पैदा हुई है, लेकिन उन कठिनाइयों की ओर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तो उन्हें जो छात्रवृत्ति मिल रही है या जो रूबल्स वहां उपलब्ध है, वह कम हैं और दूसरी समस्या भारत वापिस आने की है। वे सोवियत विमान से नहीं आ सकते हैं। एयर-इंडिया को उनको लाने के लिए और वापिस सोवियत संघ भेजने के लिए, जो पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, व्यवस्था करनी चाहिए। उनमें से कुछ ने दो साल पढ़ाई पूरी की है और कुछ ने तीन साल पूरी की है, वे अधूरी पढ़ाई छोड़ कर नहीं आना चाहेंगे और वर्ष में एक बार भारत आना चाहेंगे, एयर इंडिया उनके लिए सुविधाजनक टिकट का प्रबन्ध कर सकता है। भारत सरकार को इस संबंध में सचेत होकर सारी जानकारी इकट्ठी करके सदन के सामने रखना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। यह समाचार-पत्रों में भी आ रहा है और सरकार को भी यह सूचना मिली है। मैं इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दूंगा और हम सभा में पुन: इस बारे में जानकारी देंगे। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार सभी आवश्यक प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : जनाब स्पीकर साहब, दिल्ली में जामा-मस्जिद के इलाके में कल शाम को एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। तीन बजे के करीब एक रिक्शे वाला, जिसका नाम निजामुद्दीन बताया जाता है उसको पुलिस वालों ने इस कद्र मारा कि वह अधमरा हो गया और वह वहां बड़ी देर तक पड़ा रहा। न उसके इलाज का बंदोबस्त किया गया और न उसको अस्पताल भेजने का कोई इंतजाम किया गया, नतीजा यह हुआ कि लोग उसके इर्द-गिर्द जमा हो गए और नारे लगाने लगे। पुलिस ने उन लोगों को हटाने की कोशिश की, स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि जब ऐसा कोई वाकया होता है तो एंटी सोशल एलीमेंट जमा हो जाते हैं, कुछ लोग जमा हुए और उनमें से कुछ लड़के बदकिस्मती से पुलिस के स्टेशन में घुस गए और वहां की कुर्सियां और मेज निकालीं और निकाल कर उनको आग लगा दी। उसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और यह भी बयान किया जाता है कि फायरिंग भी की गई। वहां का जो एस० एच० ओ० था, उसका नाम शायद* कहा जाता है, उन्होंने मजमे को प्रवोक किया। यह वाकया हो ही रहा था कि बदकिस्मती से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस, शायद उनका नाम * कहा जाता है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ये नाम कार्यवाही वृतान्त मे शामिल न होंगे।

[हिन्दी]

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : बदकिस्मती से इन्तहाई नशे की हालत में दो कांस्टेबलों के सहारे से, उन्होंने जामा-मस्जिद के अन्दर दाखिल होने की कोशिश की, इमाम साहब और उनके बेटे वहां मौजूद थे, उन्होंने हालत की नजाकत का अन्दाजा किया कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि यह शराब के नशे में मस्जिद के अन्दर जा रहे हैं तो हालत संजीदा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके यहां से वापस चले जाइए और अपने असिस्टेंट को भेजिए, हम उससे बात करेंगे और जो कुछ भी ला एण्ड आर्डर के काम करने की सूरत होगी, हम उसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझसे हाथ तो मिलाइए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मेहरबानी करके आप वापस जाइए. तो जनाब वे वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने अपने कांस्टेबलों को छोड़ दिया और कांस्टेबलों ने अंधाधुंध लोगों पर लाठियां बरसाना शुरू किया और आंसू गैस बरसाई (**व्यवधान**) और गोलियों से फायर किया।

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जनाब, जो लोग पुरानी दिल्ली के नक्शे से वाकिफ हों, उनको मालूम है कि यह वाक्या जामा-मस्जिद के पास हुआ, लेकिन ये लोग चूड़ी वालों तक पहुंच गए और चूड़ी वालों में एक मस्जिद है, हाउस की, जिसमें एक मुअज्जिज रहता है, उस मस्जिद के अन्दर यह घुस गए और उसको मारा, उसकी बहुत बुरी हालत कर दी, उसकी वजह से पूरे उस इलाके में पुलिस के खिलाफ एक टेंशन पैदा हो गया। मैं सही वाक्यात सिर्फ इतना ही जानता हूं जितना कि अखबारों में आया है और मेरे एक साथी मिस अफजाल साहब ने, जो उस दूसरे हाऊस के मेम्बर हैं और जिनका बयान है कि रात को वह दो बजे तक वहां गश्त लगाते रहे, उन्होंने पूरी तफसीलात बयान की है, लेकिन सही हालात मालूम करने के लिए, जनाब स्पीकर साहब, इस बात की जरूरत है कि होम मिनिस्टर साहब लेफ्टीनेंट गवर्नर से कांटैक्ट करके उसके मुताल्लिक वाक्यात मालूम करें और सही हालात जो कुछ भी हो उस पर कार्य हासिल करें ताकि ऐसी सूरत बढ़ने न पाए और अगर यह बयान सही है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब नशे की हालत में मस्जिद के अन्दर दाखिल होना चाहते थे और उन्होंने लाठीचार्ज कराया तो (व्यवधान) उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, वरना इस शहर के अन्दर दो-तीन-चार साल से बहुत अच्छे अमन की हालत चल रही है और अगर इस अमन व अमान की हालत में थोड़ी-सी रुकावट डाली जाएगी तो यह इस शहर के लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं इसलिए आपके तवस्सुत से ऐवान की तवज्जह जारी-मंजूर कराना चाहता हूं कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाए और अगर इसमें पुलिस खतावार पाई जाए तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।

श्री रामप्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐतिहासिक 3 एकड़ जमीन, जिस पर 1536 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई हुई थी, वह चौसा का ऐतिहासिक मैदान है और यह जमीन सर्वे में, नक्शे में भारत सरकार के अधिकार में दिखाई गई है, इसलिए बिहार सरकार इसकी देखभाल नहीं करती है। इसका परिणाम यह है कि आज उस जमीन पर अनधिकृत लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मेरी भारत सरकार से मांग है कि उस जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाई जाए और चूंकि यह ऐतिहासिक युद्ध का मैदान है, इसलिए वहां पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : माननीय सदस्य ने जिस घटना का अभी उल्लेख किया है मैं उसकी जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी कहा है कि वह इस बारे में जांच करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री एम० एम० जैकब : यदि कुछ आवश्यक हुआ तो मैं कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रसाद जी, आपने इसके लिए नहीं कहा था। वह यह कहने ही वाले थे कि वह सूचित करेंगे।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : यह बहुत गंभीर मामला है। यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो यह और भी गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : भारत सरकार ने 250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य में प्रति क्विंटल 25 रुपये की वृद्धि स्वागत योग्य है। फिर भी, इस समर्थन मूल्य में और वृद्धि करने या उन किसानों को बोनस देने के प्रबल कारण है जो कि अपना उत्पाद खुले नियमित बाजार में लाते हैं और सरकारी एजेंसियों को बेचते हैं ये कारण निम्नलिखित हैं।

गेहू उत्पादन की बढ़ी हुई लागत

पिछले वर्ष उर्वरकों के मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इसी प्रकार कीटनाशकों के मूल्य और श्रम की दरें भी बढ़ीं और कुछ समय बिजली न रहने के कारण किसानों को डीजल का अधिक उपयोग करना पड़ा। गेहूं की उत्पादन लागत 300 रुपये प्रति क्विंटल हो सकती है।

थोक मूल्य सूचकांक और कुल आगत मूल्य सूचकांक में समानता

थोक मूल्य सूचकांक के लिए 1970-71 को आधार वर्ष मानते हुए, गेहूं का समानता मूल्य 400 रुपये क्विंटल से अधिक होता है। इसी प्रकार कुल आगत मूल्य सूचकांक के साथ समानता मूल्य 350 रुपये क्विंटल के आसपास हो सकता है।

सरकारी एजेंसियों द्वारा पिछले वर्ष की गई वसूली का अनुभव

1989-90 में पंजाब राज्य में गेहूं का उत्पादन 116.81 लाख टन था। 1990-91 में बाजार में यह उत्पाद 70.76 लाख टन आया। 1990-91 में गेहूं का उत्पादन बढ़कर 121.55 लाख टन हो गया। प्रत्यक्ष रूप में अप्रैल, 1991 से शुरू बाजार में यह आगमन गत वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए था। फिर भी, 1991-92 के दौरान वास्तविक आगमन लगभग 63 लाख टन रहा है। इसका मतलब है कि लगभग 8 लाख टन की कमी रही है। यह इस कारण है कि गेहूं की फसल निकालने से पूर्व गेहू का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल था। किसानों ने अपना उत्पाद तत्काल बाजार में बेच दिया। मूल्यों में फिर वृद्धि हुई और वर्ष भर के दौरान मूल्य 310 रुपये और 375 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। इसलिए किसानों की अपेक्षाएं यही मूल्यों मिलने की है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत छोटा वक्तव्य दीजिए। आप तो पढ़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यही है कि पंजाब में आग लगी हुई है, लोग बहुत तंग हैं। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने गेहूं को पाला है, लेकिन गेहूं का मूल्य एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने 250 रुपये प्रति क्विंटल बताया है, इसको 350 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। कल पंजाब से कई हजार आदमी यहां पर आए हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक ऐसे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी प्रकार एक फर्म ने दो

राष्ट्रीयकृत बैंकों से एक ही काम के लिए 100 करोड़ रुपये ले लिए जबकि उस फर्म की साख नहीं थी। मान्यवर, विजय बैंक और इण्डियन बैंक, इन दो बैंकों ने ··(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय मैं ऐसा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह न्यायालय नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए। इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए।

श्री ओ० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग दो लाख मछुआरे अपने दैनिक जीवन में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद भी उस समुदाय को पीने का पानी, सड़के, अस्पताल, उनके बच्चों को शिक्षा जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं तथा छोटे पक्के घर भी प्रदान नहीं किए गए हैं जबकि सरकार उनके व्यवसाय के माध्यम से करोड़ों रुपया कमा रही है। विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एकमत से यह सिफारिश की कि मछुआरों और धोबी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए।

यह मुद्दा मैंने, इस समुदाय के मुख्य नेताओं तथा सभा में अन्य संसद सदस्यों ने उठाया था और प्रधान मन्त्री से भी इस बारे में अनुरोध किया। उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए सरकार ने अब तक कोई प्रयास नहीं किए तथा कार्यवाही नहीं की है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि उनके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए तत्पश्चात् आवश्यक कदम उठाए।

डा० खुशीराम डुंगरामल जैस्वाणी (खेड़ा) : संसद के पिछले सत्र में देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए मैंने गुजरात में कानून और व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति की ओर दिलाया था क्योंकि गुजरात एक सीमा क्षेत्र है जहां इन दिनों पाकिस्तानी घुसपैठ और समुद्र तट पर तस्करी बढ़ रही है।

शायद इसी कारण पिछले महीने माननीय गृह मन्त्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया तथा इस बारे में अनेक प्रश्न उठाए। उनके दौरे के तत्काल बाद 23-2-92 को वहां एक दुर्घटना घटी जब एक कुख्यात तस्कर श्री हारून को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जामनगर के नजदीक खनोडिया में तस्करी के अपराधों के लिए पकड़ा गया और उसे जामनगर लाया जा रहा था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात मंत्री महोदय को क्यों नहीं लिखते हैं? यह मामला सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए। कृपया इस बारे में मन्त्री महोदय को लिखें।

(व्यवधान)

प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु (तेनाली) : एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम का एल० पी० जी० भरने का संयंत्र आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के टेडापल्ली में 14-4-82 को लगाया गया था। यहां लगभग 12 कर्मचारी स्थायी आधार पर तथा 40 दिहाड़ी पर काम करते हैं। अब यह सुना गया है कि इस संयंत्र को टेडापल्ली से कोंडापल्ली में स्थानांतरित किया जा रहा है जिससे इसमें वर्षों से काम कर रहे इन 52 कामगारों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और देखे कि यह संयंत्र गुंटूर जिले के टेडापल्ली में ही रहे। यदि इसे स्थानांतरित करना आवश्यक है तब इन स्थायी और दिहाड़ी के 52 कर्मचारियों को कृष्णा जिले में कोंडापल्ली में भी काम पर रहने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि केवल प्रसाद।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से गृह विभाग, मुरादाबाद मण्डल में जहां 1100 लोगों की नियुक्ति पिछली सरकार के समय में हुई थी, उस सवाल को लेकर तत्कालीन रेल मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज और जनेश्वर मिश्र साहब के समय में यह वायदा किया गया था कि जो भ्रष्टाचार के मामले जांच किए गए सतर्कता विभाग के माध्यम से दूसरे विभाग के माध्यम से, जो रेल विभाग की अपनी ब्रांच है, दोनों विभागों द्वारा जांच करने से सिद्ध हो गया कि भ्रष्टाचार का काम किया गया है। 1100 में से 285 मजदूर अवैध रूप से, गलत तरीके से भर्ती किए गए, उनको सेवा से हटा दिया जाए।

कैसे अनुसूचित जाति के नाम पर, हरिजनों के नाम पर स्वर्ण लोगों में से आठ लोगों की नियुक्ति करा दी गयी थी। इस मामले की जिस मजदूर नेता* ने जांच करायी और जांच से सिद्ध हो गया...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 'नाम' कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद : जांच कराई गई और जांच से यह मामला सिद्ध हो गया। उनकी सेवाएं समाप्त कराने का काम रेलवे के बड़े अधिकारियों ने कर दिया। जब यह मामला रेल मंत्री के पास आया तो उन्होंने उस पर कार्यवाही करने के लिए आश्वासन दिया। दो बार आश्वासन के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए। किसी एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया तो उसका मामला यहां नहीं आना चाहिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा। किसी एक आदमी को नौकरी से निकालेंगे तो क्या आप यहां डिसकस करेंगे। अब आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, हरिजन और आदिवासियों की तरह देश में नूनिया, कुम्हार, मल्लाह और बढ़ई जाति के लोगों की जनसंख्या सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे है और अभी तक किसी भी सरकार में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से आरक्षण की सुविधा हरिजन और आदिवासियों को मिली है उसी तरह से तमाम सुविधाएं नूनिया, कुम्हार, मल्लाह और बढ़ई जाति के लोगों को दी जाए। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर भारत में अच्छे गैर-सरकारी उपक्रमों में से एक बेहतर संस्था है। पिछले छः अथवा सात दिनों से वहां औद्योगिक असंतोष चल रहा है। उत्पादन कार्य रुक गया है। वहां इटक द्वारा नियंत्रित एक कर्मचारी संघ है। अधिकारियों का भी एक संघ है। उन्होंने संयुक्त कार्य समिति गठित कर ली है। सभी ने उत्पादन कार्य बंद कर दिया है। इससे प्रतिदिन 2 करोड़ रुपये के उर्वरक का नुकसान हो रहा है। इसमें किसानों को भी इतना ही उर्वरक नहीं मिलेगा। वे अतिरिक्त वेतन, बोनस और मजदूरों के लिए सुविधाओं की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि एक अधिकारी को, जिसे 1990 में निलंबित कर दिया गया और जिसके विरुद्ध मामला चल रहा था, हाल ही में उसे दुबारा नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री, भारत सरकार से संपर्क किया और उनकी मांग केवल यही है कि वे तभी काम करेंगे जब ··· (**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री नाईक।

श्री राम नाईक : महोदय, यह एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। उनके विरुद्ध आरोप हैं। अन्यथा मैं यह बात नहीं उठाता। महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा हूं··· (**व्यवधान**) उत्पादन कार्य रोक दिया गया है। ठाणे में भी एक कारखाना है। वहां भी उत्पादन कार्य रोक दिया गया है। अतः मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। सरकार को भी इस मामले पर वक्तव्य देना चाहिए।

[**हिन्दी**]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अंतर्गत पलामु जिला के चैनपुर प्रखंड में गोरे मैगनेटाइट प्रोजेक्ट जनवरी, 1991 से बंद पड़ा हुआ है। उस प्रोजेक्ट में 24 हजार टन उत्पादित खनिज जिसकी कीमत 180 करोड़ रुपया है, वह बेकार पड़ा हुआ है। उस प्रोजेक्ट को यदि आधुनिकीकरण-सा कर दिया जाए और उसमें जो मैगनेटाइट का चूर्ण बनाने वाली मशीन लगा दिया जाए जो राजहरा कोयलरी में बेकार पड़ी हुई है तो मैगनेटाइट की कीमत सिर्फ दो सौ रुपया प्रति टन होगी जोकि अभी 750 रुपया प्रति टन बिक रहा है। ऐसी हालत में सरकार से मांग है कि उसको फिर से चालू किया जाए क्योंकि उसमें चार लाख पांच हजार छह

सौ टन मैंगनेटाइट पड़ा हुआ है जो 17 वर्षों तक चल सकता है। उसको फिर से चालू करने में सरकार को लाभ मिल सकता है। सरकार से मांग है कि उसको फिर से चालू किया जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुंबई दूरदर्शन के कैजुअल स्टाफ पिछले 18 वर्षों से अस्थायी तौर से काम कर रहे हैं और एक ही फिक्स वेतन पर काम कर रहे हैं, उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। महिला स्टाफ को मेटरनिटी लीव भी नहीं दी जाती है। उन्होंने सरकार को नोटिस दिया है कि वे 20 अप्रैल, 1992 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और 27 अप्रैल से उनके परिवारजन भी इसमें शामिल हो जायेंगे। श्री एस० एस० ततारी, मुंबई दूरदर्शन के डायरेक्टर रह चुके हैं और श्री स्वामीनाथन वहां के सुपरीटेंडिंग इंजीनियर रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनको रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन यहां पर तत्कालीन मंत्रियों साठे जी और भगत जी ने नहीं माना था। अजित पांजा जी ने इस सम्बन्ध में प्रॉमिस किया है, लेकिन वह पूरा नहीं कर रहे हैं। आकाशवाणी से लाकर वहां ऐसे लोग बैठा दिये हैं जो उनके बॉस बनकर बैठ गये हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय 1 अप्रैल, 1976 को केन्द्र सरकार ने दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग करने का जो आदेश जारी किया था उसमें साफ-साफ कहा था कि 1976 तक आकाशवाणी के जो लोग दूरदर्शन में आ चुके हैं उनसे आप्शन लेकर उन्हें वापस आकाशवाणी भेज दिया जाये और नई दूरदर्शन व्यवस्था में दूरदर्शन कैडर को ही सर्वोच्च मान्यता दी जाये। मेरे पास रिपोर्ट है :

[अनुवाद] :

"आकाशवाणी के उपर्युक्त संवर्गों ने दूरदर्शन के पदों पर कब्जा कर लिया है और दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माताओं का उच्चतर पदों, जो केवल दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं की श्रेणियों के लिए दो हैं, पर पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है। 1976 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग करते समय उन्हें यह निर्देश दिए गए थे कि वे वापिस आकाशवाणी चले जाएं लेकिन वे आकाशवाणी नहीं जा रहे हैं और दूरदर्शन के सभी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। जब दूरदर्शन के लिए कोई कार्यक्रम अथवा फिल्म बनानी होती है तब दूरदर्शन के उक्त श्रेणी के व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। निर्माता और सहायक निर्माता निर्माण, निर्देशन, लेखन, आयोजना तथा दूरदर्शन की अन्य श्रेणियों के कार्य का समन्वय करते है। फिल्म बनाने में कैमरामैन, फ्लोर मैनेजर, ग्राफिक्स, सिनी विभाग, मेकअपमैन, लाईटिंग असिस्टेंट शामिल होते हैं। फिल्म की आवश्यकतानुसार फिल्म संपादन उसका संपादन करता है और फिल्म को अंतिम रूप देता है। फिल्म और कार्यक्रम निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया में आकाशवाणी के संवर्ग का कहीं पर कोई काम नहीं होता। यदि आकाशवाणी के व्यक्ति दूरदर्शन छोड़ दें, जहां उनके लिए कोई कार्य नहीं है, तब दूरदर्शन के वास्तविक कार्यकर्त्ता तत्काल दूरदर्शन में उच्चतर पदों पर पहुंच सकेंगे। एस० आई० बी० रिपोर्ट और सूचना मंत्रालय के अध्ययन दल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आकाशवाणी का संवर्ग समाप्त हो रहा है......।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, आपको थोड़े में अपनी बात कहनी है।

श्री मोहन रावले : मैं विनती करना चाहता हूं कि इनके ऊपर अलग-अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, दूरदर्शन अलग किया गया है, लेकिन उनको उसका फायदा नहीं हो रहा है। आकाशवाणी के लोग वहां बैठाये जा रहे हैं, दूरदर्शन के लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी विनती है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रमोशन दिया जाये।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन में स्वास्थ्य से सम्बन्धित ग्रामीणों की समस्या के संदर्भ में सवाल उठाना चाहता हूं। 1977 में मोरारजी भाई की सरकार में स्वर्गीय राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्राथमिक उपचार के लिए एक हजार की आबादी पर…।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में यह आया है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोलने के लिए समय दिया, आपको उसका उपयोग करना चाहिए। मैं दूसरे विषय पर आपको मौका दूंगा।

श्री नवल किशोर राय : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश के तमाम जिलों में दो-दो प्रखण्डों में स्वास्थ्य रक्षक योजना लागू की गई थी। पचास रुपये प्रतिमाह दवा के लिए और पचास रुपये वृत्तिका के लिए देकर इस योजना को प्रारम्भ किया गया था। आज जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन इस योजना की यह राशि वही की वही है। एक परिवार में कम से कम पांच सदस्य होते हैं, एक लाख से अधिक बेरोजगार इस योजना में काम कर रहे हैं। लोगों को और उन्हें दवायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यह एक बेहतर योजना है, इसलिए मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जो यहां बैठी हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम प्रखण्ड जो खाली हैं उनमें भी इस योजना को लागू करना चाहिए और इस राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह दवा के लिए और 500 रुपये वृत्तिका के लिए मंजूर करने चाहिए, जिससे स्वास्थ्य रक्षक दवायें उपलब्ध करा सकें और अपना जीवन निर्वहन इस पैसे से कर सकें।

———

12.58 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में विवरण, आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1760/92]

(3) (एक) खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अंतर्गत खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1761/92]

अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और सभा पटल पर पत्र रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1762/92]

1.00 म० प०

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

सोलहवां, सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) व्हील एण्ड एक्सल प्लांट, येलहंका संबंधी 140वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के बारे में की गई कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) ब्याज कर निर्धारण संबंधी 141वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के बारे मे की गई कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) बिक्री कर संबंधी 161वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के बारे में की गई कार्यवाही संबंधी अट्ठारहवां प्रतिवेदन।

1.01/2 म० प०

[अनुवाद]

कार्य मन्त्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

1.01 म० प०

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु के तंजोर जिले में ओरथानाड में चीनी मिल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार (तंजोर) : महोदय, तमिलनाडु के जिला तंजोर के

ओरथानड में राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। उस क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना करने से यहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और किसानों को उनके गन्ने की फसल का अच्छा लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि ओरथानड के पास ही चीनी मिल स्थापित कर दी जाए तो उत्पादन लागत भी कम हो जाएगी।

(दो) परम्बीकुलम अलियार परियोजना के अन्तर्गत पालक्कड (केरल) को पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : *परम्बीकुलम अलियार, जो कि एक विशाल सिंचाई योजना है, का निर्माण 1958 में तमिलनाडु और केरल के बीच हुए एक समझौते के तहत हुआ था। 1970 में दोनों राज्यों ने परम्बीकुलम अलियार परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किए। जल के बंटवारे पर दोनों राज्यों के बीच समझौते की अवधि 30 वर्ष थी। इसका नवीकरण 1988 में होना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। तमिलनाडु सरकार यह समझती है कि समझौते की अवधि समाप्त होने के साथ ही पूरी परियोजना उनकी हो गई है और वे किसी नए समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। समझौते के तहत चित्तुरपुजा से केरल को 40,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये पर्याप्त जल मिलना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु ने केरल को उसका न्यायोचित भाग भी कभी नहीं दिया क्योंकि वर्षा के मौसम में वे जलाशयों में अधिक पानी छोड़ देते थे और केरल राज्य द्वारा मांगे गए जल की मात्रा में उसे समायोजित कर देते थे।

परम्बीकुलम-अलियार समझौता के तहत केरल को 12,300 मिलियन घनफीट जल प्रति वर्ष शोलयार पोन्नर हाउस से मिलना है, 7,250 मिलियन घनफीट जल मानकादव से और 2,500 मिलियन घनफीट जल परम्बीकुलम बांध समूह से मिलना है जो कि 16,500 मिलियन घनफीट से अधिक है। फिर भी यह देखा गया है कि केरल को औसतन मात्र 10,520 घनफीट जल प्राप्त हो रहा है। इससे पालक्कड क्षेत्र कृषि कार्य में गम्भीर कठिनाई पैदा हो गई है जो कि केरल में सर्वाधिक चावल उत्पादक है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि पालाक्कड को परम्बीकुलम अलियार परियोजना से पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए अविलंब कदम उठाए और किसानों की समस्या का समाधान करे।

(तीन) मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, सात प्रदेशों से घिरे मध्य प्रदेश में यथेष्ठ नदियां है। भरपूर जल है परन्तु धनाभाव के कारण इनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। बड़े बांध निर्धारित समय से दुगुने समय में भी पूरे नहीं हो पाते। बरगी और संजय सरोवर परि-

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

योजना इसका उदाहरण है। अत: बरगी परियोजना की बाईं तट मुख्य नहर और डिस्ट्रीब्यूट्री नहरों की दो वर्षों के अन्दर पूरा कर तथा दाईं तट नहर को जबलपुर जिले की सिंचाई के लिए छोटी बनाकर, और लिफ्ट से जबलपुर जिले के ही अन्य भाग की सिंचाई देने की बनी योजना को स्वीकृति देकर दो वर्षों में पूरा किया जाए. इस हेतु केंद्र सरकार कार्यवाही करे और यथेष्ट धनराशि प्रोजेक्ट-वाईज दे।

इसी तरह संजय सरोवर परियोजना का कार्य भी 2 वर्षों में पूरा हो। कान्दीवाड़ा मुख्य नहर से लिफ्ट करके बाघाट इलाके की सिंचाई और रमाल से गोंडिया छपरा तक की सिंचाई को लेकर इस हेतु संजय सरोवर परियोजना को यथेष्ट धनराशि दें।

पेंच परियोजना शीघ्र प्रारम्भ हो जिसमें सिवनी जिले की सिंचाई के लिए बनायी जाने वाली नहर को प्राथमिकता दी जाये। पेंच के बहते पानी से आदिवासी ब्लाक कुरई की सिंचाई की बनी योजना को मंजूर कर क्रियान्वित कराने हेतु यथेष्ट धनराशि दी जाये।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त कार्यों हेतु धनराशि प्रोजेक्ट-वाईज स्वीकृत कर उन कार्यों को शीघ्र क्रियान्वित कराकर राष्ट्र को समर्पित करें।

(चार) उत्तर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में सॉफ्ट कोक की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश को केन्द्र द्वारा सॉफ्ट कोयला (घरेलू उपयोग का) की आपूर्ति पिछले 6-7 महीनों से नहीं हो रही है, जिसका वितरण "उपभोक्ता वस्तु अधिनियम" के अन्तर्गत किया जाता है। इससे निर्धन वर्ग को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जनता में भारी आक्रोश है।

अत: मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सॉफ्ट कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित कर इसमें वृद्धि की जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन पर और अधिक सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है। कई बड़े बड़े उद्योगों सहित यहां पर पूर्वोत्तर रेल का मंडल कार्यालय भी है परन्तु यहां पर रैल सुविधाओं का काफी अभाव है। इस सम्बन्ध में कई बार अवगत करवाया गया है, परन्तु उन पर अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बरेली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्न रेल सुविधाओं को पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक प्रभावी निर्देश दें :

1. बरेली को बंबई व दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों से जोड़ा जाए।

2. बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर समस्त ट्रेनों का आरक्षण कोटा आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाए।

3. बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूट्रीकृत आरक्षण कार्यालय खोला जाए।

4. बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाए।

5. बरेली चौपला रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाए।

6. नगरिया सादात व कलक्टरगंज रेलवे स्टेशन पर जनता एक्सप्रेस व किसान एक्सप्रेस तथा दिल्ली बालामऊ एक्सप्रेस ट्रेन रोकी जाए।

7. इलाहाबाद-देहरादून (लिंक एक्सप्रेस) वाया बरेली चलाई जाए।

8. बरेली काठगोदाम रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए।

9. श्यामगंज रेलवे स्टेशन जो अनुपयोगी हो चुका है तथा शहर के मध्य में स्थित है, पर पर व्यावसायिक काम्प्लेक्स निर्माण करवाया जाए।

(छः) बिहार में लीलाजन जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का चतरा जिला अति पिछड़ा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बाहुल्य वाले इस जिले में न तो कोई बड़ा कारखाना है और न बेरोजगारों को काम देने वाला कोई अन्य उद्योग है। यहां की जमीन सिंचाई के अभाव में ऊसर पड़ी रहती है। कुछ वर्ष पहले लीलाजन जलाशय योजना बनी थी किन्तु अब तक इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा सका है। इस योजना के कार्यान्वयन होने से इस जिले को 68200 एकड़ जमीन में खरीफ और 22000 एकड़ जमीन में रबी की फसल हो सकेगी। इसकी प्राक्कलित राशि 32 करोड़ 92 लाख रुपयों की थी। केंद्रीय जल आयोग ने इस योजना पर 18 अक्तूबर, 1984 और 52 अक्तूबर, 1991 को पृच्छाएं की हैं। राज्य सरकार ने अधिकांश पृच्छाओं का उत्तर भी दे दिया है। शेष का उत्तर जल आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद देना संभव होगा। केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि वह इस लीलाजन जलाशय योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराए।

(सात) अलेप्पी-कायकुलम रेल लाइन को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वाइस जाम अब्बलोज (अलेप्पी) : रेल मन्त्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह आश्वासन दिया था कि अलेप्पी-कायकुलम रेल लाइन 31 मार्च, 1992 से चालू हो जाएगी। लेकिन कार्य अभी भी पूरा होना बाकी है। रेल मन्त्रालय का यह विचार है कि कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जिससे होकर प्रस्तावित रेल लाइन गुजरती है उन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिए। यदि सरकार कुछ फाटक बना दे तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस रेल लाइन पर कार्य तेजी से पूरा किया जाए।

(आठ) सोन नहर का आधुनिकीकरण करने के लिए बिहार सरकार को और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के सोन नहर की हालत बहुत खराब है। उसके बैंक टूट गए हैं। सोन नहर के नाली एवं लाख भी टूट गए हैं। सोन नहर को नए ढंग से बनाने की जरूरत है। पिछले साल 21 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन इस रुपए से बहुत कम काम होगा।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार राज्य के सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए 20 अरब रुपया भेजा जाए।

———

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा आज 2.10 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.09 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.18 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.18 म० प० पर पुनः समवेत हुई

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93—जारी

ग्रामीण विकास मन्त्रालय

खाद्य मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालय

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय

सभापति महोदय : सभा अब (i) ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 69, (ii) खाद्य मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 30, (iii) कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 4 और (iv) नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग

सं० 9 सभी पर एक साथ चर्चा और मतदान करेगी जिसके लिए 10 घंटे का समय नियत किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के इन मन्त्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रत्येक मन्त्रालय के लिए वे अलग-अलग पर्चियां 15 मिनट के भीतर सभापटल पर भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इन मन्त्रालयों से सम्बन्धित कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली चार अलग-अलग सूचियां तुरन्त सूचना पट्ट पर लगा दी जाएंगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले, तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभापटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 4 में ग्रामीण विकास, खाद्य, कृषि और नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयों से संबंधित मांग सं० 69, 38, 1 से 4 और 9 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1992-93 के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय, खाद्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय तथा नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	26 मार्च, 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
ग्रामीण विकास मन्त्रालय					
69.	ग्रामीण विकास मन्त्रालय	121687,00,000	8,00,000	189122,00,000	542,00,000

1	2	3			4
खाद्य मन्त्रालय					
38.	खाद्य मन्त्रालय	44158,00,000	2310,00,000	220791,00,000	11551,00,000
कृषि मन्त्रालय					
1.	कृषि	35841,00,000	141,00,000	179367,00,000	706,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	2527,00,000	9343,00,000	10873,00,000	9984,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6260,00,000	—	31305,00,000	—
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	4160,00,000	1076,00,000	20932,00,000	5380,00,000
नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
9.	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय	175,00,000	26,00,000	875,00,000	131,00,000

[हिन्दी]

श्री रुद्रसेन चौधरी (बहराइच) : आदरणीय सभापति जी इस वाद-विवाद में अगर एक मंत्रालय जल संसाधन भी जोड़ दिया जाता तो शायद एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास पर बहस और सार्थक हो सकती थी। देश के किसानों ने बहुत ही कम समय में देश को खाद्यान्नों के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बना दिया। भंडारों में इतना अन्न पहुंचा दिया कि अब हमें न अकाल का डर है न किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत है। लेकिन साथ ही साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय कार्य में जो योगदान दिया है उसके लिए हम उन्हें अपनी तरफ से बधाई देते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही शर्मनाक है। इतने दिनों के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के बावजूद गांवों की हालत अभी भी जैसी की तैसी है, विकास की किरण गांवों तक पहुंच नहीं पाई है। गांवों की जनसंख्या जिसका प्रतिशत 91 की जनगणना के आधार पर 75 पाइंट से ज्यादा है, आज भी उसमें से एक-तिहाई लोग, 33.4 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। उनकी दशा को सुधारने के लिए हमारी जो अब तक की नीतियां थीं, ग्रामीण नीतियां, कृषि की नीतियां, वे जिम्मेदार है। शुरू से ही आजादी के बाद से लगातार औद्योगीकरण के नाम पर शहरों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया और ग्रामीण विकास को उचित ध्यान नहीं

दिया गया। उपभोक्ताओं का संरक्षण, साथ-साथ उद्योगों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के कारण ग्रामीण विकास हमारी आंखों से ओझल रहा।

महोदय, कृषि देश का सबसे बड़ा उद्योग है। हमारी पार्टी बहुत पहले से ही लगातार इस बात की मांग करती रही है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज भी वर्तमान सरकार ने इस ओर कोई कदम बढ़ाने के लिए अपनी रुचि नहीं दिखाई है। लगातार गलत नीतियों के कारण व्यवहारिक कृषि नीति नहीं अपनाई गई और देशव्यापी आधार पर हमारे उत्पादन का स्तर भी सन्तोषजनक नहीं रहा। पिछले तीन सालों में ऐसा लग रहा है जैसे मानो कृषि के उत्पादन में कहीं ठहराव-सा आ गया है। वर्ष 1988-89 में हमारा उत्पादन 16.99 टन था और और 1990-91 में यह मात्र 17.62 टन है। तीन साल का अन्तर बहुत कम है और आगे जैसी संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं सांख्यिकी के अनुसार, इक्कीसवीं सदी के मोड़ पर हमें 23 करोड़ टन अनाज चाहिए। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े अगर देखें तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सहज गति से आज की कृषि नीति के आधार पर कामयाब हो सकेंगे।

मैं मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस आधार पर हमें नए आयाम और नई नीतियां खोजनी पड़ेंगी और आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। किसानों का और गांवों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अभी तक कृषि की उपज के लिए किसानों को उनका लाभकारी मूल्य नहीं दे पाए हैं। मुझे याद आता है, 1970-71 में गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपए क्विंटल था, आज ढाई सौ रुपए तय किया गया है। लगभग साढ़े तीन गुना की वृद्धि इसमें हुई है। उसके साथ-साथ कृषि के प्रयोग करने वाली चीजों के दाम देखे जाएं और किसानों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम देखे जाएं, उपभोक्ता वस्तुओं के दाम देखे जायें तो उनके अन्दर अंधाधुंध महंगाई बढ़ी है। पैदावार बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। गेहूं की पैदावार पांच गुना हो गई, चावल की पैदावार दोगुनी हो गई, ड्योढ़ी हुई मोटे अनाजों की पैदावार, लेकिन दालों की पैदावार में बढ़ोत्तरी खास नहीं हो पायी है। गेहूं की पैदावार बढ़ने के बावजूद भी अनुभव यह है कि लगातार किसानों के लिए आवश्यक चीजें, उपभोक्ता सामग्री, खेती के काम में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण बढ़ी हुई पैदावार से जो उनको पैसा मिला, उससे उनके जीवन में कोई खुशहाली नहीं आई, समृद्धि नहीं बढ़ी, पैदावार की जो क्रय शक्ति थी वह कम हो गई। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो आने वाली चुनौती का मुकाबला करने के लिए जो पैदावार में ठहराव आया है, उसके कारण से आगे संकट के दिन आ सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार फिर से अपनी कृषि नीति पर विचार करे। मंत्री जी कहते हैं बार-बार यहां सदन में कि हम नई कृषि नीति पर विचार कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से इन सम्भावनाओं को खोजा जाए। मुझे देश का 32.5 प्रतिशत भाग अब तक सिंचित है, इस सारे सिंचित क्षेत्रफल में गेहूं और चावल की खेती होती है इसलिए उर्वरकों का पूरा डोज देकर सिंचाई की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के बावजूद अभी और कुछ बढ़ोतरी विशेष हो पाएगी, इसकी सम्भावना कम दिखाई देती है। इसलिए बारानी खेती और बखूबी पैदा की जाने वाली फसलों को उगाकर हम इस स्थिति को पूरा करें।

महोदय, इसके साथ-साथ जहां तक किसानों को रोजगार देने का सवाल है, गांवों के अंदर बेरोजगारी है, गांवों के अन्दर अल्प बेरोजगारी है। ग्रामीण खेतिहर मजदूर को जब फसलें आती हैं, तब काम मिलता है, बाकी सारे समय बेकारी में वे गुजर करते हैं। उसके लिए हमको विशेष

रूप से योजना बनानी होगी। लगातार बहुत दिनों से ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम चलता चला आ रहा है, लेकिन इस मंत्रालय के द्वारा हमें जिस प्रकार का एक तंत्र गांवों के अन्दर रोजगार के अवसर पैदा करने का खड़ा करना चाहिए वह नहीं करा पाए हैं। अभी भी गांवों के अंदर उद्योगों की हालत नगण्य है। जो भी गांव में माल पैदा होता है, ऐसा मान लिया गया कि गांव कच्चे माल का उत्पादक है और बाकी इस माल से जो चीजें बनेंगी, वे शहर में बन सकती हैं। जितनी जल्दी इस मान्यता को बदल दिया जाएगा उतनी ही जल्दी गांवों के अन्दर विकास की किरण पहुंच पाएगी, ग्रामीण जीवन समृद्ध हो पाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा और इस रोजगार के साथ उनकी आर्थिक दशा में भी सुधार भी आ जाएगा।

सभापति जी, ग्रामीण विकास के लिए हर साल धन निर्धारित किया जाता है, लेकिन जो व्यय होता है, उसके बारे में बहुत पहले हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी एक आशंका व्यक्त की थी कि इस ग्रामीण विकास पर होने वाले खर्च का केवल 10 प्रतिशत गांवों तक पहुंच पाता है, शेष 90 फीसदी रास्ते में खर्च हो जाता है। पिछली बार सवालों का जवाब देते हुए हमारे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने भी इसी सदन में स्वीकार किया था कि खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, हम भी नजर रख रहे हैं, प्रदेश की सरकारों को नजर रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस तंत्र को जब तक हम कड़ी नजर से नहीं देखेंगे जहां लाभार्थी का सवाल है, गांवों में विकास करने के कार्यक्रमों का सवाल है, वहां जो प्रशासन तंत्र लगा हुआ है, जो सारी मशीनरी लगी हुई है, उसी में किसी न किसी स्तर पर अगर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे और उसके लिए उस पर कड़ी नजर रखकर, अगर गड़बड़ी होती है तो सजा का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में जो हम चाहते हैं, उस स्तर को हम पूरा नहीं कर सकते।

न्यूनतम मजदूरी का भी एक प्रश्न है। जो मजदूरी यहां श्रम विभाग तय करता है, गांव के खेतिहर लोगों को, खेतिहर मजदूरों को उस स्तर पर मजदूरी नहीं मिल पाती। अधिकांश क्षेत्रों में, गांवों में मजदूरी का एक अजीब हिसाब-किताब है। कभी-कभी, कहीं-कहीं तो अनाजों के रूप में मजदूरी दी जाती है, कहीं-कहीं नकद मजदूरी दी जाती है लेकिन मजदूरी का जो न्यूनतम स्तर है, वह गांव का मजदूर कभी प्राप्त नहीं कर पाता, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता है और उस तंत्र के द्वारा ग्रामीण मजदूरों को उचित मजदूरी मिलती रहे, इसके लिए लगातार हमको विशेष रूप से चिन्ता करने की आवश्यकता है।

खेती का एक और क्षेत्र है और वह क्षेत्र है, जहां पैदावार की संभावनाएं बहुत हैं। देश के अन्दर प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं और उन बाढ़ों पर हर साल राहत के नाम पर तमाम पैसा खर्च किया जाता है···(व्यवधान) ··· खा भी लिया जाता है, गांवों का पैसा तो खा ही जाते हैं। बाढ़ों का पैसा खाने में क्या दिक्कत है उनको। लेकिन बाढ़ों का जो क्षेत्र है, वह कृषि की दृष्टि से खेती के मोर्चे पर एक विशेष क्षेत्र है, मुझे आश्चर्य है कि भारत सरकार ने खेती की विशेष दशाओं के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए, मरुस्थल विकास कार्यक्रम है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम है लेकिन बाढ़ग्रस्तता भी खेती की एक विशेष दशा है लेकिन उसके लिए भारत सरकार ने कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं बनाया। बल्कि पिछले वर्ष के रिकार्ड कहते हैं कि हमारे देश में 17.57 लाख हैक्टेयर भूमि की फसलें बाढ़ों से नष्ट हो गई। बाढ़ें नदियों के कछार में आती हैं, जहां मिट्टी उपजाऊ है। वहां भूमिगत जल भी बहुत निकट है। वह खरीफ की फसल बोते हैं किसानों की फसलें बाढ़ों में

चली जाती है, उसके बाद उनको सिर्फ रबी की फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम बनाकर विशेष योजना स्वीकार करके भारत सरकार इन क्षेत्रों में जहाँ भूमिगत पानी नजदीक है, सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करे, नमी के आधार पर फसलों के उत्पादन की योजना बनाए तो ग्रीष्मकालीन फसलें बखूबी उपजाई जा सकती हैं और इन फसलों के द्वारा उन किसानों के लिए क्षेत्र दो फसली भी हो जाएगा और उसके साथ-साथ देश के अन्न भण्डारों में अतिरिक्त अनाज भी पहुंच जाएगा।

मैंने पहले ही कहा, गेहूं की उपज की वृद्धि में सम्भावनाएं क्षीण हैं, चावल की उपज की वृद्धि में भी सम्भावनाएं क्षीण है लेकिन अभी भी बहुत बड़ा क्षेत्र मोटे अनाजों का और दालों का है, जिसकी उपज के लिए अगर नई नीति में विशेष योजना बारानी खेती की, बेहतर जल प्रबन्ध की बनाई जाए तो उसमें से कुछ न कुछ अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। मोटे अनाजों की पैदावार में और दालों की पैदावार में न ज्यादा पानी की जरूरत है और न ज्यादा उर्वरकों की जरूरत है। इसके लिए मुझे एक ही बात कहनी है कि हमारे वैज्ञानिक विशेष रूप से बारानी खेती के लिए मोटे अनाजों की खेती के लिए और दालों की खेती के लिए नई कृषि पद्धति की विशेष तकनीक का, उन्नत बीजों का आविष्कार करें, किसानों तक पहुंचाएं और इस प्रकार देश के अन्दर जो ठहरी हुई खेती में पैदावार की हालत पहुंच गई है, उसमें वृद्धि करें।

मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से देश के अन्दर जो क्षेत्रीय असन्तुलन कायम हो गया है, जहां-जहां सिंचित दशाएं थीं, जहां-जहां हरित क्रान्ति का काफी कुछ बोलबाला रहा, उसके आधार पर कृषि के क्षेत्र में भी संतुलित उपज न होने के कारण से सारे देश के अन्दर क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा हुआ है। इसको भी दूर किया जा सकता है। निश्चित रूप से बारानी खेती का विकास करने के बाद, बेहतर जल प्रबन्ध करने के बाद सारे देश के अन्दर उपज बढ़ेगी, संतुलित व्यवस्था होगी और उसमें से हम आगे आकर अपने देश के भण्डारों को भरेंगे।

गांवों में, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया, 33.4 प्रतिशत लोग यानि एक-तिहाई लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। वे कुपोषण के शिकार हैं। मोटे-मोटे तौर पर जहां पोषाहार की बात चलाई जाती है, वहां पर आम आदमी को; छोटे आदमी को मोटा अनाज, दालें उपलब्ध करा दी जायें, तो निश्चित रूप से पोषक तत्वों का कुछ हद तक समावेश उसमें किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी अभी पधारे हैं, इसी प्रकार की खेती नई योजना के द्वारा मोटे अनाज को ज्यादा बल देकर, दालों के उत्पादन को बढ़ावा देकर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पैदा करके हम देश को और देश के गरीबों को अच्छा व पौष्टिक आहार अन्न का साधन जुटा सकते हैं।

आज गांवों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गांवों के अन्दर लोगों के पास वर्ष भर के लिए काम नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से गांवों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटी-छोटी योजनायें और जिनका हिसाब यहां मैन-डेज में किया जाता है, ऐसी योजनायें चलाई जाती हैं। उन मैन-डेज के आधार पर भी हम कोई स्थायी रोजगार नहीं दे पाते हैं। केवल आंकड़ों में ही उसका हिसाब होता है। मैनडेज कैसे बनाए जाते हैं, इसका अगर हिसाब लगायें, तो ज्यादातर जो योजनायें बनती हैं, उनका मस्टर-रोल बनता है। मस्टर-रोल में सच्चाई क्या है, यह भी किसी से छिपी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि गांवों के अन्दर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग,

लघु उद्योग और उसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनायें कि इस वर्ष में इतना और उस वर्ष में इतना लेंगे, तो निश्चित रूप से गांवों की बेकारी को हल किया जा सकता है। लघु उद्योगों में एक समस्या और है। गांवों के अन्दर कुटीर उद्योग हम खोल देंगे और उसके साथ-साथ उनके लिए साधन भी जुटा देंगे, लेकिन उनका माल आज के इस चकाचौंध बाजार के अन्दर स्थान पा सकेगा, इसके लिए भी हमको विशेष रूप से चिन्ता करनी होगी। इस नाते उनको उत्तम तकनीक दी जाए, ताकि अच्छा माल वहां बन सके। इसके लिए सारे साधन जुटाए जायें और साथ-ही-साथ कुछ ऐसा कुछ प्रदान किया जाए, ताकि जो माल, जो चीज ग्रामीण उद्योगों में बनें, उनके लिए बड़े उद्योगों को रोका जाए।

उदारीकरण का एक नारा चला है, एक नीति चली है। मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं, आयेंगे और देश के अन्दर अपने कारखाने लगायेंगे। लेकिन हम अन्धाधुन्ध तरीके से उपभोक्ता वस्तुओं के अन्दर भी कारखाने लगाने का मौका दे दें, तो आज गांवों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। पैपसी एक कम्पनी जो यह काम कर रही है, वह आलू चिप्स भी बनाती है और आलू चिप्स का रेट सौ ग्राम के लिए दस रुपए और दो सौ ग्राम के लिए सौलह रुपए है, जबकि आलू का भाव कुल जमा एक रुपए या दो रुपए किलो है। अगर फसल का समय नहीं भी है, तो हो सकता है कि चार रुपए किलो हो, लेकिन वह भी किसानों को नहीं मिलता है। वह कोल्ड स्टोर वालों के हाथ में जाता है, लेकिन चिप्स बनाने का काम कोई बड़ी कम्पनी करे, इससे कोई ग्रामीण समस्या हल नहीं होनी है। वह जो छोटे-छोटे काम हैं और इन कामों को गांवों के अन्दर छोटे-छोटे कारखाने लगाकर किया जा सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए और मेरा सुझाव है कि विशेष रूप से एक नया कार्यक्रम स्वीकार करें, ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण उद्योगों का एक ऐसा जाल बिछाया जाए, जिसे उद्योगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र को ही वरीयता दी जाए और उसके आधार पर उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। ऐसी तकनीक उनको उपलब्ध कराई जाए ताकि जो शहरी उत्पाद हैं उनके कंपीटिशन में वे टिक सकें और अपने लिए खुशहाली का रास्ता भी आगे बढ़ा सकें।

सभापति महोदय, इस आधार पर ये योजनाएं चलें तो मुझे आशा है कि कुछ उसमें से सार्थक नतीजे भी निकलेंगे और कुछ काम भी होगा। दरिद्रता उन्मूलन एक और क्षेत्र है, जिसके बारे में बड़ी चर्चा है, ग्रामीण विकास के नाम पर अनेक योजनाएं हैं, उसमें से ये विशेष रूप से चलाया जाता है, लाभार्थियों का चयन होता है, लाभार्थियों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं लेकिन मेरा अब तक का अनुभव यह है, मैं तो गांव से आया हूं, लाभार्थियों की कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि उनका नाम लिख जाता है, बैंक में उनके नाम कर्जा भी चढ़ जाता है और जो कुछ उनको मिलना चाहिए, वहां तक न उसकी पहुंच है और न उसके पास वह पहुंचता है। अब इस तंत्र को और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए कोई न कोई विशेष उपाय खोजना होगा।

अभी मुझे 18 मार्च की इसी सदन की एक प्रश्नोत्तर काल की घटना याद आती है, सवाल था जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें पिछले वर्ष में बनीं, जवाब मंत्री जी की तरफ से आया और उसके बाद जब पूरक प्रश्न पूछा गया कि इसमें सत्यता कितनी है, जो आंकड़े आपने उपलब्ध कराए हैं तो स्पष्ट जवाब दिया गया कि यह जिम्मेदारी मेरी नहीं है, यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मैं तो मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गाइड लाइन सब चीजों में आप बनाना चाहते हैं, आखिर इस मूल्यांकन के लिए कोई गाइड लाइन आपने क्यों नहीं बनाई

और क्यों नहीं बनाई जानी चाहिए। सांख्यात्मक आधार पर मूल्यांकन करके कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए, उनकी हालत क्या हो गई कि वे और ज्यादा गरीब हो गए या तो मजदूरी करके जो खाते थे उनसे भी उनकी हालत बदतर हो गई, जब तक मूल्यांकन का कोई आधार नहीं बनता, विशेष रूप से उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता तब तक इसमें कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल सकता है।

मैं इस आधार पर मंत्री जी से कहना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा कि किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए जो नयी कृषि मूल्य नीति है उसके अन्दर विशेष रूप से विचार किया जाए। एग्रीकल्चर के जो काम आने वाली चीजें हैं, बाजार में जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके साथ उसका तालमेल रखा जाए और साथ ही साथ ग्रामों के अन्दर उद्योगों का जाल बिछा कर गांवों की बेरोजगारी को दूर करते हुए ग्रमीणों की आर्थिक दशा में सुधार लाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णानगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपए किया जाए।"

[जवाहर रोजगार योजना के लिए अधिक धन राशि प्रदान करने में असफलता।] (3)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपए किया जाए।"

[भूमि सुधारों के लिए कारगर उपाय करने में असफलता।] (4)

श्री आयनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों के परिरक्षण के लिए छोटे शीत भण्डार-गृह बनाने में असफलता ताकि छोटे शीत सीमांत किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें।] (5)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि सीमा फालतू भूमि वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन किसानों को आवंटित की गयी भूमि के कब्जे मिले हैं, कारगर उपाय करने में असफलता। (6)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में असफलता ।] (7)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए धन के आवंटन में वृद्धि करने में असफलता ।] (8)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[भूमि के पुनः वितरण हेतु भूमि सुधार कार्य को कार्यान्वित करने में असफलता ।] (9)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[उत्पादकता से जुड़े स्वः रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के सभी युवकों को पर्याप्त सुविधायें तथा धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता ।] (38)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में स्वः रोजगार अभियान आरम्भ करने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता ।] (39)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[भूमि सुधार को लागू करने तथा फालतू भूमि को भूमिहीन लोगों को वितरण किए जाने की आवश्यकता] (40)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[लघु तथा सीमान्त किसानों को वरीयता देते हुए भूमि की चकबन्दी किये जाने की आवश्यकता ।] (41)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[चकबन्दी, भूदान तथा बटाई पर होने वाली खेती से संबंधित कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता । (42)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[ग्रामीण विकास के लिए बजट प्रावधानों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता ।] (43)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (54)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[देश में भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता।] (58)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भूमिहीन लोगों को भूमि का वितरण करने तथा भूमि का कब्जा देने की आवश्यकता।] (59)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।] (60)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राजस्थान के प्रत्येक गांव में पेयजल की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।] (61)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[ग्रामीण विकास के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता।] (62)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राजस्थान में घर बनाने के लिए ग्रामीण गरीब लोगों को अधिक केन्द्रीय धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता।] (63)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राजस्थान के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (64)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[गांवों में न्यूनतम मूल सुविधायें और प्रसुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (65)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[अधिक ग्रामीण रोजगार अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (66)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में सभी युवकों को पर्याप्त सुविधायें और धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (67)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[लघु और सीमान्त किसानों को प्राथमिकता देकर भूमि की चकबन्दी किए जाने की आवश्यकता।] (68)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[देश में भूमि सुधारों के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता।] (116)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[देश के बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए आबंटित राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (117)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता।] (173)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

["इन्दिरा आवास योजना" के अन्तर्गत राजस्थान में अनुसूचित जातियों के लिए अधिक आवासों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।] (174)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[राजस्थान में स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (175)

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[किसानों को लाभप्रद मूल्य देने में असफलता ।] (88)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में भूमि सुधारों को लागू करने में कदम उठाने में असफलता ।] (89)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए कदम उठाने में असफलता ।] (90)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने में असफलता ।] (91)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सम्पूर्ण देश में भूमि सुधार की प्रक्रिया में तीव्रता लाये जाने की आवश्यकता।] (156)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता।] (157)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सभी राज्यों में भूमिहीनों को अतिरिक्त भूमि वितरित किए जाने की आवश्यकता।] (158)

श्री ए० इन्द्रकरण रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेरोजगार युवकों को उत्पादनकारी स्व-रोजगार के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (161)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भूमि सुधारों के क्रियान्वयन, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने और पेड़ों का संरक्षण करने में असफलता।] (162)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[ग्राम पंचायतों को पर्याप्त मात्रा में शक्तियां दिलाये जाने में असफलता।] (163)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन रोकने में असफलता।] (164)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विद्युतीकरण करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने में असफलता।] (165)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पेय जल की समस्या का समाधान करने में असफलता।] (166)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[ग्रामीण बेरोजगारी का उन्मूलन करने में असफलता।] (167)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[प्रत्येक व्यक्ति को काम तथा कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराये जाने में असफलता।] (168)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में निर्धनता को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराये जाने में असफलता।] (169)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन करने में असफलता।] (170)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान के पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (171)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भूमि की चकबन्दी और सभी ग्रामों को यातायात के साधन उपलब्ध कराये जाने में असफलता।] (172)

श्री आयनल अबेदिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद का कार्य समय पर शुरू किए जाने में असफलता।] (1)

श्री मदन लाल खुराना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[10 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए जनवरी, 1992 में की गयी सरकारी घोषणा को लागू करने में असफलता।] (3)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश की सभी पंचायतों में खाद्यान्नों को निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने की आवश्यकता] (4)

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भारतीय खाद्य निगम में सुधार किए जाने की आवश्यकता ताकि इसके कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।] (14)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का आधुनिकीकरण करने तथा उनके उचित रखरखाव की आवश्यकता] (15)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त भण्डारण तथा भाण्डागार सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (16)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा कृषि उत्पादों की समय पर खरीद करने तथा कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए आवश्यक प्रबंध करने की आवश्यकता।] (17)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान के गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में चीनी मिल स्थापित करने तथा वहां उस पर आधारित तिलहन उद्योग लगाने की आवश्यकता।] (18)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[खाद्यान्नों में काला बाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी रोकने तथा बिना किसी प्रतिबंध के एक राज्य से दूसरे राज्य से खाद्यान्नों को लाने ले जाने की सुविधा न प्रदान करने की आवश्यकता।] (19)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय पर खाद्यान्न खरीदने की आवश्यकता।] (20)

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[वृद्ध किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान किए जाने में असफलता।] (1)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।] (34)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पश्चिम बंगाल में पान पत्ता अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।] (35)

श्री आयनल अबेदिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[खाद्यान्नों तथा तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में असफलता।] (2)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम ककके 1 रुपया किया जाए।"

['प्रयोगशाला को भूमि' तक ले जाने वाली योजना को लागू करने में असफलता।] (3)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में असफलता।] (4)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[लघु तथा सीमान्त किसानों के कृषि उत्पादन की मजबूरन बिक्री को रोकने में असफलता।] (5)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[हमारे देश में अनाजों तथा दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने में असफलता।] (6)

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य घोषित करने में असफलता।] (64)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि उत्पादों के आदानों तथा समर्थन मूल्यों पर राज सहायता हटाए जाने के सुझाव के बारे में डंकेल प्रस्तावों को रद्द किए जाने की तत्काल आवश्यकता।] (12)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"

[पूरे देश में सड़कों तथा राजमार्गों के दोनों तरफ फलों के वृक्ष तथा अन्य वृक्ष लगाए जाने की आवश्यकता।] (13)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।",

[पूरे देश में नदियों के दोनों किनारों पर फलदायक वृक्षों तथा अन्य वृक्ष लगाए जाने की आवश्यकता।] (14)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्तरी बिहार में बोकूला तथा अन्य दालों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता।] (15)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश में दालों के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता।] (16)

"कि कृषि तथा सहकारी विभाग की अन्य सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश के प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए एक अलग सहकारी संस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता।] (29)

"कि कृषि तथा सहकारी विभाग की अन्य सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश के प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के लिए एक अलग सहकारी संस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता।] (30)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[विशेष रूप से बीजों को संकर बनाने के मामले में प्रसंस्करण के बजाय उत्पादों को एकस्व बनाने के प्रस्तावों को रद्द किए जाने में असफलता।] (33)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश में मखानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाने की आवश्यकता।] (36)

"कि पशुपालन तथा डेयरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, सुअर पालन तथा मुर्गी पालन के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादक स्वःरोजगार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।] (37)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[तिलहनों और दलहनों के खरीद मूल्यों में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (54)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि उत्पादों की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए रियायती दरों पर आदान देने की आवश्यकता।] (55)

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि कृषि मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कूच बिहार जिले में तम्बाकू उत्पादकों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।] (68)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[कृषि आदानों पर मिलने वाली राज सहायता तथा कृषि उत्पाद के समर्थन मूल्य को समाप्त करने के सुझाव देने वाले डंकल प्रस्तावों को रद्द करने में असफलता। (90)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[गरीब किसानों को निःशुल्क उर्वरक उपलब्ध कराने में असफलता।] (91)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[खाद्यान्नों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में असफलता तथा आयात पर निरंतर निर्भरता।] (72)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने में असफलता।] (73)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[देश में, विशेषकर ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में खाद्यान्न की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने में असफलता।] (74)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[कृषि उपज के लिए उचित विपणन प्रणाली का विकास करने में असफलता।] (75)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[आदानों पर राजसहायता को समाप्त करने तथा कृषि उपज के लिए समर्थन मूल्यों के बारे में डंकेल प्रस्तावों को रद्द करने में असफलता।] (76)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[किसानों को राहत देने के लिए मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करने में असफलता।] (77)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[कृषि को उद्योग के समान मानने में असफलता।] (78)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[आयात खत्म करने के लिए अधिक तिलहनों के उत्पादन हेतु किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने में असफलता।] (79)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[देश में, विशेषकर पिछड़े राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफलता।] (80)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[बिहार राज्य में कृषि के विकास के लिए पर्याप्त अनुदान दिए जाने में असफलता।] (81)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[लघु सीमांत और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए सहकारी विपणन का विकास करने में असफलता।] (82)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि नीति की समीक्षा करने में असफलता।] (83)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[देश में फसल बीमा योजना को यथाशीघ्र कियान्वित करने में असफलता।] (84)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए किया जाए।"

[नकली और खतरनाक कीटनाशक औषधियों के प्रयोग पर रोक लगाने में असफलता।] (85)

"कि पशु पालन और डेरी कार्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[डेरी कार्य, बकरी पालन, मुर्गी और मछली पालन आदि के माध्यम से उत्पादनकारी स्वरोजगार का विकास करने की आवश्यकता।] (88)

"कि पशु पालन और डेरी कार्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिहार में केंद्रीय सहायता के द्वारा दुधारू पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।] (89)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[किसानों को, विशेष रूप से राजस्थान में आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।] (86)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता।] (89)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि को उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता।] (102)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान में शुष्क कृषि के लिए अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता।] (103)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सम्पूर्ण देश में कृषि के क्षेत्र में विकास का स्तर समान बनाए रखने की आवश्यकता।] (104)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता।] (105)

'कि कृषि मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[फसल बीमा योजना का विस्तार किए जाने की आवश्यकता।] (106)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जायें।"

[छोटे तथा सीमांत किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता।] (107)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[राजस्थान के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की आवश्यकता।] (108)

"कि पशु पालन तथा डेरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान में दूध के उत्पादन में युद्ध स्तर पर वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।] (109)

"कि पशु पालन तथा डेरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान में पशुपालन के लिए अधिक धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता।] (110)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि उत्पाद के विपणन का विकास किए जाने की आवश्यकता।] (173)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[नकली और खतरनाक कीटनाशक औषधियों के प्रयोग को रोकने की आवश्यकता।] (174)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[गरीब किसानों को निःशुल्क उर्वरक दिए जाने की आवश्यकता।] (175)

"कि कृषि मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[तिलहनों और दलहनों के खरीद मूल्यों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।] (176)

"कि कृषि मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भूकंप प्रभावित राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।] (177)

"कि पशुपालन और डेरी कार्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान में केंद्रीय सहायता से बुभारू पशु प्रजनन फार्म खोले जाने की आवश्यकता।] (182)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भूमि की उत्पादकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता।] (221)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[किसानों को समय से बीज और खाद उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।] (222)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि कृषि मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[फसल बीमा योजना लागू करने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने में असफलता।] (92)

"कि कृषि मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पान की खेती का विकास करके किसानों को लाभ पहुंचाने में असफलता।] (93)

"कि कृषि मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[कृषि को उद्योग का दर्जा देने में असफलता।] (94)

"कि कृषि मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[शुष्क कृषि का बड़े पैमाने पर विकास करने के लिए राज्यों को अधिक धन देने में असफलता।] (95)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[कृषि उत्पादों का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को रियायती दरों पर आदान दिए जाने की आवश्यकता।] (119)

"कि पशुपालन तथा डेरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[डेरी उद्योग का उचित विकास विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उचित विकास किए जाने की आवश्यकता।] (122)

श्री एम० रमण्णा राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[किसानों को राहत देने के लिये कीमतों में वृद्धि के अनुरूप कृषि उपजों की लाभकारी कीमतें निर्धारित करने में असफलता।] (158)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[कृषि मजदूरों और निर्धन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने में असफलता।] (159)

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने में असफलता।] (195)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कृषि उपज बढ़ाने और किसानों के लिए समय पर लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित करने में असफलता ।] (196)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने और उन्हें अधिक कारगर, संसाधनयुक्त, सुसज्जित और किसानों के लिए लाभदायक बनाने में असफलता ।] (197)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[राजस्थान में तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।] (198)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[गरीब किसानों के ऋण पूरी तरह माफ करने में असफलता ।] (199)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[राजस्थान में कृषि के विकास के लिए पर्याप्त अनुदान देने की आवश्यकता ।] (200)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भूमिहीन कृषि मजदूरों और उन किसानो की जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं, हितों की रक्षा करने मे असफलता ।] (201)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता में वृद्धि करने में असफलता ।] (202)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कृषि उपजों के भण्डारण, वितरण, विपणन और वहन की सुविधाएं प्रदान कराने में असफलता ।] (203)

"कि पशुपालन और डेरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[गाय की नस्ल में सुधार करने और गायों के लिए शेड बनाने हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।] (215)

"कि पशुपालन और डेरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[मुर्गी पालन, मछली पालन, भेड़ पालन और पशु पालन तथा अनेक पशुओं की मूल जातियों की रक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।] (216)

"कि पशुपालन और डेरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश विशेषकर राजस्थान में श्वेत क्रांति लाने और डेरी उद्योग का विकास करने की आवश्यकता ।] (217)

"कि पशुपालन और डेरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[फसल बीमा योजना को कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता।] (218)

"कि पशुपालन और डेरी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि उपजों में सुधार करने के लिए राज्यों को सहायता देने की आवश्यकता।] (219)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने में असफलता।] (220)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश के अकाल तथा सूखे से ग्रस्त राज्यों को विशेषकर राजस्थान को और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।] (223)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[छोटी जोत के किसानों को विशेषकर राजस्थान के अरावली क्षेत्र के किसानों को समय उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (224)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा अनुसंधान संस्थानों को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता।] (225)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[किसान मेला आयोजित कर कृषि अनुसंधान संस्थान तथा विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार किसानों को आधुनिक तकनीकी से अवगत कराने की आवश्यकता।] (226)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि उत्पाद के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने की आवश्यकता।] (227)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अकाल तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (228)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सभी किसानों को उर्वरकों पर राज सहायता दिए जाने की आवश्यकता।] (229)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि को उद्योग घोषित करने की आवश्यकता ।] (230)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में उचित वृद्धि किए जाने की आवश्यकता ।] (231)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[बूढ़े तथा बेसहारा किसानों को पेंशन दिए जाने की आवश्यकता ।] (232)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता ।] (233)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[पेयजल की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता ।] (234)

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने में असफलता ।] (204)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[गरीब किसानों और कृषि मजदूरों को वृद्धावस्था पेंशन देने में असफलता ।] (205)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[पान के पत्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में पान पत्ता अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने में असफलता ।] (211)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[पश्चिम बंगाल में कल्याणी विश्वविद्यालय को पान अनुसंधान की सुविधा देने में असफलता ।] (212)

श्री ए० इन्द्रकरण रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के कपास उत्पादक क्षेत्रों में फसल बीमा योजनाएं आरंभ करने की आवश्यकता ।] (206)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कपास उत्पादकों विशेषकर आदिलाबाद जिले के उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।] (207)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[प्रति एकड़ कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सस्ती दरों पर आदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।] (208)

श्री आयनल अबेदिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित मात्रा में पर्याप्त खाद्यान्नों का आबंटन तथा पूर्ति करने में असफलता ।] (2)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में सस्ती दरों पर सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता ।] (4)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[राजस्थान के लिए गेहूं, चावल और चीनी के कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता ।] (12)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[उचित दर दुकानों से अन्य वस्तुएं बेचने की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता ।] (13)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अच्छी किस्म का गेहूं सप्लाई किए जाने का आवश्यकता ।] (14)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को मोटा कपड़ा वितरित किए जाने की आवश्यकता ।] (15)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मोटे अनाज का वितरण किए जाने की आवश्यकता।] (16)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[उचित दर दुकानों के माध्यम से राजस्थान में किसानों को पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने की आवश्यकता।] (17)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।] (18)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दर दुकानों से सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की आवश्यकता।] (28)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त खाद्यान्न आवंटित करने की आवश्यकता।] (29)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटी जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता।] (30)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं को सभी पंचायतों में निर्धारित दरों पर वितरित किए जाने की आवश्यकता।] (31)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता।] (64)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान के लिए पामोलीन तेल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता।] (65)

"कि नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान को 1991 की जनगणना के आधार पर गेहूं, चावल, चीनी और पामोलीन आवंटित किए जाने की आवश्यकता।] (87)

श्री रासा सिंह रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पूरे देश में विशेषकर राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।] (75)

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान में उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रतिमाह गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, सस्ता कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता।] (76)

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता समितियां बनाने की आवश्यकता।] (72)

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले, अंत्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विशेष उपबंध करने की आवश्यकता।] (78)

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान के अजमेर जिले में पहाड़ी क्षेत्रों और दूर-दराज के गांवों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुएं समय पर और पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने की आवश्यकता।] (79)

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुफ्त राशन देने की आवश्यकता ।](80)

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[राजस्थान को दिए जाने वाले पामोलीन तेल की मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता ।] (81)

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि मे 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[सहकारिताओं और दुकानदारों को खाद्य गोदामों से समय पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की आवश्यकता ।] (82)

"कि नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान को उसकी मांग के अनुसार गेहूं, चावल, तेल और चीनी के आवंटित कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता ।] (83)

श्री के० वी० तंग्काबालू (धर्मपुरी) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास, खाद्य, कृषि एवं नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, इस विशाल देश में बहुत बड़ी संख्या में कृषक हैं। सर्वप्रथम हमें इस बात का गर्व है कि हमारा देश कृषि प्रधान है और मैं स्वयं भी कृषक समुदाय से हूं। मुझे इस महान सभा का सदस्य होने और कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों को समर्थन देने का गर्व है। इस महान देश के कृषकों ने आजीवन देश के विकास में अपना योगदान दिया है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे कृषकों ने जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर गौरवान्वित होना चाहिए और हमारे कृषकों को बधाई देनी चाहिए।

सर्वप्रथम, आजादी के गठित सरकारें विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया। इस महान राष्ट्र की अधिसंख्य जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और विशेष तौर पर देश के विकास कार्यों से उनका सबसे अधिक योगदान है। बिना कृषि के—इस क्षेत्र के बिना—देश इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। कृषक दिन-रात मेहनत करके जीवन के हर क्षेत्र में लोगों के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है, अतः हमें कृषि क्षेत्र से जुड़े उन देशभक्तों के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहिए। इस वर्ष भी हमारी सरकार पहले की तरह ही जैसाकि मैंने पहले कहा, महान नेताओं श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की सरकारों के तरह ही कृषि क्षेत्र को 50 प्रतिशत आवंटन देकर महत्व प्रदान किया है। कृषि का विकास का अर्थ राष्ट्र का विकास है। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को अधिक महत्व दिया है। इस वर्ष हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी वैसा ही किया है जैसा कि हमारे

नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव जी ने किया था। हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ जी यहां विद्यमान हैं; ये स्वयं भी कृषक समुदाय से सम्बन्धित हैं; हमारे कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं; और स्वयं एक कृषक होने के नाते इन्होंने इस क्षेत्र को काफी महत्व प्रदान किया है। अतः यह हमारा सौभाग्य है कि कृषि मंत्रालय को उनका नेतृत्व मिला है।

इस वर्ष कृषि मंत्रालय के लिए 3172.40 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। इस 3172.40 करोड़ रुपए की कुल आबंटित राशि में से कृषि के लिए 2217.95 करोड़ रुपए, सहकारिता के लिए 370 करोड़ रुपए, कृषि अनुसंधान के विकास हेतु 375.65 करोड़ रुपए और पशु-पालन के 208.80 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 3172.40 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है।

हमने कृषि क्षेत्र को आबंटित की जाने वाली राशि में हर साल वृद्धि की है क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम इस क्षेत्र को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। इस समय मैं माननीय प्रधान मन्त्री और माननीय कृषि मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले लोगों को इस बात का भ्रम था कि यह सरकार उर्वरकों, जो कि कृषि आदान की चीज है और जो कि कृषि के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, के लिए किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को कम कर देगी। लेकिन यह कहते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य करते हुए इस हेतु 5000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। इससे लोगों को वास्तव में राहत का एहसास हुआ है। इससे इस देश के किसानों में आत्म-विश्वास की भावना जाग उठी है कि हमारी कांग्रेस सरकार हमेशा ही किसानों के साथ है और यह हमेशा उनकी मदद करती रहेगी।

जैसा कि मैंने कृषि-अनुसंधान के बारे में बताया है, यह एक लगातार प्रक्रिया है जो कि हम कर रहे हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र की ओर हमारी विकासकारी विचारधारा और कार्यकलाप तेजी से बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए हमने 378 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 'कृषि विज्ञान केंद्र' के नाम से एक कार्यक्रम बनाया था। इस देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसके जरिए प्रत्येक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, उसका अनुसंधान किया जाएगा और इसका विश्लेषण किया जाएगा। कृषि प्रणाली के विकास के लिए यह एक रचनात्मक कदम सिद्ध होगा।

हम जानते हैं कि तिलहनों के बारे में हमें भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत ही दृढ़ तथा रचनात्मक संकल्प रखते हैं। उन्होंने बताया कि हम इस संकट से निकल आएंगे और इसके लिए इस साल के बजट में ही हमने 73.22 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

एक अन्य क्षेत्र जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा, फसल बीमा है। हमारी सरकार ने कुछ समय पहले किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए, खासकर फसल नष्ट होने की समस्या को लेकर, कई नई तजवीजें निकाली हैं। हमने कई नियम और विनियम इस बारे में बनाये हैं और विधेयक पास किए हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार की सलाह पर देश के लगभग 19 राज्यों तथा तीन केंद्र

प्रशासित राज्य यह स्कीम लागू कर चुके हैं, इसी एक साल में ही हमने इस विशेष कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए की धनराशि पहले से ही आबंटित कर रखी है।

हमारे मन्त्री महोदय समस्याओं के निवारण और सहायता कार्यों में बहुत ही रुचि रखते हैं। पिछले बजट में भी हमने इस पर चर्चा की थी। अब फसल बीमा योजना तालुकों के आधार पर है। तालुक का क्षेत्र किसानों की वास्तव में सही सहायता नहीं कर पा रहा, क्योंकि चाहे सूखा पड़े अथवा अन्य प्राकृतिक विपदा आये, वह तालुक के पूरे क्षेत्र को तो प्रभावित नहीं करते। जब समूचा तालुक प्रभावित होता है केवल तभी फसल बीमा सुविधा स्वीकार्य होती है। किसी तालुक में 10 गांव अथवा 15 गांव ही प्रभावित होते हैं। अतः अन्य गावों के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि यदि बाढ़ अथवा अन्य किसी प्राकृतिक विपदा से कोई किसान प्रभावित होता है तो ऐसे प्रत्येक किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले से ही सहमत हैं। परन्तु इस बारे में इस सदन में इसी सत्र में आवश्यक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे आम किसानों को बहुत लाभ होगा।

उस दिन आपने इसी माननीय सदन में कृषि-नीति घोषित करने की कृपा की थी। हम पूरी उम्मीद के साथ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे किसानों को इस नीति की आवश्यकता है। इसका बहुत असर होगा, इससे उन्हें सहायता मिल पाएगी, उत्पादन पर और किसानों के कार्यकरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा तथा उनके कष्ट कम होंगे। हाल ही में हमारी सरकार ने पांच वर्ष के लिए एक व्यापार-नीति की घोषणा की। इसी तरह कृषि मन्त्री से हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि एक ऐसी पंचवर्षीय योजना नीति तैयार की जाए जिससे हमारी जनता की, विशेषकर किसानों की सहायता हो सके ताकि सरकार की नीति के बारे में उन्हें विश्वास हो सके। उनके उत्पादों की कीमतें, उनका उत्पादन, उनका कामकाज, खेतीबाड़ी आदि प्रत्येक चीज सुधर जाएगी। हर चीज का कोई स्तर बन सकेगा। कुछ अच्छे प्रभाव सामने आ सकेंगे।

मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि हमें एक व्यापक कृषि नीति और मूल्य नीति लानी चाहिए। इससे कीमतों में भी अस्थिरता दूर हो सकेगी। इससे किसानों को भी मूल्य-वृद्धि की स्थिति में अपना उचित लाभ मिल सकेगा। इस नीति से सख्त परिश्रम करने वालों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

आज हमारा देश आत्मनिर्भर है। हमारे यहां खाद्यान्नों का उत्पादन 176.23 मिलियन टन तक हो रहा है। यह देख कर हमें खुशी होती है। यहां तक कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5.19 मिलियन टन अधिक उत्पादन हुआ है। किसानों को उनकी ऐसी उत्पादन शक्ति के लिए बधाई दी जानी चाहिए और उन्हें अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए क्योंकि आम धारणा यह है कि इस देश में कृषक वर्ग का जीवन और मृत्यु गरीबी से जुड़ी है। इस तरह की भावना समाप्त होनी चाहिए। हमने अपने किसानों को पर्याप्त संरक्षण दिया है। निस्संदेह अब यहां आज वैसी स्थिति तो नहीं है लेकिन अभी भी सरकार से हमें अधिक संरक्षण की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लोगों को और कृषक-वर्ग को सरकार की नीतियों से लाभ हो सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कृषि क्षेत्र में उधार देने की जो प्रणाली है, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में, उस पर ब्याज बहुत अधिक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ब्याज की दर का प्रतिशत बहुत ऊंचा है हमारी यह मांग रही है कि किसानों के लिए यह दर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आप स्वयं भी इस मांग को उठाने वाले लोगों में अग्रणी रहे हैं और आज आप कृषि मंत्री हैं। हमारी यह मांग थी कि सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि सहकारी क्षेत्र में ब्याज की दर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने उद्योगों के लिए अत्यधिक ऋण दिए हैं जिसमें से 3000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण वापिस भी नहीं आए हैं। इनकी वसूली नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति है। जबकि कृषि के क्षेत्र में जहां कि 11 अथवा 12 अथवा 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दिए जाते हैं, तो इनके लिए इन ऋणों को चुकाना बहुत ही कठिन है। अधिकतर क्षेत्रों में प्राकृतिक विपदाओं अथवा सूखा आदि के कारण वे लोग अपने ऋणों की अदायगी करने की स्थिति में नहीं हैं। यह भी एक कारण है जिसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वित्त मंत्री जी को इस बात की सिफारिश करें कि कृषक समुदाय के लिए ब्याज की दर को कम करने के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए।

हमारे दिवंगत प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने बंजर भूमि के सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की थी। बंजर भूमि विकास बोर्ड भी बनाया गया था और देश में आज भी बहुत-सी बंजर भूमि उपलब्ध है। इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है और उनकी समस्याएं भी अनेक हैं। उनकी समस्याओं को दूर करने की दिशा में हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने एक समिति गठित की थी जो उन कृषि श्रमिकों की विशिष्ट समस्याओं का और उनकी वास्तविकता का पता लगा सके। लेकिन सत्ता से उनके बहिर्गमन के पश्चात् श्री वी० पी० सिंह और श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में अगली सरकारें बनीं, इस कमेटी के कुछ हाथ नहीं लगा और इस तरह से बड़ी ही आसानी से उन विचारों को भुला दिया गया। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन कार्यक्रम को पुनर्जीवित करें ताकि देश के कृषक-मजदूरों की समस्याओं का पता लगाया जा सके। चूंकि देश में किसानों का बहुत ही अधिक योगदान है, इसलिए उनकी समस्याओं का पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

जहां तक ग्रामीण विकास क्षेत्र का सम्बन्ध है यह ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के 1980 में सत्ता में आने के बाद से हमारी सरकार ने इस क्षेत्र को बहुत ही अधिक महत्व प्रदान किया है। हमने 20 सूत्री कार्यक्रम को दोबारा जीवित किया है और इसके बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सही महत्व दिया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष 3113.24 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है। परन्तु हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट पेश किया है, उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए और जुटाए जाएंगे। हमने 3113 करोड़ रुपए की राशि से एक महत्वाकांक्षीकार्यक्रम तैयार करके रोजगार के 7071 लाख कार्य दिवसों का पता लगाया है। महोदय, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत, अनु-

3.00 म० प०

सूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोग और गरीब लोगों को लाभ हो रहा है। इस कार्यक्रम हेतु लगभग 3800 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी कहा है कि यह कार्यक्रम जारी रहेगा और इस प्रयोजन के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जाएगी। हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल आबंटित राशि 2046.21 करोड़ रुपए है जिसका 20 प्रतिशत दस लाख कुएं खोदने के एक कार्यक्रम के लिए आबंटित किया जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से हरिजन परिवारों, छोटे और सीमान्त किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। यह कार्यक्रम ऐसे लोगों के रहन-सहन के ढंग को बेहतर बना रहा है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में ग्रामीण जल परियोजना, जिसका नामकरण हमारे महान नेता श्री राजीव गांधी के नाम पर किया गया है, के तीव्र विकास के लिए आपने 375.64 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। हमारे प्रिय नेता भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने पीने के पानी के लिए टेक्नालॉजी मिशन की शुरुआत की थी। अपने सशक्त नेतृत्व में उन्होंने यह चाहा था कि पीने के पानी की सुविधा प्रत्येक गांव तक पहुंचनी चाहिए। इस वर्ष आपने 460.58 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

मैं यहां उल्लेख करूंगा कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को एक निश्चित समय के भीतर अवश्य पूरा किया जाए ताकि हमारे सभी ग्रामीणों को पेयजल का लाभ मिल सके।

ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में, हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस देश में पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने के लिए अपनी हरसंभव कोशिश की थी। पंचायती राज प्रणाली ग्राम स्तर पर लोगों को अपनी दशा सुधारने के लिए उन्हें अधिकार देगी। मेरा कहना है कि केन्द्र से धन सीधे ही पंचायतों को दिया जाना चाहिए। विकास कार्यों को इतनी अधिक मध्यवर्तियों—जैसे राज्य से जिले, जिले से तालुक और तालुक से ब्लॉक आदि, रखकर विकास कार्य को अप्रभावी अथवा धीमा नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यही न्यायोचित समझा था कि धन सीधे ही पंचायतों को जाना चाहिए ताकि ग्रामीण ऐसी स्थिति में हों कि वे अपनी विकासात्मक गतिविधियों के बारे में स्वयं निर्णय ले सकें और कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित कर सकें। पंचायती राज प्रणाली के अन्तर्गत लोगों द्वारा खुद शामिल हो जाने से विकास गतिविधियों को अधिक शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सकता है। मुझे मालूम है कि सरकार इस संबंध में इस महान सदन के सभी पक्षों के साथियों का सहयोग लेकर गंभीरता से कदम उठा रही है। इस अवसर पर विरोधी दलों के भाइयों से आग्रह करूंगा कि वे इस विधेयक को लाने में हमारे साथ सहयोग करें क्योंकि यह विधेयक हमारे ग्रामीण समाज में बदलाव लाएगा। एक बार पंचायती राज प्रणाली आरम्भ हो जाने पर हमारे ग्रामीणों को अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा और वे अपना भविष्य तय करके अपनी दशा सुधार सकेंगे। यही हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी की आकांक्षा थी और उनकी इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यथाशीघ्र इस विधेयक को इस पवित्र सदन में लाएं।

भोजन के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इस वर्ष हमारी सरकार ने 2671.16 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं जिसमें 2500 करोड़ रुपए राजसहायता के रूप में दिए गए हैं। हम राजसहायता का महत्व समझते है, विगत समय में श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में

हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने और अब श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया है कि राजसहायता देना जारी रहेगा क्योंकि हमारे देश में अभी भी सबसे गरीब लोगों को राजसहायता देने की जरूरत है, और वे राजसहायता के बिना अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते। अतः उनकी दशा सुधारने के लिए फिर से यह खाद्य राजसहायता दी गई। इस वर्ष कुछ कटौती करके पिछले वर्ष 2850 करोड़ रुपए की तुलना में इसे 2500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस अन्तर को कम किया जाए। बल्कि इस राशि को बढ़ाया जाए। गरीब लोगों को हमारे कल्याण कार्यक्रमों का लाभ देने के लिए अधिक आबंटन किया जाना चाहिए।

खाद्य विभाग को काफी राजसहायता दी गई है। परन्तु मिलावट एक बड़ा अपराध है। आजकल मिलावट करने वाले बहुत सक्रिय हैं। चावल में कंकड़ मिलया जा रहा है, तुर की दाल में खेशरी दाल मिलाई जाती है। वास्तव में हरेक खाद्य मद में मिलावट हो रही है। मिलावट करना मिलावट-खोरों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इस बला को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिलावट-खोरी अभी भी हो रही है। उन्हें यह गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे साधारण समाज बहुत अधिक प्रभावित होता है। मिलावट-खोरी के कारण बहुत से लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि गुणवत्ता का स्तर सुधारा जाए, इसके लिए आपको और अधिक कड़े कानून बनाने होंगे। मैं कहूंगा कि इन कानूनों का सभी को समर्थन करना चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चोरी और बेईमानी को रोका जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी सुधार हुआ है लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है।

मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि खाद्यान्न बाजार में व्यापार में सट्टेबाजी और वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। यह बड़े क्षेत्रों में से एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप कीमतों को नियन्त्रित कर सकते हैं। आप चोरी करने वालों और मिलावट करने वालों को भी नियन्त्रित कर सकते हैं।

वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण हम खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य कम नहीं कर पा रहे हैं। हम निर्गम मूल्य में एक रुपए की वृद्धि करने के लिए मजबूर हैं। मैं इस माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इसे कम किया जाए और इसे उसी स्तर पर लाया जाए जिस पर कि यह पहले था क्योंकि इसका आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है। उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। आप चोरी और अन्य ऐसे ही दुराचारों को रोक कर इस एक रुपए की भरपाई कर सकते हैं।

हमारे प्रधान मन्त्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नई शक्ति देने का विचार बनाया है। इस काम के लिए देश के 1700 अत्यधिक पिछड़े ब्लाकों को चुना गया है। उचित दर की 11,181 नई दुकानें खोलने की मंजूरी दी गई है और 23.6 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके फलस्वरूप सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों के लोग लाभान्वित

हो रहे हैं। उन्हें केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही उपलब्ध नहीं हुई है बल्कि वे आवश्यक वस्तुएं भी कम दामों पर प्राप्त कर रहे हैं। घोषित किए गए इन विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को लाभ हो रहा है। 1715 ब्लाकों में से 143 चुनिन्दे ब्लॉक डी० डी० पी०, 593 ब्लॉक डी० पी० ए० पी०, 148 ब्लॉक आई० टी० डी० पी० के अन्तर्गत और 55 ब्लॉक पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं। इसके अतिरिक्त 177 ब्लॉक ऐसे हैं जो उपेक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

महोदय, इस प्रणाली के सम्बन्ध में साहसिक पहल करने के लिए मुझे माननीय प्रधान मन्त्री का धन्यवाद करना चाहिए। उनके नवीन विचारों के कारण ही आज पूरा देश उनकी प्रशंसा कर रहा है।

आज कृषि विभाग, खाद्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। अत: उनका विकास किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री से भी एक अनुरोध करूंगा कि हम यह मांग करते रहे हैं कि कृषि और जल संसाधन विभागों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करें।

हमें सभी नदियों को आपस में जोड़ना है। जल एक महत्वपूर्ण वस्तु है। सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाना चाहिए। इनका राष्ट्रीयकरण करने के बाद ही हम एकता और अखंडता की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से विभाग और देश दोनों को ही लाभ होगा।

इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं कृषि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालयों की अनुदान मांगों का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं चर्चा से संबद्ध मन्त्रालयों के अनुदान मांगों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज मैं सदन का ध्यान सबसे पहले दो-तीन बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे सूबे बिहार में गेहूं की फसल में कुछ इलाकों में एक जहरीला रोग लग गया है। वहां के समाचार-पत्रों ने कई दिनों से इसको छापा है। आज दिल्ली के "जनसत्ता" ने भी इसको छापा है—"बिहार के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसल जहरीली हुई—एक मरा।" एक विचित्र प्रकार की बीमारी है। गेहूं के दाने काले निकल रहे हैं और एक आदमी ने सोचा कि इसको खाकर देखें कि यह क्या है। उसने खाया, उसे उल्टी हुई, वह बेहोश हुआ और वह मर गया। यह जमूई और नवादा के इलाके में खासकर हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां कृषि मन्त्री बैठे हुए हैं। दिल्ली से तत्काल कोई टीम भेजी जाए और इस सम्बन्ध में जांच की जाए कि यह कौन-सी बीमारी है, कैसे यह बीमारी आई और इसे कई दूसरे इलाकों में फैलने से कैसे रोका जाए। हम समझते हैं कि इसमें सरकार का ध्यान जरूर जाएगा और इस पर वह कार्रवाई करेगी।

मैं एक दूसरे समाचार की तरफ भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज के

"जनसत्ता" में जो छपा है—"किसानों ने बोट क्लब पर फसलों की होली जलाई", सभापति महोदय, जो पंजाब, हरियाणा के और नजदीक इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हमारे कृषि मंत्री जी ने प्राइस पॉलिसी घोषित की और जो सपोर्ट प्राइस घोषित किया है रबी क्रॉप के लिए, उससे असन्तुष्ट होकर, परेशान होकर किसान आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। हम लोगों के शासन काल में यहां गेहूं का समर्थन मूल्य 183 रु० प्रति क्विटल से बढ़कर 215 रुपये दिया गया था। पिछले साल प्रति क्विटल 225 रुपए किया गया और इस बार वास्तविक रूप से सबसे कम वृद्धि हुई है 250 रुपए। 25 रुपए प्रति क्विटल की वृद्धि की गेहूं और उसी अनुपात में दूसरी फसलों की, लेकिन जो फर्टिलाइजर से सब्सिडी हटा दी गई, मतलब इनपुट महंगा हुआ और दूसरी तरफ रुपए के अवमूल्यन के चलते किसानों की जेब में कम पैसा जा रहा है और यही कारण है कि आज 250 रुपए प्रति क्विटल की घोषणा के चलते किसान क्षोभ में हैं और वह अपनी फसल जलाने को मजबूर हो रहे हैं। हम आग्रह करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें।

अभी मैं सदन में आया तो एक नोट अभी हमें मिला है, एजेण्डा मिला है। उसमें एक मंत्री बोनस देने के बारे में घोषणा करने जा रहे हैं। मैं अभी बोनस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मांग करूंगा कि किसानों की स्थिति को देखते हुए जो सिलसिला चला, 1990 में किसानों को उसकी फसल की लाभकारी कीमत देने के लिए एक कमेटी बहाल हुई—हनुमंतराव कमेटी। उसने सुझाव दिया और उसके आधार पर जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया, उसमें आप कोई फेरबदल न करें क्योंकि वह किसानों के हक में है और जिस प्रकार की वैज्ञानिक सोच विकसित हुई है, मैं आग्रह करूंगा कि उसे ध्यान में रखते हुए, जिस फारमूले के आधार पर हम लोगों ने 215 रुपये समर्थन मूल्य तय किया था, उसी फारमूले के आधार पर, किसानों को उनका मेहनताना मिलना चाहिए। तमाम चीजें जो प्राइस पौलिसी के लिए हैं—जैसे कास्ट आफ प्रोडक्शन, चेंज इन इनपुट प्राईस, इनपुट एण्ड आउटपुट प्राइस पैरिटी, डिमाण्ड एण्ड सप्लाई, इन्टरक्रॉप प्राइस पैरिटी, ईफैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल क्रॉप स्ट्रक्चर, ईफैक्ट आन जनरल प्राइस लेवल, ईफैक्ट आन कॉस्ट आफ लिविंग, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस सिचुएशन, पैरिटी बिटविन प्राइस पेड एण्ड प्राइस रिसीव्ड—उनको आधार मान कर यदि आप समर्थन मूल्य निकालें, तो मैं समझता हूं कि जाखड़ साहब खुद एक किसान हैं, उन्होंने अभी जो गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है, मैं यहां दूसरे अनाज की चर्चा नहीं कर रहा हूं, गेहूं के समर्थन मूल्य की चर्चा कर रहा हूं, सदन का समय बचाने के लिए, तो 250 रुपये के स्थान पर कम से कम 350 रुपये प्रति क्विटल का समर्थन मूल्य आपको घोषित करना चाहिए था। फिर आप बोनस देने की बात कर रहे हैं। हम आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आपको वास्तव में किसानों के प्रति हमदर्दी है, देहात के प्रति हमदर्दी है, गांवों के प्रति हमदर्दी है तो निश्चित रूप से आपने जो गेहूं का समर्थन मूल्य इस वर्ष के लिए घोषित किया है, उसे परिवर्तित करें और उसी तरह से कोरैस्पौंडिंग हर फसल के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करें।

अब मैं किसानों के साथ-साथ दस्तकारों की एक अन्य समस्या के तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उसके बाद ही बजट प्रावधानों की तरफ आना चाहूंगा। किसान और दस्तकारों के लिए हम लोगों ने लोन वेवर नाम की एक स्कीम चालू की थी। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस साल भी 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में इसके अन्तर्गत किया है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उसमें एक कमी रह गई है। वह कमी यह है कि

जो ऋण राहत योजना है, उसमें पब्लिक सैक्टर बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों और कोआपरेटिव बैंकों से जिन लोगों को ऋण मिला है, लाभ मिला है। जो प्राइवेट बैंक थे, शैड्यूल्ड बैंक थे, जिन्हें सरकार ने तय किया था, प्रत्येक इलाके में सरकार द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन से बैंक किस इलाके के लोगों को सर्व करेंगे, कौन-सा इलाका किस बैंक द्वारा सेवित होगा, ऐसे कई इलाकों में शैड्यूल्ड बैंक्स को या प्राइवेट बैंक्स को यह जिम्मा दिया गया, लेकिन उन बैंकों से जिन लोगों ने ऋण लिए, अब उनका ऋण माफ नहीं होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि पूरी स्थिति को समझकर इसमें सुधार किया जाए और सभी लोगों को समान रूप से राहत देने की आप व्यवस्था करें। ऐसा काम आप करें, यही मैं सुझाव देना चाहता हूं।

आज हमारे देश के सामने चुनौतियां क्या हैं, हमारा उत्पादन लगभग 1ˉ6 मिलियन टन है। एक आदमी को अनाज और सीरियल्स की जो उपलब्धता है वह सीरियल्स 437 ग्राम और दालें 36 ग्राम है परन्तु इसे बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए जेलों में एक कैदी को आप जितना आहार देते हैं या फौज में एक सैनिक को जो आहार देते हैं, यदि उसे आधार माना जाये तो उन्हें जितनी खुराक मिलती है, उसके आधार पर, शताब्दी के अन्त तक, 2000 ई० तक, सैनिक को मिलने वाले आहार के हिसाब से 260 मिलियन टन, और जेल के कैदी को मिलने वाले आहार के हिसाब से 265 मिलियन टन अनाज की हमें जरूरत होगी। अभी जो अनाज की उपलब्धता है, उसके अनुसार भी शताब्दी के अन्त तक हमें 240 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी। हमारा कृषि मन्त्रालय, उपलब्धता के आधार पर आंकड़ों की गणना करता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, चाहे सरकार कोई भी रहे। उपलब्धता के आधार पर हमें 240 मिलियन टन अनाज की शताब्दी के अन्त तक आवश्यकता होगी, हालांकि वह नाकाफी है।

चीन हमारा पड़ोसी देश है। वहां 1988 में 235 मिलियन टन अनाज का प्रोडक्शन हुआ और अपनी 92 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए उसे 35 मिलियन टन बाहर से मंगाना पड़ा। यह रिक्वायरमेंट वहां जो संतुलित आहार माना जाता है, उसके हिसाब से है लेकिन हमारे यहां, थोड़ी देर के लिए यदि मान लें कि सेना में एक सैनिक को जो आहार हम देते हैं या जेल के कैदी को जितना आहार देते हैं, उसे नहीं मानकर उपज की उपलब्धता को आधार मान लिया जाए, बाकी चीजों को भूल जाएं, तो भी हमारी रिक्वायरमेंट 240 मिलियन टन बैठती है। इसका कारण यह भी है कि हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 40 प्रतिशत से ज्यादा है, हम लोगों के हिसाब से 50 प्रतिशत लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 40 प्रतिशत है या उससे थोड़ी ज्यादा है। उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, खरीदने की ताकत नहीं है, दोनों समय भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। उस हिसाब से भी हमारी रिक्वायरमेंट 240 मिलियन टन आती है। इस 240 मिलियन टन अनाज को पैदा करने के लिए, उपज करने के लिए, हमारे पास क्या योजना है। आबादी बढ़ने की रफ्तार 2.1 प्रतिशत है और हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वह 2.6 प्रतिशत है और जो हमारा गैप है डिमांड और उत्पादन में उसको देखते हुए हमारे सामने अनाज के मामले में बहुत खराब स्थिति है क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आज हम आयात ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यह उससे दीगर बात है, लेकिन अनाज के मामले में हमारी स्थिति ठीक नहीं है। अब दाल जैसी चीज जो हमारे लोगों के लिए प्रोटीन प्राप्त करने

का एक सुलभ जरिया है, उसकी उपलब्धता सन् 1957 में प्रति व्यक्ति 70 ग्राम थी और आज उसकी उपलब्धता घटकर 36 ग्राम रह गई है। यह हिसाब है। इस हिसाब से भी जो हमारा चुनौती है, वह गम्भीर चुनौती है और इसका मुकाबला हम किस प्रकार से करना चाहते हैं, सरकार किस प्रकार से करना चाहती है, उसको हम बजट के आइने से देखना चाहते हैं। जो बजट आया है, उसके अनुसार 1992-93 के लिए जो कृषि के लिए उदव्यय है वह 1049 करोड़ 75 लाख रुपए हैं। जो 1991-92 में था वह 1016 करोड़ 31 लाख रुपए था। कहने के लिए तो रुपए के हिसाब से 3 प्रतिशत पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए देखें, तो 10% कम है। अवमूल्यन की स्थिति 16 प्रतिशत थी, 18 प्रतिशत तक बढ़ गई और 12 प्रतिशत रह गई। अभी 13 प्रतिशत पर आ गई है, तो भी हम 13 प्रतिशत अवमूल्यन की दर मान लें, तो इस हिसाब से पिछले साल के मुकाबले में कृषि के क्षेत्र में आबंटन 10 प्रतिशत कम हुआ है।

पशु-पालन और डेयरी के क्षेत्र में 1991-92 में 157 करोड़ 99 लाख रुपए और इस बार आपने उसको राउण्ट फिगर में 158 करोड़ रुपया कर दिया है। मतलब इसमें 13 प्रतिशत का कमी वास्तविक अर्थों में आपने कर दी। आपकी एक योजना ऑपरेशन फ्लड III चल रही थी। उसके लिए 1991-92 के लिए आपने प्रॉविजन रखा था, आपका आउट ले 42 करोड़ 11 लाख रुपए था और इसको 1992-93 के लिए घटा करके 23 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिया गया। अब ये क्यों कम कर रहे हैं ? कैसे चुनौती का मुकाबला करना चाहते हैं ? अब मन्त्री जी जवाब देंगे, तब इसको बताएं, लेकिन जो स्थिति है वह यही है।

हार्टीकल्चर के क्षेत्र में 1991-92 में 39 करोड़ 35 लाख रुपए थे, इसको इन्होंने बढ़ाया है। हम इसको बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इसको बढ़ाकर आपने 65 करोड़ रुपए किया है। इसमें खासकर के जो दक्षिण भारत में उपजाया जाने वाला नारियल है, मसाले हैं, इनमें वृद्धि होगी। नारियल में 5 करोड़ 14 लाख से बढ़कर के 9 करोड़ रुपए हो गई। मसालों में 26 लाख रुपए से बढ़ाकर के 3 करोड़ 65 लाख हो गया, यह बहुत अच्छा काम आपने किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उत्तर भारत के हार्टीकल्चर को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए आपने क्या किया ? उसके लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई, उसके लिए कोई दृष्टि नहीं है ? आम हो, लीची हो, बेर हो या अमरूद हो इस तरह के फलों के लिए इनकी कोई योजना नहीं है। दक्षिण भारत, हमारे भारत का एक अंग है, उसका विकास तो हम भी चाहते हैं, लेकिन उत्तर बिहार का भी विकास होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाएं और कुछ इस बारे में भी बताएं। एक तरफ तो आपने इतना बढ़ाया, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के लिए भी तो कुछ बढ़ाना चाहिए ?

अब इसी से संबंधित बात है, कीन् और जिजर आदि इन सब चीजों को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत मार्केट में लाया गया जिससे किसान प्रोत्साहित हों। आप बताइए क्या कोई नयी चीज आप लाए ? हम लोगों की जानकारी में आप कोई नयी चीज मार्केट इंटरवेंशन की स्कीम के माध्यम से नहीं ला पाए हैं।

अभी हमारे कांग्रेस के एक माननीय सदस्य आपकी उपलब्धियों का बड़ा बखान कर रहे थे, हम लोगों के उपर भी एक तरह से उन्होंने दोषारोपण किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि

हमने तो बहुत काम किया, लेकिन हमारे मुकाबले में आप क्या अब कोई भी नयी योजना चला पा रहे हैं, यह हम जानना चाहेंगे ।

मछली पालन के क्षेत्र में भी बहुत विकास की संभावनाएं हैं । इनलैंड फिशरी या फ्रेश वाटर फिशरी से बड़े पैमाने पर बड़े तालाबों में और छोटे तालाबों में मछली पालन का व्यवसाय चला कर बहुत विकास किया जा सकता है, लेकिन इस बारे में अभी आपकी कोई योजना नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है । इसके जरिए भी विकास का बहुत काम हो सकता है और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है ।

खाद, उर्वरकों के ऊपर भी जब आप सरकार में आए, तो आपने सबसिडी कम कर दी । इसके ऊपर सारे देश में विरोध हुआ, हमने भी विरोध किया, तो आपने कहा कि हम छोटे और मझोले किसानों के लिए सबसिडी जारी रखेंगे । आपने 1991-92 में इसके लिए 405 करोड़ रुपए पिछली दर के आधार पर देने के लिए रखा लेकिन इस बार आपने एक पैसा भी छोटे और मझोले किसानों को सबसिडी देने के लिए नहीं रखा है । इसका मतलब यह है कि छोटे और मझोले किसान इस साल उर्वरक समान कीमत पर खरीदेंगे, उनको कोई सबसिडी नहीं मिलेगी ।

श्री बलराम जाखड़ जैसे सभी सरप्लस किसान नहीं हैं । अब पोशाक पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन महात्मा गांधी कोई ढोंगी नहीं थे । देश की हालत को देखकर अपने को जनता के साथ आत्मसात करने के लिए उन्होंने लंगोटी धारण की थी । पोशाक जो जाखड़ साहब की है, वह अच्छी लगती है, सुन्दर लगती है और फबती भी है, लेकिन देहात में रहने वाले गरीब लोगों का क्या होगा ? वे सरप्लस किसान नहीं हैं । 70 फीसदी ऐसे किसान हैं जिनको उर्वरकों के लिए सबसिडी दी थी 405 करोड़ रुपए की, उसको आपने खत्म किया है । हम सभी किसानों को सबसिडी देने के पक्ष में हैं । सबसिडी में जो कटौती की गई है, उसके खिलाफ हैं । छोटे और मझोले किसानों को राहत देने के नाम पर आपने बहुत जोर-शोर से प्रचार किया और कहा कि हम छोटे और मझोले किसानों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, फिर इस बार एक पैसा भी क्यों नहीं रखा है । 405 करोड़ रुपया पिछले साल रखा था । एक पैसा इस बार नहीं रखा है । खाद और उर्वरक की अन्य योजनाओं पर 1991-92 में आपने 289 करोड़ 70 लाख रुपए दिए । यह मैं रिवाइज्ड एस्टिमेंट के हिसाब से कह रहा हूं । इस वर्ष 1992-93 में इसको घटा कर 7 करोड़ 85 लाख रुपए कर दिया, ऐसा क्यों ? जो खाद और उर्वरक की योजनाएं है, उसमें इतनी कटौती क्यों हुई ? छोटे और सीमांत किसानों व कृषि श्रमिकों के लिए योजनाएं चलायी जाती हैं । 1991-92 में 100 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट अनुमान था और रिवाइज्ड एस्टिमेंट था 92 करोड़ 65 लाख का । 1992-93 में इस योजना को बन्द कर दिया । इसमें शून्य प्रावधान है । कमजोर तबके की घोर उपेक्षा आपके राज में हो रही है । छोटे, मझोले किसानों की उपेक्षा भी आपके राज में हो रही है । जो स्कीमें कमजोर, गरीब और छोटे किसानों के लिए चलाई गयी थीं, वे समाप्त की जा रही हैं । यही असर है कृषि मंत्री जी की पोशाक का योजनाओं व उनके कार्यक्रमों पर ।

हमारे कृषि वैज्ञानिक दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से और मेधा में, अपने अनुसंधान से, लेकिन जो अनुसंधान किया है, उसको जमीन तक नहीं पहुंचाया गया है । दाल के मामले में जो अभी कहा कि इतना कम आ रहा है

और प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट गयी है। 1957 में 70 ग्राम से घटकर आज 36 ग्राम हो गयी। दाल की कई किस्मों का विकास उन्होंने किया जो कि कुछ दिन में ही तैयार हो जाती है, जल्द पक जाती है, बहुत ही ज्यादा उपज देती हैं, ये सब अनुसंधान हुआ है लेकिन इसको जमीन तक पहुंचाने के लिए, खेत तक पहुंचाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए, जो विस्तार को योजनाएं हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। विस्तार और ट्रेनिंग के लिए 1991-92 में बजट अनुमान था, 11 करोड़ 93 लाख रुपए, उसको घटा दिया 1992-93 में 11 करोड़ 87 लाख जो कि पहले से नाकाफी है। इसको और घटा दिया यानी रिसर्च अपनी जगह लेबोरेटरी में होता रहेगा, साइंटिस्ट उसे फार्म में करते रहेंगे, उनका डेमोनस्ट्रेशन मंत्रियों व अधिकारियों को कराते रहेंगे, विदेश की टीमों को कराते रहेंगे, संसद सदस्यों को कराते रहेंगे। जो सरप्लस किसान हैं, उनके पास पैसा है, वे कोट-पैंट पहन कर पहुंच जाएंगे, देख लेंगे, जो सही किसान हैं, वह उस तक नहीं पहुंच पाएगा। विस्तार कार्यक्रमों की इतनी उपेक्षा हुई है।

अभी हमारे साथी कृषि विज्ञान केन्द्र का जिक्र कर रहे थे। अभी तक 104 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हुए हैं। नेशनल फ्रन्ट गवर्नमेंट ने कई कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की थी। पता नहीं मंत्री महोदय उनका क्या हुआ? आपने अभी तक उनकी स्वीकृति नहीं दी। क्या आप बताएंगे कि उनकी स्वीकृति हुई या नहीं? उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। आप कहेंगे कि किसी इलाके में हो गया है, राजस्थान में हो गया। हरियाणा में, लेकिन देवीलाल कहीं कर दिए होंगे तो उसको काट देंगे। आखिर वह पूरे हिन्दुस्तान का अंग है। रवि राय जी के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र था, सभी जगह था, पता नहीं क्या किया। सब तरह की स्वीकृति हो गयी। मंत्री स्तर की स्वीकृति हो गयी, सरकार की तरफ से स्वीकृति प्रदान हो गयी। पता नहीं हमारी सरकार के जाने के बाद फिर प्लानिंग कमीशन में उस पर चर्चा हुई, नये तरीके से फंडिंग पैटर्न पर चर्चा हुई। फंडिंग पैटर्न यानी कि 50 परसेंट केन्द्र और 50 परसेंट राज्य देगा। इसके हिसाब से कभी यह कृषि विज्ञान केन्द्र सफल नहीं हो सकता है। कृषि विज्ञान केन्द्र बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। किसानों तक अनुसंधान को पहुंचाने वाली एक अच्छी योजना है। इस सदन में कई बार इस सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप कहते हैं कि हम 200 कृषि विज्ञान केन्द्र बना देंगे और इस बारे में प्लानिंग कमीशन से बात हुई हैं। कितना पैसा उसमें लिया और कितना पैसा इस साल खर्च करने जा रहे हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं किया। यह बहुत अच्छी योजना है। इसका विस्तार होना चाहिए। राजनीतिक कारणों से इसको काटा नहीं जाना चाहिए और उसी रूप में उसको करना चाहिए। 109 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। इन्हें आप और खुलवाइए। यह बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रस्ताव लम्बित हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आ गई है, टीम ने रिपोर्ट दे दी है, उसको पूरा कराइये, हम यह आग्रह करेंगे।

अब तिलहन के मामले में भी हमारी स्थिति बहुत खराब है। एक विडम्बना है, इसमें ऊर्जा है, तिलहन में लेकिन जो इलाका बहुत सूखा है, वहीं यह पैदा होता है। हमको तिलहन के मामले में जोर देना पड़ेगा। एक बात का मैं सुझाव देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को, एक सिलसिला चल पड़ा है, तिलहन की हमारे यहां कमी है और तुरन्त हम आयात कर लेते हैं, एडीबल आयल्स का। यह बड़ी खतरनाक बात है, हम सुझाव देना चाहते हैं। अब आप देख लें, सब साल के आंकड़े, मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता, यह आंकड़े सब जगह उपलब्ध

हैं। 1985-86 से लेकर 1990-91 तक के आंकड़े हैं। 1987-88 में आयात 18 लाख 10 हजार टन तक हो गया। 1990-91 में 5 लाख 38 हजार टन आयात हुआ। हम अनुरोध करना चाहेंगे, खाने का तेल ऐसी चीज नहीं है कि हम कष्ट नहीं झेल सकते, किसी चीज को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तिलहन का हम आयात नहीं करेंगे, एडीबल आयल्स का हम आयात नहीं करेंगे, खाने के तेल का हम आयात नहीं करेंगे। यहां पर ही हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे और कम खाने का तेल खाकर हम जिन्दा रहने की कोशिश करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं, हमने आयात करके यहां के स्टाक को बढ़ा दिया और जो हमारी रिक्वायरमैंट थी, वह अचानक बढ़ गयी। 48 ग्राम से 54 ग्राम हो गयी। मार्केट में डम्प कर दिया, आयात इतना कर दिया और लोगों की आदत, रिक्वायरमैंट बदल गई। 54 ग्राम से अब बढ़ते-बढ़ते 58 ग्राम जरूरत हो गई है और 54 ग्राम की उपलब्धता है, हम क्यों आयात करें, दो साल पहले जब हमारी जरूरत 48 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन की थी तो आज 58 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्यों? देश के लिए हम विदेश से खाने का तेल मंगाएं और अपने किसानों को निरुत्साहित करें, यह उचित नहीं है। हम खाने के तेल का किसी भी कीमत पर आयात नहीं करें और हमें लोगों से अपील करनी चाहिए कि खाने के तेल को हम आयात नहीं करेंगे, कठिनाई हैं। कम तेल पर गुजारा करिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो ओ० पी० पी० है, आयलसीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, उसको और तेज करिए ताकि अधिक से अधिक उपज हो सके। हम यह सुझाव देना चाहेंगे।

हमारे देश में जो स्थिति है, ग्रीन रिवोल्यूशन की चर्चा बहुत होती है, माननीय मंत्री जी के इलाके में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, पूरे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन का उतना असर नहीं हुआ। अच्छी बात है। हम बड़े बुरे हाल में थे, विदेशों के सामने हमको भीख मांगनी पड़ रही थी और उस स्थिति में एक चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया। जहां सिंचाई का प्रबन्ध था, उन्हीं इलाकों में ग्रीन रिवोल्यूशन सफल हुआ और एक तरह से वह आप्टीमम लेविल पर पहुंच चुका है। 70 फीसदी अभी यहां बारानी खेती होती है, वर्षा पर आधारित खेती है। जब तक हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, वर्षा पर आधारित खेती में सुधार का, वर्षा पर आधारित जो 70 फीसदी जमीन है, उसका कुल प्रोडक्शन देश के कुल प्रोडक्शन का, अनाज के कुल प्रोडक्शन का 48 फीसदी है और 30 फीसदी भूमि जहां सिंचाई है, उसका कंट्रीब्यूसन 52 परसेंट है। इस देश में हमारा ट्रिमेंडस स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, हम न सिर्फ, जो हमने कहा कि 265 मिलियन टन, शताब्दी के अन्त तक पैदा कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो इलाके वर्षा पर आधारित हैं, उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाए। एक योजना बनी "अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वाटर स्टेट विकास परियोजना", अब इनमें पिछले साल, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, वाटर टेबिल को रेज करेगा, वर्षा के जल को बर्बाद होने से रोकेगा और उन इलाकों में, जहां जमीन के नीचे जल का स्तर नीचा है, उसको ऊंचा करेगा। पिछले साल प्लानिंग कमीशन ने 1991-92 में आपको 250 करोड़ रुपए मंजूर किए, क्या कारण है कि 250 करोड़ रुपए की जगह पर आपने 170 करोड़ अपने बजट में रखा जबकि प्लानिंग कमीशन 250 करोड़ दे रहा है और आपने 170 करोड़ रखा और 159 करोड़ रुपया खर्च किया। इस बार 1992-93 में आप मात्र 161 करोड़ रुपया रख रहे हैं। रेनफेड फार्मिंग के लिए सबसे बड़ी योजना और महत्वाकांक्षी योजना यह है, इस पर आपकी क्या दृष्टि है?

ठीक ढंग से इसमें काम नहीं हो रहा। बिहार के बारे में कुछ मुझे जानकारी है। इसमें

राज्यों के स्तर पर भी इस प्रकार से काम हो रहा है, अब मेरा ही राज्य है, मेरी पार्टी की ही हुकूमत है इसलिए मैं वहां की बात कर रहा हूं। मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा। अधिकारी बैठते हैं, जिन इलाकों के लिए यह योजना उपयोगी है, यहां पर एक नोर्म बना दिया कि जहां 30 परसेंट से कम सिंचित इलाका है, उस ब्लॉक में हम इस योजना को लेंगे, यह आपने नोर्म तय कर दिया। खैर, आपने तय कर दिया। अब बिहार से ऐसे ब्लॉक के, ऐसे प्रखंड के नाम आए हैं जहां वाटर टेबिल बहुत ऊंचा है, मतलब तीन चार हाथ, डेढ़ गज, दो गज के नीचे, एक गज के नीचे जहां पानी है, अब अगर वहां वाटरशैड बना दिया जाएगा, तो वाटर-लैवल और रेज करेगा। और पूरी की पूरी जमीन सैलाइन हो जाएगी। ऐसा हुआ तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि खास कर बिहार राज्य के लिए तो आप जांच करवा लें। मैं कह सकता हूं कि 30-40 प्रखण्ड हैं, जहां पर यदि इस कार्यक्रम को लागू किया गया, तो जमीन सैलाइन हो जाएगी, लेकिन अधिकारियों को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है। अपने जमाने में हमने यहां से एक टीम भेजी थी, वह टीम गई और वहां की स्थिति को देखकर भी आई, लेकिन बाद में अधिकारियों ने फेर-बदल कर दिया। पता नहीं वह किस राजनीति के तहत, कृषि मंत्रालय की राजनीति है या कहीं की राजनीति है, जिसके चलते हम किसानों को अहित करने के लिए इस योजना को ला रहे हैं। हम विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इस बात को जरूर बिहार राज्य में दिखवा लें। आप बिहार सरकार के साथ चर्चा करिए, नीचे के स्तर पर कहीं गड़बड़ी होती है, लोगों का ध्यान नहीं है और हम इस योजना को लागू करने जा रहे हैं, इससे बड़ी खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उत्तर बिहार में कुछ इलाकों में जहां वाटर लैवल पहले से ही ऊपर है, वहां आप वाटरशैड बनाकर किसानों की जिन्दगी को मार देंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसको जरूर दिखा लें।

हमारे सामने एक चुनौती है और बजट के हिसाब से तो साफ हो गया है कि आपने किस तरह से उस चुनौती का मुकाबला किया है। मूल्य घटाकर रुपए का और योजनायें ठप्प करके, गरीब किसानों को मारकर मुकाबला कर रहे हैं। हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, 15 अगस्त, 1990 को लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक बात कही थी कि यह दशक किसानों का दशक होगा। किसानों के मामले को, किसानों के बारे में कोई राजनीति नहीं, कोई पार्टी का सवाल नहीं, किसानों की समस्याओं को फोकस में लायेंगे और देश में प्राथमिकता तय करने का कदम उठायेंगे। गलती तो हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना से, जब कृषि के बजाए उद्योग को प्राथमिकता दी गई। यह उसी का नतीजा है कि हम कहां पहुंच गए हैं। हम लोगों ने कहा कि किसानों का दशक होगा, लेकिन उसकी तरफ वर्तमान सरकार द्वारा नहीं सोचा जा रहा है। हम लोगों ने कहा था कि हम राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित करेंगे, उद्योग नीति तो देश में पहले से ही है, लेकिन कृषि नीति नहीं है। मैं पूछता हूं, क्या एक्सरसाइज आपकी चल रही है और इसको कब तक लायेंगे? हम लोगों के जमाने में यह एक्सरसाइज पूरी हो चुकी थी। लगभग प्लानिंग कमीशन के साथ डिसक्शन खत्म हो चुका था, लेकिन उसको रखने का हमें अवसर नहीं मिला। उसी शरदकालीन सत्र में हमें उसको रखना था, जिस सत्र में हमारी सरकार चली गई। आगे की सरकार ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज आप आए हैं, तो पता चला है कि इस पर आप कुछ सक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन रोज-ब-रोज इस पर कसरत होती रहेगी या सचमुच में भी इसकी उत्पत्ति नहीं होगी, उसको देश के सामने कब लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर्स से बातचीत हो गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात हो

गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज में बात हो गई, इन्टर-मिनिस्ट्री डिसकशन हो चुका है, प्लानिंग कमीशन से डिसकशन हो चुका, उस डिसकशन के चैप्टर को खोल कर पता नहीं आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक चुनौती हमारे सामने सामने यह है कि हमें अपने देश के लोगों को भरपेट और संतुलित आहार देना है और दूसरी तरफ आज जो खेती पर हमारी निर्भरता है। सत्तर प्रतिशत से ज्यादा लोग आज भी खेती पर निर्भर करते हैं। हम कैसे इस निर्भरता को घटाएं, कैसे हम उसको डाइवर्सिफाई करें, कैसे अपने लेबर-फोर्स या जो हमारे पास मैन-पावर है, उसको कैसे डाइवर्सिफाई करें, एग्रो-बेस्ड इन्डस्ट्रीज पर या दूसरी चीजों पर, ताकि खेती पर भार घटा सकें। यह हमारे सामने मुख्य चुनौती है और इस का सामना करने के लिए एक सर्वानुमति से कोई राष्ट्रीय कृषि नीति होनी चाहिए। इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है, इसमें फसल को लाभकारी कीमत देने की बात होनी चाहिए। खेती और कारखाने में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसके बीच दामों का तालमेल होना चाहिए। यह नहीं कि जो चीज कारखाने में पैदा होती है, उसको फैक्ट्री वाला तय करेगा और जो चीज खेतों में पैदा होती है, उसको किसान तय नहीं करेगा। इस बारे में किसान की कोई "से" नहीं होगी। किसान डिसट्रैस सेल करने का मजबूर होता है। खेती पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, खेती पर आश्रितों की संख्या को घटाया जाना, किसानों को सस्ते दर बीज व खाद तथा कीटनाशक दवाओं तथा पानी का प्रबन्ध किया जाए, वर्षा सिंचित इलाकों की खेती पर विकास को प्राथमिकता दी जाए, किसान परिषद् का गठन किया जाए प्रखण्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर, ताकि किसान अपनी समस्याओं के बारे में विचार कर सकें, सुझाव दे सकें और अपनी आवाज को सरकार के सामने रख सकें।

फसल बीमा योजना जो है, वह किसानों के लिए नहीं है, यह तो बैंकों के लिए योजना है। जो बैंक ऋण देता है, उसके लिए बीमा है। फसल बीमा योजना को भी एक्सपैंड किया जाना चाहिए। सभी फसलों पर इसको लागू किया जाना चाहिए और सभी किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए। जब कृषि नीति की बात आई है, तो हर गांव में गोदाम भी खोले जायें। कृषि उत्पादनों के आवागमन पर जो रीजनल रिस्ट्रिक्शन्स लगती है, वह नहीं लगनी चाहिए। नई तकनीकी की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए। ये सारी बातें कृषि नीति में होनी चाहिए। भूमि-सुधार की बात भी इसमें होनी चाहिए। जमीन जोतने वाले को मिले। भूमि का अद्यतन रिकार्ड बनाया और किसानों को उसकी पास-बुक दी जाए। आज अद्यतन रिकार्ड नहीं है। भूमि सुधार कानून लागू नहीं हो पा रहा है। जमीन का अद्यतन रिकार्ड बना कर जिस प्रकार बैंकों में पैसा जमा करने पर पास-बुक मिलती है, उसी प्रकार किसानों को भी पास-बुक मिलनी चाहिए। तो चाहे वह जमीन बेचे तो वह पासबुक में घट जाए और जमीन खरीदे तो पासबुक में जुड़ जाए, इतने लम्बे-चौड़े रेवेन्यू रिकार्ड की कोई जरूरत नहीं है, एक रिकार्ड रजिस्टर अंचल में रहेगा और एक पासबुक किसान के पास रहेगा, इसको अद्यतन बनाया, यह सारी बातें आनी चाहिए। जो हमारी अविकसित जमीन है उसको खेती योग्य बनाने के लिए, हम लोगों को भूमिहीन मजदूरों को संगठित करके इस देश में भूमि सेना बनानी चाहिए, लैंड आर्मी बनानी चाहिए और जो एरिया, जिसमें हम फसल उगा सकें उसका एक्सपेंशन करना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आबादी के बढ़ते हुए ग्रोथ रेट को देखते हुए अब एक चीज आज हम लोगों के सामने आई है, अब जो चुनौती है, उसका मुकाबला ये कैसे कर रहे हैं, बजट से, ये तो

है ही, सभापति महोदय, दूसरा मुकाबला करेंगे डंकल के सुझाव पर, जो डा० मनमोहन सिंह जी का बजट आया है, मुझको बड़ी तकलीफ हुई रूरल डेवेलपमेंट और एग्रीकल्चर पर उनका एक स्टांजा मुश्किल से था, मुझको बड़ी तकलीफ हुई कि इतना बड़ा सैक्टर, इतनी बड़ी आबादी इसके ऊपर निर्भर, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है और ध्यान भी है तो क्या है कि हम सब चीजों को आने के लिए खुली छोड़ देंगे, बीज को भी आने देंगे, यह डंकल ड्राफ्ट हमारे एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदेह बात है।

हम कृषि मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस अपने पूरे मंत्रालय के अति विरोध का स्वर आप उजागर करिए, ये चीज अगर एक बार यहां पर आ जाएगी तो मल्टीनेशनल कम्पनियों का राज हो जाएगा। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अभी पिछले दिनों एक निजी संकल्प पर चर्चा हो रही थी उसमें भी हमने कहा और कामर्स मिनिस्ट्री की कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में भी हम लोगों ने अपनी बात कही। हम आपकी नजर में इतना ही लाना चाहते हैं, वे कहते हैं कि संपोर्ट कम कर दो, डंकल का सुझाव है कि कृषि पर सपोर्ट कम कर दो, यह कौन हमको सलाह देने वाले हैं। यह अमरीका हमको सलाह देगा जो अपने यहां कितना समर्थन कृषि को दे रहा है पच्चास डालर्स सबसिडी पर टन पेड आन विट, 39 परसेंट वे अपने यहां किसानों को मदद दे रहा है, 39 परसेंट, आस्ट्रेलिया में मदद है 58 परसेंट, यूरोपियन इकनोमिक कम्युनिटी, होलेंड, बेलजियम, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी, होलेंड में 42 परसेंट, फिनलैंड में है 77 परसेंट, नार्वे में 80 परसेंट और स्वीडन में 58 परसेंट और अमरीका हमको उपदेश दे रहा है, 40 परसेंट अपने किसानों को सबसिडी देकर के हमको कह रहा है कि 10 परसेंट के नीचे तुम सबसिडी रखो और हम लोग भी कहते हैं, खुश हो रहे हैं कि 10 परसेंट से कम ही हमारी सब प्रकार के किसानों को कृषि क्षेत्र में सुविधा है इसलिए हम पर यह प्रभावी नहीं होगा। सवाल इसका नहीं है कि वह प्रभावी होगा या नहीं होगा, सवाल यह है कि क्या वे हमको निर्देशित करेंगे।

हमारी चुनौती गंभीर है, हमको अपनी आबादी को खिलाना है, हमको अपने उस क्षेत्र से लोगों को हटाना है, हमको देश की तरक्की करनी है, हमको खुशहाली लानी है तो क्या हम उनके कहने पर चलेंगे। सभापति महोदय, बीज के मामले में, जिस प्रकार से चीज यहां आने की छूट होगी और यहां पर बीज लाएंगे, वे पेटेंट करेंगे, जीवित बीजों को, यह हिन्दुस्तान की संस्कृति के खिलाफ जिंदा चीजों का कैसे पेटेंटीकरण हो सकता है। पौधे का पेटेंटीकरण नहीं हो सकता। आप बायो-टैक्नोलोजी की बात करेंगे, ब्लूग्रीन एलंगे की बात है वह भी जीवित है उसका भी पेटेंटीकरण होगा, मतलब के अपनी चीजें यहां इस देश में बेचेगा और किसान, अगली जेनरेशन उसका लाभ नहीं उठा सकता—चाहे पशु का मामला हो, चाहे फसल का मामला हो, चाहे बायो-टैक्नोलोजी का मामला हो। अगर किसान उसका बीज खरीदेगा और अगली अपनी फसल के लिए बीज बचाना चाहेगा तो भारत की सरकार उसको क्या बचाने देगी, क्योंकि उसका एजेंट शिकायत करेगा और एजेंट शिकायत करेगा तो भारत सरकार अपने थाने को भेजेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कहेगा और स्टेट गवर्नमेंट पुलिस को भेजेगा और किसान को पकड़ करके बन्द करेगा और अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा, अमरीका क्रास रिटेलिएशन करेगा, स्पेशल 301 का इस्तेमाल कर आपके खिलाफ नाकेबंदी होगी, तो इतनी भयानक चीजें हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने अन्दर का, आपका कुछ है अगर, अभिमान है किसान का, है अगर स्वदेश का अभिमान, तो इसके खिलाफ खड़े होइए और कम से कम कृषि के क्षेत्र में जो

अन्याय होने जा रहा है, हमारी खेती को जो चौपट किए जाने की साजिश हो रही है ताकि फिर से हमारा किसान कंगाल हो जाए, फिर से हम गरीब हो जाएं और फिर से यहां का किसान अपनी जमीन को बेचने पर मजबूर हो जाए और फिर से वे अमरीका के सामने पी०एल० 480 या किसी के पास अनाज मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए चला जाए, इस स्थिति में ला देना चाहते हैं, हमको आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते, हमको शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते, इस साजिश को आप समझिए। जो हमारे कृषि वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, ये तमाम लोग जब मल्टीनेशनल कम्पनियां आएंगी तो एक-दो महीने भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगी। इसलिए कृपा करके इस देश को डूबने से बचाइए, खेती को चौपट होने से बचाइए और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप थोड़ी हिम्मत से काम लीजिएगा, अगर सचमुच आप तरक्की चाहते हैं तो हम अनुरोध करेंगे। ग्रामीण विकास का तो और भी खस्ता हाल है, जो ग्रामीण विकास का इन्होंने खर्चा रखा है, 90-91 में 3129 करोड़ के लगभग था, 1991-92 में 3508 करोड़ रुपए और इस बार 3100 करोड़ रुपए रखा गया है। आप गांवों का अच्छा विकास कर रहे हैं। अवमूल्यन के हिसाब से देखा जाए तो 22 परसेंट की कटौती इस पर कर दी गई है और आप वाहवाही लूट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से जवाहर रोजगार योजना में आपने क्या किया। यह योजना जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से चलाई जा रही है, लेकिन अगर आप सच्चाई बयान कर देते तो क्या होता। यह स्कीम वास्तव में मोरारजी देसाई की सरकार ने जनता पार्टी की सरकार ने फूड फार वर्क के नाम से चलाई थी। उसके बाद यही एन०आर०ई०पी० हो गई और यही आर०एल०ई०जी०पी० हो गई और अब जवाहर रोजगार योजना के नाम से चल रही है। नाम इसका कोई भी रख लीजिए, किसी भी नाम से पुकार लीजिए, लेकिन यह स्कीम 1977 से चल रही है और जनता पार्टी की सरकार ने इस स्कीम को चलाने का काम शुरू किया था और तभी से इसके अंतर्गत मैन-डेज और एम्प्लायमेंट जेनरेट करने का काम हो रहा है। ठीक है आप जनता पार्टी का इसमें नाम मत लीजिए, लेकिन इसमें जो प्रावीजन किया जाता है, उसको तो कम मत कीजिए। इसमें पहले 3100 करोड़ रुपया 1990-91 में रखा गया था, फिर 1991-92 में 2100 करोड़ रुपया रखा गया और अब 2046 करोड़ रुपया रखा गया है। वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो 20 परसेंट इसमें कटौती की गई है, ताकि गांवों के लोगों को, मजदूरों को रोजगार न मिले, इसकी मुकम्मल व्यवस्था आप कर रहे हैं। इसी तरह से आई०आर०डी०पी० जो अंत्योदय कार्यक्रम था जो 1977 में लागू हुआ था और इसमें 39.) करोड़ रुपए का प्रावीजन 1990-91 में किया गया था। 1990-91 में 390.40 करोड़ रुपया रखा गया और अब 390.20 करोड़ रुपया कर दिया गया है। आप क्या करना चाहते हैं देहात के लोगों के साथ, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ, उन लोगों ने क्या पाप किया है। उन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। न उन लोगों को रोजगार प्राप्त है, न उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रबंध है, इस तरह की आपकी पालिसी है और इसी पालिसी के जरिए आप समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत फाइनांशियल और फिजीकल एचीवमेंट एनुअल रिपोर्ट में जो दिया गया है, उसके हिसाब से जो 3 साल के फिगर्स दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि सबसे अधिक मानव दिवसों का सृजन 1990-91 में हुआ, 87 करोड़

32 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ, यह आपका गोल्डन एरा है। लक्ष्य था 92 करोड़ 91 लाख मानव दिवस सृजन करने का और इस लक्ष्य के करीब हम पहुंचे। 26.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 25.29 करोड़ लाख रुपये रिलीज किए गये। यह इस योजना का गोल्डन एरा है, जब आपकी हुकूमत नहीं थी। लेकिन आज आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बड़ा भारी काम किया है और आपने क्या किया है, 1991-92 में 26.13 करोड़ का प्रावधान किया गया और 20.31 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, जिसमें से 13.03 करोड़ का यूटीलाइजेशन हुआ और 4054 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया, जब आपकी हुकूमत थी। इससे आपकी नीयत का पता चलता है कि देहात के बारे में आपकी नीयत साफ नहीं है और तभी यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

आई० आर० डी० पी० के बारे में मैंने कहा, ट्राइजम कार्यक्रम के साथ अन्त्योदय कार्यक्रम का भी जिक्र किया जाना चाहिए था, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी, यह बात एनुअल रिपोर्ट से भी पता चल जाती है। ट्राइजम शुरू हुआ था 15 अगस्त, 1979 को और आई० आर० डी० पी० आपने शुरू की 2 अक्तूबर, 1980 और उसमें लिखा है कि यह आई० आर० डी० पी० का सपोर्टिंग कंपोनेंट है। अब भला बताइए कि सपोर्टिंग कंपोनेंट पहले लागू हो जाएगा और मेन कंपोनेंट बाद में। आई० आर० डी० पी० की एनुअल रिपोर्ट में कम से कम इतनी सज्जनता, इतनी सदाशयता तो होनी चाहिए थी, कम से कम इतना तो लिखा जाना चाहिए था कि इस योजना की बुनियाद जनता पार्टी की हुकूमत में 1977-78 में पड़ी थी। वहां से अन्त्योदय चला था, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इस तरह के काम आप कर रहे हैं। तो क्या नौबत होगी देश में। सड़कों का क्या हाल है। सभापति जी, बार-बार घण्टी बजा रहे हैं। इनकी जो रोड डिवेलेपमेंट की एनुअल रिपोर्ट है, अभी तक रूरल रोड बनाने की स्कीम आपकी थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1500 की तमाम आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ देना था। एक हजार से लेकर 1500 की आबादी के बीच के गांवों को 50 प्रतिशत सड़कों से जोड़ देना था। अभी तक उस टारगेट को आप पूरा नहीं कर सके। यह आपकी रिपोर्ट है। तो जो इसमें आपका इरादा है, इरादे पर शक नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके यहां प्रायोरिटी का फर्क जरूर है। आपके यहां प्राथमिकता का फर्क है, देहात के विकास पर आपका ध्यान नहीं है। नतीजा हो रहा है कि आज देहात मजबूरी में जी रहा है।

अभी पी० डी० एस० की चर्चा कर रहे थे। बड़ी सफाई से कांग्रेस की तरफ से माननीय सदस्य प्रशंसा कर रहे थे। मैं एक ही बात पी० डी० एस० के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इण्डियन एक्सप्रेस में 23-5-92 को एक खबर छपी है :

[अनुवाद]

"अशुद्धता को सरकारी स्वीकृति : सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस बात पर यकीन करें या न करें लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों को प्राप्त करने में 49 प्रतिशत तक अशुद्धता को सरकारी अनुमति प्राप्त है।"

विश्वास करिए या न करिए। 49 परसेंट इम्प्योरिटी की इजाजत आप दे रहे हैं। जवाब

दीजिए। इण्डियन एक्सप्रेस ही नहीं, उस दिन के तमाम अखबारों में यह खबर छपी थी कि 49 परसेंट इमप्योरिटी है। कौन-सा अनाज हिन्दुस्तान के गरीबों को आप खिलाने जा रहे हैं। इश्यू प्राईस आपने बढ़ा दिया। 49 परसेंट रद्दी चीज आप खिला रहे हैं, भूसा खिला रहे हैं, जानवरों के खाने लायक चीजें आप पी० डी० एस० के जरिए सप्लाई कर रहे हैं। अपनी पीठ आप खुद थप-थपा रहे हैं कि 1700 ब्लाक कवर करेंगे या 1700 पी० डी० एस० सेंटर खोलेंगे। इसकी भी सफाई आप दें कि क्या स्थिति है। पूरे देश में इसकी चिन्ता है। इश्यू प्राईस को घटाइए।

मैं कंक्लूड करते हुए कुछ बातों की सफाई सरकार से जरूर चाहूंगा। आप खेती पर निर्भरता घटाना चाहते हैं या नहीं। आपकी कोई योजना है या नहीं, कोई पॉलिसी है या नहीं ? अभी भी 70 प्रतिशत से ज्यादा खेती पर लोग निर्भर हैं। खेती पर से निर्भरता घटाना चाहते हैं या नहीं ? कब तक एग्रीकल्चर पॉलिसी लायेंगे ? इस पर क्या सिर्फ चर्चा ही होती रहेगी कि एग्रीकल्चर पॉलिसी लायेंगे। किसान के लिए कोई योजना क्या आप बनायेंगे ?

हम लोगों की जब सरकार थी, नेशनल फ्रन्ट की जब गवर्नमेंट थी उस समय का बजट भाषण मधु दण्डवते जी का है, बाद के बजट के अनुमानों को आप पढ़ लीजिए मंत्रीगण। रूरल सैक्टर पर, ग्रामीण क्षेत्र पर और गांव-गांव के विकास के लिए, देहाती इलाकों के विकास के लिए बजट के 49.5 प्रतिशत हिस्से का प्रोवीजन किया गया था। आठवीं योजना में बजट का मुकम्मिल आधा पैसा उसी पर खर्च करना था। अब आपका एप्रोच पेपर बदल गया, प्लान बदल गया। आप कितना खर्च कर रहे हैं, यह बताइए, साफ-साफ बताइए। एक-एक करके हमने गिना दिया कि कहां-कहां कटौती आपने कर दी है। हमने तो कहा 49.5 प्रतिशत, लेकिन हमारा इरादा पूरा 50 प्रतिशत करने का था। आठवीं योजना में इसको हम और आगे बढ़ाते। आपकी क्या योजना है ? आप कितना पैसा रूरल सैक्टर पर खर्च करने जा रहे है, यह जरा जवाब देते समय साफ-साफ बताइए। क्योंकि इन चीजों का जिक्र न डॉ० मनमोहन सिंह की बजट स्पीच में है और न आपकी अनुदान मांगों में। हम यह चाहते हैं कि आप साफ-साफ बताएं।

हम लोगों ने सभी राज्यों को 1984 के बाद जो भूमि सुधार से सम्बन्धित कानून थे, उनको जुडिशियरी से बाहर करने के लिए नवीं अनुसूची में रखा, संविधान संशोधन किया। तमाम भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में डाल दिया। लेकिन उसके बाद लैण्ड ट्रिब्यूनल बनाना था, कोर्ट का दर्जा देकर। आप वह भी नहीं दे पाए। कब तक आप लैण्ड ट्रिब्यूनल बनाने जा रहे हैं ?

अन्तिम बात, जिस प्रकार से लैण्ड सीलिंग रूरल एरिया में है उसी प्रकार अर्बन एरिया में लैण्ड सीलिंग आप लगाना चाहते हैं या नहीं। हम चाहेंगे कि साफ-साफ भूमि सुधार के कंटेस्ट में इस बारे में चर्चा की जाए। खेती की हर तरह से जिस प्रकार से बजट में उपेक्षा हुई है, न कोई नजरिया है, न कोई दृष्टि है, किस प्रकार हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला करेंगे। न नजरिया है कि किस प्रकार से इस देश में खेती की तरक्की करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस पर साफ-साफ दृष्टिकोण लोगों के सामने रखें। इनका कोई नजरिया नहीं है, साफ नीति नहीं है, दृष्टि नहीं है, चूंकि खेती के तमाम सैक्टरों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भारी कटौती की गई है, इसलिए मैं इस बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, मेरे मित्र श्री नीतीश कुमार ने कुछ बातें उठाई हैं। वे आम बातें हैं। इस देश के सामने ग्रामीण गरीबी की एक चुनौती है और हम सभी अपने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन माननीय मंत्री के विरुद्ध उनकी टिप्पणी अवांछित है। इसका हमारी कृषि अर्थव्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है।

शायद वह उन्हें नहीं जानते हैं। माननीय मंत्री पंजाब में मंत्री थे और तत्पश्चात् वह यहां पर अध्यक्ष भी रहे हैं। वह मूल रूप से किसान हैं और वह किसानों की भलाई और समृद्धि के लिए संघर्ष करते रहे हैं। ये हम सब जानते हैं।

मैं कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत बड़ा काम है जिसे मंत्रालय संभाल रहा है। 70 से 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और यदि हम कृषि अर्थव्यवस्था को सुधार पाते हैं तो 75 प्रतिशत लोगों का भाग्य बदल जाएगा और ठीक यही हमारी सरकार का ध्येय है। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यही हम प्राप्त करना चाहते हैं।

मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आपके द्वारा तैयार किए गए अनुमान आपके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए लक्ष्यों से हमेशा भिन्न होते हैं। मैं यह सब बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि श्री के० वी० तंग्काबालू ने मेरे से पहले कृषि नीतियों तथा कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। मैं उस सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं। बल्कि मैं यह मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपने बताया है कि इस वर्ष अर्थात 1990-91 में 182 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया जाएगा। यह आपका अनुमान था लेकिन वास्तव में यह उत्पादन केवल 170 मिलियन टन ही रहा है। आप अन्तर जानते हैं। इसका मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : यह उत्पादन 176 मिलियन टन रहा है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : लेकिन आपकी रिपोर्ट में यह उत्पादन 170 से 172 मिलियन टन बताया गया है। यदि आपने इसका अनुमान 176 मिलियन टन भी लगाया होता तब भी इसका मूल्यों पर भारी असर पड़ता। व्यापारी, जमाखोर तथा बड़े-बड़े उद्योगपति जो गेहूं का व्यापार कर रहे है, वह इसका लाभ उठाते है और यह कहकर कीमतें बढ़ा देते हैं कि फसल कम हुई है। इसलिए, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपको बहुत सावधानी से अनुमान तैयार करने चाहिए क्योंकि इसका सम्बन्ध मूल्यों से है। यह कोई नहीं कह सकता कि जो कुछ भी अनुमान आप लगाएंगे, वह हमेशा सही होंगे। यह सम्भव नहीं है। मैं यह जानता हूं। लेकिन यह अनुमान अधिकाधिक वास्तविकता के करीब होने चाहिए।

अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि आप यह सब प्रयत्न इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कर रहे हैं। आपके पास अच्छे बीज, अनुसंधान कार्यक्रम, विनिमय कार्यक्रम इत्यादि हैं। आपने 15,000 करोड़ से अधिक राशि भी किसानों को ऋण देने के लिए कृषि बैंकों में आरक्षित की हुई है। लेकिन इस सबके साथ, इस देश में ऐसे बृहत् कृषि क्षेत्र के होने पर भी, हमारे पास सभी संसाधन होने के बावजूद भी, हमारे पास बड़ी-बड़ी नदियां

होने पर भी तथा इस देश के अनेक क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने के बावजूद भी मुझे अफसोस है कि 170 मिलियन टन अथवा 175 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन कोई अधिक नहीं है।

आप देखिए कि चीन में जहां केवल 20 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, तथा शेष सारा पहाड़ी इलाका है। वे 400 मिलियन टन से भी अधिक का उत्पादन कर रहे हैं। हम वहां गए

4.00 म० प०

थे। मैं कृषि मंत्री के साथ वहां गया था। हम चीन में साथ गए थे तथा हमने इस समस्या का अध्ययन किया था। वे 400 मिलियन टन से भी अधिक गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं जबकि उनके पास केवल 20% कृषि-योग्य भूमि है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि जो कुछ भी संसाधन हमारे पास हैं, जो कुछ भी संसाधन हमें उपलब्ध हैं, हमें अपने कार्यों का प्रबंध ऐसे तरीके से करना होगा कि वे कृषि वस्तुओं में सुधार करें, वे उनमें सुधार करें ताकि हमें अधिक खाद्यान्न मिल सकें तथा उनका भरसक समुचित उपयोग कर सकें। यदि आप बुरा न मानें तो मेरे विचार से प्रबंध व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी आप खर्च कर रहे हैं, जो कुछ भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उनमें तालमेल बैठाया जाना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि हम कैसे उनका समुचित उपयोग कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट। मैं अब श्री तरुण गोगोई को अपना वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा जो कि आज 4.00 बजे दिए जाने के लिए नियत है।

4.01 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को बोनस प्रदान करना

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : भारतीय खाद्य निगम और उसकी एजेंसियां केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली करती हैं और जो किसान अपनी गेहूं इन्हें बेचते हैं, उन्हें बोनस प्रदान करने विषयक प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। इस धारणा के पीछे एकमात्र प्रयोजन गेहूं की अधिकतम वसूली करना और साथ ही किसानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाना है।

अब यह निर्णय किया गया है कि जो किसान उपर्युक्त एजेंसियों को अपना गेहूं पहली अप्रैल से 31 मई, 1992 तक बेचते हैं उन्हें 25/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस अदा किया जाएगा। यह बोनस सरकार द्वारा पहले से ही घोषित 250/- रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा।

आशा है कि यह बोनस प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं की वसूली करने में सहायक सिद्ध होगा।

सभापति महोदय : श्री रघुनन्दन लाल भाटिया, कृपया आगे बोलिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यहां एक प्रश्न है। निर्गम मूल्यों का क्या हुआ ?

श्री तरुण गोगोई : उसका निर्णय हम बाद में लेंगे।

———

4.02 म० प०

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

ग्रामीण विकास मन्त्रालय

खाद्य मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालय

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय—जारी

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि कृषक को अपनी उपज की उचित कीमत नहीं मिल रही है। यह अच्छा है कि आज आप उसे प्रोत्साहन के रूप में 25 रु० की राशि दे रहे हैं। मैं समझता हूं यह पर्याप्त नहीं है। आपके पास दो विकल्प है। या तो आप उसे आर्थिक सहायता दें अथवा निम्न दर पर साधन दें अथवा कम लागत पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करें ताकि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके अथवा आप कीमतें बढ़ा दें। आपके सामने केवल दो ही विकल्प हैं। इससे पंजाब अत्यधिक प्रभावित है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और चावल के मुख्य संभरक यही राज्य हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक गेहूं तथा 40 प्रतिशत चावल की आपूर्ति कर रहे हैं। पंजाब में राजनीतिक संकट इस आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ है क्योंकि वहां जो भूमि है वह उस स्थिति में पहुंच गई है जहां और अधिक उत्पादन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आप पर्याप्त मूल्य नहीं दे रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं की कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। परिणाम यह है कि पंजाब में कृषि प्रत्याय ह्रास नियम का पर्याय बन गई है। इसने हमारे लिए राजनीतिक संकट भी उत्पन्न कर दिया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस बात को व्यापक दृष्टि से देखें। या तो आप उन्हें सुविधाएं प्रदान करें ताकि वे कृषि करें जो कि उनके लिए लाभप्रद हो अथवा आप कीमतें बढ़ा दीजिए। यह आप पर है कि आप क्या कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया भी बहुत विचित्र है। मैं नहीं जानता कि इन खाद्यान्नों के मूल्य कौन निर्धारित करता है। इसमें कौन-सी संस्थाओं का योगदान है, इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं तथा कौन-से विभाग यह कार्य करते हैं। मैं उस बारे में नहीं जानता हू। इसे केवल अधिकारी तंत्र पर ही नहीं छोड़िए। कृपया इसका व्यावहारिक पक्ष भी देखें। कृपया यह देखें कि उत्पादन लागत क्या है तथा उपलब्ध भूमि क्षेत्र कितना-कितना है। कृपया कीटनाशी दवाओं के मूल्य तथा अन्य बातों को भी ध्यान में रखें। फिर मूल्य निर्धारित करें।

तत्पश्चात्, एक अन्य बात है। यह खाद्य विभाग से सम्बन्धित है। यह वसूली के बारे में है। जब भी कृषक अपनी फसल बाजार में लाता है तो खाद्यान्नों के दाम न्यूनतम होते हैं। जैसे ही वह बेच देता है, तो दाम बढ़ने लगते हैं। आखिरकार, बाजार में मूल्य बढ़ जाते हैं। कृपया पिछले अनेक वर्षों की स्थिति देखें। यहां तक कि इस वर्ष भी आपने गेहूं का मूल्य 225 रु० निर्धारित किया। लेकिन अब गेहूं का विद्यमान बाजार मूल्य क्या है ?

यह 400 रुपये से भी अधिक है। यह लाभ किसका है ? क्या किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है ? नहीं। क्या सरकार को इस मूल्य वृद्धि से कोई लाभ पहुंचने वाला है ? क्या उपभोक्ताओं को इससे कोई लाभ है ? नहीं। आप नीति को इस तरीके से परिवर्तित क्यों नहीं करते कि किसानों को उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी इन मूल्यों में प्रशासनिक प्रभार जमा करके एक उचित मूल्य पर अनाज मिले ? यहां उपस्थित मेरे एक मित्र अभी-अभी कह रहे थे, "आपने किसानों के लिए तो अनाज के मूल्यों में 25 रुपये की वृद्धि कर दी है, लेकिन उपभोक्ताओं का क्या होगा ?" ऐसा आपके आपस मे कोई सम्पर्क न होने के कारण हुआ है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को सारा अनाज मण्डी में आमद के समय ही खरीद लेना चाहिए। यदि आप इस नीति को अपनाते हैं तो आपको इसमें दो कठिनाइयां आएंगी। पहली तो यह कि आपके पास इसके लिए न तो पर्याप्त वित्त उपलब्ध है और न ही पर्याप्त गोदाम-क्षमता। मैं यह सुझाव देता हूं कि आप सभी थोक उपभोक्ताओं जैसे कि आटा-मिलों और चावल विक्रेताओं को यह बता दें कि वे बाजार में अनाजों की खरीद हेतु प्रवेश नहीं कर सकते और केवल सरकार ही निर्धारित मूल्य पर इन्हें खरीदेगी और उन्हें आपूर्ति करेगी। यह मूल्य अब 275 रुपये होगा। सरकार को सारा गेहूं खरीद करके, फिर आटा-मिलों को आवंटित करना चाहिए। आप उन्हें यह कह सकते हैं कि वे अपना एक महीने का कोटा ले सकते हैं और वे सरकार के पास धनराशि जमा करा दें। आप इसे आवंटित करें और सीधे मण्डी से ही उनको मिलों में भिजवा दें। तब आपको गोदामों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न ही इसके लिए आपको धनराशि की जरूरत पड़ेगी और देश में मूल्य-ढांचा स्थिर हो जाएगा। किसानों को सही मूल्य मिलेगा। उपभोक्ताओं को अन्तिम उत्पाद एक सही मूल्य पर मिलेंगे और आप लाभान्वित होंगे क्योंकि बाजार में मूल्यों में स्थिरता होगी। बाजार में मूल्य की अस्थिरता किसानों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। वह नहीं चाहता कि मूल्यों में उतार-चढ़ाव हो अथवा मूल्य बढ़ते-घटते रहें क्योंकि इसमें वह कभी भी लाभान्वित नहीं होता है। उसे तभी लाभ होता है, जब आप मूल्य निर्धारित कर देते हैं और उस मूल्य पर अनाजों की खरीद करते हैं। कृपया इस सुझाव को नोट करें, यदि यह ठीक बैठता हो, कि सरकार सारे खाद्यान्नों को खरीदे और इसकी आटा-मिलों, निर्यातकों तथा चावल विक्रेताओं को एक नियत मूल्य पर आपूर्ति करे, ताकि वे अनुचित लाभ न कमायें। यदि वे खाद्यान्न नियत मूल्य पर प्राप्त करते हैं, तो वे इसे उस पर अपने लाभ सहित एक निर्धारित मूल्य पर ही बेचेंगे। यह सभी के लिए लाभप्रद होगा। कृपया इसे ध्यान में रखें।

कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों के बारे में कुछ जिक्र किया गया था। कृषि विश्वविद्यालयों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं अन्य राज्यों के अनुभव के बारे में तो नहीं जानता। मैं आपको यह बता सकता हूं कि लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया है। वे अनुसंधान करने में सक्षम हुए हैं और फिर उन्होंने वास्तविक कार्य से इसे जोड़ दिया है। किसान-मेले आयोजित हुए हैं। उनके अनुसंधान के जो भी परिणाम निकले हैं उनके

लाभ किसानों को पहुंचे हैं। किसान मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें वे लोगों को अनुसंधान की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। वे उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा रहे हैं। अतः, मेरा निवेदन है कि आप सभी राज्यों में ऐसे विश्वविद्यालय क्यों नहीं स्थापित करते? सभी राज्यों को इन विश्वविद्यालयों का लाभ पहुंचने दें और उन्हें अनुसंधान संस्थानों का फायदा उठाने दें, ताकि हम अपना उत्पादन बढ़ा सकें।

किसानों की मुख्य जरूरत पानी है। दुर्भाग्यवश, इस देश में, हमारी बहुत बड़ी-बड़ी परियोजनायें हैं। परन्तु ये सभी परियोजनाएं कभी भी समय पर पूर्ण नहीं होती हैं। फिर राजनैतिक हस्तक्षेप भी है। आप देख सकते हैं कि नर्मदा-घाटी और टिहरी-गढ़वाल में क्या हो रहा है? परियोजनाओं को लंबित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लागत बढ़ा दी जाती है। परिणाम बहुत देरी से प्राप्त होते हैं। आप छोटी परियोजनाएं शुरू क्यों नहीं करते? आपकी दीर्घकालीन और अल्पकालीन अवधि की नीति होनी ही चाहिए। मैं एक अल्पकालीन नीति के बारे में सुझाव दूंगा। आपके पास 690 घन मीटर पानी भूमि पर उपलब्ध है और भूमि के नीचे 450 घन मीटर पानी है। कुल मिलाकर आपके पास 1140 घन मीटर पानी उपलब्ध है। लेकिन इसका उपयोग कितना है? यह केवल 552 घन मीटर है। हम इसे व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं? जब हमारे पास पानी उपलब्ध है, तो हम छोटी नहरें क्यों नहीं खोद सकते? हम तालाब खोद सकते हैं, हम कुएं खोद सकते हैं, ताकि हम उस पानी का उचित उपयोग कर सकें। अब हम विश्व बैंक तथा अन्य बैंकों से सहायता प्राप्त करने की सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है, उसे हम उचित ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस पर अधिक लागत नहीं आएगी। आप केवल इधर-उधर से धनराशि प्राप्त करें और ग्रामवासियों को तालाब खोदने के लिए कहें। आपको उन्हें धनराशि देने की जरूरत नहीं है। आप इसे पहले शुरू किए गए काम के लिए भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी ले सकते हैं। उन्हें तालाब खोदने दें तथा उन्हें उसके बदले अनाज दीजिए। अतः इस तरीके से, मैं समझता हूं, बहुत जल्दी हम इस देश में जो फालतू पानी हमारे पास उपलब्ध है, उसका उपयोग करने में समर्थ होंगे।

इसी प्रकार चाहे वह पंजाब में हो, हरियाणा में हो अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरित क्रांति के परिणाम आपके सामने हैं। और मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि पंजाब में, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 3,715 किलोग्राम है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं, जहां कि भूमि भी इससे अच्छी है, जहां पानी की भी अच्छी सुविधाएं हैं—सभी नदियां वहां हैं—और अच्छी वर्षा होती है, वहां प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन 2162 किलोग्राम है। यह चूक कहां है? हम इन सभी विसंगतियों को क्यों नहीं सुधार सकते? यदि पंजाब प्रति हेक्टेयर 3,479 किलोग्राम गेहूं उगा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में केवल 2,162 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्यों है? और इसी तरह पंजाब में प्रति हेक्टेयर 2.778 किलोग्राम धान का उत्पादन होता है? परन्तु उत्तर प्रदेश में आप एक हेक्टेयर में केवल 1,826 किलोग्राम धान उत्पादित कर रहे हैं। कृपया राज्य सरकारों को कुछ करने के लिए कहें।

मेरे मित्र, श्री चौधरी कह रहे थे कि केन्द्र को यह करना चाहिए और केन्द्र को वह करना चाहिए। मैं यह उम्मीद करता हूं कि वह अपने ही दल की सरकार से पंजाब से तुलना करने के लिए यह पूछें कि वह यह पता लगाए कि इसमें कठिनाई कहां है। जो कुछ वे कर सकते हैं, उन्हें

करना चाहिए और जहां कहीं भी उन्हें कोई सहायता अथवा सहयोग चाहिए उन्हें केन्द्रीय सरकार के पास आना चाहिए और केन्द्र सरकार को भी उनकी सहायता करनी चाहिए। आखिरकार, यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

अब मैं शुष्क कृषि पर आता हूं। हमारे पास काफी भूमि है, जहां शुष्क खेती होती है। लेकिन, हमने उसके बारे में कोई बड़ी प्रगति नहीं की है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को बता दूं कि यह प्रयोग इजराईल में अत्यधिक सफल रहा है। आप अपने वैज्ञानिकों को हमेशा बाहर भेजते रहते हैं और वहां विनिमय-कार्यक्रम होते हैं तथा हम उनसे लाभान्वित होते हैं। आपने उन्हें फिलिपिन्स और अन्य क्षेत्रों में भेजा है। यह जानने के लिए कि वे कैसे ऐसा करने में सक्षम हुए हैं, कृपया इजराईल के साथ एक आदान-प्रदान कार्यक्रम करें और हमें उस प्रणाली को भारत में अवश्य ही लागू करना चाहिए। यहां काफी भूमि शुष्क है और वर्षा होती ही नहीं अथवा कम होती है। अतः कृपया इस विषय पर गौर करें और मुझे आशा है कि आप हमारी शुष्क भूमि कृषि को सुधारेंगे।

अब, मैं भूमि सम्बन्धी कानूनों को लेता हूं। हमारे भूमि सम्बन्धी कानून ऐसे हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत, भूमि का बंटवारा हो जाता है। यदि एक व्यक्ति के पास चार बेटे हैं और उसके पास 10 एकड़ भूमि है, तो यह भूमि प्रति व्यक्ति ढाई एकड़ बांटी जाती है। उस स्थिति में, पैदावार वही नहीं होगी। तो हम अपने कानूनों में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते। इंग्लैंड में—इंग्लैंड का ज्येष्ठाधिकार कहता है कि केवल ज्येष्ठ पुत्र को भूमि मिलेगी और उसका विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन भूमि से अर्जित आय परिवार के सभी सदस्यों में बांटी जाएगी। इस देश में भूमि का विभाजन हो रहा है और हर जगह हम लोगों के पास एक अथवा दो अथवा तीन एकड़ जमीन पाते हैं। यह छोटे किसान, जो उन पर खेती करते हैं, को क्या प्रोत्साहन मिल सकता है ? वह कितना खर्च करेगा और उसे प्रतिफल के रूप में कितना मिलेगा ? अपने सीमित साधनों के कारण, वह सुधार करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इस बारे में विचार करें कि क्या यह हमारे देश में सम्भव है। यद्यपि यह आपका विभाग नहीं है, परन्तु फिर भी सरकार वही है और आप उन पर दबाव डाल सकते हैं।

भारत बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। इसके बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। हम 200 करोड़ रुपये की राशि का बासमती चावल निर्यात किया करते थे; अब यह 800 करोड़ रु० का हो गया है। एक बोरी बासमती चावल के निर्यात से आठ बोरी गेहूं आ सकता है। अब आप अवश्य ही अपनी भूमि का गेहूं उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं ? क्या हम यह प्रणाली नहीं अपना सकते कि हम कम गेहूं उगायें और अधिक बासमती चावल पैदा करें, हम इसका निर्यात करें और विदेशी मुद्रा अर्जित करें, खासतौर पर जब हमें एक बोरी चावल से आठ बोरी गेहूं के बराबर दाम मिलते हों ? कृपया इन सभी छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान दें ; इससे निश्चय ही देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने और अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमें सहायता मिलेगी।

अब मैं अपने ही राज्य पंजाब पर आता हूं। पंजाब के लोग बड़े परिश्रमी हैं। वे प्रणालस के वैज्ञानिक विकास में भी बहुत अधिक रुचि रखते हैं। वे उस पद्धति को जानते हैं; उन्होंने उस पद्धति को बड़े जोखिमपूर्वक लागू किया है, जबकि अन्य राज्यों ने उस प्रणाली को नहीं परखा है।

लेकिन चूंकि पंजाबी लोग साहसी होते हैं, उन्होंने इस प्रौद्योगिकी को अपना लिया है, जिसे आपने इस देश में ही विकसित किया है। हरित-क्रांति के रूप में हम इसे लागू करने में समर्थ हुए हैं और काफी हासिल कर लिया है।

अब एक ऐसी स्थिति है कि पंजाबी कृषक खुशी का अनुभव नहीं कर रहा है क्योंकि कठिन परिश्रम के पश्चात् इतना अधिक कार्य करने के बाद और उसके पास उपलब्ध सभी संसाधनों को लगाने के बाद—उसका समस्त परिवार खेत में कार्य करता है—उसको फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। क्या आप उन राज्यों को प्रोत्साहन देंगे जिन्होंने प्रौद्योगिकी अपनाई है और जो अधिक उत्पादन कर रहे हैं?

पंजाब की खाद्य मंत्री श्रीमती माटल ने एक पत्र द्वारा आपको पेशकश की है कि आप पंजाब से अनाज खरीद कर जो भी कोटा निर्धारित करें, यदि उसके लिए आप प्रति क्विंटल 35 अथवा 40 रुपए की सहायता दें तो आप यहां से 10 लाख टन अधिक अनाज की खरीद कर सकते हैं। क्या यह अच्छा सौदा नहीं है? हम आपको अधिक खाद्यान्न देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं बशर्ते आप भी पंजाब के किसानों की सहायता करें और इससे हम विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं।

हमारी कुछ समस्याएं हैं। हमारी एक समस्या यह है कि हम अपने किसानों को 20 रुपये प्रति ट्यूबवेल की दर से बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे बिजली बोर्ड को इस कारण से काफी नुकसान हो रहा है। यदि आप हमें राज सहायता नहीं दे सकते तो कृपया ग्रामीण विद्युतीकरण या विद्युत बोर्डों के लिए ऋण दे दीजिए। जिससे कि हम अधिक बिजली उत्पन्न करने में समर्थ हो जाएं और अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मंत्री महोदय को नोट करना चाहिए। यदि आप हमें राज सहायता नहीं दे सकते तो कृपया हमें ऋण मुहैया करा दीजिए। हम आपसे 1000 करोड़ रुपये के भारी ऋण के लिए नहीं कह रहे हैं। आप हमारे विद्युत विभाग के लिए केवल एक सौ करोड़ रुपये दे दीजिए, चाहे ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए या अन्यथा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अधिक खाद्यान्न उपलब्ध करेंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि आपके अपने विभागों में समन्वय की आवश्यकता है। आपको इतना बड़ा विभाग है यदि मैं उस पुस्तक को देखूं जो आपने हमें दी थी उसमें मात्स्यिकी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, भेड़ प्रजनन और क्या नहीं है। क्या इन सभी विभागों में पूर्णतया परस्पर समन्वय है जिससे कि आपको मालूम हो कि वे आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि अच्छे परिणाम निकल सकें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालयों के साथ भी सामंजस्य रखना होगा अन्यथा इसके बिना प्रगति रुक जायेगी। निरन्तर बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं विशेषतया सिंचाई विभाग के साथ निरन्तर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में हमारी काफी समस्याएं हैं। जैसा मैंने कहा था, वर्षा का पानी व्यर्थ जा रहा है इसके लिए कोई योजना नहीं है। बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं जबकि छोटी योजनाओं पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हम तालाब बना सकते हैं। हम ट्यूबवैल लगा सकते हैं। अतः बड़ी योजनाओं पर अधिक धन खर्च करने के बजाय हम इन ट्यूबवैलों पर धन खर्च क्यों नहीं कर सकते। पंजाब में यह प्रयोग काफी सफल रहा है। यह 12 जिलों का एक छोटा-सा राज्य है और यहां छह लाख से अधिक ट्यूबवैल हैं जो चालू हालत में हैं। इस प्रकार का प्रयोग अन्य स्थानों पर क्यों नहीं

किया जा सकता। कृपया बड़ी-बड़ी योजनाओं पर अधिक धन न खर्च किया जाये। हमें ट्यूबवैल लगाने चाहिए तथा तालाब बनाने चाहिएं तथा आप देखेंगे कि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था में पंजाब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी पंजाब अग्रणी है, अतः आपको पंजाब की समस्याओं और जो कोई भी पंजाब की मांग आपके पास आती है उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी आपको लिखा है। उन्होंने कई मुद्दे उठाये हैं। उन पर ध्यान दिया जाना चाहिएं जिससे कि पंजाब आपको आशा से भी अधिक योगदान दे।

श्री आयनल अबेदिन (जंगीपुर) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास, खाद्य, कृषि तथा नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

प्रारम्भ में, मैं ग्रामीण विकास के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था जिसको मैं उद्धृत करता हूं :

> "कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है और आर्थिक विकास की कोई नीति हमारे देश में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित न हो।"

मेरा नम्र निवेदन है कि ग्रामीण भारत की समृद्धि का मुख्य आधार कृषि है और कृषि में रोजगार तथा उत्पादन की वृद्धि की कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक पुनर्वितरण भूमि सुधार के कार्य को शीघ्र से लागू करने का कार्य सुनिश्चित न हो जाये। वास्तव में ग्रामीण विकास का मुख्य आधार पुनर्वितरण भूमि सुधार है। अब प्रश्न यह उठता है—जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध, पुनर्वितरण भूमि सुधार इतना महत्वपूर्ण क्यों है ? भूमि के पुनः वितरण का अर्थ केवल यह नहीं कि किसी गरीब भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का टुकड़ा दे दिया जाये बल्कि इसका अभिप्राय है कि ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादन प्रक्रिया को बल देने से है और ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने से है। ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि देश के आन्तरिक बाजारों में वृद्धि की जाये जो क्रमशः घटते जा रहे हैं। भूमि के पुनः वितरण का अर्थ है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक शक्ति का पुनः वितरण हो। इसका अभिप्राय ग्रामीण शक्ति की संरचना में इस तरह के परिवर्तन से तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों में समन्वित संबंधों से उत्पादन बढ़ सकता है और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस की किसी भी सरकार ने कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की शक्ति संरचना में कोई आधारभूत परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया है। निःसंदेह भूमि सुधारों के क्षेत्र में कार्य निराशाजनक रहा है जबकि सरकार द्वारा निश्चित समयबद्ध योजनाओं के तहत अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों को वितरित करने के कार्यक्रमों की घोषणा की जाती रही है।

यह अनुमान लगाया गया था कि कुल कृषि योग्य भूमि का आठ प्रतिशत जो 325 लाख एकड़ भूमि से भी अधिक है भूमिहीन तथा गरीब किसानों में बांटने के लिए उपलब्ध होगी। जबकि

72.56 एकड़ भूमि ही फालतू भूमि घोषित की जा सकी है जो कुल खेती योग्य भूमि का मात्र 1.78 प्रतिशत है। और इसमें से केवल 48.86 लाख एकड़ जो कृषि योग्य भूमि के एक प्रतिशत से थोड़ी अधिक है, को अभी तक वितरित किया गया है।

मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना चाहता है और हमारी पिछड़ी कृषि अर्थ-व्यवस्था को आधुनिक औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में बदलना चाहता है तो उसे आगे आकर भू-स्वामित्व की पुरानी व्याख्या बदलनी होगी और इस नारे को मूर्त रूप प्रदान करना होगा कि भूमि उसी की है जो उसे जोतता है।

बटाईदारों को परिचालन अधिकार या पट्टा के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करना भूमि सुधार का दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू है। ऐसा कर देने से, वे उस भूमि, जिस पर वे खेती करते हैं, से बेदखल हो जाने के डर से मुक्त हो जायेंगे और फिर वे अपनी ओर से खून-पसीना एक कर उत्पादन बढ़ाने की जी-तोड़ कोशिश करेंगे। उन्हें पट्टे की सुरक्षा के अधिकार से वंचित रखने का अर्थ है उत्पादन क्षमता में श्रम के ह्रास को स्वीकृति देना। इसी से हमारा कृषि उत्पादन वृद्धि अवरुद्ध होता है। मैं जब यह सब कह रहा हूं तो इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ हूं कि मंत्री महोदय तुरंत ही प्रत्युत्तर देंगे कि भूमि राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को भूमि-सुधार कार्यक्रमों को लागू करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार कर ही क्या सकती है ?

मैं तो उनसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि वे अपने कांग्रेस शासित राज्यों में इस सम्बन्ध में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने का उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे लोगों को लगे कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार—केन्द्र में भी और राज्यों में भी—भूमि-सुधार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये पूर्ण रूप से गंभीर और ईमानदार है।

सरकारी दस्तावेजों में संकेत दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र एक प्राथमिक क्षेत्र है और बजट के प्रावधानों में इसे प्राथमिकता प्रदान की गई है। अब हम यह देखें कि किस प्रकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र को दी गई है। वर्ष 1992-93 के बजट के कुल व्यय में 5,665 करोड़ की वृद्धि की गई है, जोकि वर्ष 1991-92 के बजट से 6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1992-93 के केन्द्रीय योजना व्यय में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई—तीनों ही ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं—की धनराशि में 1,107 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। सामान्य तौर पर यह कटौती तो 23 प्रतिशत है लेकिन अगर मूल्य-वृद्धि और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो यह वास्तव में 36 प्रतिशत से भी अधिक है।

ग्रामीण विकास के लिये वर्ष 1991-92 की धनराशि 3,521.54 करोड़ रुपये को वर्ष 1992-93 में घटाकर 3,113.52 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार 407.95 करोड़ रुपये की कमी कर दी गई है।

तो क्या हम विश्वास कर लें कि जितनी कम धनराशि होगी, उतने ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इस प्रक्रिया में अगर धनराशि बिल्कुल ही नदारद होगी तो बेरोजगारी और गरीबी भी खत्म हो जाएगी।

यह सरकार के कथनी और करनी में फर्क को ही उजागर करता है।

अब मैं बहुत ही संक्षेप में कृषि के बारे में चर्चा करूंगा और इस संदर्भ में "इकानोमिक सर्वे" 1991-92 से एक वाक्य भी उद्धृत करना चाहूंगा :

"कृषि, अर्थव्यवस्था का सबसे कम संरक्षित क्षेत्र है; इसकी विश्व बाजार में पहुंच को सुधारने की आवश्यकता है। और इस सम्बन्ध में आने वाली बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिससे यह निर्यात में अपना ठोस योगदान दे सके।"

मैं समझता हूं कि यह सरकार अब एक नई कृषि नीति पर चलने जा रही है। यह तो स्पष्ट है कि यह देश अब निर्यातोन्मुख कृषि नीति का अनुसरण करेगा। आश्चर्य है कि यह नीति भूख से बेहाल हमारे लाखों लोगों को एक समय का भी भोजन जुटाने के बारे में चुप है।

इसमें कोई शक नहीं कि कृषि, अर्थव्यवस्था को न्यूनतम संरक्षित क्षेत्र है। लेकिन सरकार के हाल के कदमों से ऐसा आभास होता है कि जो कुछ भी थोड़ा संरक्षण इस क्षेत्र को प्राप्त है, उसे भी खत्म किया जा रहा है। हमारे कृषि क्षेत्र की विश्व बाजार में पैठ जमाने के बहाने विश्व समुदाय की भारतीय बाजार में पहुंच को आसान बना रहे हैं। यह नीति संकेत देती है कि हम कृषि क्षेत्र में मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाने जा रहे हैं जिसमें बाजार की ताकतें हमारी कृषि की दिशा तय करेंगी। यहां यह कहना अनावश्यक है कि इससे निश्चय ही बड़े पैमाने पर छोटे और सीमान्त किसान अपनी जमीन से बेदखल होंगे और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिये बड़े-बड़े सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित फार्म और उपक्रम व्यवहार में आयेंगे। इसमें यह बात निहित है कि हमारे कृषि क्षेत्र के लिये पूंजी एकाधिकार के निरपेक्ष प्रभाव के सामने आत्मसमर्पण के सिवाय दूसरा विकल्प छोड़ा ही नहीं जायेगा।

1960 के दशक के मध्य अपनायी गयी 'हरित क्रांति', जिसका उल्लेख दूसरे माननीय सदस्यों ने भी किया है, का मुख्य उद्देश्य तकनीकी प्रगति के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाना था। उस समय यही कहा गया था कि उस नीति से कालान्तर में ग्रामीण गरीब ही लाभान्वित होंगे। लेकिन हम सब उसके परिणाम से अवगत हैं। खाद्यान्न का उत्पादन निश्चय ही पर्याप्त रूप से बढ़ा है। लेकिन इस कृषि नीति ने क्षेत्रीय और वर्गीय विषमताओं को भी बढ़ाया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। इसने ग्रामीण ऋणग्रस्तता की घटनाओं और सीमान्त तथा छोटे किसानों की भूमिहीनता को बढ़ाया है।

मुक्त बाजार दर्शन पर आधारित यह नई कृषि नीति इस प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाएगा। नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसके निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका का प्रशासन बहुत ही व्यग्र है, के रूप में यह बहुत ही जरूरी हो गया है कि उनका तीसरा दुनिया के अविकसित और विकासशील देशों के कृषि-प्रणाली पर पूर्णतया नियंत्रण हो। इस नियंत्रण से तीसरी दुनिया के देश संयुक्त राज्य अमरीका पर स्थायी रूप से निर्भर हो जायेंगे। संयुक्त राज्य अमरीका की एकमात्र रुचि यही है। इसलिए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसकी पहल पर हमारी सरकार को खाद्यान्न और उर्वरकों पर से राजसहायता हटा लेने के लिए निरन्तर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और हमारी सरकार ने उस दबाव के आगे घुटने भी टेक दिये हैं।

अमरीकी प्रशासन हमें खाद्यान्नों पर से राजसहायता हटाने के लिए कह रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह अपने यहां खाद्यान्नों पर राजसहायता की दर बढ़ाने जा रहा है। अब यह महसूस

करने वाली बात है कि अमरीका हमें राजसहायता हटाने के लिए क्यों कह रहा है।

श्री रूडी बोशविट्ज, जो कि रीगन प्रशासन में कृषि सलाहकार थे, ने स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य तीसरी दुनिया के देशों को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने से हतोत्साहित करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका इन देशों को खाद्यान्न का निर्यात इनके खाद्यान्न उत्पादन लागत से भी कम दर पर जारी रखेगा जिससे ये देश उसके यहां से अधिक से अधिक खाद्यान्न आयात करने को लालायित हो सकें और फिर दीर्घावधि में वे देश उस पर स्थायी तौर पर निर्भर रहें। अमरीकी सरकार ने जापान और दक्षिण कोरिया पर भी चावल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को छोड़ देने और उसके आयात के लिए उस पर निर्भर रहने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी। लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन के समक्ष नहीं झुके।

यू० एस० ए० के गेहूं उत्पादक संगठन के अध्यक्ष, श्री मोरडीगन एंजिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चालू वर्ष में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी भारत को लाखों टन गेहूं बाहर से आयात करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि कहीं उन्होंने यह इशारा न किया हो कि भारत उनके जाल में फंस चुका है जिससे छुटकारा पाने का सवाल ही नहीं है। अब कोई भी आसानी से समझ सकता है कि भारत की कृषि अब साम्राज्यवादी हितों के जबड़ों में फंस चुकी है।

अब ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार हमें विश्वास दिलाना चाहती है कि हम निर्यात में ठोस योगदान देने जा रहे हैं।

महोदय, उसके बाद है डंकल प्रस्ताव, जिस पर मैं विस्तार में नहीं जाकर इतना ही कहूंगा कि जहां तक कृषि से सम्बन्धित उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता की अपनी नीति की कीमत पर भारत के खेतों में अमरीकी देख-रेख में उसी के हित के खातिर उसी की कृषि नीति लागू करने जा रहे हैं।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा : पहला तो यह कि निरन्तर उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक विपदाओं ने छोटे और सीमांत किसानों को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। उन्हें इस तरह के विपदाओं से रक्षा करने के लिए वर्तमान फसल बीमा योजना, जिसके नियम बहुत कड़े हैं और वह ऋण पर आधारित हैं, के स्थान पर नई बीमा योजना शुरू करने को जरूरत है जिसके प्रीमियम में केन्द्र और राज्य सरकारों की भागीदारी होनी चाहिए।

दूसरे, कृषि उत्पादों के भंडारण और बाजार की व्यवस्था औसतन 10, 12 से 15 गांवों के ऊपर एक अनाज-गोला के प्रावधान के साथ की जानी चाहिए।

तीसरे, कृषि मजदूरों के लिए एक केन्द्रीय न्यूनतम मजदूरी अधितियम पारित किया जाना चाहिए और उसे पूरे देश में समुचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

चौथे, पटसन उगाने वाले छोटे और सीमान्त किसान जो कि अपने कच्चे माल को बहुत ही सस्ती दर पर बेचते आए हैं, सबसे पीड़ित लोग हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय पटसन निगम के कच्चा पटसन खरीदने के एकाधिकार और बिचौलियों की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए।

मेरा पांचवा मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल में बैंकों का नेटवर्क अपर्याप्त है और वहां बैंक का ग्रामीण शाखाओं में ऋण और जमा का अनुपात भी बहुत कम है।

इसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उचित वृद्धि के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

मेरा अन्तिम मुद्दा कृषि उत्पाद की मूल्य नीति के बारे में है।

सरकार उत्पादकों को लागप्रद मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर दिलाने के लिए प्रतिवर्ष कुछ कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा वसूली मूल्य घोषित करती है।

लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस प्रकार घोषित मूल्य वास्तव में लाभप्रद होते हैं या नहीं। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। फिर इसका उत्तर तो बाहर किसान दे रहे हैं जब वे इन कृषि उत्पादों को जला रहे हैं। मेरा मुद्दा यह है कि जब भी समर्थन मूल्य बढ़ाए जाते हैं, इनके निर्गम मूल्य में अधिक वृद्धि कर दी जाती है। 1991-92 में खरीद के समय चावल और गेहूं के समर्थन मूल्यों में क्रमश: 25 रुपए और 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी लेकिन चावल के निर्गम मूल्य में 88 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई और गेहूं के मूल्य में 46 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि कर दी गयी।

1991-92 के बजट को पारित करने के बाद शीघ्र ही लेवी की चीनी के मूल्य में 85 पैसे प्रति किलो ग्राम वृद्धि की गयी जिसके कारण गैर लेवी की चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई और इसके अनुरूप गन्ना उत्पादकों को लाभ दिए बगैर ही चीनी मिल मालिकों के पास सैकड़ों करोड़ रुपए आ गए। इस वर्ष जनवरी में पुन: लेवी की चीनी के निर्गम मूल्य में 80 पैसे प्रति किलो ग्राम की वृद्धि की गयी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटन में अत्यधिक कमी की गयी है। 1991-92 में 4000 करोड़ रुपए से कम करके 1992-93 में 2500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आबंटन में यह कटौती तथा कुछ वस्तुओं के समर्थन मूल्य में वृद्धि, जो कुछ दिन पहले घोषित की गयी थी, के कारण सरकार पुन: अन्तर को कम करने के लिए निर्गम मूल्य में वृद्धि करने के लिए उत्सुक होगी।

हमारा कृषि समुदाय कुल उत्पादन का केवल 10 प्रतिशत से भी कम उत्पादन बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करता है। वे कुछ हद तक समर्थन मूल्य में वृद्धि से लाभान्वित होते हैं। छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों, जो अतिरिक्त मात्रा में उत्पाद नहीं करते, को समर्थन मूल्य में इस वृद्धि से अधिक लाभ नहीं मिलता। लेकिन यही लोग दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों के आगे लाइन में खड़े होते हैं और उन्हें निर्गम मूल्य की बढ़ी हुई दर देनी पड़ती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि लोगों के गरीब वर्ग के नजरिए से निर्गम मूल्य में वृद्धि को देखा जाए क्योंकि निर्गम मूल्य में वृद्धि करना तो लोगों के गरीब वर्ग की जेबों से पैसे निकालना है। इसलिए निर्गम मूल्य इस प्रकार तय हो कि इससे लोगों के गरीब वर्ग, छोटे और सीमांत किसान तथा कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके।

महोदय, इन शब्दो के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एग्रीकल्चर, फूड, रूरल डेवेलपमेंट मिनिस्ट्रीस के ग्रांट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कृषि मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ वित्त मंत्री जी को, प्रधान मंत्री को भी क्योंकि जब यह बजट आया तो उससे पहले काफी चर्चा थी और देश की आर्थिक स्थिति पिछली सरकार भी ऐसी छोड़ गयी थी, यह चर्चा थी कि जो खाद पर सबसिडी दी जा रही है वह विदड्रा होगी, एग्रीकल्चर के ऊपर इंकम टैक्स लगेगा, ये इन्होंने कायम रखी, सबसिडी कायम रखी और इंकम टैक्स नहीं लगाया।

एक बात जो हमारे साथी नीतीश कुमार जी ने कही कि ऐसी कोई स्कीम यहां पर लाई जाए जिससे कि देहात में जमीन पर बोझा कम हो और दूसरे धंधों में लगें, तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि वित्त मंत्री जी ने अपने फाइनेंस बजट में जो इन्होंने कंजोरशियम का प्रावधान किया है, एग्रीकल्चर और बिजनेस का मिलाकर, जो कि फंडेड होंगे, आरबीआई से, को एक ऐसा साधन इन्होंने दिया है, एक ऐसी नीति दी है जिससे महात्मा गांधी का सपना जो गांवों में इंडस्ट्री और गांवों में स्माल इंडस्ट्रीज लगें वह पूरा होगा और लोगों को दूसरा धंधा अपनाने को मिलेगा। आज जहां तक इन ग्रांटों का सवाल है इन सबका मैं समर्थन करता हूं, यह ठीक है कि कुछ पैसा पिछले साल के मुकाबले में घटाया गया, चाहे वह रूरल डेवेलपमेंट में है या और मिनिस्ट्रीज में है, लेकिन साथ ही साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 1700 ब्लाकों में जो इन्होंने स्कीम दी है, उसमें जो पैसा दिया है यह एक मुबारकबाद का काम इन्होंने किया है।

4.45 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

लेकिन सवाल आज का नहीं है, मैं चिंतित हूं आज से 40 साल के बाद की बात सोच कर जब 2035 में हमारे देश की जनसंख्या 170 करोड़ हो जाएगी, तब हम कहां से अपनी जनता के लिए खाना लाएंगे, यह सोचने की बात है।

सभापति महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब देश का कुल खाद्य उत्पादन 50 मिलियन टन था, लेकिन किसान की मेहनत तथा कांग्रेस की, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी की नीतियों के कारण हमारा प्रोडक्शन बढ़ कर 175 मिलियन टन हुआ, लेकिन हमारा प्रोडक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से हमारे प्रोडक्शन में प्रति वर्ष 4 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी 7 मिलियन टन प्रति वर्ष होनी चाहिए अर्थात् 3 मिलियन टन की प्रति वर्ष की अभी कमी है। आज हमारा प्रोडक्शन 175 मिलियन टन है, लेकिन सन 2000 में हमें अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए 325 लिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी। जैसा मैंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस की नीतियों और किसान की मेहनत से हमारा उत्पादन 215 परसेंट बढ़ा है। गन्ने में 320 परसेंट, दूध में 200 परसेंट और मछली में 300 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुझे खेद है कि इतना उत्पादन बढ़ने के बाद भी हमारे किसान की हालत, उसके रहन-सहन का स्तर सुधर नहीं पाया है।

किसान के रहन-सहन का जो स्तर होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। 1951 में देहात की जनसंख्या 290 मिलियन थी, आज 520 मिलियन हो गयी है, लेकिन पर केपिटा इंकम प्रति वर्ष देखी जाए तो देहात में कृषि से जुड़े हुए लोगों की 420.7 रुपए है और नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स की 1783 रुपए है। इतना उत्पादन और इतनी मेहनत के बाद भी किसान की पर केपिटा इन्कम दूसरे धंधे में लगे लोगों से नहीं बढ़ सकी। यह कोई आज का सवाल नहीं है। अब ऐरथ प्लान, अप्रोच पेपर आ गया है। उसमें भी एग्रीकल्चरल ग्रोथ 3 परसेंट रखी गई है, लेकिन सवाल आज के बाद का है। आगे कैसे हम इसको पूरा करेंगे। इसके लिए कृषि क्षेत्र को प्रायरिटी देने का सवाल है. रीफिक्सिंग ऑफ प्रायरिटीज के बारे में सोचना होगा।

सभापति महोदय, देश इतनी तरक्की कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे देश को भी तरक्की करनी चाहिए, लेकिन किसान की भी साथ-साथ तरक्की होनी चाहिए। आज यहां देखना है कि प्रायरिटी हवाई अड्डों को, जिनके जरिए जल्दी आया-जाया जा सकता है, को देनी है या देहात को ऊपर उठाने के लिए देनी है, यह आपको देखना है।

सभापति महोदय, 1950-51 में देश के कुल एक्सपोर्ट का 95 प्रतिशत कृषि उत्पादन से था, वह अब घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इस बारे में आज सोचने की जरूरत है। देश की कुल आमदनी में से 1950-51 में 58 परसेंट कृषि माध्यमों से होती थी, जो आज घट कर 33 परसेंट हो गई है। इसके कारणों के बारे में सोचना होगा और उनके निवारण के बारे में सोचना होगा। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए किसानों का उत्थान आवश्यक है। किसान खुशहाल होगा, तभी देश खुशहाल होगा। इस बारे में हमको गंभीरता से सोचना होगा।

सभापति महोदय, जहां तक क्रेडिट की बात है, आपने देखा कि एकदम 1970 के बाद देश का उत्पादन क्यों बढ़ा। हमारी दिवंगत नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसानों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। उससे पहले किसान बैंकों में नहीं जा सकता था। 17 प्रतिशत टोटल बैंक क्रेडिट एग्रीकल्चर के लिए फिक्स की है, जबकि हमारी आमदनी कृषि से 33 प्रतिशत है। इसके मुकाबले में टोटल बैंक क्रेडिट इण्डस्टरी को 36 प्रतिशत जाती है और इण्डस्टरी से आमदनी 20 प्रतिशत होती है। डिसपेरिटी रेशो जो 1970-71 में 1 : 2.2 थी, जो बढ़ कर 1 : 4.2 हो गयी है 1989 में। मेरा इसमें यह सुझाव है कि टोटल बैंक क्रेडिट कम से कम 30 प्रतिशत देहात और एग्रीकल्चर को मिलनी चाहिए। रेट ऑफ इंट्रेस्ट एग्रीकल्चर के लिए, क्रोप लोन हो या दूसरे लोन, वह 6 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कृषि को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। कृषि के साथ अन्य विभाग भी जुड़े हुए हैं—इरिगेशन है, पावर है।

[अनुवाद]

ये स्वतन्त्र विभाग हो सकते हैं लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर विभाग हैं।

[हिन्दी]

कृषि के संदर्भ में आज 70 प्रतिशत हमारी भूमि अनइरीगेटिड है। 40 साल के बाद भी आज तक कोई हमारी इरीगेशन की पॉलिसी नहीं है। जब तक हमारी इरीगेशन की पॉलिसी नहीं होगी, इस देश में कृषि की तरक्की नहीं हो सकती। हमने 25 हजार करोड़ रुपया मेजर प्रोजेक्ट्स में इनवैस्ट किया। उसका नतीजा यह हुआ कि 16 मिलियन हैक्टेयर भूमि ऐसी तैयार की हमने जिसमें सिंचाई का प्रबन्ध किया। अगर आज आप 25 हजार करोड़ रुपया माईनर

इरीगेशन पर लगायेंगे तो कम से कम 30 लाख या 25 लाख मिलियन हैक्टेयर ऐसी भूमि प्राप्त कर सकते हैं जो सिंचाई के लिए तैयार हो सकती है। यही एकमात्र बेरोजगारी का समाधान है। इससे ज्यादा रोजगार किसी भी उद्योग में या कहीं नहीं मिल सकता है। इरीगेशन पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दें।

आठवीं योजना में कोई मेजर या मिडियम प्रोजेक्ट हमने नहीं लिया। 30 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है और 50 लाख हैक्टेयर एक-फसला भूमि है। जो एक-फसला भूमि है उसको सिंचाई के जरिए दो-फसली बनाएं तो 5 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।

बिजली का जहां तक सम्बन्ध है, अभी भाटिया जी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत मेहनती हैं और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं —गेहूं का भी और चावल का भी. इसी प्रकार वैस्टर्न यू० पी० के हैं, लेकिन मैं इनके विचार से अलग मत का हूं, यह ठीक है कि हम मेहनती हैं. मैं भी हरियाणे का रहने वाला हूं, मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि देश के बाकी किसान मेहनती नहीं हैं। पूरे देश का विकास मेहनती है। क्या कारण है कि उनके यहां उत्पादन कम है, यह सोचने की जरूरत है। जितनी पंजाब में बिजली सप्लाई होती है उसका 40 प्रतिशत, या टोटल प्रोडक्शन का 40 परसेंट एग्रीकल्चर सैक्टर में जाता है। जितनी हरियाणा में बिजली पैदा होती है उसका 45 प्रतिशत एग्रीकल्चर में जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुल प्रोडक्शन का 12 परसेंट ही एग्रीकल्चर सैक्टर में जाता है। तो कैसे वहां उत्पादन बढ़ेगा, वहां किसान कैसे ज्यादा मेहनत कर पाएगा ? डिस्ट्रीब्यूशन आफ प्रोडक्शन आफ पावर ठीक नहीं है, यह सोचने वाली बात है।

मेरा खास तौर से सरकार से निवेदन है कि यह बात नोट कर लें। टैरिफ के बारे में मैं कहना चाहता हूं। प्रोक्योरमेंट प्राइस आप देते हैं जो पूरे देश के लिए एक है, लेकिन बिजली का टैरिफ पंजाब में कुछ और है, आसाम में कुछ और है और महाराष्ट्र में कुछ और है।...

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : प्रोक्योरमेंट प्राइस भी पंजाब में कुछ ज्यादा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : वह बोनस के नाम पर देते हैं। मेरा निवेदन है कि कोई न कोई टैरिफ पर कंट्रोल होना चाहिए।

कोई न कोई टैरिफ पर भी कंट्रोल होना चाहिए और एग्रीकल्चर सैक्टर को सस्ती बिजली दी जाए और जैसा भाटिया जी ने कहा कि बिजली बोर्ड की मदद की जाए, इस बात से मैं सहमत हूं। आज, मनमोहन सिंह जी, वित्त मन्त्री जी ने सोने की जो ब्लैक होती है, चोरी होती है, उसको रोक दिया है। परन्तु जब तक बिजली की चोरी इस देश में नहीं रुकेगी तब तक इस देश की तरक्की नहीं हो सकेगी। इस मामले में सबसे ज्यादा चोरी इंडस्ट्री सैक्टर में होती है। कोई भी बिजली बोर्ड फायदे में नहीं आ सकता जब तक उसकी चोरी रोकने का प्रबन्ध नहीं करेंगे।

क्राप इन्श्योरेंस के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी ने भी इस बारे में चर्चा की है। वह लोन रिकवरी स्कीम है। आजकल क्राप इन्श्योरेंस सही मायने में लागू नहीं होती है। इसमें बेसिक यूनिट में जब तक पटवार सर्किल या इंडीविजुअल नहीं आयेगा और यह कंडीशन नहीं हटाई जाएगी कि जो लोन लेगा वही इसका लाभ उठा सकता है, लेकिन सही मायने में किसान को फायदा यह नहीं हो सकता। इसमें बेसिक यूनिट तहसील है। दस फसलों में से चार फसल किसान की खराब होनी हैं। जब उसकी फसल खराब होती है तो उसको यह महसूस

नहीं होगा कि मेरी सरकार हमारी मदद के लिए खड़ी है और उसका मनोबल गिरेगा तो उत्पादन भी कम होगा। इसको पटवार सर्किल या इंडीविजुअल में दीजिए। रूरल डवलपमेंट के बारे में मुझे जहां तक याद है हमारे नेता बीच में नहीं हैं, श्री राजीव गांधी जी ने पब्लिक जन-सभाओं में या सदन में कहा होगा, मैं उस समय नहीं था, यह कहा था कि जितना पैसा हम यहां से भेजते हैं तो नीचे तक 15-16% या 17% पैसा ही पहुंचता है। उसको कैसे चैक किया जाए। नीचे कोई एजेंसी नहीं है। मैं ब्लाक समिति रोहतक का चेयरमैन रहा हूं। यह स्कीम मैंने इम्पलीमेंट कराई है। यह बिल्कुल तथ्य की बात है कि नीचे कोई एजेंसी नहीं है जो जाकर देखे कि जो पैसा जिस चीज के लिए दिया गया है, वह सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। किसी गांव के लिए कोई गली बनाने की स्कीम दी जाती है। एक साल बाद दिखाई जाती है कि वह टूट गई है। योजनाबद्ध स्कीम होनी चाहिए। जिन गांवों की जनसंख्या पांच हजार से ज्यादा है तो वहीं सुविधा दी जाए जो शहरों को मिलती है चाहे पक्की सड़क, सीवरेज या वाटर सप्लाई की बात है। राजीव जी के नाम से यह योजना है कि हर गांव में पेयजल देना है। आज से दस साल पहले यह था कि जिन गावों की संख्या दो हजार थी आज पांच हजार है। कोई आगमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए उसको बढ़ाया जाए। आजकल गांवों में सीवरेज सिस्टम की हालत खराब है। गांवों में पीने का पानी ठीक नहीं है और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। भाटिया जी ने पंजाब और हरियाणा के बारे में चर्चा की। मैंने भी कहा था कि मेजर प्रोजेक्ट्स हमने लिए और पैसा इन्वेस्ट किया। जितना हमने सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए वे सरफेस इर्रीगेशन के साथ हैं। आज इर्रीगेशन पालिसी नहीं है। जिस इलाके में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो हो सकता है आज से दस साल बाद एक भी दाना न हो। सारी जमीन में वॉटर लागिंग होती जा रही है। जहां तक सरफेस इरीगेशन है तो वहां सब-सायल ड्रेनेज नहीं बनाई गई है।

5.00 म० प०

इस सब सॉयल ड्रेनेज के लिए या इर्रीगेशन के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण इस्राइल में आपको देखने को मिलेगा। वहां वाटर मैनेजमेंट इस तरीके से है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकें और मुनाफा कमा सकें। मैं जाखड़ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज किसानों को बोनस देने की घोषणा की है। उन्होंने किसानों का ख्याल रखा है, हम आगे भी इनसे ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री भी एक किसान के बेटे हैं। जब तक सारा देश एक होकर राजनीति से ऊपर उठकर किसानों को खुशहाल बनाने की नहीं सोचेगा, तब तक हमारा देश एक नहीं रह सकता। यह देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, लेकिन एक ही चीज यहां पर है वह यह कि जो कॉमन कल्चर हमारा है, वह एग्री-कल्चर है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप जाएं, आपको कॉमन कल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलेगा। शायद मेरे साथियों को यह बात पसन्द नहीं आए जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ही पूरे देश में जो कॉमन पार्टी है वह कांग्रेस पार्टी है। ये दो शक्तियां ऐसी हैं जिन्होंने इस देश को एक रखा हुआ है। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि एग्रीकल्चर और कांग्रेस को मजबूत करें, तभी देश मजबूत होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदया, मैं खाद्य मंत्रालय के तहत अनुदानों की मांगों पर बोलना चाहता हूं और मांग करता हूं कि इस मंत्रालय द्वारा और अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करने के लिए इसे और अधिक अनुदान दिए जाएं।

यह सभा जानती है कि देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। पिछले वर्ष 24 जुलाई को मंत्री महोदय ने बजट पेश करते समय कहा था कि इससे बिल्कुल भी मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। मैंने बजट पर अपने भाषण में कहा कि यह मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला बजट होगा। मेरा मत आर्थिक तर्क पर आधारित था। बजट घाटा और इसके लिए वित्त जुटाने के तरीके मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले थे।

लेकिन वित्त मंत्री ने बजट पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा कि बजट बिल्कुल भी मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन इसके विपरीत दो महीने बाद मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत से बढ़कर 16.7 प्रतिशत हो गई। तब दो महीने बाद मंत्री महोदय ने कहा कि मुद्रास्फीति की दर कम होकर 13.3 प्रतिशत हो गई है और फिर 12 प्रतिशत हो गई। मैं इस आंकड़े पर यकीन नहीं करता क्योंकि बाजार की वास्तविकता तो एकदम भिन्न थी। 12 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर का यह आंकड़ा या तो भ्रामक है या गणन की त्रुटि है या फिर जनता और संसद से भी सच्चाई को छिपाने का एक प्रयास है।

अब मन्त्री महोदय ने कहा है कि उनका विचार इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर को कम करके 7 प्रतिशत पर लाना है। लेकिन इसके विपरीत पिछले सप्ताह मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। अन्य मूल्यों में तो थोड़ी वृद्धि हुई है लेकिन खाद्यान्न के मूल्यों में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बाजार की वास्तविकता है।

आम आदमी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों से चिन्तित नहीं है—वह बजट घाटे या अदायगी के बड़े घाटे या विदेशी ऋणों से चिन्तित नहीं है, वह तो खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न अपने स्वयं के आर्थिक संकट से चिन्तित है जबकि उसकी आय स्थिर है। खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि क्यों होती है ? इसके अनेक कारण हैं। भारत में जब खाद्यान्न के मूल्य बढ़ते हैं तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है हालांकि बजट का घाटा नहीं होता। जब खाद्यान्न के मूल्य गिरते हैं तो मुद्रास्फीति की दर भी कम होती है। इस प्रकार जब खाद्यान्न की सप्लाई बढ़ती है तो उनके मूल्य गिरते हैं और मुद्रास्फीति की दर कम होती है। जब मुद्रास्फीति की दर कम होती है तो लोग खुश रहते हैं। अब पहली दो योजनाओं से हमारा अनुभव यह साबित करता है कि खाद्यान्न के मूल्य, मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना अपेक्षाकृत एक मामूली कार्य था। यह कृषि उन्मुख थी। योजना का आकार छोटा था और लक्ष्य भी कम थे। योजना आयोग का मत था कि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होने के कारण इसे प्राथमिकता दी जाए। इसलिए इसे उद्योग से अधिक प्राथमिकता दी गई। लोग बहुत खुश थे। खाद्यान्न की सप्लाई बढ़ी, खाद्यान्न के मूल्य गिरे और मुद्रास्फीति की दर भी कम हो गई। भुगतान सन्तुलन में भी अतिरिक्त धनराशि थी।

जब इस योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी थी तब चीन के प्रधान मन्त्री श्री

चाऊ-इन-लाई भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने यहां पर दस दिन बिताए तथा वापस जाते समय श्री जवाहर लाल नेहरू को चीन की यात्रा का निमन्त्रण दिया और उन्होंने अगले वर्ष चीन की यात्रा की। पंडित नेहरू को चीनी औद्योगिक संस्थानों मे घुमाया गया और वह चीन के आर्थिक विकास से प्रभावित हुए। दूसरी योजना तैयार हुई। यह योजना अत्यधिक उद्योगोन्मुख थी। कृषि को दूसरा दर्जा मिला। यह योजना 1956 में शुरू हुई। श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा कि इस योजना को अत्यन्त गुप्त रूप से तैयार किया गया है। इस योजना के लागू होने के दो वर्ष बाद खाद्यान्न की सप्लाई में गिरावट आई, खाद्यान्न के मूल्य बढ़े और मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई, निर्यात में कमी आई, आयात बढ़े और भुगतान सन्तुलन का संकट भी उत्पन्न हो गया। इसके कारण हमें विदेशी ऋण लेना पड़ा। फिर नेहरू ने जो योजना अपने सलाहकारों को तैयार करने के लिए कहा था वह देश के लिए अच्छी नहीं थी।

प्रो० कोलिन क्लार्क ने 'ग्रोथमैनशिप' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, उसमें उन्होंने कहा :

"श्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने एक अत्यन्त असाधारण रूप से मूर्खतापूर्ण वक्तव्य में कहा कि हमें मशीनों का उत्पादन करने के लिए मशीनों का उत्पादन करना चाहिए और आगे कहा कि भारत इस प्रकार के विकास डिजाइन के लिए तैयार नहीं था और इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई।"

खाद्यान्न के मूल्य बढ़े और लोग अप्रसन्न थे। इससे पता चलता है कि कृषि विकास की हमारी नीति के रूप में खाद्यान्न सप्लाई की रणनीति अपनाने की जरूरत है। खाद्यान्न सप्लाई की रणनीति की जरूरत को समझने के लिए हमें भारत में जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न सप्लाई की उपलब्धता की स्थिति की तुलना करनी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2000 ईसवीं में 972 मिलियन जनसंख्या मानी गई। जबकि वाशिंगटन स्थित विख्यात जनसंख्या अनुसन्धान ब्यूरो ने जुलाई, 1989 में आंकड़े जारी किए जिनमें दर्शाया गया था कि भारत की जनसंख्या पहले ही 835 मिलियन हो चुकी है, यह 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है और 2000 ईसवी तक यह 1042 मिलियन होने की संभावना है। हमारी दीर्घकालिक जनसंख्या संबंधी संभावनाएं और भी अधिक कथित करने वाली है। यह अनुमान है कि हमारी जनसंख्या 1700 मिलियन पर स्थिर होने से पहले हमारा देश विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इस जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता बहुत कम है। अमरीकी अनुमानो के अनुसार चीन का उत्पादन स्तर पहले ही 300 मिलियन टन से अधिक हो गया है। यह 1100 मिलियन की जनसंख्या के लिए है जिसके तहत कुल प्रति व्यक्ति उपलब्धता 330 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। लेकिन भारत में यह केवल 200 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। भारत की उपज चीन की उपलब्धि के बराबर होने के लिए 270 मिलियन टन से अधिक होनी चाहिए थी। भारत को 2000 ईसवी तक प्रति व्यक्ति उपलब्धता के लिए 300 किलोग्राम प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखना चाहिए, इसके लिए 2000 ईसवी तक 300 मिलियन टन के उत्पादन स्तर को प्राप्त करना होगा। यह सातवीं योजना द्वारा निर्धारित 240 मिलियन टन तथा आठवीं योजना के प्रारूप द्वारा निर्धारित 184 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक है। यदि चीन 100 मिलियन हैक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि पर 300 मिलियन टन से अधिक उत्पादन कर सकता है तो भारत 143 मिलियन टन हैक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि पर 300 मिलियन टन उत्पादन क्यों नहीं कर सकता।

खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर राजसहायता दी जानी चाहिए। यह सही है कि खुली बाजार अर्थव्यवस्था में राजसहायता की कोई जगह नहीं है। लेकिन भारत में अभी खुली बाजार अर्थव्यवस्था नहीं बनी है भले ही देश इस दिशा में जीते से अग्रसर हो रहा है। इस बीच राज-सहायता परमावश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी किस्म की राजसहायता के विरुद्ध है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष बजट में खाद्यान्नों और उर्वरकों पर राज-सहायता को किसी प्रकार सुरक्षित रख कर ठीक ही किया है। यदि खाद्यान्नों पर राजसहायता हटा दी जाती है तो उसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम यह होंगे कि खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाएंगी जीवन-यापन सूचकांक ऊंचा चला जाएगा, श्रमिक तथा वेतनभोगी कर्मचारी उच्च वेतन की मांग करते हैं और जब उन्हें उच्च वेतनमान दे दिये जाते हैं तो इससे मुद्रा-स्फीति और मांग-स्फीति दोनों ही इस कदर बढ़कर एक-दूसरे से उलझ जाती है कि फिर उन्हें सुलझाना कठिन जाता है। इसलिए खाद्यान्नों पर राजसहायता को हटाने के परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति की दर में वृद्धि है। मान लीजिए उर्वरकों पर राजसहायता को हटा दिया जाता है, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? उर्वरक महंगे हो जाएंगे, किसान कम मात्रा में उर्वरक खरीदेंगे और इससे खेतों में उर्वरकों को खपत में गिरावट आ जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि खेतों में उत्पादकता और उत्पादन में भी कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति में कमी आएगी और फिर कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। यह भी स्फीतिजनक है। इसलिए स्फीति को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि खाद्यान्नों और उर्वरकों, दोनों, पर राज-सहायताको बनाए रखा जाए। माननीय मंत्री जी ने इस वर्ष ऐसा ही किया है।

खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खाद्यान्नों का जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है। ऐसे राज्यों में खाद्यान्नों की कीमतें भी कम होती हैं। दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खाद्यान्नों की कमी होती है। इन राज्यों में खाद्यान्नों की कीमतें भी अधिक होती हैं। यदि खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के बारे में पाबंदी लगाई जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप राज्यों में खाद्यान्नों की कीमतों में असमानता रहेगी। यदि पाबंदी हटा दी जाती है, तो उस अवस्था में खाद्यान्न अधिक पैदावार वाले राज्यों से कम पैदावार वाले राज्यों को जा सकेंगे और इससे पूरे देश में खाद्यान्नों की कीमतों में समानता बनी रहेगी। इसलिए सरकार को खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय परिगमन पर लगी पाबंदी को हटा देना चाहिए।

फसल की कटाई के दौरान, खाद्यान्नों की कीमतें कम हो जाती हैं। व्यापारी कम कीमतों पर खाद्यान्नों की खरीद कर उनका भण्डार कर लेते हैं और फिर कुछ समय के पश्चात जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो ऊंचे दामों पर अपने भण्डारों को बाजार में निकालते हैं जिससे वे अच्छा-खासा लाभ कमाते है। इससे बचने के लिए सरकार को एक बफर स्टॉफ एजेन्सी बनानी चाहिए जो फसल की कटाई के समय खाद्यान्नों को खरीद कर इस समय उन्हें बेचे जब खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो जाए। इससे खाद्यान्नों की कीमतें स्थिर हो जाएंगी और मुद्रा-स्फीति की दर नीचे गिर जाएगी।

खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति होना ही काफी नहीं है। उपलब्ध खाद्यान्नों को उचित दर वाली दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। यह सही है कि सरकार ने कई उचित

दर दुकानें खोली हैं। लेकिन इन उचित दर दुकानों पर भी भ्रष्टाचार और कदाचार होते हैं। दुकानों के प्रबन्धक खाद्यान्नों को काला-बाजार भावों पर व्यापारियों, होटलों तथा रैस्तरां वालों को बेच देते हैं। और जब कभी असली राशन कार्ड धारक खाद्यान्नों की खरीद के लिए उनके पास जाते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है कि खाद्यान्नों का स्टाक खत्म है। इसलिए इन राशन-कार्ड धारकों को मजबूरन उचित दर की दुकानों से बाहर व्यापारियों से काला-बाजार भावों पर खाद्यान्न खरीदने पड़ते हैं। इससे गरीब उपभोक्ताओं का भला नहीं हो सकता।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इन दुकानों पर बेचे जाने वाले खाद्यान्नों में कूड़ा-कर्कट तथा मिलावटी सामग्री होती है। भारत सरकार ने इन खाद्यान्नों में 49 प्रतिशत मिलावट की सरकारी तौर पर अनुमति दी है और इन खाद्यान्नों के उपयोग से उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सरकार का ध्येय 'सभी के लिए स्वास्थ्य' और 'श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि' का है। जब मिलावटी खाद्यान्नों के उपभोग से लोगों का स्वास्थ्य ही नष्ट हो जाएगा तब सभी के लिए स्वास्थ्य और उत्पादकता में वृद्धि जैसी बातें कैसे आ सकेंगी ? इसलिए सरकार को इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए कि खाद्यान्नों में मिलावट नहीं होनी चाहिए और जो लोग मिलावटी खाद्यान्नों को बेचते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में जिन सुझावों को लागू किया जाना चाहिए, वे इस प्रकार से हैं :

(1) खाद्यान्न-आपूर्ति नीति को अपनाते हुए खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि की जाए।

(2) खाद्यान्नों और उर्वरकों पर राज-सहायता कायम रहनी चाहिए।

(3) खाद्यान्नों की कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए।

(4) खाद्यान्न उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचे जाने चाहिए।

(5) खाद्य-वस्तुएं मिलावटी नहीं होनी चाहिए।

(6) खाद्यान्नों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए बफर स्टॉक एजेंसी स्थापित की जानी चाहिए जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की मदद हो सके।

(7) खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर सभी पाबंदी को हटा दिया जाना चाहिए और खाद्यान्नों की बिक्री के मामले में भारत में एक बृहत बाजार होना चाहिए।

(8) जमाखोरों और काला-बाजारियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

इन कार्यकलापों को पूरा करने के लिए मंत्रालय को अधिक धनराशि की आवश्यकता है। इसलिए मैं खाद्य मंत्रालय के लिए, इन कार्यकलापों को दक्षता से व प्रभावी ढंग से निभाने के लिए, अतिरिक्त अनुदानों की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदया, कृषि विभाग से सम्बन्धित

मांगों पर आज सदन में बहस चल रही है और उन पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

कृषि मंत्रालय की मांगों में विभिन्न मदों में जो कटौती की गई है, कुछ मदों में प्रावधान बढ़ाया गया है, उस कमी और ज्यादा प्रावधान का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि सबसे पहले मैं इन मांगों का इस आधार पर विरोध करना चाहता हूं कि कृषि के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है, चिन्तन है, उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना यह सरकार नहीं चाहती है।

आज हमारे राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी को दूर करना। गरीबी को दूर करने का जहां तक सवाल है, कृषि मंत्रालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है क्योंकि इस देश में 70-75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और उनमें अधिकतर गांवों में रहते हैं। उनके परिवार भी कृषि से आजीविका चलाते हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि उनके पास दोनों वक्त की रोटी खाने का इंतजाम नहीं है। हमारी सरकार इतने वर्षों से तरक्की का दावा करती आयी है, बहुत गर्व के साथ ये लोग बोलते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमने इतना उत्पादन कर लिया है कि हमारे भण्डार लबालब भरे हुए हैं। जहां तक उत्पादन की बात है, हमारे देश की कुल जमीन के 50 प्रतिशत भाग में जंगल हैं, बाकी के 50 प्रतिशत भाग में ही कृषि का उत्पादन होता है यानी कुल जमीन के 30 प्रतिशत भाग में कुल पैदावार का 50 प्रतिशत है, 60 प्रतिशत जमीन वर्षा पर आधारित है। उसमें कुल पैदावार का 50 प्रतिशत है। इस तरह आप जोड़कर आंकड़े निकाल सकते हैं कि यदि पूरी कृषि योग्य जमीन पर सिंचाई का प्रबन्ध तो कोई कारण नहीं कि आज हमारा देश गरीब होता या यहां बेकारी की समस्या शेष रहती। उसमें हम बहुत हद तक कमी ला सकते थे। यदि हमने कृषि को उन्नत बनाया होता, कृषि को कारखाने का रूप दिया होता तो कोई कारण नहीं था कि आज लोग कृषि की ओर जाने से कतराते। आज कोई कृषि मे जाना नहीं चाहता। हमारे किसानों के नौजवान लड़के कृषि कार्य को देखना तक पसन्द नहीं करते क्योंकि वह अलाभकारी होता जा रहा है। यदि कोई चीज अलाभकारी होगी तो किसी का झुकाव उसकी तरफ नहीं हो सकता।

बार-बार यहां कहा जाता है कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा की कमी है, लेकिन विदेशी मुद्रा की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। जब तक हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का अपने देश से निर्यात नहीं करेंगे, तो कैसे विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कृषि के क्षेत्र में हम अधिक से अधिक ऐसी चीजों का उत्पादन करें, जिनकी दुनिया में मांग ज्यादा है, जैसे बासमती चावल है, यदि हम अपने देश में बासमती चावल के उत्पादन पर जोर दें, जिस तरह से हमारे भण्डार अन्न के मामले में भरे हुए हैं, उसी तरह हमारे भण्डार विदेशी मुद्रा के मामले में भी भर सकते थे लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है।

हमारे देश के जितने हिस्से में कृषि होती है, उसमें 70 प्रतिशत जमीन ऐसी है जो वर्षा पर निर्भर है, आश्रित है। जब फसल बोने का समय आता है तो हमारा किसान बादलों की ओर ताकता है कि यदि वर्षा हो जाए तो उसकी फसल लग जाएगी, फसल अच्छी होगी।

दुनिया में आज कितना बदलाव आ गया है। जो देश सबसे कंगाल या पिछड़ा देश कहा जाता था —चीन—जो अफीमची कहलाता था, लोग अफीम खाकर पड़े रहते थे, वहां एक नदी

थी, जिसे चीन का अभिशाप माना जाता था, आज वही नदी चीन के लिए वरदान साबित हो रही है। जितनी तादाद में हमारे यहां जमीन पर खेती होती है, उससे भी कम तादाद में उन लोगों ने खेती करके हमसे दुगना अनाज पैदा करके दिखाया है। आज चीन की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। क्या हम भी उसका अनुसरण करके कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति नहीं ला सकते। लेकिन इस तरफ सरकार का झुकाव नहीं है। सरकार ने इस तरफ से अपना मुख मोड़ लिया है। हमारे जाखड़ साहब स्वयं को एक कृषक कहते हैं और कृषकों के सम्बन्ध में लम्बी-लम्बी बातें करते हैं। कई वर्षों से हम देख रहे हैं। जब वे सदन के अध्यक्ष थे तब भी बोलते थे कृषकों के बारे में। लेकिन बोलने और करने में बहुत अन्तर होता है। आप नियम बनाते हैं। लेकिन आपकी नियत साफ नहीं है। यदि आप कोई नीति बनाते हैं तो आपकी नियत भी साफ होना जरूरी है। यदि आपकी नियत साफ होती तो हमारे देश की वह स्थिति न होती जो आज है। अपने देश की कृषि से हम दूसरे देशों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसी में लगे हुए हैं। हमारी गरीबी का यही कारण है। तभी तो हम कृषि को बढ़ाने की बजाए विदेशी कम्पनियों को अपने देश में बुला रहे हैं, क्या गरीबी मिटाने के लिए उन्हें यहां बुलाया जा रहा है। गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन वे जानते हैं जहां-जहां विदेशी कम्पनियां गईं, वहां-वहां उन्होंने गरीबी मिटाई नहीं, बल्कि गरीबी और बढ़ाई है। यह बात ठीक ही यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कही है जब एक संकल्प पर यहां पहले बहस हुई थी। हमारे यहां के जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कृषि में इतनी उन्नति की और अनुसंधान करके इतने उन्नत बीज तैयार किए हैं और उन बीजों से कृषकों की मदद करके और भी ज्यादा उन्नत बीज बराबर किसानों को दे रहे हैं और इस प्रकार से देश के उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की सहायता करने का काम कर रहे हैं, अगर इन्हीं बीजों को बाहर से, विदेश से मंगाया गया, या हम उनके ऊपर निर्भर रहे, तो हमारे वैज्ञानिकों में जो एक निराशा पैदा होगी उससे देश अवनति की तरफ आएगा। जो इस समय देश के कृषि वैज्ञानिकों में एक जिज्ञासा है, वह धीमी हो जाएगी, मिट जाएगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि और मामलों में भले ही वह कुछ भी करे, लेकिन कृषि के मामले में, दूसरे देशों से बीज मंगाने की जरूरत नहीं है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो हमारे ग्रामीण विकास की बात अभी लोग कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है ? ग्रामों से लोग भाग रहे हैं। हर आदमी को यह विदित है कि वहां से आदमी क्यों भाग रहे हैं। यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, वे भी अगर ईमानदारी से इस बात को कहें, तो वे भी यह महसूस करते हैं कि गांवों में आज कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग स्वयं अब गांवों में जाना पसन्द नहीं करते हैं और दिल्ली में अपना महल या एक छोटा मकान बनाकर यहीं रहना पसन्द करते हैं। वहां पर न शुद्ध पानी है न और कोई सुविधा है। पानी पहुंचाने का सरकार का प्राथमिक कार्य है, वह तक सरकार इतने साल की आजादी के बाद, आज तक सभी गांवों में शुद्ध पानी नहीं पहुंचा पाई है। आज भी गांवों में जमीन काटकर लोग मिट्टी मिला हुआ पानी पीते हैं जो अशुद्ध होता है और जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं और लोग मर रहे हैं। इसलिए गांवों में लोग जाना पसन्द नहीं करते हैं। वहां कोई दवा का इंतजाम नहीं है, न कोई शिक्षा का इंतजाम है। इसलिए आज वही आदमी रहता है, जिसको शहर में नहीं आना है। वह वहां जानवर की तरह से जीवन बिता रहा है।

गांवों का विकास न होने के कारण ही महोदय, आज शहरों में उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या फैल रही है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। जिसका विकास नहीं हुआ है, अभी तक वह पशुओं की तरह जिन्दगी बिता रहा है, बहुत से आदमियों के जानवर भी अच्छी स्थिति में हैं बनिस्बत उन लोगों के। बहुत से सवाल उठ रहे हैं। उनका विकास न होने के कारण झारखण्ड मुक्ति मोर्चे की मांग आ गई कि हमको एक सैपरेट स्टेट दो। इसका क्या कारण है ? ग्रामीणों का विकास नहीं हुआ है, उनकी बुरी दशा है और दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस देश की राष्ट्रीय आमदनी को अपनी सुख-सुविधा बढ़ाने में लगाया है और आज उसी बेस पर नौजवान उसी पैसे से हथियार ले रहे हैं, गन ले रहे हैं, फौज इकट्ठी कर रहे हैं, आपका प्रशासन काम नहीं कर रहा है। चाहे वह असम हो, आन्ध्र हो और चाहे पंजाब हो, ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। इसलिए आपको देश की एकता और अखण्डता को बचाए रखने के लिए ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

अब रह गई बिजली की बात। बिजली जो कृषि और कृषकों के लिए अमृत का काम करती है, आज उसकी हालत क्या है ? आज जितने बिजली के कारखानों से जितनी बिजली हमें मिल रही है, उसका एक अंश भी गांवों में नहीं जाता है। बिजली में कृषकों को कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान हो रहा है। बिजली दो दिन में दो-दो घंटे मिलती है और चार्ज पूरा देना पड़ता है। बहुत लोग ऊबकर बिजली कटवा रहे हैं, वे इतना पैसा कहां से दें। ऐसा होने से कृषि कैसे उन्नत होगी। उस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, जब से लोकतंत्र कायम हुआ है भाषण तब से चल रहा है। हम यह नहीं कहते कि गल्ले का भाव बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, 500 रुपये क्विंटल कर दीजिए। हमारा कहना है कि कृषकों को मुनाफा होना चाहिए। कारखाने में जो पैदा होता है और खेती से जो वस्तु पैदा होती है, उन दोनों को मिलाकर एक मूल्य तय कीजिए जिससे खरीदने और बेचने में मुश्किल न हो। हम अपनी आवश्यकता की चीजें ले सकें और दूसरे को भी बराबर मिल जाए।

एक जमाना ऐसा था जब सामान के बदले सामान दिया जाता था। आज आपने खेती से सबसिडी हटा दी। छोटे-छोटे कृषकों को पैसे के अभाव में समय पर खाद नहीं मिलती जिससे उनकी फसल खत्म हो जाती है। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो सीमान्त कृषक हैं, लघु कृषक हैं उनके लिए आपको सबसिडी रखनी चाहिए थी। इससे कृषक उत्पादन ज्यादा बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

कृषक चाहता है कि उसके खेत को पानी मिले, खाद मिले, अच्छे बीज मिलें। यदि ये चीजें कृषक को देते हैं तो कोई भी सरकार इस देश का बहुत बड़ा हित करेगी और देश की एकता, अखंडता को बरकरार करने में बहुत मददगार साबित होगी।

बरसाती पानी, नदी-नालों के पानी का उपयोग कैसे कृषि में करें, यह सब देखना है। दिमाग जब तक खाली रहेगा वह गलत चीज सोचता रहेगा। आज हमारा नौजवान खाली है, उसके पास काम नहीं है, वह खेत में काम नहीं करता क्योंकि उससे उसे कोई लाभ नहीं होता है।

यदि कोई सिंचाई के लिए योजना बनाई जाती है तो वह 12-14 साल तक पड़ी रहती है। क्या आप कृषि के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं ? जो योजना पांच लाख में बन सकती है, 12-14 वर्षों में उसका पचास लाख हो जाएगा। क्या यह देश के हित में है ? इसको देखने वाले, जांच करने वाले क्या कर रहे हैं, इसके लिए कौन दोषी है ? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन लुटेरों की जमात बनी हुई है जो सारे पैसे को लूटकर खा जाते हैं। आज कृषि की हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री ने कहा था और अखबारों में भी आया था कि जवाहर रोजगार योजना के लिए ज्यादा पैसा वह देने जा रहे हैं, लेकिन वह आपने कम कर दिया। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इसको भी देखना चाहिए। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो ग्रामीण इलाकों का विकास हो सकता है और स्थिति में सुधार हो सकता है।

सभापति महोदया, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो स्कीमें आपके यहां आई हैं, उनको आप स्वीकृति प्रदान करेंगे। इनसे समस्या का निदान हो सकता है। हर साल जो फसल खराब हो जाती है, वह भी इससे बच जाएगी। इन सारी चीजों को देखते हुए सारी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए और उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में लेना चाहिए। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : महोदया, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस देश में कृषि में पर्याप्त सुधार हुआ है और उत्पादन भी बढ़ा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इसमें लोगों का आपेक्षित आशाओं के अनुरूप सुधार हुआ है। मेरे विचार से, ऐसा नहीं हुआ और पिछले सभी वर्षों में हमारा देश विदेशों के आगे झोली ही फैलाए रहा है। देश संकट ही झेलता रहा है।

आज हम गर्व से कह सकते हैं कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है।

क्या हमने भविष्य में उत्पादन के कम होने के कारणों का विश्लेषण किया है ? पहला कारण तो यह है कि जनसंख्या और कानूनों ने भूमि को सीमित कर दिया है। कानून और जन-संख्या, इन दोनों बातों ने जमीन को विखण्डित कर दिया है और फिर अगर भूमि विखण्डित होगी तो खेती और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका पहला कारण तो यह है कि हम मशीनीकरण नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम इतनी छोटी इकाइयों को नहीं संभाल सकते क्योंकि वे अलाभकारी हो जाती हैं। इसलिए जैसा कि श्री रघुनंदन लाल भाटिया ने सुझाव दिया है, हमें दूर की बात सोचनी है और कानूनों में उचित संशोधन करके इन इकाइयों को देश की उत्पादनकारी इकाइयां बनाना है।

दूसरी बात यह है कि कृषि कई बातों पर निर्भर करती है। पहली बात मानसून है, दूसरी बात है कीमतें और तीसरी बात अन्य आदान सामग्री का है। जब कभी किसान किसी चीज को खरीदना चाहता है तो चीजें बहुत ही महंगी होती हैं, कीमतें निश्चित होती हैं और इनमें हमेशा वृद्धि ही देखने को मिलती है। और जब कभी किसान अपने उत्पादन को बेचना चाहता है, कीमतें

उत्पादन और उत्पादन लागत के अनुपात में बहुत ही कम होती हैं। इसके साथ-साथ किसान के पास गोदाम आदि की सुविधाएं नहीं है और इसलिए वह किसी चीज का भण्डार नहीं रख सकता। मजबूरन उसे प्रत्येक चीज को बाजार मे अल्पतम कीमत पर बेचना पड़ता है; एजेन्ट उसका उत्पादन खरीद कर दुगुनी कीमत पर बेचते हैं, जबकि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों इससे प्रभावित होते हैं। यह हमारे किसान की दुर्दशा है। जब वह अच्छी कीमत मांगता है, तो बहुत ही कम कीमत उसे दी जाती है। और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो तब निश्चित तौर पर सभी लोग किसान पर चिल्लाते हैं और कीमतों मे कमी लाने की कोशिश करते हैं।

अपने देश में हम यह देखते रहे हैं कि कृषि का उत्पादन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी आधारित रहा है। इस देश में शहरों की 20 प्रतिशत आबादी के लिए 150 शैक्षणिक संस्थायें हैं जबकि देहातों की 80 प्रतिशत आबादी के लिए जोकि पूर्णतया कृषि पर ही आश्रित है, मुश्किल से 23 विश्वविद्यालय ही हैं। क्या किसानों के लिए यह अपर्याप्त तकनीकी शिक्षा नहीं है? कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है और हमारी सारी आबादी इसी पर निर्भर है। इसके परिणामस्वरूप धनवान और निर्धन के बीच का अन्तर, शहरी और ग्रामीण के बीच का अन्तर बढ़ा है। इसलिए हमारे मंत्रियों को और सरकार को इस मामले पर गंभीर विचार करना है। उन्हें इस बारे में सोचना है कि ऐसे लोगों को हम किस प्रकार अच्छी तकनीकी शिक्षा दें। आज उद्योगों के संबंध में सरकार ने जो नीति अपनायी है, समाज के प्रत्येक क्षेत्र ने, प्रत्येक वर्ग ने उसका स्वागत किया है। इसी तरह जैसा कि हमने उद्योगों और अन्य क्षेत्रों के लिए किया है, हमें कृषि के बारे में भी अपनी नीति की घोषणा करनी है। आज कृषि को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर देखना होगा। कृषि में पशुपालन, बागबानी आदि बातें भी सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए बागबानी अति आकर्षक, उत्पादनकारी तथा लाभकारी व्यवसायों में से है परन्तु हमने आज तक पूरी तरह से उसकी उपेक्षा की है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े देश में आज मात्र एक ही बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित हो पाया है। वास्तव में यह एक निराशाजनक बात है। इससे भी हमें दुख होता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आरम्भ में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए क्योंकि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नामक एक नया विभाग शुरू किया था। यदि फल नहीं होंगे तो कुछ कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि फल उपलब्ध होंगे तब हम यह कार्य कर सकते हैं। इस देश में हम इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि बीज अंकुरित करने अथवा पौधे उगाने के लिए कृत्रिम ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। पश्चिमी देशों में जहां अत्यधिक ठण्ड रहती है, उन्हें वहां शेड बनाने पड़ते हैं और बीज अंकुरित करने तथा पौधे उगाने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करनी पड़ती है। यहां खुला वातावरण है। कुछ भी उगाया जा सकता है और काफी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां केवल तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ-साथ उपकरणों की बात भी आती है। जहां तक उपकरणों का संबंध है, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए एक बड़ा ट्रैक्टर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति 3 लाख रुपये मूल्य के ट्रैक्टर को कैसे खरीद सकता है। अन्य यंत्र खरीदने से लागत 5 लाख रुपये तक आ जाती है। अतः कुछ सीमा तक सरकार को इन यंत्रों को

राज सहायता देनी चाहिए। जब भी किसान कपास और अन्य फसलों के लिए कीटनाशक दवाइयां लेने जाता है तब हर वर्ष उनकी कीमतों में 5 से 10% तक वृद्धि हो चुकी होती है। लेकिन उसका विक्रय मूल्य कभी भी 5 से 10% तक नहीं बढ़ता है। उसके लिए कीमतें बहुत कम होती हैं।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जब भी दूध की कीमतें बढ़ती हैं तब समाचार-पत्रों में एक बड़ा-सा लेख आ जाता है। लेकिन जब किसान सूखे अथवा बाढ़ से प्रभावित होता है तब उसे बहुत कम सहायता दी जाती है। उसे आवश्यकता से बहुत कम सहायता दी जाती है। अत: उपकरण बहुत महत्व रखते हैं। जब भी हम सरकार द्वारा उपलब्ध की गई टिप्पणियों को पढ़ते हैं तब उनमें कुछ भी स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं किया होता है कि कितने नये उपकरण खोजे गए हैं, क्या वे छोटे और सीमांतक किसानों के लिए अर्थक्षम हैं, आदि, आदि। मैंने अपने राज्य में देखा है कि वहां कोई भी भूस्वामी नहीं है। कर्नाटक में 1973 में अधिकतम सीमा लागू कर दी गई थी। लेकिन हमने इसका समुचित क्रियान्वयन नहीं देखा। 20 वर्ष पहले पैदा हुआ बच्चा आज एक वयस्क बन गया है और उसके भाग्य का पहले ही पता है, यदि वह पढ़ा लिखा है तब उसके लिए नौकरी नहीं है और यदि वह अशिक्षित है तब जोतने के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। इस देश की ऐसी दयनीय दशा है। मैं यही समस्या बता रहा हूं जिसका हमें समाधान करना है। यह सरकार की आलोचना नहीं है बल्कि मेरी अपने मित्रों से अपील है कि उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके वे इन सभी समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं। लेकिन कीटनाशक दवाइयों में मिलावट बहुत अधिक होती है। यदि मैं कपास-उत्पादित क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करूं तब कुछ भी नहीं उगेगा। या तो वह भूमि पूर्णत: प्रतिरक्षित है अथवा कीटनाशक पूर्णत: मिलावटी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम इस बात की जांच करें क्योंकि कृषक एक-एक पैसा जो खर्च करता है वह उसके पसीने की कमाई होती है। जब भी सूखे या बाढ़ की स्थिति आती है तब उसे ऋण उतारने के लिए भूमि का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृषि की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अत: इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

कृषि के बारे में उतनी गंभीरता से नही सोचा गया जितना दूसरे क्षेत्रों के बारे में सोचा गया। कृषि क्षेत्र में हमें संबद्ध व्यवसाय भी स्थापित करने चाहिएं जैसे डेरी फार्म, सूअर पालन, मछली पालन तथा अन्य कार्य। हम यह सब कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमें एक संगठन बनाना चाहिए जहां प्रत्येक घर में सौ अथवा दो सौ मछलियों का पालन होना चाहिए। लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित करके यह कार्य किया जा सकता है। यही पर्याप्त नहीं है। हमें योजना आयोग को उद्देश्यपूर्ण बनाना है क्योंकि हमने लोगों को संगठित होने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया है। हमने सदैव ऐसा आभास दिया है जैसे कि सरकार पैसा बांट रही है और आप आकर वह पैसा ले लीजिए। लेकिन यह मितव्ययता की प्रणाली नहीं है। लोगों को प्रेरित करके अनेक कार्य किए जा सकते हैं। मेरे विचार से मछली पालन और अन्य संबद्ध व्यवसायों का प्रचार नहीं किया गया है। यदि एक मछली का ठीक प्रकार से पालन किया जाए तब उसका वजन एक किलोग्राम होता है। यदि आप उसे दिल्ली में बेचें तब उससे 20 रुपये से 25 रुपये मिलेंगे। लेकिन विक्रेता के लिए दाम हमेशा कम होते हैं। यदि आप एक मछली के लिए 10 रुपये से 15 रुपये तक लेते हैं और एक व्यक्ति जिसके पास 500 से 1000 मछलियां हैं तब वह 10,000

रुपये से 15,000 रुपये तक कमा सकता है। इसके लिए कीटनाशक दवाइयों, उर्वरक तथा अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह अनेक बचतें कर सकता है। मछली पालन से ऐसा हो सकता है।

सूअर पालन के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा गया है। यहां तक कि भेड़ पालन के लिए अच्छे हरे-भरे चारागाह नहीं हैं। वनों को हवाई अड्डा बना दिया गया है। घास का एक तिनका भी नहीं उगाया जाता है तथा भेड़ों की संख्या कम हो गई है। इस ओर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दिया गया है। मेरे विचार से संकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इससे एक छोटा-सा पशु भी एक वर्ष में हजारों रुपये दिला सकेगा। यदि पशुओं की बेहतर नस्लें तथा उचित सुविधाएं उपलब्ध हों तब एक साधारण व्यक्ति, मजदूर अथवा युवा लड़की संकरण से एक हजार रुपया कमा सकती है।

इसी प्रकार एक अन्य क्षेत्र सिंचाई का है। सिंचाई क्षेत्र में हजारों समस्याएं हैं। जहां शुष्क खेती है वहां वर्षा की ही समस्या है। सिंचाई में जल रिसाव की समस्या है। जल प्रबंधन पूर्णतया असफल रहा है। हमने बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाई हैं और वह पूरी नहीं हुई हैं तथा जो पूरी हो गई हैं वहां गाद जमा हो गई है। अगले दस-पन्द्रह वर्षों में इन परियोजनाओं में गाद जमा हो जाएगी तथा वहां पानी नहीं रहेगा। यह भूमि तथा अन्य संसाधनों को बेकार करना है। जैसा कि अन्य मित्रों ने सुझाव दिया है मेरा भी यही कहना है कि छोटी सिंचाई परियोजनाएं ज्यादा अच्छी होंगी। बड़ी परियोजनाओं में बीस से तीस वर्ष लग जाते हैं। इस देश में हमेशा अनेक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है तथा अनेक तथ्य हैं जैसे पर्यावरण, पर्यावरण-विरोधी उत्पादक तथा अनुत्पादक। इसके स्थान पर हमें छोटी परियोजनाओं की स्थापना करनी चाहिए जिनसे हमें तत्काल सहायता मिले। यदि आप फिल्टर वाले टैंक बनाएं तब मेरे विचार से पेयजल नीति शत-प्रतिशत सफल होगी। हमारे टैंकों में मिट्टी जमा हो जाती है। पानी न देने के बावजूद भी लोगों पर कर लगाया जाता है। राज्य सरकार के पास इनसे मिट्टी निकालने का कोई साधन नहीं है। उनका यही कहना रहता है कि मिट्टी निकालने का कार्य नया टैंक बनवाने से अधिक महंगा होगा। मेरे राज्य में तो यह समस्या है लेकिन मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानता। जब पानी रुका हुआ हो और सभी टैंक कार्य कर रहे है तब फिल्टर प्रणाली द्वारा नलकूपों में पानी दिया जा सकता है। इससे हमें पानी मिल जाएगा। श्री भाटिया ने ठीक ही कहा है इस देश में पानी की कमी नहीं है। हमारे पास भूमिगत और भू-जल उपलब्ध है लेकिन पानी के उपयोग के लिए उचित प्रबंध नहीं है। अतः प्रत्येक गांव में फिल्टर प्रणाली वाले टैंक बनाने चाहिएं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है।

गैस संयंत्र अत्यन्त आवश्यक हैं क्योंकि यह पर्यावरणीय संतुलन से संबंधित हैं और वनों की कटाई निरंतर जारी है। यदि ग्रामीणों को ईंधन उपलब्ध कर दिया जाये तो उनको वन काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि हम उनको यह सुविधा नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें बायो गैस संयंत्रों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मैंने इस दिशा में प्रयास किए हैं और मेरे पास दो या तीन बायो गैस संयंत्र हैं। एक दिन हमने 200 बायो गैस संयंत्रों का उद्‌घाटन किया और हमारे राज्य में वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

डेरी फार्म का कार्य भी काफी अच्छा कार्य है। गोबर का भरा हुआ एक ठेला उर्वरक के

साद ठेले उत्पादित करेगा। यह उर्वरक कृत्रिम उर्वरक से कहीं बेहतर है। जब इन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तब वे तीन वर्षों तक भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखते हैं तथा दुबारा उर्वरक का उपयोग किए बिना अच्छा उत्पादन देते हैं। यह योजना तीन प्रकार से लाभकारी है तथा मैं सरकार से अपील करता हूं कि अधिक राजसहायता प्रदान करे। अब वह बैंक ऋणों तथा खादी बोर्ड के माध्यम से कुछ राजसहायता दे रही है। वनों की कटाई रोकने के लिए इसे बढ़ाना आवश्यक है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है।

शुष्क खेती तथा बागवानी के बारे में मेरा कहना है कि हमारे देश में अनेक फलदार वृक्ष होते हैं। लेकिन उन्हें लगाया नहीं जाता है। इनसे साधारण फसल की तुलना में, जिसके लिए पानी की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता है, अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। आम और अन्य फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं।

मैं ग्रामीण स्वच्छता तथा पेय जल के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि स्वच्छता की बिल्कुल उपेक्षा की जाती है जोकि महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जब हम बोर-कुएं बनाते हैं तब वे इसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप मच्छर पैदा होते हैं तथा बीमारियां फैलती हैं। जब हम एक समस्या का समाधान करते हैं तब गांवों में सफाई की सुविधाओं के अभाव में अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ग्रामीण लोग अनपढ़ हैं और इन बातों को नहीं जानते। दूसरे, इन कार्यों को करने वाले अधिकारी भी इस बारे में गंभीरता नहीं दिखाते और जो गंभीरता से करते हैं, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उनमें से अधिकतर भ्रष्ट होते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में कोई प्रगति नहीं हुई है। उनकी स्थिति पहले जैसी ही है। इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

विद्युत कृषि के लिए प्रमुख साधन है और इसकी समुचित आपूर्ति नहीं की जाती है। जब भी विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह अपर्याप्त होती है। इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा क्योंकि जब तक खोदे गए कुओं के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है तब तक वे किसी काम के नहीं हैं, बैंक ऋणों पर ब्याज टैक्सी मीटर की तरह रात-दिन बढ़ता जा रहा है। जब किसान को बिजली पानी नहीं मिलेगा तो वह उत्पादन कैसे कर सकता है? परन्तु बैंक इन बातों को नहीं जानता है। अत: जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है इन बातों को गंभीरता से लेना होगा। जैसा कि श्री राजीव गांधी ने कई बार कहा है कि जब तक शैक्षिक पिछड़ापन रहेगा, जब तक अन्य क्षेत्रों में पिछड़ापन रहेगा, तब तक वास्तव में विकास का कोई लाभ उन तक नहीं पहुंच सकता है और यह सत्य है। अत: कार्यान्वियन अधिकारियों को इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। वे भी हमारे लोग हैं। मैं उन सभी से और सरकार से अपील करता हूं कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि गरीब किसानों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम बाधाओं से निजात मिले तथा कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित की जाए।

*श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदया, क्योंकि मुझे बोलने के लिए बहुत कम समय मिला है, इसलिए मैं अपना भाषण केवल दो मुद्दों अर्थात् भूमि सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक ही सीमित रखूंगा।

*मूलत: तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

45 वर्ष पूर्व जब से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तब से ही शासक और शासित दोनों ही भूमि सुधार के बारे में लगातार बातें करते रहे हैं। सत्ताधारी दल इन वर्षों के दौरान लोगों को ये आश्वासन देते आए हैं कि वे भूमि सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें जल्दी ही कार्यान्वित करेंगे। यदि वे पहले भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने में सफल रहते तो शायद मौजूदा प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव को विशेष रूप से उसी विषय अर्थात् भूमि सुधार विषय पर चर्चा करने के लिए राज्यों के राजस्व मंत्रियों की एक और बैठक नहीं बुलाते। फालतू पड़ी भूमि को बांटने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए देश को मौजूदा प्रधान मंत्री की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी ? क्या कारण है जिसने मौजूदा सरकार पर भूमि वितरण को उच्च प्राथमिकता देने के लिए दबाव डाला ? सरकार पर यह कहने के लिए किसने दबाव डाला कि भूमि सुधार संबंधी मौजूदा कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और किसी को भी धर्म अथवा बहुसंख्यकता आदि के नाम पर भूस्वामित्व का दावा करने के लिए परिनियमों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ? वह कौन-सा कारण है जिसने सरकार पर यह कहने के लिए दबाव डाला कि भूमि सुधार कानूनों को कार्यान्वित करने में विफलता का मूल कारण देश में साम्प्रदायिक और अन्य तरह की अशांतियों का उठ खड़ा होना है ? सरकार अब ये कहती है कि उपरोक्त आधारों पर किसी को भी भूमि आबंटित नहीं की जानी चाहिए। हमें इतनी नीची स्थिति तक किसने पहुंचाया है ? इस दुखद स्थिति का मुख्य कारण शासकों की कथनी और करनी में अन्तर होना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 29.2 लाख हेक्टेयर जमीन फालतू घोषित की गई है। सरकार का दावा है कि इस फालतू भूमि में से केवल 19 लाख हेक्टेयर भूमि बांटी गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह 9.60 लाख हेक्टेयर भूमि बांटना चाहती थी परन्तु वह ऐसा कर नहीं सकी। फालतू जमीन को बांटने में विफलता का एक कारण सरकार ने यह दर्शाया है कि आधी फालतू भूमि के सम्बन्ध में न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। भूस्वामियों ने 20 या 30 वर्ष पूर्व न्यायालयों में मामले दर्ज करवाए थे ! अब 30 वर्ष पश्चात् सरकार इस मामले को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने ये काम पहले क्यों नहीं किया ? न्यायिक विवादों से बचने के लिए सरकार ने विगत समय में उपचारात्मक कदम क्यों नहीं उठाए ? इस विफलता के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में सरकार और कांग्रेस को दोषी माना जा सकता है क्योंकि इन वर्षों के दौरान यही दल सत्ता में था। शासकों ने खुद माना है कि इन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए उनकी ओर से कोई वचनबद्धता नहीं थी। देश पर शासन करने वाले शासकों की वचनबद्धता या उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण भूमि सुधार कार्यक्रम पिछड़ गए। कांग्रेस के नेताओं ने भूमि सुधारों को एक स्वांग बना दिया। कितना आश्चर्यजनक है कि वे अब भूमि सुधारों के बारे में सोच रहे हैं। आज भी सरकार जब कभी और जहां कहीं भी फालतू भूमि को बांटने की घोषणा करती है वहीं भूस्वामियों में वितरित की जाने वाली भूमि चोरी छिपे बेच दो। भूस्वामी फालतू घोषित की गई जमीन को गरीबों में बांटने से पहले बेच देते हैं। भूस्वामियों को फालतू घोषित की गई जमीन बेचने से रोकने के लिए कृषि श्रमिकों की ओर से जन आंदोलन के द्वारा बहुत से सुझाव दिए गए थे। ऐसा एक सुझाव यह था कि सरकार को वितरित की जाने वाली भूमि के ब्यौरे पहले सार्वजनिक रूप से घोषित करने चाहिए। यदि सरकार ऐसा करती है तो लोग आगे आकर वितरित की जानी वाली उस भूमि की रक्षा करने के अपनी सेवाएं देंगे। तत्पश्चात् लोग भूमि वितरण में सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने इस सुझाव को कार्यान्वित करने की ओर ध्यान नहीं दिया।

महोदया, जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है हमने मुख्य मंत्री से अनुरोध किया है कि वे जिलाधीशों को आदेश दें कि वे अपने जिलों में वितरण के लिए उपलब्ध फालतू भूमि के बारे में सार्वजनिक रूप से घोषणा करें। केवल माननीय प्रधान मंत्री ही नहीं, जो अब भूमि सुधारों में रुचि ले रहे है, बल्कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भी आन्ध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वे चाहते हैं कि वहां सबसे पहले भूमि सुधारों को कार्यान्वित किया जाए। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य देते रहे हैं। प्रत्येक भूस्वामी के पास पड़ी फालतू भूमि की ब्यौरे सहित घोषणा की जानी चाहिए। वितरित की जाने वाली फालतू भूमि के ब्यौरे लोगों को दिए जाने चाहिए। हमने मुख्य मंत्री से राज्य में भूमि सुधारों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए उचित सुझाव को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। शासक इस प्रकार की सार्वजनिक घोषणा या अधिसूचना जारी करने को तैयार नहीं हैं। यह त्रासदी है। इससे राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव प्रदर्शित होता है। सरकार की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए भूस्वामी उस समय अपनी फालतू जमीन को बिना किसी भय के बेच देते हैं, जब सरकार भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य जारी करती है। महोदया, हमारा यह अनुभव रहा है कि धनाढ्य भूस्वामियों का शासकों पर प्रभाव होता है। मैं समझता हूं कि यह अन्य राज्यों के मामले में भी सही है। धनी और प्रभावशाली भूस्वामी अब मेरे राज्य में मंत्री बने हुए हैं। जब प्रधान मंत्री यहां पर यह उद्घोषणा करते हैं कि फालतू भूमि वितरित की जाए तो राज्यों में जो धनी भूस्वामी मंत्री पदों पर आसीन हैं वे अपनी उस भूमि को बेच देते हैं जिसे पहले ही फालतू घोषित किया जा चुका होता है। यह एक सच्चाई है। प्रधान मंत्री यहां पर कहते हैं कि फालतू भूमि वितरित की जाए जबकि उनकी अपनी ही पार्टी के मंत्री बिना किसी हिचक के अपनी फालतू भूमि को बेच देते हैं। मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है। क्या यही वचनबद्धता है? यदि मंत्री ही प्रधान मंत्री के निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो आसानी से कल्पना की जा सकती है कि उनकी पार्टी में विभिन्न स्तरों पर क्या हालत होगी। मैं यह नहीं कहता हूं कि हरेक आदमी बेईमान है। इस राजनीतिक दल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस महान कार्य के प्रति कटिबद्ध हैं। महोदया, यह बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने भूमि सुधारों को तमाशा बना दिया है। प्रधान मंत्री ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया कि हमारे राज्य में भूमि वितरित करने का सरकार के पास त्रुटिरहित रिकार्ड है। महोदया, लेकिन इसका श्रेय सरकार को नहीं जाता है। इसका राज्य में कम्यूनिस्टों को जाता है। ऐतिहासिक तेलंगाना आंदोलन के दौरान लोगों ने जब निजाम के शासन बल्कि कुशासन के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व कम्यूनिस्टों ने किया, तो उस समय लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि भूमिहीन गरीबों में वितरित की गई थी। वह देश में कम्यूनिस्ट आंदोलन की सफलता की एक कहानी थी। स्वर्गीय श्री बी० रामकृष्ण राव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बाद में पट्टेदारी अधिनियम बनाया जो कि लोगों की क्रांति की सफलता का द्योतक थी। ऐसा कोई कानून अन्यत्र नहीं बनाया गया था। वह जन आंदोलन के प्रति उचित श्रद्धांजलि थी। वह हमारा उत्कृष्ट रिकार्ड था। यदि अन्यत्र कहीं ऐसा गरिमामय रिकार्ड है तो केवल पश्चिम बंगाल में है जहां 10 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है। कांग्रेस शासित राज्यों में 60 प्रतिशत भूमि भूस्वामियों के पास है जिनकी संख्या कुल आबादी का 10 प्रतिशत है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अधिकांश भूमि 60 प्रतिशत गरीबों के हाथ में है। मैं पश्चिम बंगाल के मामले को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि देश में अन्यत्र उत्पादन के लिए जिम्मेदार लोगों को भूस्वामियों के क्रूर कदमों तले कितनी निर्दयता से पीसा जाता है। उत्पादन

केवल तभी बढ़ सकता है जब जिम्मेदार लोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति की देश में उत्पादन में वृद्धि न होने का यह एक मुख्य कारण है। देश का खाद्यान्न उत्पादन मीट्रिक टन तक ही सीमित है और इस स्तर पर उत्पादन रुक गया है। उत्पादन में अव आने का कारण उत्पादन करने वाली शक्तियों को थोड़े से भूस्वामियों के हाथों में केन्द्रित है। श्रमिक शक्ति जो कि उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी घटक है उसे भूस्वामियों के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है।

सभापति महोदय : क्या आप अपना भाषण अब समाप्त कर रहे हैं ?

श्री बी० एन० रेड्डी : महोदया, केवल एक बात और कहनी है। मैं सार्वजनिक वि प्रणाली के बारे में चन्द बातें कहना चाहूंगा। देश में लगभग तीन लाख पचास हजार उचित की दुकाने हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। गरीब रही है, जबकि अनाजों पर राजसहायता कम हो रही है। जब गरीबों की संख्या बढ़ती है तो कार को उसी अनुपात में राजसहायता में वृद्धि करनी चाहिए ताकि गरीबों को अनाज सस्त पर उपलब्ध हो सके। परन्तु राज सहायता में वृद्धि करने की बजाय सरकार ने उसमें और कर दी है। गरीब लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख दायित्व वर्ष 1989-90 के दौरान अनाजों पर 3476 करोड़ रुपए की राजसहायता दी गई ज वर्ष 1990-91 के दौरान यह राशि कम करके 2050 करोड़ रुपए कर दी गई। इ अनाजों पर दी जाने वाली राजसहायता में अत्यधिक कमी किए जाने का पता चलता यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। अगर डा० मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए बज यही मूल तत्व है तो आने वाले दिनों में गरीबों की स्थिति की कल्पना करके सिहरन पैदा हो है। रियायती दर पर मिलने वाले एक किलो चावल का मूल्य मेरे राज्य में 1.90 रुपए था, पर अब यह मूल्य 3.50 रुपए प्रति किलो है। जब श्री एम० टी० रामा राव मुख्य मंत्री थे तो चावल का मूल्य 2.00 रु० प्रति किलो था, अब यह मूल्य 3.50 रुपए प्रति किलो है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक दिशा में नहीं जा रही है। यह गरीबों को भोजन उपलब्ध नहीं करवा सकती जिनका पेट हमेशा आधा भूखा रहता है।

महोदया, मुझे विचाराभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं तथा इन्हीं शब्दों के साथ अभी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल, बुधवार, 8 अप्रैल को 11.00 बजे म० पू० पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 8 अप्रैल, 1992/19 चैत्र, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53

लोक सभा

वाद-विवाद

(दशम माला)

खण्ड 10

(25 मार्च से 7 अप्रैल, 1992/5 से 18 चैत्र, 1914 (शक)

तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

बी० एस० एस०—48/10/30/92 (एन०)
250

©1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित।